लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवा सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha





[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5, सोमवार, 25 फरवरी, 1974/6 फाल्गुन, 1895 (शक)
No. 5, Monday, February 25, 1974/Phalguna 6, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
62	सरकारी रुप से बंद मिलों में वनस्पति का उत्पादन	Production of Vanaspati in officially closed mills . .	1
64	उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of sugar mills in U. P. and Bihar . .	2–3
65	खाद्यान्न का आयात	Import of foodgrains . .	3–6
68	श्रिम्प और लोवस्टरों का अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम कीमत पर निर्यात	Export of shrips and lobsters at prices below international price	6–9
69	खाद्यान्नों की वसूली और वितरण व्यवस्था की पुनर्विलोकन	Review of procurement and distribution of foodgrains .	9–13
72	भारतीय जहाजरानी निगम तथा मुगल लाइंस निदेशक-मंडल के सदस्यों की नियुक्ति	Appointment to the Board of Directors of the Shipping Corporation of India and the Mogul Lines . . .	13–15
74	शिशु आहार की कमी	Shortage of baby food . .	15–16
76	कोचीन में समुद्री जहाज बनाने वाले कारखाने की स्थापना	Construction of ship Building Yard at Cochin . . .	16–18
78	खाद्य तेलों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण	Reasons for rise in pirce of oils and other commodities . .	18

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
61	सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कबाड के रूप में मोटर लांचो और बजरों का बेचा जाना	Sale of motor launches and barges as scrap by CIWTC .	19

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
63	त्रिवेन्द्रम में खेलकूद विद्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना	Establishment of sports school and regional centre at Trivandrum	19
66	प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Primary Education	19–20
67	सफदरजंग उपरि पुल का गिर जाना	Collapse of Safdarjung fly over	20
70	घटियां किस्म के ज्वार और बाजरे के बीजों की सप्लाई और उर्वरकों की कम सप्लाई	Supply of inferior jowar and Bajra seeds and short supply of fertilisers	20–21
71	समुद्र तट पर मछली पकड़ने के उद्योग का विकास	Development of coastal fishing	21–22
73	भारत और बंगला देश के बीच सांस्कृतिक सहयोग	Cultural cooperation between Bangladesh and India	22–23
75	कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों द्वारा आन्दोलन	Agitation by College and University teachers	23
77	राज्यों में खरीफ वसूली अभियान	Kharif Procurement Drive in States	24–25
79	गुजरात को खाद्य पदार्थों का आवंटन	Allotment of Foodstuffs to Gujarat	26
80	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा धोखाधड़ी पूर्ण व्यापार के बारे में जांच	Enquiry into the Shady Deal by National Seeds Corporation	27

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
601	सरकारी एजेंसियों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध में चिकनाई तत्व को कम करना	Dilution of Fat content in Milk supplied by Government Agencies	27
602	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा प्रदर्शन तथा धरने	Demonstration and Dharnas by the Junior Engineers, C. P.W. D.	27–28
603	स्थायी घोषित किए गए जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)	Junior Engineers (Electrical) declared permanent	28–29
604	इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए पृथक संवर्ग बनाना	Creation of separate Cadre for Engineering Graduates	29
605.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में डिपलोमा धारियों की पदोन्नति	Promotion to Diploma holders in C.P.W.D.	30

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
606	मोरवा (मध्य प्रदेश) में केन्द्रीय विद्यालय खोलना	Opening of Central School at Morwa (M. P.) . . .	30–31
607	सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास लिये रहना	Retention of Government Residence by Government officers after Retirement . . .	31
609	केरल को पर्याप्त मात्रा में चावल की सप्लाई	Supply of Adequate Quantity of Rice to Kerala . .	31
610	नेशनल स्टूडेन्ट्स यूनियन आफ इंडिया की मांगे	Demand of National Students Union of India . . .	32
611	त्रिवेन्द्रम में कृषि फार्म की स्थापना	Setting up of an Agricultural Farm in Trivandrum . .	32
612	दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों और क्लर्कों को सरकारी आवास का आबंटन	Allotment of Government Accommodation to Teachers and Clerks of Delhi Administration	32–33
613	दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों का अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Scheduled Caste/Tribe Occupants of Government Land in Delhi . .	33
614	गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, अलीगढ के गोदाम में आग लग जाना	Fire in Godown of Government of India Press, Aligarh . .	33
615	कर्नाटक द्वारा मांगे गए तथा उसको सप्लाई किए गए गेहूं तथा मोटे अनाज की मात्रा	Quantity of Wheat and Coarse grains demanded by and supplied to Karnataka . .	33–34
616	केरल में राष्ट्रीय राजपथों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for National Highways in Kerala . .	34
617	हिमाचल प्रदेश को सप्लाई की गई चीनी	Sugar Supplied to Himachal Pradesh	35
618	मध्य प्रदेश में सड़कों और राजपथों का निर्माण	Construction of Roads and National Highways in Madhya Pradesh . . .	35
619	पांचवी योजना के दौरान छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा यंत्रों से खेती करने के बारे में धन का नियतन	Allocation for Mechanised Farming by Small and Marginal Farmers during Fifth Plan	36
620	मध्य प्रदेश में सीमांत कृषक विकास एजेंसी और सीमांत फारम श्रमिक एजेंसी को धन का नियतन	Allocation to Marginal Farmers Development Agency and Marginal Farm Labour Agency in Madhya Pradesh . .	36

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
621	1973–74 में मध्य प्रदेश में छोटे किसान विकास एजेंसी के अंतर्गत योजनाएं	Scheme under Small Farmers Development Agency in M. P. during 1973-74 . . .	37
622	मध्य प्रदेश में शारीरिक शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to establish Institute for Physical Education in M.P.	37
623	कृषकों को चिकनाई वाले डीजल तेल की सप्लाई	Supply of Lubricant Diesel Oil to Agriculturists . . .	37
624	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेय जल की व्यवस्था	Drinking Water in Rural Areas	38
625	लघु सिंचाई योजनाओं का लक्ष्य	Target of Minor Irrigation Schemes	38
626	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के रूप में काम कर रहे इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये नये वेतनमान	New Grade for Engineering Graduates working as Junior Engineers in CPWD .	38–39
627	गोआ की एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा पश्चिम बंगाल तथा आसाम के बीच बरास्ता बंगला देश जल परिवहन सेवा चलाने के लिये अनुमति मांगा जाना	Permission sought by a Private Company of Goa to operate River Traffic between West Bengal and Assam via Bangladesh	39
628	उर्वरक में मिलावट में वृद्धि	Increase in Adulteration of Fertiliser	39–40
629	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल का पता लगाना	Location of Underground water in Drought Affected Areas.	40
630	भारतीय समाज कल्याण परिषद का भूखे और नेत्रहीन बच्चों की संख्या के बारें में अनुमान	Estimates of Indian Council of Social Welfare regarding Hungry and Blind Children	40–42
631	दिल्ली में वनस्पति की बिक्री के लिये जाली लाइसेंस देना	Issue of Bogus Licences for Sale of Vanaspati in Delhi .	42
632	मंत्रियों के आवासों की सजावट आदि पर किया गया खर्च	Expenditure on Decoration etc. of Residences of Ministers .	42
633	महानगरों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Development of Metropolitan Cities	42–43
634	दूसरे हुगली पुल के निर्माण के लिये धनका नियतन	Allocation of Finance for Construction of Second Houghly Bridge . . .	43

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
635	केरल में वाईनाड के निकट आखेट स्थल	Game Sanctuary near Wynad in Kerala	43
636	बंगला देश को सरसा क तथा मलका की दाल का निर्यात	Export of Mustard Oil and Malka Dal to Bangladesh	44
637	गुजरात राज्य से अनाज बाहर ले जाने पर रोक	Banning Exports of Foodgrains from Gujarat State	44
638	पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्रों में वन्य जीवों का परिरक्षण	Preservation of Wild Life in Sunderban Areas of West Bengal	44
639	कच्चे तेल के आयात पर बढते हुये खर्च को पूरा करने के लिये चीनी का निर्यात बढाना	Increase in Export of Sugar to meet Enhanced Crude Import Bill	45
640	केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध आरोपों की जांच	Examination of allegations against FCI by the CBI	45
641	केन्द्रीय अंतर्देशिय जल परिवहन निगम लिमिटेड दवारा बायलर की बिक्री	Sale of Boiler by the Central Inland Water Transport Corporation	45–46
642	राजाबागान स्थित गोदी-यार्ड को अलग करना	Separation of Dockyard at Rajabagan, Calcutta	46
643	पांचवी योजना में निहित ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आवास योजना	Scheme of Houses for Rural Landless included in Fifth Plan	46
644	पश्चिम बंगाल को पर्याप्त उर्वरक की सप्लाई	Inadequate supply of Fertilizer to West Bengal	47
645	पश्चिम बंगाल रीजन मैनेजर के लिये निर्धारित पंजाब के चावल को अन्यत्र भेजना	Diversion of Punjab Rice earmarked for West Bengal Region Manager	47
646	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर	Residential Accommodation to Central Government Employees	47–48
647	महानगरों में खुले बाजार में चीनी की कीमत में वृद्धि	Increase in price of Sugar in open market in Metropolitan Cities	49
648	औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों के किराये की बकाया राशि	Arrears of House Rent for Houses constructed under the Industrial Housing Scheme	49

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
649	शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नेत्रहीन युवकों और युवतियों को रोजगार देना	Employment for Educationally Qualified Blind Boys and Girls	50
650	विश्वविद्यालयों द्वारा कोठारी आयोग की सिफारीशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Kothari Commission Recommendations by Universities . . .	50
651	विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न संबंधी दंगे	Food Riots in different States .	50-51
652	निम्न आय वर्ग समूह के आवास हेतु राज्यों को अनुदान	Grants to States for Housing in Low Income Group . .	51-52
653	पश्चिम बंगाल में चावल मिल-मालिकों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Rice Mill Owners in West Bengal . . .	53
654	यूरोप, बंगला देश और भारत के बीच माल परिवहन के कार्य में लगी नौवहन कम्पनियों द्वारा लगाया गया अधिभार	Surcharge levied by Shipping Companies engaged in Transporting Cargo between Europe, Bangladesh and India .	53
655	कलकत्ते में विकास कार्य की धीमी प्रगति	Slow Progress of Development Work in Calcutta . .	53-54
656	झाडग्राम सब डिवीजन, पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की भूमि का गैर आदिवासियों क नाम अंतरण	Alienation of Land from Tribals to Non-Tribals in Jhargram Sub-Division, West Bengal .	54
657	राज्यों में उपलब्ध फालतू भूमि	Surplus land Available in States	54-55
658	मछली पकड़ने तथा नौकाओं का आयात करने की लिये यूनियन कार्बाइड को लाइसेंस	Licence to Union Carbide for Fishing and Import of Trawlers	55-56
659	ट्रालरों के आयात के लिये लाइसेंस देने को सरल बनाना	Simplification of Grant of Licence for Import of Trawlers	56
660	उर्वरकों के वितरण को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Take over of Distribution of Fertilisers	56-57
661	पांचवीं योजना के दौरान वन विज्ञान में अनुसंधान	Research in forestry during Fifth Plan	57
662	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजपथ	New National Highways during 5th Five Year Plan . .	58
663	नए विश्वविद्यालयों की स्थापना	Opening of New Universities .	58

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
664	हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्व-विद्यालय की स्थापना	Opening of Central University at Hyderabad . . .	59
665	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17	National Highway No. 17 during 5th Five Year Plan	59
666	नए शिपयार्ड स्थापित करने के स्थान	Location of New Shipyards	59
667	वनस्पति घी की कमी	Scarcity of Vanaspati . .	60
668	चावल व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Take over of Rice Trade. .	60
669	खाद्यान्नों के लिये गुजरात में आन्दोलन	Agitation in Gujarat for Foodgrains	61
670	चौथी योजना की अवधि में पशुपालन तथा डेयरी परियोजनाओं का विकास	Development of animal husbandry and dairy projects during Fourth Plan	61–62
671	राज्यों में ग्रामीण राजपथ	Rural Highways in States. .	62
672	अमरीका में भारतीय छात्रों और भारत में अमरीकी छात्रों को सुविधायें	Facilities to Indian Scholars in America and American Scholars in India	62–63
673	जवाहर लाल नेहरू इन्स्टीटयूट फार फिजिकल रिहैबिलीटेशन, दिल्ली	Jawaharlal Nehru Institute for Physical Rehabilitation, Delhi	63–64
674	काजू की सघन खेती	Extensive cultivation of Cashew	65
675	अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सेवाओं का पुनर्गठन	Reorganisation of International Shipping services. . .	65
676	इटली द्वारा भारतीय तेल वाहक पोत पर कब्जा करना	Seizure of Indian Oil Tanker by Italy.	65–66
677	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानों का भुगतान	Disbursement of grants by University Grants Commission.	66
678	संसदीय सौध का निर्माण	Construction of Parliament House Annexe. . . .	66
679	सांस्कृतिक शिष्ट मंडल	Cultural Delegations. . .	67
680	गुजरात में खाद्यानों की कमी	Shortage of Fooodgrains in Gujarat.	6
682	खरीफ फसल के निर्धारित और प्राप्त वसूली लक्ष्य	Procurement target fixed and achieved during Kharif Crop.	67–68
683	दिल्ली में उचित दर दुकानों पर मिलावट की गई आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई	Supply of adulterated essential commodities at Fair Price Shops in Delhi. . .	69

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
684	दिल्ली विश्वविद्यालय को फोर्ड फाउन्डेशन का अनुदान	Ford Foundation grant to Delhi University.	69–70
685	तेल के अभाव में भारतीय जहाज का रुका रहना	Indian Ship Stranded for want of fuel.	70
686	खाद्य समस्या के संबंध में बिहार की और से ज्ञापन	Memorandum from Bihar regarding food problem. .	70
687	पटना घाट पर रेलवे वैगनों से पकड़ा गया डालडा	Dalda seized from Railway Wagons at Patna Ghat.	70
688	दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के चलने के घंटे	Hours of DTC buses in Delhi	71
689	सुपारी बोर्ड की स्थापना	Setting up Arecanut Board	71
690	नई चीनी मिलों को लाइसेंस दिये जाने के लिये पुनरीक्षित प्रक्रिया	Revised procedure for issuing Licences to New Sugar Mills.	71
691	तामिलनाडु द्वारा केरल को चावल की सप्लाई और खाद्य सामग्री की सप्लाई के लिए अंतर्राज्यीय व्यवस्था करना	Supply of rice to Kerala by Tamil Nadu and arrangements for Inter State Supply of Food material. . .	72
692	वर्ष 1974 के दौरान खाद्यानों के आयात की ऊंची कीमत	High price for import of foodgrains during 1974 . .	72
693	डबल रोटी का अभाव	Scarcity of bread .	72–73
694	पांचवीं योजना के दौरान शिशु-कल्याण के लिए आबंटित धन राशि	Allocation for Child Welfare during Fifth Plan . .	73
695	गेहूं तथा अन्य प्रकार के अनाज के वसूली मूल्यों के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश	Recommendation of Agricultural Prices Commission regarding procurement price of Wheat and other grains . .	73–74
696	मुंगफली के तेल को अन्य राज्यों में भेजने पर रोक लगाने के लिये गुजरात सरकार को अनुमति दिया जाना	Permission to Gujarat to restrict export of Groundnut Oil from that State . .	74
697	खाद्यानों की सप्लाई हेतु गुजरात का अनुरोध	Request from Gujarat to rush Foodgrains	74–75
698	कर्नाटक में करवाड के स्थान पर शिपयार्ड	Location of ship-yard at Karwar in Karnataka . . .	75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
699	भारत, बंगला देश और बर्मा और श्रीलंका के प्रतिनिधियों का नौवहन सम्मेलन	Shipping Conference of Delegates of India, Bangladesh Burma and Sri Lanka .	75
700	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए नया विधान	Fresh Legislation for Central Universities . . .	75–76
701	काल पात्र कांड की जांच के लिए काल पात्र संबंधी राष्ट्रीय समिति की मांग	Demand of National Committee on Time Capsule for inquiry into Time Capsule Affairs .	76
702	गत तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया गेहूं	Wheat purchased by FCI during last three years . . .	76–77
703	पांचवीं योजना में आवास और नगरीय विकास निगम के लिये धनराशि का आवंटन	Allocation for Housing and Urban Development Corporation	77–78
704	प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की स्मृति में (वैज्ञानिकों को) पुरस्कार	Awards in Memory of Eminent Scientists	78
705	सोयाबिन तथा सूरजमूखी के उत्पादन की योजनायें	Schemes for production of Soyabean and Sunflower . .	78
706	खाद तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में सामंजस्य	Balanced use of Organic manure and Chemical Fertilizers .	78–79
707	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम	Central Road Transport Corporation	79
708	बम्बई में वर्ष 1972 के दौरान की गई अनाज की नीलामी की जांच	Enquiry into Auction of grain in Bombay during 1972 .	79
709	अखिल भारतीय बस सेवा आरंभ करना	Introducing of All India Bus Service	79–80
710	दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय स्थापित करना	Creation of another University in Delhi	80
711	भारतीय खाद्य निगम के लौटाये गये चैक	FCI Cheques dishonoured .	80
712	फालतू मक्का और चने वाले राज्यों से इनका आयात करने के लिये बिहार द्वारा अनुमति मांगा जाना	Permission to Bihar to import maize and gram from surplus States	80–81
713	खाद्य पदार्थों तथा खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Food Stuffs and edible oils . . .	81–82

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
714	स्वतंत्रता सेनानी अध्यापकों के सेवा काल में वृद्धि करना	Extension of service to freedom fighter teachers of Delhi .	82
715	खाद्यान्नों के लेवी मूल्यों में वृद्धि	Increase in procurement levy on foodgrains . . .	82–84
716	मुख्य पत्तनो की आयातित अनाज उतारने की क्षमता	Capacity of major ports for handling imported foodgrains .	84
717	प्रत्येक पत्तन पर से भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाये गये माल की मात्रा	Quantity cleared by FCI in each Port	85
718	प्रत्येक पत्तन के 'ट्रांजिट शेडों' में पड़े खाद्यान्नों तथा उर्वरक	Foodgrains and Fertilisers lying in transit sheds in each port	85
719	गोआ के प्राथमिक स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य बनाना	Making Marathi compulsory in primary Schools in Goa .	86
720	राज्य सरकारों को अनाज को रियायती मूल्य पर बेचने के निदेश	Instructions to State Governments to sell Food items at Subsidised rates. . . .	86
721	रुस से अधिक गेहूं की सप्लाई की प्रार्थना	Requests for more wheat from USSR	86
722	अंतर्महाद्वीपीय बस परिवहन प्रणाली	Inter Continental Bus Transport System . . .	86–87
723	राज्य कल्याण बोर्ड का हटाया जाना	Removal of State Social Welfare Boards . . .	87
724	उडीसा में निरक्षरता की प्रतिशतता	Percentage of illiteracy in Orissa	87
725	भारतीय खाद्य निगम, बालासोर, उड़ीसा के गोदामों में खाद्यानों की कमी के लिये नियत की गई जिम्मेदारी	Responsibility fixed for shortage of Foodgrains in FCI Godowns, Balasore, Orissa.	88
726	दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की मांगे	Demands of DUTA . .	88
727	डेरी फार्मिंग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Dairy Farming	88.89
728	उर्वरकों की कमी	Shortage of Fertilizers .	89–90
729	शिक्षा प्रणाली की आवधिक समीक्षा	Periodical review of Education system.	90–92
730	दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की स्थिति	Condition of FCI Godowns, Delhi.	92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
731	दिल्ली की राशन की दुकानों पर अनाज की अनुपलब्धि	Non-availability of Food stocks at ration shops in Delhi.	92
732	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध, मक्खन और घी की उपलब्धता	Availability of Milk. Butter and Ghee of Delhi Milk Scheme.	92–93
733	खाद्यानों का सुरक्षित भंडार	Buffer Stock of Foodgrains	93
734	गोपालपारा जिले में बागवान में पाये गये प्राचीन पंजर अवशेष	Ancient Skeletons found at Bagwan in Gopalpara District	94
735	केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा गोसंरक्षण के लिये केन्द्रीय कानून बनाने का आश्वासन	Assurance given by Union Agriculture Minister on Central Legislation for Cow Protection	94
736	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य मंडलों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred by Food Corporation of India on Food Zones	94
737	दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों का अपहरण करने तथा उन में तोड़-फोड़ करने के आरोप में छात्रों को गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Students for Hijacking and damaging DTC Buses in	95
738	संसद सदस्यों के दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये गये मकानों का आबंटन	Allotment of Houses built by DDA to Members of Parliament.	95
739	पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए आवास का लक्ष्य	Target of Housing for the 1st Year of Fifth Plan.	96
740	हिमाचल प्रदेश में आवास संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Housing in Himachal Pradesh.	96
741	हिमाचल प्रदेश में चौथी योजना के दौरान कृषि उत्पादन लक्ष्य	Target of Agricultural Production during Fourth Plan in Himachal Pradesh.	96–97
742	महानगरों में दूध बेचने की मशीनें लगाना	Introduction of milk vending machine in cosmopolitan Cities.	97–98
743	कमी के कारण खाद्य पदार्थों के उपभोग में किफायत	Austerity in consumption of food due to shortage.	98
744	1973–74 में वनस्पति का उत्पादन	Output of Vanaspati during 1973-74	99
745	मुंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण वनस्पति के उत्पादन में कमी	Reduction in production of Vanaspati due to spurt in prices of Groundnut Oil.	99–100

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
746	शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निश्चित करने वाला आदर्श कानून	Model Legislation seeking to impose ceiling on Urban Property.	100
747	पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण दिल्ली परिवहन निगम की बसों में अत्यधिक भीड़	Over crowding in the DTC Busses due to rise in price of Petrol.	101
748	दिल्ली परिवहन निगम की बसों के नम्बर साफ न लिखे होने के कारण यात्रियों को परेशानी	Inconvenience to the passengers due to illegible route number of the DTC Buses. . .	101
749	दिल्ली दूध योजना द्वारा सप्लाई किये गये दूध की बोतल में कीडें	Insects in bottle of milk supplied by Delhi Milk Scheme. .	101–102
750	स्कूल स्तर पर यौन शिक्षा	Sex Education at School level	102
751	चालू वर्ष के दौरान गेहूं का उत्पादन	Production of wheat during current year.	102
752	कम मूल्यों पर खाद्य पदार्थ के वितरण के बारे में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अध्ययन	Study by Khadi and Gramodyog Commission regarding distribution of food stuffs at low prices.	102–103
753	गेहूं के अंतर्राज्यीय लाने ले जाने की रोक को हटाने के बारे में महाराष्ट्र का अनुरोध	Request from Maharashtra to remove ban on Inter State Movement of Wheat . .	103
754	कोचीन शिपयार्ड के कर्मचारियों द्वारा मनाया गया विरोध दिवस	Protest day observed by Employees of Chochin Shipyard .	103
755	पोलैंड के सहयोग से केरल में मत्स्य भोजन संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Fish Meal Plant in Kerala in collaboration with Poland . . .	103
756	राशन की मात्रा बढ़ाने के लिए केरल से प्रतिनिधि मंडल	Delegation from Kerala for Enhancement of Ration .	104
757	कोचीन शिपयार्ड में जहाज बनाना	Building Ships at Cochin Shipyard	104
758	केरल को वचनानुसार चावल के कोटे का आवंटन	Allotment of promised quota of rice to Kerala . . .	104–105
759	आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग	National Highways in Tribal Areas	105–106
760	दिल्ली कला आयोग की स्थापना	Setting up of Delhi Art Commission	107
761	बनाए गए मकानों की राज्य वार संख्या	Number of Houses constructed State-wise	106–107

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
762	विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Ministers of Social Welfare of various States	107
763	विशेष, पोषाहार .कार्यक्रम	Special Nutrition Programmes	108
764	वनों का विकास	Development of Forests .	108
765	मछली पकडन के आधुनिक तरीकों के बारे में पोर्ट ब्लेयर में प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centre at Port Blair in Modern Fishing Methods	109
766	विदेशों से आने वाले अनाज का रास्ते में क्षतिग्रस्त हो जाना	Damage of Foodgrains during transit from Foreign countries	109
767	कालपात्र में रखे गये पत्र में उल्लिखित इतिहास का मूल पाठ तैयार करने वाले इतिहासकारों के नाम	Names of Historians who prepared Text of History placed in Time Capsule . .	109–110
768	खाद्यान्नों का वसूली अभियान तथा उनके मूल्यों में वृद्धि	Procurement drive and rise in price of foodgrains . .	110–111
769	हल्दिया में जहाज निर्माण परियोजना	Ship building project at Haldia	111
770	खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण	Reasons for rise in price of Edible Oils	111–113
771	चावल का वसूली लक्ष्य तथा वास्तविक वसूली	Procurement target of Rice and actual procurement . .	113–114
772	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहू में मिट्टी मिलाया जाना	Dust mixed in Wheat stored in FCI Godowns . . .	114
773	दिल्ली में राशन कार्डों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए नयी प्रणाली	New system for distribution of Foodgrains to Ration Card holders in Delhi . .	114–115
774	राज्यों द्वारा खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर प्रतिबंध	States banned on movement of Foodgrains	115–116
775	मंगलौर और कुड्डरेमक के बीच सडक के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for construction of Road between Manglore and Kudremak . .	116–117
776	खाद्यान्नो में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in Foodgrains .	117
777	कर्नाटक में धान का उत्पादन	Production of Paddy in Karnataka	117–118
778	बम्बई और मंगलौर के बीच स्टीमर सेवा	Steamer Service between Bombay and Mangalore . .	118

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
779	मोटे अनाजों को एक जिले से दूसरे जिले में लाने ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाने के बारे में राज्य सरकारों को परामर्श	Advice to State Governments to remove restrictions of Inter District Movement of Coarse Grain	118
780	ग्राम्य भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थलों के आबंटन हेतु वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance for allotment of House sites for Rural Landless Workers . .	119–120
781	भारतीय खादय निगम द्वारा राज्यों से चीनी न उठाई जाने के कारण उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी का न मिलना	Non-availability of Sugar at Fair Price Shop due to non-lifting of Sugar by FCI from States	120
782	त्रि-भाषा सूत्र	Three Language Formula .	120–121
783	औद्योगिक रूप से पिछडे जिलों में कृषि विकास	Agricultural Development of Industrially Backward Districts	121
784	यमुना-पार क्षेत्र तथा सचिवालय के बीच दिल्ली परिवहन निगम की विशिष्ट बस सेवा	DTC Special Bus Service Between trans Yamuna and Secretariat	121
785	वर्ष 1974 में सहायता और खरीद के आधार के रूप में खाद्यान्नो का आयात	Import of foodgrains on aid and purchase basis during 1974	121
786	जिला पालामऊ, बिहार के लिए खाद्यान्नों का विशेष नियतन	Special Allocation of Foodgrains for District Palamau, Bihar	122
787	पालामऊ जिले को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जोडने के लिए नदी पर आन्तर्राज्यीय सडक पुल बनाना	Inter State Road Bridge over the Rivers to connect Palamau District with Madhya Pradesh and Uttar Pradesh . .	122
788	बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए शिक्षा में परिवर्तन	Changes in Education to Tackle Unemployment . . .	122–123
789	विधि विषय में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम रखना	Hindi as Medium of Instruction in Law	123
790	वर्ष 1974–75 में दिल्ली में चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या	Number of DTC Buses in Operation in Delhi during 1974-75	123–124

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
791	खरीफ वसूली का खाद्य स्थिति पर प्रभाव	Effect of Khariff Procurement on Food situation . .	124
792	केन्द्रीय कृषि मंत्री को दिए गए अपमिश्रित उर्वरक के नमूने	Samples of Adulterated Fertiliser presented to Union Minister of Agriculture . .	124–125
793	राज्यों में गोबर गैस सयंत्रो के प्रसार के लिए राष्ट्रीयीकृत बैंकों से ऋण	Loans from Nationalised Banks for Expansion of Cow Dung Gas Plants in States . .	125
794	अनाज के उत्पादन पर उर्वरक संकट का प्रभाव	Effect of Fertiliser crisis on Food Production . .	125–126
795	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ की फसल की वसूली	Kharif Procurement by FCI .	126
796	शिक्षा की समान पद्धति	Uniform system of Education .	126–127
797	दिल्ली में खाद्यानों में मिलावट	Adulteration in Foodgrains in Delhi	127
798	मोटे अनाजों के लिए बहु राज्यीय क्षेत्र प्रणाली बनाना	Creation of Multi State Zone System for Coarse Grain .	127
799	दिल्ली में डबल डेकर बसें चलाना	Appointment of Committee on running of Double Decker Buses in Delhi . . .	127–128
800	मोटे अनाजों की आंतर्राज्यीय खरीद संबंधी नीति	Policy regarding inter State purchase of Coarse Grain .	128
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .	128-130
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motions for Adjournment .	130
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	130–134
	एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक— पूर : स्थापित	Esso (Acquisition of Undertakings in India Bill Introduced	134–135
	नियम 377 के अधिन मामला—	Matter under rule 377— .	
	सूती धागे पर भारतीय सूती कापड़ा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा लगाया गया शुल्क	Leavy imposed by Indian Cotton Textile Export Promotion Council on Cotton Yarn etc. . . .	136

राष्ट्रपति के अभीभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—	Motion of Thanks on President's Address—
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury . 136–139
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata . . 139–140
श्री ज्योतिमय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . 200–203
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . . 203–205
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . 205–208
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai . 208–209
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga . . 209
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . .210–211
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion— .
एरणाकुलम—त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण—	Electrification of Ernakulam—Trivandrum Railway Line —
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . 211–212
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Kureshi . 213–214

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 25 फरवरी, 1974/6 फाल्गुन, 1895 (शक)
Monday, February 25, 1974/Phalguna 6, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर एक मिनिटपर समवेत हुई ।
[The Lok Sabha met at One Minute Past Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी रूप से बन्द मिलों में वनस्पति का उत्पादन

*62. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति का उत्पादन करने वाली कुछ ऐसी मिलों को जिन्हें सरकारी रुप से बन्द घोषित किया गया था चोरी छिपे वनस्पति का उत्पादन करते तथा इसे चोर बाजार में बेचते हुय पकड़ा गया,

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने कितने वनस्पति का उत्पादन किया तथा उनकी चोर बाजारी की, और

(ग) दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 18 जनवरी, 1974 के हिन्दुस्तान टाइम्स में बम्बई से इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार के बाद महाराष्ट्र सरकार से इन तथ्यों और प्रस्तावित कार्यवाही करने के बारे में पूछ ताछ की गई थी । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुप्त रूप से वनस्पति तैयार करने के बारे में रिपोर्ट में लगाए गए अरोप सही नहीं हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या सरकार ने जानकारी के स्त्रोत की जांच 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से कर ली है जिसमें यह समाचार छपा था ?

श्री बी० पी० मौर्य : हमने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के संवाददाता से तो सम्पर्क नहीं किया है । हां, महाराष्ट्र सरकार से हमने सम्पर्क अवश्य किया है, जैसा कि मैं उल्लेख कर चका हूं ।

श्री आर० एन० बर्मन : वनस्पति की चोर बाजारी खत्म करने के लिए इसका उत्पादन बढाने हेतु, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे प्रश्न कैसे पूछ रहे है, जो मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होते । उनका उत्तर 'जी, नहीं' और प्रश्न ही 'नहीं उठता' था । परन्तु आप फिर भी प्रश्न पूछते जा रहे हैं । अगला प्रश्न ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण

*64. **श्री एस० एन० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर अखिल भारतीय दृष्टि से विचार कर रही है। चीनी उद्योग के कार्यचालन और उससे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं की विस्तृत तथा व्यापक जांच करने के लिए चीनी उद्योग जांच आयोग स्थापित किया गया था, आयोग ने पिछले वर्ष के मध्य में प्रस्तुत की गयी अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया है। आयोग की अन्तिम रिपोर्ट 27 फरवरी, 1974 को प्रस्तुत की जा रही है। सरकार का दोनों रिपोर्टों की दृष्टि में वित्तीय, संगठनात्मक, प्रबन्धकीय, तकनीकी आदि सभी मसलों पर समग्र रूप से विचार करने और इस महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न पर सुविचारित निर्णय लेने का इरादा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वे बिहार की बात करते हैं, और जब हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं तो वे पूरे देश की बात करते हैं। क्या सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव समाप्त हो गये हैं इसलिये मुझे आशा है कि वे अब निश्चित उत्तर देंगे कि सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है।

श्री बी० पी० मौर्य : जहां तक उत्तर प्रदेश में चुनावों का संबंध है, वे अभी समाप्त नहीं हुए हैं। 26 फरवरी को अभी मतदान होना है। सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आयोग के प्रतिवेदन के इस महीने की 27वीं तारीख को मिल जाने की आशा है और तत्संबंधी सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद सरकार शीघ्र ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर क्या सरकार इसी सत्र में इस प्रश्न पर निर्णय कर लेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल्पनिक है। पहले प्रतिवेदन तो आने दीजिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार ने इस इस बारे में दृढ़ निश्चय कर लिया है और क्या वे इसके लिये इसी सत्र में या 1974 में मानसिक और व्यवहारिक रूप से तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रतिवेदन आने दीजिए। आज श्री मौर्य पहली बार उत्तर दे रहे हैं। अतः आप उनसे ऐसे प्रश्न न पूछें।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा भी आज यह पहला ही प्रश्न है। इसी रूप में उन्हें इसका उत्तर देने दीजिए।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या सरकार ने अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और यदि हां तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बी० पी० मौर्य : जहां तक अन्तरिम प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, वह दो भागों में विभक्त था। इसलिये किसनिष्कर्ष पर पहुंचना कठिन था। यही कारण है कि 27 तारीख को अन्तिम प्रतिवेदन आने पर ही सरकार इस पर अन्तिम निर्णय करेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is a fact that the commission is so constituted that it cannot submit a unanimous report? I personally went to the Commission to tender evidence and I do not hope that it will submit any unanimous report. May I know whether Government have made up its mind?

Mr. Speaker : They will do so later on.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The note of dissent is attached even with the interim report.

Mr. Speaker : You will come to know Government's decision after the final report is submitted. Are you advising them not to be unanimous.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that the interim report is not unanimous?

Shri B. P. Maurya : The presumption of Shri Vajpayee that the Commission was constituted in such a way as it may not be able to submit unanimous report, is not correct. The delay in submission of the report has been caused by the unfortunate demise of the former chairman of the commission.

खाद्यान्न का आयात

*65. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री मधु दंडवते :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 के दौरान गेहूं का आयात करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विदेशों से कुल कितना गेहूं आयात करने का विचार है ; और

(ग) इसके लिये सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) आयात की कुल मात्रा के बारे में कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है । भारत सरकार समय समय पर आयात के बारे में स्थिति की समीक्षा करती रहती है । आयात के लिये कुल अधिकृत मात्रा के अन्दर यथावश्यक मात्रा में विदेशों से खरीदारी की जा रही है ताकि सरकारी वितरण प्रणाली को बनाए रखा जा सके । गेहूं के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की कुल राशि खरीदी गई वास्तविक मात्रा और उसके दिए गए मूल्य पर निर्भर करेगी ।

प्रो० मधु दंडवते : अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने के पहले मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने प्रश्न के एक भी भाग का उत्तर नही दिया है। मात्रा का तो यहीं भी जिक्र नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा —मेरे सामने उत्तर है —वह कहते हैं —आयात के लिये अधिकृत कुल मात्रा में से विदेशों से उतनी मात्रा में क्रय किया जा रहा है जितना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाये रखने के लिये ज़रूरी समझा जाता है । कितनी मात्रा अधिकृत है ? यह भी जिक्र नहीं किया गया है । मैं ऐसे अस्पष्ट उत्तरों का विरोध करना चाहता हूं । मैं नहीं जानता कि क्या आप मंत्री महोदय को कुछ उत्तर देने के लिये कह सकते हैं ताकि मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकूं । अन्यथा, उत्तर से अलग स्वतंत्र रूप से, तो कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना कठिन होता है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इसमें मुझे यह कठिनाई है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य और यह सभा इस कठिनाई को अनुभव करेगी । इस वर्ष आयात मात्रा का निश्चय दो बातों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है—ख़रीफ़ फसल का उत्पादन और रबी की फसल का उत्पादन । ख़रीफ़ के उत्पादन के बारे में तो भारत सरकार अनुमानतः यह बता सकती है कि कितनी मात्रा में आयात की संभावना है ।

रबी की फसल अभी तैयार हो रही है। इस में कुछ बातें पक्ष में आती हैं तो कुछ उसके विपरीत। अतः इस समय यह कहना बहुत मुश्किल है कि रबी की फसल से कितना उत्पादन होगा। आयात की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वसूली कितनी होती है। इसलिये सरकार आयात की जाने वाली कुल मात्रा के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया और न उसके बारे में कुछ कहना हमारे लिये संभव है। हमने वास्तविक अनुमानों और प्राप्त जानकारी के आधार पर इमानदारी से उत्तर देने का प्रयास किया है। प्रश्न को टालने की हमारी कोई इच्छा नहीं रही। मैं माननीय सदस्य के हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : विभिन्न उत्पादन-कर्त्ता देशों में स्थित हमारे मिशनों ने सरकार को सूचना दी है कि मूल्यों में 60 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि होगी जोकि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में सबसे ऊंचे मूल्य हैं और तदनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में मूल्य 200 से 210 डॉलर प्रति टन होंगे। इस दृष्टि से आगे समाचार दिया गया है तथा समाचार पत्रों में भी छपा बताया जाता है कि योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने सरकार को सलाह दी है कि सरकारी कोष में विदेशी मुद्रा समाप्त हो जायेगी क्योंकि निर्यात से जो भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी उसका 80 प्रतिशत भाग तो तेल के आयात पर ही खर्च हो जायेगा। इस दृष्टि से क्या हम आयात पर अपनी निर्भरता समाप्त करने वाले हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाये रखने के लिये कोई अन्य व्यवस्था ढूंढ रहे हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य द्वारा की गई परिकल्पना सही नहीं है। उदाहरणार्थ उन्होंने योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्त विचारों का हवाला दिया है। वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों के मूल्य बहुत ऊंचे है ; उदाहरण के लिये 18 मास पूव गहूं के मूल्य 70 तथा 80 डॉलर प्रति टन थे। अब मूल्य 215 से 220 डालर प्रति टन है। इस प्रकार 14–18 मास पहले की तुलना में अब मूल्य दुगुने-तिगुने हो गये हैं। परन्तु यदि सरकार यह निष्कर्ष निकालत कि राष्ट्रीय हित में आयात करना बड़ा ज़रूरी है ताकि मांग तथा उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा किया जा सके तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बनाये रखा जा सके ; जो सरकार निश्चय ही अपेक्षित मात्रा में आयात करेगी और इस संदर्भ में ऐसे किसी समझौते या सौदे का प्रश्न ही नहीं उठता जिससे कि हमारी प्रभुसत्ता पर कुप्रभाव पड़ता हो।

प्रो० मधु दण्डवते : कलकत्ता से प्रकाशित 14 फ़रवरी के स्टेट्समैन में वाशिंगटन स्थित संवाददाता से एक समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उस समाचार के बारे में आपसे स्पष्टीकरण लेना चाहूंगा। उस समाचार में इस प्रश्न से संबंधित सरकार की नीति का जिक्र है। मैं उसे उद्धृत करता हूं :—

"अमरीका का अनुमान है कि भारत को इस वर्ष सोवियत संघ द्वारा उसे 20 लाख टन गेहूं देने के वायदे के अतिरिक्त 40 लाख टन अतिरिक्त गेहूं का आयात करना पड़ेगा। नई दिल्ली अब अमरीका से इस संबंध में रियायती दरों का अनुरोध करने का विचार कर रही है।"

मैं यह प्रश्न इसलिये रख रहा हूं क्योंकि मेरे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि सरकार अमरीका से रियायती दरों पर गेहूं खरीदने की नीति के विरुद्ध है। समाचार में यह कहा गया है कि सरकार ऐसा विचार कर रही है। बेशक मैंने ऐसा नहीं माना है परन्तु समाचार में यह कहा गया है कि सरकार अमरीका से रियायती दरों पर गेहूं खरीदने के प्रश्न पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वाशिंगटन स्थित स्टेट्समैन के संवाददाता द्वारा प्रेषित यह समाचार सही है ; और यदि नहीं तो क्या वह इस संबंध में सभा को वास्तविक स्थिति बतायेंगे।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जो बात माननीय सदस्य ने विशिष्ट रूप से उठायी है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उक्त समाचार सही नहीं है। भारत सरकार अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के बारे में अनुमान तैयार करती रहेगी। अब स्थिति बदल गयी है और पुराने वक्तों जैसी बात नहीं रही है।

अब विक्रेता-बाज़ार उपलब्ध हैं। अब विश्व में सप्लाई से मांग अधिक है। इसलिये अब पहले वाली स्थिति बनाये रखना उचित नहीं है। जब सरकार आयात के संबंध में कोई निश्चित निर्णय करेगी, तो विभिन्न संभावनाओं पर भी विचार करेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या रियायती दरों पर गेहूं खरीदने संबंधी आपकी नीति बदल गई है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सभा को सरकार की नीति की के बारे में मालूम है और हम समय समय पर वक्तव्य देते रहे हैं। पहले वाली पी० एल० 480 व्यवस्था से हटने का कोई प्रश्न नहीं है। इस संबंध में हमें राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य करना है और हम सोवियत संघ सहित अन्य देशों से भी गहूं की सप्लाई के लिये बातचीत कर सकते हैं।

श्री चपलेंदू भट्टाचार्य : उर्वरक की कमी तथा खाद्यान्नों की कमी दोनों में से किसको क्या प्राथमिकता दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न गेहूं के आयात के बारे में है।

श्री चपलेंदू भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न यह है। क्या वह खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिये उर्वरकों की कमी को पूरा करने जा रहे हैं ? वह उसको क्या प्राथमिकता दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। मुझे खेद है, मैं किसी भी प्रकार की मुख्य प्रश्न से संबंधित चर्चा चाहता हूं परन्तु यह प्रश्न उससे नहीं जोड़ा जा सकता।

श्री शंकरराव सावंत : प्रश्न में वर्णित अवधि के दौरान क्या गेहूं की कोई खरीद की गई है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : गत 18 महीनों में हमने कुल 65 लाख टन गेहूं का आयात करने का निर्णय किया था। कनाडा, अमरीका, अर्जेन्टीना जैसे देश गेहूं देते हैं। हमारी वास्तविक खरीद 41 लाख टन थी उसमें से कुछ लाख टन गेहूं दिसंबर, जनवरी के दौरान आये हैं और कुछ और मात्रा हमें सोवियत संघ द्वारा 20 लाख टन की पेशकश में से मिल रही है। कुछ मात्रा हमें जनवरी-फ़रवरी में प्राप्त हुई है।

Shri Jagannath Rao Joshi: The question related to the imports of wheat between December 1973 and February, 1974. There have been, and still continuing riots in Gujarat and Maharashtra on account for food shortage. Keeping that in view how much do you expect to get out of the present crops and how much would you have to import for feeding public distribution system. Have you taken a decision in this regard, if not when would you do that; do you propose to take such a decision only after such riots are further wide spread?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : उनके प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं यह कहूंगा कि आयात का सामान्य स्तर 5 तथा 6 लाख टन प्रतिमास है। ऐसा जनवरी, दिसंबर, आदि महीनों में हुआ था। जहां तक कमी का सवाल है, शायद माननीय सदस्य उस समय यहां नहीं थे जबकि मैं पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिया था। आयात संबंधी हमारी कुल आवश्यकता हमारी रबी की फ़सल की मात्रा पर निर्भर करेगी। जबकि फसल अभी खत में खड़ी है तो माननीय सदस्य मानेंगे कि उत्पादन का वास्तविक अनुमान लगाना आसान नहीं है। सरकार ने यही विचार करके सारे निष्कर्ष निकाले हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुख्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि विदेशों से आयात की मात्रा का निर्णय वसूली की सफलता को ध्यान में रख कर किया जाता है। समाचार मिले ह कि वसूल का कार्य असफल रहा है।

अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या लक्ष्य रखे गये थे और इस अवधि में राज्यवार कितनी मात्रा में वसूली हुई ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं उत्तर तो दे सकता हूं परन्तु वसूली के बारे में विशिष्ट रूप से प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल ठीक कहते हैं । यदि उनको आंकड़े चाहिये तो वह उसके लिये अलग से सूचना दें । इसके लिये काफी समय है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यदि मैं अलग से प्रश्न पूछूंगा तो उसके 20 दिन बाद . . .

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह प्रश्न वसूली से संबंधित नहीं है । यह प्रश्न तो आयात के बारे में है ।

श्री धामनकर : जब सरकार सोवियत सरकार से गेहूं खरीदेगी तो क्या सरकार अपने क्रय मिशन को यह निदेश देगी कि वह यह ध्यान रखे कि गेहूं में कोई गन्दगी न हो ?

अध्यक्ष महोदय : आप बजट पर चर्चा के दौरान भी यह सुझाव दे सकते हैं । अब तो प्रश्न आयात के बारे में है ।

श्री धामनकर : पिछली बार ऐसा हुआ था ।

श्रिम्प और लोबस्टरों का अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम कीमत पर निर्यात

*68. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कार्बाइड श्रिम्प और लोबस्टरों का प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम कीमत पर निर्यात करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कम कीमत पर निर्यात की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) तथा (ख) बताया गया है कि मैसर्स यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड द्वारा विशाखापत्तनम कस्टम हाउस के जरिये जापान को श्रिम्प निर्यात करने के मामले में इस बात का संदेह था कि श्रिम्प की कुछ श्रेणियों का निर्यात मूल्य बम्बई में विद्यमान मूल्यों की अपेक्षा कम है । इस मामले में जांच पूरी होने तक, बान्ड भरा कर माल भेजने की अनुमति दे दी गई थी । मामला विचाराधीन है । फर्म द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से कम मूल्य पर लोबस्टर का निर्यात होने के संबंध में कस्टम हाउस ने किसी मामले की सूचना नहीं दी है ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : इसके स्थानीय बाज़ार के मूल्यों तथा निर्यात-मूल्यों में अन्तर है । परन्तु मंत्री महोदय ने हमें यह नहीं बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी के मूल्यों तथा निर्यात किये जाने वाले मूल्यों में कितना अन्तर है ।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मत्स्य पालन के व्यापार में कितने स्थानीय लोग लगे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भारत से श्रिम्पों तथा लोबस्टरों को अन्तर्राष्ट्रीय दरों से बहुत कम दरों पर निर्यात करने तथा इसके कारणों से संबंधित है जबकि आपका प्रश्न यह है कि मछली के व्यापार में कितने लोग लगे हुए हैं ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : निसंदेह मैं आपको लिखे अपने पत्र में अपनी कठिनाई व्यक्त की है । मेरे सहयोगी श्री के० आर० गणेश यहां मौजूद हैं । मेरे विचार से यह प्रश्न वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये । परन्तु माननीय सदस्य ने एक सीमित प्रश्न यही पूछा है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणश) : जहां तक विशाखापत्तनम् से भेजे गये माल पर मूल्यों में अन्तर 2 सेंट तथा 88 सेंट प्रति किलोग्राम है ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : इन दोनों मूल्यों के अन्तर बहुत बड़ा अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना प्रश्न पूछें। मंत्री महोदय ने जानकारी दे दी है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : यह तो बहुत ही संदिग्ध जानकारी है। 2 सेंट प्रति किलो का अन्तर तो समझ में आ सकता है परन्तु 2 से 88 सेंट प्रति किलोग्राम का अन्तर तो किसी प्रकार भी समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत स्पष्ट है। कभी यह अन्तर 2 सेंट होता है तो कभी 88 सेंट।

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि यूनियन कार्बाइड के स्वामी कौन हैं और यह कम्पनी कब से यह व्यापार कर रही है ?

श्री के० आर० गणेश : मेरे पास इस संबंध में इस समय तो जानकारी नही है। परन्तु तथ्य यह है कि यूनियन कार्बाइड द्वारा विशाखापत्तनम् से श्रिम्पों के निर्यात के संबंध में कम बीजक बनाये जाने के मामले पकड़े गये हैं। हमने उन मूल्यों के बारे में संकेत दिया जोकि पकड़े गये हैं। मामला विचाराधीन है। यहां तक कि **डी० आई० (आर)** को भी इस मामले को जांच करन को कहा गया और वह जांच कर रहा है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : जसा कि मंत्री महोदय श्री शिन्दे ने कहा है, यह प्रश्न वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। परन्तु मेरा विचार है कि सरकारी बेंचों की ओर से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है। अब यूनियन कार्बाइड कम्पनी ने श्रिम्पों के निर्यात में रुचि लेना आरंभ किया है और आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि इम्पीरियल तम्बाकू कंपनी की सहयोगी कंपनी इण्डिया तम्बाकू कंपनी जिसको तम्बाकू के व्यापार में प्राय: एकाधिकार प्राप्त है ने भी इस व्यापार में प्रवेश कर लिया है और मूल्य से कम राशि के बीजक बना रही है। ये दोनों विदेशी कंपनियां या सहयोगी कंपनियां हैं और पहले से ही एक मामला जांचाधीन है और वह पकड़ा गया है। क्या इन विदेशी एकाधिकार कंपनियों ने श्रिम्पों के हमारे बढ़ते हुए निर्यात को भी अपने नियंत्रण में करने का षड़यंत्र कर रखा है ? यह व्यापार गत दस वर्षों के दौरान पनपा है। इस से हमें विदेशी मुद्रा की आय होती है और अब ये लोग हमारे देश के उन व्यक्तियों को इस निर्यात बाज़ार से बाहर निकालना चाहते हैं। इस दिशा में अवश्य ही कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। इस बारे में सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार की ओर से कोई इसका उत्तर दे सकता है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे लिये सामान्य रूप से यह बात कहना उचित नहीं होगा कि ये विदेशी एकाधिकार कंपनियां श्रिम्पों में मामले हम पर हावी होना चाहती हैं। यदि मैं सबके लिये ही यह बात कहूंगा . . .

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : यह एक सामान्य टिप्पणी नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यूनियन का कार्बाइड और इन्डिया तम्बाकू कंपनी इस क्षेत्र में हैं और इसी कारण भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है। वे इस व्यापार में कैसे आये ? यूनियन कार्बाइट तो बैटरियों तथा अन्य चीजों का निर्यात करती है . . .

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : 85 प्रतिशत निर्यात भारतीय कंपनियों तथा भारतीय व्यापार गृहों द्वारा किया जाता है और इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के हावी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है अब, माननीय सदस्य ने एक सामान्य नीति संबंधी प्रश्न उठाया है कि भारत में पहले ही काम कर रही इन विदेशी कंपनियों को क्या इस क्षेत्र में भी प्रवेश करने दिया जाये ? क्योंकि ऐसे कुछ प्रश्न उठाये जा रहे हैं इसलिये सरकार इस बारे में समय समय पर विचार करना चाहेगी और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर ही कोई निर्णय करेगी।

श्री के० आर० गोपाल : इस तथ्य को देखते हुए कि जिन विदेशी कंपनियों को अपना विशाखन करने तथा श्रिम्पों और लोबस्तरों का व्यापार भी करने की अनुमति दी गयी थी वे कम बीजक बनाने के कदाचार में लगी हैं, क्या सरकार का विचार श्रिम्पों और लोबस्टरों के निर्यात को अपने अधिकार में लेकर अपनी एजेंसियों द्वारा निर्यात कराने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई कदाचार किया गया है तो विशिष्ट कार्यवाही की जा सकती है । श्रिम्पस निर्यात को अपने नियंत्रण में लेने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

Shri Madhu Limaye: I want to tell the Government that Union Carbide is one of the most powerful companies of the world. I would like to know whether Government's policy is to encourage the foreign companies in export of shrimps, lobuster and fish? I would also like to know whether these companies are given the incentive licences for export on the basis of the commodities exported by them? Will the hon. Minister briefly explain about it.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : भारत सरकार द्वारा इस नीति को अपनाये जाने का प्रश्न ही नहीं है कि विदेशी कम्पनियों को मत्स्यपालन के क्षत्र में प्रोत्साहन दिया जायेगा; क्योंकि हमारा हित भारतीय फर्मों को प्रोत्सहान देने में ही है । हमारा यही सामान्य दृष्टिकोण है । किन्तु ये कम्पनियां हमारे देश में काफी समय से काम कर रही हैं; उदाहरणार्थ यूनियन कार्बाइड इस देश में पिछले 40 वर्षो से काम कर रही है ।

Shri Madhu Limaye: May I know whether this company has been in this trade for the last 40 years.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : उन्होंने अभी हाल ही श्रिम्पस व्यापार को शुरू किया है । इस समय मछली उद्योग के लिये लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है । किन्तु जैसा कि मैंने कहा कि यदि कोई बात हमारे राष्ट्रीय हित के विपरित की जायेगी, तो सरकार कार्यवाही करेगी ।

Shri Madhu Limaye: My question has remained unanswered. Whether any incentive licence is issued for this kind of export?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जो भी सामान्य प्रोत्साहन निर्यात के लिये दिये जाते हैं, उनका लाभ सभी निर्यातकों को दिया जाता है । वे हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं ।

Shri Madhu Limaye: Why are you not giving answer to my question directly ? Whether import licences are issued on the basis of export of shrimps, lobuster etc.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करता हूं कि वह यह प्रश्न वाणिज्य मंत्री से पूछे ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, whether my question has been answered. please direct him to answer my supplementary questions, when main question has been admitted already.

Mr. Speaker: It is better to put the question to the Commerce Ministry so that no uncertain answer may be given.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या मैं प्रश्न करके स्पष्टिकरण मांग सकता हूँ ।

Shri Madhu Limaye: Please get my question answered.

अध्यक्ष महोदय : आप वाणिज्य मंत्री के नाम प्रश्न करिये । मैं उसकी अनुमति दे दूंगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि मछली का निर्यात करने के लिये किसी निर्यात लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा है, तो यह बड़ी विचित्र बात है। मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या मछली का निर्यात करने के लिये किसी निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मुझे खेद है। मैं स्वाभाविक रूप से इस बात की सराहना करता हूँ कि वह अभी अभी चुनाव अभियान से लौटे हैं और वह थके हुये हैं। किन्तु, मैंने कहा है कि मत्स्य-पालन के लिये किसी लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है मैंने मछली के निर्यात के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसमें मत्स्यपालन की बात का सम्बन्ध नहीं है। मछली के निर्यात की बात है। यह एक ऐसी बात है कि हम इस पर विचार नहीं कर सकते। प्रश्न यह है कि क्या इसके लिये निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता है। क्या किसी कम्पनी को, जिसे मछली के निर्यात के क्षेत्र में किसी प्रकार की विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है तथा किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, निर्यात लाइसेंस देने के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है ? क्या यह एक बड़ी विचित्र बात नहीं है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : निर्यात से संबंधित सभी प्रश्नों को वाणिज्य मंत्रालय से पूछना होगा।

अध्यक्ष महोदय : आगामी प्रश्न।

खाद्यान्नों की वसूली और वितरण व्यवस्था का पुनर्विलोकन

*69. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष प्रचुर मात्रा में अनाज उपलब्ध होने पर भी इसकी वसूली और उनके वितरण के उपायों का पुनर्विलोकन किया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुनर्विलोकन के क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

खाद्यान्नों की पैदावार 1970–71 के रिकार्ड स्तर 1084 लाख मीटरी टन से गिरकर 1971–72 में 1052 लाख मीटरी टन और 1972–73 में इससे गिरकर 952 लाख मीटरी टन रह गई। कठिन खाद्य स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकारी वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और उसमें सुधार लाया गया है। उचित मूल्य की दुकानों से सरकारी खाद्यान्नों का वितरण काफी बढ़ा दिया गया था। 197 3 के दौरान सरकारी खाद्यान्नों का कुल वितरण 114 लाख मीटरी टन था जबकि 1972 में 78 लाख मीटरी टन था।

खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के कार्य की राज्य सरकारों के परामर्श से बराबर समीक्षा की जाती है। लेवी आदेश को कड़ाई से लागू करने, मिलमालिकों, व्यापारियों और उत्पादकों पर अतिरिक्त लेवी लागू करने, तस्करी रोकने और जमाखोरी रोकने के उपायों को कड़ाई से लागू करने जैसे कुछेक उपाय किए गए हैं। चालू खरीफ मौसम 1973–74 के दौरान चावल की अधिप्राप्ति (चावल के हिसाब से धान समेत) अब तक 28 लाख मीटरी टन से थोड़ी ज्यादा हुई है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में यह अधिप्राप्ति 17 लाख मीटरी टन से थोड़ी अधिक थी।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि जहां तक खरीफ फसल का संबंध है, समाचारों के अनुसार वसूली अभियान सफल नहीं रहा है और यदि हां, तो क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि आज तक कितनी वास्तविक प्रगति हुअी है और खरीफ के राज्यवार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कौन कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : नवीनतम विवरण के, जो मेरे पास है, अनुसार 22 फरवरी, 1974 को 31,13,000 टन की कुल वसूली हुई है, जिसमें से 28,25,000 टन चावल और 2,88,000 टन खरीफ खाद्यान्न की वसूली हुयी है। किन्तु मैं राज्यवार वसूली लक्ष्यों तथा वास्तविक वसूली का विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखने के लिये तैयार हूँ, ताकि माननीय सदस्य इस की जांच कर सकें। **[विवरण ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6230/74]**

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ, कि प्रचुर अनाज वाले वर्ष में जब, कि ऐसा समझा जाता है खरीफ फसल बहुत अच्छी हुई है, ऐसे हालत में वसूली के मार्ग में कठिनाईयां क्यों पैदा हुयी है और यदि कोई उपाय करने का विचार किया जा रहा है, तो उनका विवरण बताया जाये, ताकि हमें आगामी रबी फसल में उन्हीं कठिनाईयों का सामना न करना पड़े ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि उर्वरकों जैसी अभाव वाली वस्तुओं की सप्लाई को वसूली को साथ जोड़ करके अथवा अनिवार्य लेवी को सक्ती से लागू करके अथवा इसी प्रकार के उपायों को लागू करके वसूली को गतिशील बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जहां तक चावल वसूली का संबंध है, कुछ राज्यों में चावल की वसूली का काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। उदाहरण के तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में चावल वसूली लगभग लक्ष्य के अनुसार ही हुई है और कुछ राज्यों में तो लक्ष्य से भी अधिक चावल की वसूली होने की सम्भावना है। राज्यों का दूसरा वर्ग ऐसा है जहां वसूली को सामान्य रूप से संतोषजनक आंका गया है अर्थात् महाराष्ट्र तथा कुछ और राज्य भी हैं जहां वसूली का काम लगभग संतोषजनक रूप से हुआ है। राज्यों का एक तीसरा वर्ग भी है जहां वसूली संतोषजनक ढंग से नहीं हुयी है। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश, तमिल नाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां वसूली संतोषजनक ढंग से नहीं हुयी है। हम समय समय स्थिति पर विचार करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि बड़े हुये मूल्यों तथा वसूली मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अन्तर ही इसका मुख्य कारण दिखायी देता है कि उन राज्यों में संतोषजनक ढंग से वसूली नहीं हुयी है। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीतिक प्रवृत्ति और अभाव संबंधी मनोविज्ञान भी इसके मार्ग में बाधक बने हुये हैं। मेरा अनुमान है कि बेहत्तर वसूली होगी और जहां तक चावल की वसूली का संबंध है यह गत वर्ष की तुलना में 11 लाख टन अधिक की होगी। अतः, मेरे विचार में इसे सामान्य रूप देना सही नहीं है, क्योंकि गत वर्ष लगभग इसी समय चावल की वसूली लगभग 17 लाख टन की हुयी थी जबकि इस वर्ष इसकी वसूली लगभग 28 लाख टन की हुयी है।

मोटे अनाज के बारे में, गत वर्ष इसकी वसूली केवल $1\frac{1}{2}$ लाख टन की हुयी है। इस वर्ष हमने लगभग 3 लाख टन की वसूली कर ली है और लक्ष्य को देखते हुये यह हमारी आशाओं की तुलना में बहुत ही कम है।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वसूली मूल्य को कम करने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में गेंहू की फसल की बुवाई में कमी हुई है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही विशेष प्रश्न है। आप विशेष रूप से एक विशेष राज्य के बारे में पूछ रहे हैं। आप सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The statement laid by the hon'ble Minister shows hat the production of foodgrain has been decreasing for the last 2-3 years, but its distribution has been increased. Asfar as procurement is concerned, the procurement is not upto the target, as the farmers are not getting the remunerative price for the foodgrains. The work of procurement is done forcibly by Deputy Collector, B.D.O. and even by the police officials and because of this fear the farmers don't bring out their foodgrains. Mayl know whether Government propose to increase the procurement price? Recently Agricultural Board of Uttar Pradesh have also recommended that cultivators should be given the rate of Rs. 110 per quintal. What are your views in regard to this recommendation? The procurement was made at Rs. 74 to Rs. 76 per quintal which was not sufficient. May I know whether you propose to increase the procurement price, so that more procurement may be attained.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : में माननीय सदस्य की बात को पूरी तरह मानता हूँ कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही वसूली का काम नहीं करना चाहिये। किन्तु दुर्भाग्यवश कि हम इस देश में वसूली के पक्ष में एक सामान्य मतैक्य पैदा नहीं कर सके। ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो वसूली का विरोध करती है, चाहे वे ऐसा ईमानदारी से भी कर रही हो। मैं इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नही हूं।

एक माननीय सदस्य : हम तो इसका कम मूल्यों के कारण ही विरोध कर रहे है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : देश में इस समस्या के बारे में कोई सामान्य मतैक्य अथवा सामान्य सूझबूझ नहीं हो पाया है। यही कारण है कि सामान्य वातावरण वसूली के पक्ष में नहीं है जहां तक मूल्यों का संबंध है, खरीफ फसला के मूल्यों में काफी वृद्धि कर दी गयी है और यह भी एक मुख्य कारण है कि कई राज्यों में चावल वसूली का काम संतोषप्रद ढंग से हो रहा है। चावल का मूल्य एक ऐसे स्तर पर निर्धारित कर दिया गया है जिसके बारे में किसान अधिकतर संतुष्ट ही है। जहां तक गेहूँ के मूल्य का संबंध है, इसके बारे में आगामी स्तर से पूर्व निर्णय कर लिया जायेगा। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन 15 या 16 मार्च को होगा। कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवदन के आधार पर मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों से परामर्श कर के भारत सरकार उचित निर्णय लेना चाहेगी। मैं यह बताने को तैयार नहीं हूँ कि सही रूप से वसूली मूल्य क्या निर्धारित किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked that what are views of the Central Government in regard to the recommendation made by the State Government.

Mr. Speaker : It will be answered.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि किन कारणों से पंजाब और हरियणा में वसूली का काम संतोषजनक ढंग से हो रहा है जब कि अन्य राज्यों में यह वसूली काफी कम हुयी है? यदि ऐसा राजनीतिक प्रभाव के कारण हुआ है, तो क्या मैं यह समझ लूं कि पंजाब और हरियाणा में अन्य दलों का राजनीतिक प्रभाव बहुत कम है तथा उत्तर प्रदेश जसे अन्य राज्यों में इनका प्रभाव बहुत अधिक है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न ही पूछिये, अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त न करें।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे: राज्यवार विश्लेषण करना बहुत ही कठिन होगा। स्पष्ट रूप से कुछ स्थानीय प्रभाव होते है। यदि हम गत वर्ष का उत्पादन देखें तो देश के कई अन्य भागों की तुलना में, पंजाब और हरियाणा में खाद्य स्थिति बहुत ही अच्छी है और उत्पादन बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसके अतिरिक्त जहां तक चावल वसूली का संबंध है, गेहूँ की तुलना में इसका अधिक विरोध नहीं हुआ है। अन्य राज्यों में इस के कारण भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर, पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक मूल्य हैं तथा वहां तीव्र राजनीतिक मतभेद है जिनके कारण वसूली के मार्ग में कुछ गड़बड़ हो रहा है। मध्यप्रदेश में वसूली के मार्ग में कुछ अन्य कारण बाधक बने हुये हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने विशेष बातों की ओर ध्यान नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री पी० जी० मावलंकर : हम बारी बारी से यह पूछ रहे हैं कि क्या भारत सरकार द्वारा गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की वसूली संबंधी नीति की समीक्षा किये जाने के पश्चात् वह किसी ठोस परिणाम पर पहुंची है जिसके अनुसार सरकार वास्तविक ढंग से साहस करके उत्पादकों को उचित मूल्य देगी तथा जमाखोरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करेगी और समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम तथा अन्य अधिनियमो को लागू करेगी ? मंत्री महोदय इसका सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं और हमें प्रश्न पूछने में कठिनाई हो रही है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे: मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की सराहना करता हूँ। मैं इस स्थिति की कठिनाईयों को कम बताने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। जहां तक आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने अधिनियम का उपयोग करने अथवा जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इस मामले के संबंध में मेरे मंत्रालय अथवा भारत सरकार का कोई अन्य विचार नहीं हैं। किन्तु मुख्य बात यह है कि आप जैसे समाज सेवियों राज्य सरकारों तथा दूसरे लोगों के सामान्य समर्थन से ही यह काम किया जा सकता है। कुछ राज्यों में बहुत ही कठोर कार्यवाही की गयी है। यह एक बात है। इसके अतिरिक्त जहां तक वसूली का संबंध है, कुछ राज्यों में यह बहुत अच्छी तरह हो रही है। बेशक, सुधार हमेशा किया जा सकता है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, हम समय समय पर स्थिति की समीक्षा करते रहेंग। हम वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं। इस लिये हम इस सभा में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना चाहते है, ताकि खाद्य स्थिति को राजनीतिक विवादों से मुक्त रखा जा सके और हम वसूली के पक्ष में सामान्य मतैक्य प्राप्त करने और समाज के गरीब वर्गो को खाद्यान्न देने में सफल हो सके।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : चूंकि देश की वर्तमान खाद्य स्थिति बहुत ही गम्भीर है और वसूली का अभियान कृषि मंत्री की आशाओं के अनुसार संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ है, इसलिये मैं उनसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अनेक राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में असंतोषजनक ढंग से हुयी वसूली को देखते हुये क्या मैं यह जान सकता है कि क्या लोकप्रिय राजनीतिक समितियों की सहायता से वहां को जिम्मेदार राज्य सरकारों ने जमाखोरी किय हुये भारी मात्रा में खाद्यान्नों को बाहर निकालने के किन्ही सिद्धांतों की पेशकश की है अथवा उनके बारे में कोई सुझाव दिये हैं, क्योंकि काफी अधिक मात्रा में खाद्यान्न बड़े बड़े जमीदारों और जमाखोरों के पास उपलब्ध है और सरकार इसे आसानी से बाहर निकाल सकती है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : भारत सरकार की यह नीति रही है कि इन सभी अभियानों में गैर सरकारी एजेंसियों को सम्बद्ध किया जाये। वास्तव में मुझे मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य के मार्ग में क्या बाधा है . . .

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : भारत के किसी भाग में कोई लोकप्रिय राजनीतिक समिति नहीं है। केवल पुलिस द्वारा वसूली की जा रही है। उन्हें राज्यों में लोकप्रिय राजनीतिक समितियो को बनाने संबंधी विचार के बारे में सोचना चाहिये। जमाखोरी के खाद्यान्न को बाहर निकालना ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा खाद्यान्नों की वसूली की जा सकती है। खाद्यान्न उपलब्ध है और इसे बाहर निकाला जाना चाहिये।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के सुझाव को मानने को तैयार हूँ। मैं राज्य सरकारों से अपील करता हूँ कि वे वसूली अभियान में गैर-सरकारी एजेंसियों को सम्बद्ध करें।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार, ग्राम्य धनवान लोग 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के स्वामी हैं। उनके पास फालतू अनाज का मुख्य भाग है और उनमें से कई जमाखोर भी हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में देश के हित में लोगो के इस वर्ग से फालतू अनाज की वसूली कर ने का सरकार का विचार है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : भावनात्मक रूप से ऐसे सुझाव बहुत ही आकर्षक दिखायी देते हैं। किन्तु हमने भारतीय परिस्थितियों को देखना होता है। यदि बड़े किसानों से फालतू अनाज ले लिया जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार हमें अवश्य ही कोई ऐसी पद्धति निकालनी चाहिये जिसके द्वारा जमाखोरी को हतोत्साहित किया जाये और इसके साथ हम इस स्थिति में हो जायें कि बिक्री के लिये बड़ी मात्रा में फालतू अनाज बाजार में पहुंच जाये। मुझे यह मालूम नहीं है कि पूरी तरह बन्द बाजार और बाजार में बेचने योग्य शतप्रतिशत वसूली के बारे में सोचना कहां तक वास्तविक और व्यावहारिक है।

भारतीय जहाजरानी निगम तथा मुगल लाइन्स निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति

*72. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम तथा मुगल लाइन्स के निदेशक मंडल में नियुक्त सदस्यों के नाम तथा उनकी अर्हतायें क्या क्या हैं;

(ख) इनमें से कौन-कौन से व्यक्ति समुद्र-तटीय जिलों के है; और

(ग) समुद्र-तटीय जिलों के और अधिक व्यक्ति नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड और मुगल लाइन लिमिटेड के मोजूदा निदेशकों के नामों और योग्यताओं को दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) और (ग) यह सूचना नहीं रखी गई है कि निदेशकों में कौन से निदेशक तटीय जिलों से हैं, क्योंकि कम्पनी विधि के अंतर्गत उसकी आवश्यकता नहीं है। इन कम्पनियों के संस्था नियमावली के अनुसार तटीय जिलों के व्यक्तियों के लिए किसी विशेष प्रतिशत का निर्धारण आवश्यक नहीं है।

विवरण

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

सरकारी निदेशक

1. श्री जसजीत सिंह . .	अध्यक्ष, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क केन्द्रीय बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली।
2. श्री कमलजीत सिंह .	प्रबन्ध निदेशक, इंडियन आयल कारपोरेशन, बम्बई।
3. श्री वाई० कृष्णन . .	संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली।
4. श्री पी० एच० त्रिवेदी .	संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली। 16-2-1974 तक।
5. श्री ए० के० श्रीवास्त .	भारतीय नौवहन कम्पनी निदेशक बोर्ड में सरकारी निदेशक, बम्बई।

कार्यकारी निदेशक

6. कैप्टेन आर० डी० कोहली
7. श्री के० एन० जी० मेनन
8. श्री पी० सी० शुक्ल
9. श्री पी० के० बसू

गैर-सरकारी निदेशक

10. श्री नरेन्द्र सिंह महिदा .	भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ।
11. श्री वी० एन० काक	भूतपूर्व निदेशक, मुगल लाइन लि०
12. श्री के० पी० गोयंका . .	उद्योगपति

टिप्पणी :—इस निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री सी० पी० श्रीवास्तव ने 1-1-1974 से महा सचिव, इमको के तौर पर अपनी नियुक्ति के फलस्वरूप अपना पद रिक्त कर दिया। इस समय केप्टेन आर० डी० कोहली निगम के कार्यभारी कार्यकारी निदेशक हैं।

मुगल लाईन लिमिटेड

सरकारी निदेशक

1. श्री जे० जी० सग्गी . .	प्रबन्ध निदेशक ।
2. श्री ए० के० श्रीवास्तव	भारतीय नौवहन कम्पनी के निदेशक बोर्ड में सरकारी निदेशक, बम्बई ।
3. श्री साद एम० हाशमी .	निदेशक (हज) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4. श्री पी० एच० त्रिवेदी .	संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली। 16-2-1974 तक ।

गैर-सरकारी निदेशक

5. श्री मुहम्मद युसफ .	ये भारत के विभिन्न प्रदेशों के प्रमुख मुस्लिम हैं ।
6. श्री अलीवारिस खान .	
7. मौलाना इसरारुल हक .	
8. श्रीमती नफीसत बीवी	

टिप्पणी :—अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के श्री सी० पी० श्रीवास्तव मुगललाइन लिमिटेड के भी अध्यक्ष थे, ने 1-1-1974 से महा सचिव इमको के तौर पर अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप अपना पद रिक्त कर दिया।

श्री शंकरराव सावन्त : यह सूचना आसानी से प्राप्त की जा सकती थी। सूचना न देने का करण स्पष्ट है। जहाजरानी निगम का एक भी प्रबंधक तथा गैर-सरकारी निदेशक और मुगललाइन्स का एक भी सरकारी निदेशक तथा गैर-सरकारी निदेशक तटीय क्षेत्र का नहीं है जैसा कि इसमें दिए गए नामों से पता चलता है।

क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि तटवर्ती क्षेत्रों के अर्हता प्राप्त व्यक्ति, जो जहाजरानी से निकट के संबंधित हैं तथा जो स्वभावत: क्षेत्र की आवश्यकताओं और जहाजरानी के भावी विकास की संभावनाओं से परिचित हैं, कम से कम भविष्य में इस बात को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किए जायेंगे क्योंकि जहारानी तटीय जिलों की समस्याओं जसे व्यापार तथा माल तथा यात्री यातायात से बहुत निकट से संबंधित है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : जहाँ तक भारतीय जहाजरानी निगम और मुगल लाइन्स में निदेशकों को नियुक्त करने का प्रश्न है, यह संस्था नियमावलि में दिए गए नियमों के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि मने कहा है कि संस्था नियमावलि के अंतर्गत समुद्र तटीय क्षेत्रों के व्यक्तियों को निदेशक मंडल में नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं उनको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि भारतीय जहाजरानी निगम में नियुक्त किए गए अधिकांश कर्मचारी तथा विशेषकर प्रबंधक निदेशक जहाजरानी उद्योग से भलो-भांति परिचित हैं। उनमें से अधिकांश व्यक्तियों का संबंध इस देश के जहाजरानी उद्योग से बहुत पुराना है ।

श्री शंकरराव सावन्त : यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा संस्था नियमावलि मे होना चाहिए। आप सिद्धान्त के आधार पर सरकार यह निर्णय ले सकती है कि समुद्र तटीय जिलों के व्यक्ति निदेशक मंडल में नियुक्त किए जाने चाहिए।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। यह आवश्यक नहीं है प्रश्न यह है कि क्या निदेशक मंडल मे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति अपने कार्य से भली भांति अवगत हैं और मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि केवल व्यापार तथा उद्योग में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है।

शिशु आहार की कमी

*74. **श्री समर मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कारखाने और उपभोक्ताओं दोनों को दूध की सप्लाई में निरन्तर कमी हो शिशु आहार की कमी का मूल कारण है, और

(ख) उचित मूल्यों पर शिशु आहार की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। सूखा पड़ने, उसके बाद देश के कुछ भागों में बाढ़े आने से दूध की पैदावार में भारी गिरावट आयी है जिससे शिशु आहार समेत सभी दुग्ध उत्पादों की कमी हो गई है।

(ख) जब किसी राज्य या क्षेत्र में शिशु आहार की कमी का पता चलता है तब निर्माताओं से सम्पर्क स्थापित किया जाता है और उस क्षेत्र में शिशु आहार की सप्लाई/उपलब्धता बढ़ाने में सभी सम्भव सहायता की व्यवस्था की जाती है। कुल मिला कर दूध की उपलब्धता में प्रत्याशित सुधार होने से शिशु आहार की सप्लाई स्थिति में भी सुधार होने की आशा है। इसके अलावा, नये यूनिट लगा कर और मौजदा यूनिटों का विस्तार कर अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ।

श्री समर मुखर्जी : शिशु आहार की कमी के कारण शिशु आहार के मामले में जालसाजी तथा चोर बाजारी हो रही है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि शिशु आहार चोर बाजार में कितने को बिक रहा है तथा क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ताकि शिशु आहार राशन द्वारा अथवा वितरण के किसी अन्य तरीके द्वारा उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : समस्या का अंतत: समाधान शिशु आहार का उत्पादन बढा कर होगा तथा इसीलिए मैंने अपने उत्तर में स्थिति बता दी है कि सरकार का इस मामले में क्या करने का विचार है।

जहाँ तक मूल्यों का संबंध है, मूल्यों के नियंत्रण के लिए अनौपचारिक व्यवस्था है और उत्पादकों को सरकार की अनुमति के बिन मूल्यों को बढाने नहीं दिया जाता है। ऐसी कोई औपचारिक नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। हम इस बारे में राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे और उनके परामश पर हम अपेक्षित कार्यवाही करेंगे ।

श्री समर मुखर्जी : मैं नियंत्रित मूल्य पर वितरण करने के बारे में आश्वासन चाहता हूं इस बारे में सरकार का क्या विचार है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने बताया है कि मूल्य निर्धारित किये जाते है। इस बारे में अनौपचारिक नियंत्रण की व्यवस्था है....

श्री समर मुखर्जी : निर्धारित मूल्यों पर वितरण करने के बारे में आपका क्या कहना है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : निर्धारित मूल्यों पर वितरण करने के बारे में हम राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के अनुसार हार्लिक्स शिशु आहार है और यदि हाँ तो क्या उनके उत्तर से मैं यह अनुमान लगाऊं कि सरकार ने हार्लिक्स के उत्पादकों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी है जैसा कि उन्होंने हाल में इनके मूल्यों में वृद्धि की है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मुझे इसके लिए पूर्वसूचना चाहिए।

श्री डी० डी० देसाई : हमारे देश में दूध देने वाले पशुओं की संख्या बहुत अधिक है परन्तु मुख्यत: प्रति पशु दूध का उत्पादन कम होने के कारण दूध की कमी है। मंत्रालय इस बात के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है कि पशुओं की संख्या बढ़ाए, प्रति पशु दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके ?

श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे : ऐसा करना सरकार की नीति रही है।

कोचीन में समुद्री जहाज बनाने वाले कारखाने की स्थापना

*76. **श्री वरके जार्ज :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में समुद्री जहाज बनाने के कारखाने की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना की कितनी मशीनें लगा दी गई है; और

(ग) अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और वर्ष 1973-74 में कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) गोदियों तथा की घाटों और सभी मुख्य कार्यशालाओं के कार्यों के ठेके दे दिए गये और कार्य आरम्भ हो चुका है। प्रशिक्षण स्कूल पूरा हो कर चालू हो चुका है। मुख्य प्राप्ति केन्द्र, प्रयोगशाला, पेंट स्टोर तथा तेल स्टोर पूरे हो गये हैं। हल शाप का नीव कार्य लगभग तीन चौथाई पूरा हो गया है जबकि अधि संरचना निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। निर्माण गोदी का शीट पाइलिंग कार्य पूरा हो गया है और भवन और मरम्मत गोदियों का खुदाई कार्य और निर्माण गोदी के लिए लंगर दीवार का निर्माण और 3 नम्बर की घाट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) इस परियोजना के लिए अपेक्षित मशीनरी के लगभग सभी मदों की प्राप्ति के लिए कार्यवाई की गई है और कुछ एक मद पहले ही निर्माण स्थल पर पहुंच चुके हैं।

(ग) 31-1-1974 तक संचित व्यय 17.50 करोड़ रुपए हैं। 1973-74 के संशोधित बजट अनुमानों में 8 करोड रुपए की राशि है जिसमें से 31-1-74 तक 4.80 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : कोचीन शिपयार्ड का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना को शीघ्र चालू करने हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का संबध है, यह केन्द्रीय सरकार की परियोजना है और इसीलिए राज्य सरकार को सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक परियोजना की समय अनुसूची का प्रश्न है, हमें आशा है कि कोचीन शिपयार्ड के कार्य का बडा भाग सितम्बर 1975 तक पूरा करना संभव होगा।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : मंत्री महोदय ने बताया है कि मशीनरी की कुछ मदें प्राप्त हो गई हैं मैं जान सकती हूं कि मशीनरी की कौन सी मदें प्राप्त हुई हैं तथा कौन से मदें अभी प्राप्त होनी बाकी हैं ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : 280 मदों में से हमें 240 मदें प्राप्त हुई हैं और यदि माननीय सदस्या चाहती हैं तो मैं उन्हें ब्यौरा भी दे सकता हूं। हमने देशी साधनों से अनेक मदें खरीदी हैं और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कुछ मदें विदेशी बाजारों से भी खरीदी जा रही हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि किसी कनिष्ठ अधिकारी को, उसके अपने आदमी सहित, परियोजना का कार्य भार सौंपा गया है क्योंकि वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का पुत्र है ? मैं जानना चाहता हूं कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को, जिसे केरल सरकार का विश्वास प्राप्त है, इस कार्य का भार सौंपा जाएगा ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

दूसरा, जहां तक केरल सरकार को विश्वास में लेने की बात है, हम उन्हें हमेशा विश्वास में लेते है और राज्य सरकार जो भी सुझाव देती है, उसे हम क्रियान्वित करते हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार का विश्वास प्राप्त है, परियोजना का कार्यभार सौंपा जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे कैसे संबंधित है ? खैर आप वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए मैंने आपको अनुमति दे दी है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : केरल सरकार को विश्वास में लेना नितांत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : विश्वास में लेने का प्रश्न आपसी मामला हैं।

खाद्य तेलों तथा अन्य वस्तूओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण

*78. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री रानेन सेन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य के बावजूद कि तिलहन और अन्य कृषि उत्पादन व्यापारियों द्वारा अत्यन्त सस्ते मूल्यों पर खरीदे गये थे और आगामी पैदावार की संभावनायें भी बुरी नहीं है ; क्या कारण है कि कुछ मामलों में तथा तेलों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में पिछले छः महीनों के दौरान 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या कारण है कि सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने और स्थिर करने में असमर्थ रही है जो बढ़ रहे है ?

कृषिमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गत छः महीनों के दौरान अर्थात् अगस्त, 1973 के आरम्भ से खाद्यानों का थोक मूल्य सूचकांक लगभग 6 प्रतिशत तक, खाद्य तेलों का लगभग 5 प्रतिशत तक और समग्र खाद्यपदार्थों का लगभग 5 प्रतिशत तक बढ़ा है। मूल्यों में वृद्धि कई कारणों से हुई प्रतीत होती है, जैसे कि गत वर्ष उत्पादन कम होने से इस वर्ष के लिए स्टाक कम होना, सट्टे का व्यापार और विभिन्न स्तरों पर जमाखोरी, देश में मुद्रा स्फीति की सामान्य प्रवृत्तियां तथा विश्व मंडियों में मूल्यों में वृद्धि होना। तथापि, मूल्यों में बढ़ोत्तरी की रोक थाम के लिए कई उपाय किए गए हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मंत्री महोदय ने उत्तर के अंत में कहा है कि मूल्यों में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए अनेक उपाय अपनाए गए है। हम इसके कारण तथा किये गए उपायों को जानना चाहते है। हम जानना चाहते है कि वे उपाय क्या है। क्या मंत्री महोदय हमें उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनका अनुसरण किया जा रहा है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रथम तो सरकारी वितरण व्यवस्था को बढ़ाने का उपाय है, 1972 में 105 लाख टन से वर्ष 1973 में 114 लाख टन बढ़ाया जायेगा लगभग 42 लाख टन का आयात किया जायेगा। वसूली में वृद्धि की गई है। हमने अति कमी वाले राज्यों को बहुत वाले राज्यों से मोटे अनाज आयात करने देने के बारे में निर्णय किया है।

श्री एस० सी० सामन्त : विभिन्न स्तरों पर सट्टे का व्यापार तथा स्टाक की जमाखोरी भी कारण बताए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं की इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे वायदे के व्यापार में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। हमने उनको यह भी कहा है कि जमाखोरी के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कबाड़ के रूप में मोटर लांचों और बजरोंका बेचा जाना

*61. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधकों द्वारा अनेक मोटर लांचों तथा बजरों की कबाड़ के रूप में बिक्री की गई है;

(ख) क्या वे चालू स्थिति में थे ;

(ग) क्या राजाबागान गोदी बाडा के अनेक स्टीम बायलरों को जो चालू स्थिति में थे, कबाड के रूप में बेच दिया गया था ; और

(घ) क्या इसके लिये कोई स्वीकृति ली थी तथा टेंडर मांगे गये थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 1972 में 3 बायलर बेचे गये जिनमें से एककी अभी सुपुर्दगी की जानी है ।

(घ) वे टेन्डर मांगने के बाद बोर्ड के निदर्शकों की स्वीकृति से सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को बेचे गये ।

त्रिवेन्द्रम में खेलकूद विद्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना

*63. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेन्द्रम में खेलकूद विद्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है जिसके बारे में भारतीय सरकार द्वारा भेजे गए दल ने राज्य सरकार के अधिकारियों तथा केरल खेलकूद परिषद के अधिकारियों के साथ मिलकर पहले ही निर्णय ले लिया था ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस०नुरुल हसन) : उल्लिखित दो योजनाओं को अभी पांचवीं योजना के लिये प्रस्तावित विनिधानों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाना है । जिस रूप में योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है उसके अनुसार उनके स्थान के प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा ।

प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*66. **श्री० के० रामकृष्ण रेड्डी**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन पिछड़े जिलों में प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन के लिए राज्यों को सहायता देने का है जहां साक्षरता 15 प्रतिशत से भी कम है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के संवर्धन हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को वित्तीय अनुदान देने का भी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी०यादव):(क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित प्रयास के रूप में पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने का प्रस्ताव है जिसमें राज्य सरकारों की प्रमुख भूमिका होगी जबकि केन्द्रीय सरकार, अनुसंधान संस्थाए, वित्तीय तथा अन्य राज्य और केन्द्रीय निगम इत्यादि सभी अपना अपना योगदान अच्छी तरह से तैयार की गई तथा समेकित कार्रवाई की योजना के रूप में करेंगे । तथापि पिछड़े जिलों में प्राथमिक शिक्षा की प्रोन्नत करने अथवा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों को वित्तीय अनुदान देने के लिए, केन्द्रीय सेक्टर में कोई भी कार्यक्रम शामिल नहीं किए गए हैं ।

यदि राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश को एक इकाई के रूप में लिया जाता है तो केवल अरुणाचल प्रदेश में ही साक्षरता की प्रतिशतता 15 प्रतिशत से कम है ।

सफदरजंग उपरिपुल का गिर जाना

*67. **चौधरी रामप्रकाश :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जनवरी, 1974 को सफदरगंज उपरिपुल का एक भाग गिर गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति हताहत हुये और उपरिपुल को किस हद तक नुकसान पहुंचा;

(ग) क्या इस दुर्घटना के लिये कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पास्वान शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) 2 व्यक्ति मरे तथा 4 घायल हुए, लगभग 50,000 रुपये तक का नुकसान हुआ ।

(ग) जी, हां ।

(घ) आशा है कि जांच आयोग अपनी रिपोर्ट जल्दी देगा ।

घटिया किस्म के ज्वार और बाजरे के बीजों की सप्लाई और उर्वरकों की कम सप्लाई

*70. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया किस्म के ज्वार और बाजरे के बीजों की सप्लाई के परिणाम स्वरूप इस वर्ष खरीफ की फसलों की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ा था और उर्वरकों की कम सप्लाई के कारण रबी के मौसम में गेहूं की अच्छी फसल पर भी प्रभाव पड़ा था ;

(ख) आगामी वर्ष शुद्ध संकर बीज और आवश्यक मात्रा में उर्वरक सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या "लेवी" में लापरवाही के कारण कुछ राज्यों को खाद्यन्न की सप्लाई के मामले में काफी कठिनाई हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) घटिया किस्म के बीजों की सप्लाई के परिणाम स्वरूप खरीफ मौसम में ज्वार और बाजरे की उपज पर कुप्रभाव पड़ने के बारे में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और न खरीफ मौसम में सप्लाई किए गए बीजों के बारे में कोई

शिकायत मिली है। रबी मौसम के लिए उर्वरकों की उपलब्धि के सम्बन्ध में कुछ रुकावटों का अवश्य सामना करना पड़ा है। किन्तु सही-सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि गेहूं की फसल पर उर्वरकों की सप्लाई की कमी का क्या प्रभाव पड़ा।

(ख) बीज उत्पादक एजेन्सियों ने संकर ज्वार तथा बाजरा के बीजों के उत्पादन को तेज कर दिया था। उत्पादन बीज जूदा अनुमानों से पता चलता है कि आगामी खरीफ मौसम में संकर बाजरा और ज्वार बीजों की जरूरतें प्राय: पूरी हो जाएंगी। भारत सरकार यथा सम्भव कोशिश कर रही है कि वर्ष 1974-75 की ऊरतों को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों से अधिकाधिक मात्रा में उर्वरक प्राप्त हो सके।

(ग) खाद्यान्नों की प्राप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे लेवी तथा अन्य तरीके से अपनी इच्छानुसार जिस तरीके से चाहें अनाज प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक खाद्यान्नों (जिसमें मोटा अनाज भी शामिल है) के वितरण का सम्बन्ध है, राज्यों की जरूरतों और अन्य सम्बन्ध कारणों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय पूल में उपलब्ध माल को राज्यों को हर महीने केन्द्रीय पूल से आबंटन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों का वितरण करना राज्य सरकार का ही उत्तरदायित्व है।

समुद्र तट पर मछली पकड़ने के उद्योग का विकास

*71. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटों पर मछली पकड़ने के उद्योग के विकास के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के लिये किन-किन केन्द्रों को चुना गया है और प्रत्येक सर्वेक्षण पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 91.62 करोड़ रुपये की कुल लागत (केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 20.50 करोड़ रुपये, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत 24 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत 47.12 करोड़ रुपये) से समुद्रीय मीन-उद्योग का विकास करने का प्रस्ताव है। राज्य क्षेत्र योजनाओं के समुद्रीय मीन-उद्योग के परिव्यय में से पूर्वी तट के राज्यों के लिये 21.20 करोड़ रुपये तथा पश्चिमी तट के राज्यों के लिए 25.92 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के राज्यों के लिये केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का आबंटन इकठ्ठा है। धनराशि के अन्तिम आबंटन का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

क. केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र :	करोड़ रुपयों में
1. छोटे बन्दरगाहों पर अवतारण तथा घाट की सुविधाओं की व्यवस्था	10.50
2. तटीय मीन-ग्रहण ग्रामों में अवस्थापना संबंधी विकास . . .	10.00
	20.50

ख. केन्द्रीय क्षेत्र :	करोड़ रुपयों में
1. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले देसी जलयानों के लिये आर्थिक सहायता .	3.00
2. सर्वेक्षण तथा प्रयोग संबंधी गहन समुद्र मीन-ग्रहण संस्था .	4.00
3. समेकित मीन-उद्योग परियोजना, कोचीन . . .	3.00
4. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगाध समुद्र मीन-उद्योग परियोजना .	0.50

5. ऊपरी पश्चिमी तट सर्वेक्षण संबंधी परियोजना . .	0.30
6. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना पूर्वी तट का समन्वेषी सर्वेक्षण .	0.30
7. बड़े बन्दरगाहों पर अवतारण तथा घाट की सुविधाओं की व्यवस्था .	15.00
8. छोटे बन्दरगाहों का सर्वेक्षण	0.25
9. केन्द्रीय मीन-उद्योग परिचालन संस्थान	1.75
	24.00

ग. राज्य क्षेत्र : लाख रुपयों में

	पूर्वी तट	पश्चिमी तट	योग
1. मछली पकड़ने की परम्परागत विधि के लिये सहायता	127	140	267
2. यंत्रीकृत नौकाओं का प्रारम्भ . .	1,241	1,178	2419
3. यंत्रीकृत नौकाओं के लिये मरम्मत सुविधाएं	79	135	214
4. गहरे समुद्र में मछली पकड़ना .	468	844	1312
5. बर्फ संयंत्र . .	37	55	92
6. पंहुच-मार्ग और विपणन .	20	139	159
7. प्रशिक्षण . . .	148	101	249
	2120	2592	4712

(ख) गहन समुद्र मीन-ग्रहण संस्था, समेकित मीन-उद्योग परियोजना और अगाध समुद्र मीन-उद्योग परियोजना द्वारा संसाधनों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है। गहन समुद्र मीनग्रहण संस्था कांडला, बम्बई, गोवा, मंगलोर, कोचीन, तूतीकोरीन, मद्रास, विशाखापतनम, परादीप, कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के केन्द्रों से सर्वेक्षण कर रही है। आशा है कि वेरावल में एक नया केन्द्र शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा। समेकित मीन-उद्योग और अगाध समुद्र मीन-उद्योग परियोजना कोचीन में कार्य कर रही है। इसमें दक्षिणी पश्चिमी तट के पानी के तले और अगाध समुद्र मीन-उद्योग संबंधी संसाधनों के संबंध में कार्य करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत पूर्वी तट का भी विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करने का विचार है।

भारत और बंगला देश के बीच सांस्कृतिक सहयोग

*73. **श्री एम० कतामुत्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बंगला देश की बढ़ती हुई मैत्री को देखते हुए क्या सरकार ने दोनों देशों के मध्य दिसम्बर, 1972 में हुए सांस्कृतिक सहयोग करार को अनुमोदित करने तथा क्रियान्वित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, 30 दिसम्बर, 1973 को ढाका में हस्ताक्षर किए गए भारत और बंगला देश के बीच सांस्कृतिक सहयोग करार का अनुसमर्थन किया जा चुका है तथापि वह करार अनुसमर्थन के उस लिखितों के विनिमय की तारीख से लागू होगा, जो कि शीघ्र होने वाला है।

(ख) करार का उद्देश्य विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यकलाप सहित संस्कृति, कला तथा शिक्षा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और सद्भावना की उन्नति एवं विकास करना है।

विश्वविद्यालयों, अकादमियों और संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करके, प्रोफेसरों, विशेषज्ञों प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों के बीच ममता का विनिमय करके; सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा शैक्षिक सामग्री, तथा पुस्तकों और प्रकाशनों आदि के अनुवादों के विनिमय के द्वारा करार के उद्देश्यों की पूर्ति की जानी है।

कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों द्वारा आन्दोलन

*75 **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि सारे भारत के कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक कुछ मामलों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं और हड़तालों का आश्रय ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन मांगों का ब्यौरा क्या है, जो उन्होंने और उनके अखिल भारतीय फेडरेशन ने सरकार के समक्ष रखी हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) समय-समय पर सरकार को अध्यापकों और साथ साथ अध्यापक संगठनों से वेतनमानों, सेवा-शर्तों इत्यादि में सुधार करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। चण्डीगढ में अक्टूबर, 1973 में आयोजित विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के संगठनों के अखिल भारतीय संघ के सम्मेलन में पारित तथा उसके सदस्य-संगठनों द्वारा समर्थित, मांग पत्र में की गई मुख्य-मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

1. विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को संघ द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाए ; और

2. केन्द्र और राज्य सरकारों को संसद और राज्य विधान सभाओं में एक उपयुक्त विधान पेश करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि अध्यापकों की सेवा की सांविधिक तौर से गारन्टी हो सके।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सेवा की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक विधान बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

Kharif Procurement drive in States

*77. **Shri Shrikrishna Agarwal :**

Shri P. Gangadeb :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether procurement of Kharif crop is not satisfactory in the States and in certain States, particularly in West Bengal and Bihar the procurement work has not even been started;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether the Central Government could not get proper co-operation from the States in the work of procurement; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(c) No, Sir. The State Governments are giving full co-operation.

(d) Does not arise.

Statement

From the enclosed statement (Annexure-I) showing the targets of procurement for rice and Kharif coarse cereals during 1973-74 and the quantities actually procured so far state-wise, it would be seen that in the overall the quantity of rice procured so far during Kharif 1973-74 is more than the corresponding position last year. In fact, it is more than, the total quantity procured during the Kharif 1972-73, namely over 2.8 million tonnes against 2.7 million tonnes procured in 1972-73. In the case of Kharif coarse cereals, however, the quantity procured this year is 2.86 lakh tonnes, which, though more than the quantity of 1.56 lakh tonnes procured during the corresponding period last year, is still very much short of the target of 1.85 million tonnes. The procurement season is still on. It is a fact that in some States the pace of procurement is slow. Some of the main reasons for the slow progress are as follows :—

1. Damage to the crop on account of late rains, adverse whether conditions at the time of harvesting, infestation etc. in some States.

2. High ruling prices of foodgrains in the open market.

3. General price rise in the case of other commodities has also adversely affected the pace of procurement.

4. A tendency on the part of producers and others to hold back the grain in the expectation of better prices later in the year.

5. A general climate and psychology of scarcity.

The State Governments concerned have been requested to take all possible measures to step up the pace of procurement so as to achieve the targets. Action is being taken by them accordingly.

In the States of West Bengal and Bihar, the quantities of rice so far procured are 104.8 and 35.8 thousand tonnes respectively against the respective targets of 500 and 100 thousand tonnes.

ANNEXURE I

Progressive Procurement of Rice, Paddy etc. during 1973-74

(Figures in '000 tonnes)

State	Targets for 1973-74			As on	Quantity Procured 1973-74			Corresponding Position 1972-73		
	Rice	Kharif Coarse Cereals	Total Kharif Cereals		Rice (Incl. paddy in terms of rice)	Kharif Coarse Cereals	Total Kharif Cereals	Rice	Coarse Grains	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Andhra Pradesh	600	100	700	20/2	402.3	—	402.3	73.0	0.7	73.7
2. Assam	150	—	150	19/2	107.5	—	107.5	64.5	—	64.5
3. Bihar	100	25	125	18/2	36.8	—	36.8	18.0	—	18.0
4. Gujrat	50	150	200	18/2	16.0	12.7	28.7	3.6	—	3.6
5. Haryana	350	50	400	21/2	369.1	—	369.1	213.1	—	213.1
6. J. & K.	50	—	50	21/2	38.4	0.8	39.2	24.7	0.8	25.5
7. Karnataka	275	200	475	21/2	82.6	1.1	83.7	40.0	0.5	40.5
8. Kerala	125	—	125	16/2	17.5	—	17.5	11.3	—	11.3
9. Madhya Pradesh	600	100	700	18/2	153.7	4.7	158.4	163.3	18.9	182.2
10. Maharashtra	200	400	600	21/2	135.3	109.9	245.2	60.8	11.8	72.6
11. Orissa	400	—	400	19/2	129.7	—	129.7	95.8	—	95.8
12. Punjab	950	200	1150	21/2	818.5	61.1	879.6	646.3	80.2	726.5
13. Rajasthan	—	250	250	19/2	—	32.5	32.5	—	6.8	6.6
14. Tamil Nadu	350	25	375	17/2	112.4	—	112.4	42.2	—	42.2
15. Uttar Pradesh	300	150	450	21/2	293.7	65.5	359.2	161.3	36.0	197.3
16. West Bengal	500	—	500	18/2	104.8	—	104.8	114.4	—	114.8
17. Others	—	—	—	18/2	6.9	Neg.	6.9	3.7	Neg.	3.7
TOTAL	5000	1650	6650		2825.2	288.3	3113.5	1736.0	155.7	1891.7

Neg. = Below 50 Tonnes.

गुजरात को खाद्य पदार्थों का आबंटन

*79. **श्री पी० जी० मावलंकर :**

श्री वेकारिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1973 से अब तक गुजरात की विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की मांग कितनी थी और केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य को उन पदार्थों का कितना आबंटन किया; और

(ख) क्या उक्त आबंटन में प्रतिमास उत्तरोत्तर कमी की गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक सभी कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता मूल्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर, केन्द्रीय पूल से आबंटन किए जाते हैं। बाजार में खरीफ के अनाजों के आने और फसल की सम्भावनाएं संतोषजनक होने से गुजरात समेत सभी राज्यों के आबंटनों में नवम्बर और दिसम्बर, 1973 मास में कटौती कर दी गई थी। लेकिन जनवरी, 1974 में गुजरात के लिए खाद्यान्नों के कोटे में वृद्धि कर दी गयी थी।

विवरण

गुजरात की खाद्यन्नों संबंधी मांग तथा उसको किया गया आबंटन

(हजार मी० टन में)

माह	मांग				आबंटन			
	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	जोड़	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	जोड़
जुलाई, 1973	20.0	100.0	30.0	150.0	5.0	60.0	25.0	90.0
अगस्त, 1973	20.0	100.0	30.0	150.0	3.0	50.0	25.0	78.0
सितम्बर, 1973	20.0	100.0	30.0	150.0	3.0	30.0	30.0	63.0
अक्तुबर, 1973	25.0	100.0	30.0	155.0	3.0	30.0	25.0	58.0
नवम्बर, 1973	25.0	110.0	20.0	155.0	1.0	15.0	20.0	36.0
दिसम्बर, 1973	25.0	110.0	20.0	155.0	1.0	15.0	20.0	36.0
जनवरी, 1974	25.0	110.0	20.0	155.0	2.0	20.0	28.0	50.0
फरवरी, 1974	25.0	110.0	40.0	175.0	2.0	30.0	20.0	52.0
मार्च, 1974	25.0	110.0	50.0	185.0	2.0	30.0	20.0	52.0

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण व्यापार के बारे में जांच

*80. **श्री वी० मायावन :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के उस धोखाधड़ीपूर्ण व्यापार के बारे में कोई जांच की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त निगम को 10 लाख रुपये का घाटा हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में और जांच करने के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है। अभी यह जांच पूरी नहीं हुई है।

सरकारी एजेंसियों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध में चिकनाई तत्व को कम करना

601. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी संगठनों द्वारा बेचे जाने वाले दूध में चिकनाई-तत्व को और कम करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ;

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध में इस समय विद्यमान चिकनाई-तत्व कितना है और क्या उक्त योजना के अन्तर्गत उसे और कम दिया जा रहा है; और

(ग) क्या उक्त योजना से असंगठित डेरी मालिकों और सरकारी संगठन को भी अपने दूध में उपरोक्त तत्व को कम करने में सहायता मिलेगी और क्या इस प्रकार बेचे जाने वाले दूध में पोषक-तत्व बहुत कम होगा अथवा नहीं होगा और यदि हां, तो यह प्रतिगामी कार्यवाही किये जाने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के विशेष टोंड दूध में चिकनाई की प्रतिशतता 3.5 और डबल टोंड दुग्ध में 1.5 होती है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किए जाने वाले दूध में चिकनाई की मात्रा को और कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा प्रदर्शन तथा धरने

602. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों के दो दल (डिप्लोमा तथा डिग्री दल) अपनी मांगों के समर्थन में हाल ही में निर्माण भवन में अधिकारियों तथा मंत्री महोदय के निवास स्थान पर प्रायः प्रदर्शन और धरने देते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है और अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) कनिष्ठ इंजीनियरों के दो दलों की मुख्य मुख्य मांगों तथा उनके समर्थन में दिये गये तर्कों का एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा है ।

विवरण

क. स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की दो मुख्य मांगें ये हैं :—

(i) कि स्नातक इंजीनियरों के लिये 550–900 रुपये के वेतन मान में एक पृथक काडर बनाया जाए ; तथा

(ii) कि स्नातक इंजीनियरों की सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के लिये एक पृथक कोटे का निर्धारण किया जाए ।

स्नातक इंजीनियरों द्वारा दिया गया मुख्य तर्क यह है कि वे अधिक योग्यता प्राप्त हैं तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में आयोजना तथा अभिकल्पन जैसे ऐसे कार्य हैं जो केवल उन्हीं द्वारा प्रभावकारी ढंग से किये जा सकते हैं । उनका यह भी तर्क है कि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप इस पद्धति को हटाने के सरकार के निर्णय से पूर्व उन्हें 180–380 रुपये के वेतनमान में 240 रुपये का प्रारम्भिक वेतन दिया जाता था ।

स्नातक इंजीनियरों ने यह तर्क और दिया है कि उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के यह निर्णय दिये जाने तक कि सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति का कोटा ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया था, सहायक इंजीनियर के ग्रेड में उपलब्ध पदोन्नति की रिक्तीयों का 50 प्रतिशत मिला करता था । अब उनकी मांग कोटे को ठीक प्रकार से निर्धारित करने के लिए है ।

2. गैर-स्नातक इंजीनियरों की मुख्य मांगें ये हैं :—

(i) कि स्नातक इंजीनियरों के लिए अलग कोई काडर/ग्रेड नहीं होना चाहिए ; और

(ii) कि सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नतियां सामान्य वरिष्ठता सूची के आधार पर की जानी चाहिये ।

गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा दिया गया मुख्य तर्क यह है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियर के ग्रेड में भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता, इंजीनियरी में डिप्लोमा का होना है तथा स्नातक और गैर-स्नातक दोनों प्रकार के इंजीनियर इस ग्रेड में भर्ती के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिता-परीक्षा में भाग लेने के पात्र हैं ।

उनका यह भी तर्क है कि स्नातक इंजीनियरों की सहायक इंजीनियरों के रूप में पदोन्नति के लिए कोई भी अलग कोटा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि स्नातक तथा गैर-स्नातक दोनों ही प्रकार के इंजीनियर एक ही प्रतियोगिता-परीक्षा के माध्यम से आते हैं तथा विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर से सम्बद्ध हैं ।

स्थायी घोषित किए गए जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)

603. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के मुख्य इंजीनियर के कार्यालय द्वारा परिचालित वरिष्ठता सूची संख्या 37/1/73–एडमिन्स्ट्रेशन दिनांक 9/19 फरवरी, 1973 में क्रम संख्या 664 से 1165 तक अर्थात 500 से अधिक ज्यूनियर इंजीनियरों (इलेक्ट्रीकल) को स्थायी घोषित नहीं किया गया है; जब कि अप्रैल, 1973 में हुई गत समीक्षा के अनुरूप केवल 610 जूनियर इंजीनियरों को स्थायी घोषित किया गया था जिससे वरिष्ठता सूची की क्रम संख्या कम होकर 663 हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों से अधिक समय से अस्थायी पड़े कुल पदों के 80 प्रतिशत पदों को स्थायी बनाने और इस संवर्ग में और अधिक जूनियर इंजीनियरों को स्थाई बनाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां 500 से अधिक कनिष्ठ इंजीनियर (बिजली) ऐसे हैं जिन्हें स्थायी घोषित नहीं किया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियर (बिजली) के लगभग 1100 पद हैं जिन में 704 पद स्थायी हैं। लगभग 700 कनिष्ठ इंजीनियरों की या तो पहले ही पुष्टि की जा चुकी है या उन्हें पुष्टि किये जाने के पात्र घोषित कर दिया गया है। इन आंकड़ों में वे कनिष्ठ इंजीनियर भी शामिल हैं जो या तो उच्चतर पदों पर कार्य कर रहे हैं या संवर्ग बाहय पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ख) उन अस्थायी पदों के 80 प्रतिशत पदों को स्थायी पदों में बदलने के लिये आवधिक समीक्षा की जाती है जो 3 वर्षों या उससे अधिक अवधि से विद्यमान हैं और जिनका स्थायी प्रकार के कार्य के लिये स्थायी तौर पर बनाये रखना अपेक्षित है। तथापि, इस फार्मूले के अनुसार स्थायी बनाये जाने वाले कनिष्ठ इंजीनियरों के पदों की संख्या सामान्यत: सहायक इंजीनियरों/सहायक कार्यपालक इंजीनियरों के पदों की संख्या के 4 गुना तक सीमित है अर्थात प्रत्येक सहायक इंजीनियर/सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पद के लिए 4 कनिष्ठ इंजीनियरों के पदों का सृजन किया जाता है।

इसी पद्धति के आधार पर, 1973 के आरम्भ में की गई पिछली वार्षिके समीक्षा में, कनिष्ठ इंजीनियरों के किसी स्थायी पद का सृजन नहीं किया जा सका। अगली समीक्षा शीघ्र ही की जाएगी।

इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए पृथक संवर्ग बनाना

604. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनियर इंजीनियरों (सैक्शनल अफसरों) की भर्ती के प्रश्न पर विचार करने के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय के सचिव तथा अन्य उच्च-अधिकारियों की एक बैठक 4 अप्रैल, 1968 को आयोजित की गई थी;

(ख) क्या उस बैठक में यह निर्णय किया गया था कि विभाग में कार्यकुशलता बनाये रखने तथा इस में सुधार करने के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में स्नातकों को सैक्शनल अफसर (अब जूनियर इंजीनियर) के पद पर लेने हेतु इंजीनियरिंग स्नातकों के लिय 240 रु० के प्रारंभिक वेतन वाला एक पृथक संवर्ग बनाया जाये; और

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक-व तार, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा आकाशवाणी के जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे सभी इंजीनियरिंग स्नातकों ने उक्त निर्णय को सम्मानित करने तथा तदनुरूप पृथक संवर्ग बनाये जाने की मांग को लेकर 29 जनवरी, 1974 को सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश लिया था और मुख्य इंजीनियर के कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना दिया था और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। अन्तत: यह निर्णय किया गया था कि 180–380 के ग्रेड के अन्तर्गत स्नातकों के लिए कोई पृथक काडर न बनाया जाए।

(ग) कुछ कनिष्ठ इंजीनियरों ने प्रमुख इंजीनियर के कार्यालय के सामने 29 जनवरी, 1974 को प्रदर्शन किया था। प्रमुख इंजीनियर उनके कुछ प्रतिनिधियों से मिले। तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग के सुझाव के अनुसार 550–900 रुपये के वेतनमान में स्नातक इंजीनियरों की सीधी भर्ती के लिए एक पृथक काडर बनाने का एक नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में डिप्लोमाधारियों की पदोन्नति

605. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 11 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 3750 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्री एम० रामैया और कुछ अन्य सहायक इंजीनियरों द्वारा दायर की गई लेख्य याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कि सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये उपयुक्त रूप से कोटे निर्धारित नहीं किये, कितने सहायक इंजीनियरों को एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों (सिविल तथा इलैक्ट्रिकल) के ग्रेड में पदोन्नत किया गया है;

(एक) सहायक इंजीनियरों के विभिन्न ग्रुपों की सामान्य वरिष्ठता सूची के आधार पर कितनों को पदोन्नत किया गया है;

(दो) उनमें से ऐसे कितने अधिकारियों को ऊंचे संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति दी गई है जिन्हें तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है और जो विभागीय इंजीनियरों से बहुत जुनियर हैं; और

(ख) उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति में काफी विलम्ब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क)

	सिविल	बिजली	टिप्पणी
	73	7	..
(i)	59	4	पुनरीक्षित सामान्य वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नत ।
(ii)	6*	..	*इस के अतिरिक्त, पुरानी वरिष्ठता सूची के आधार पर, अन्य 8 अधिकारियों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था लेकिन पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची में भी वे काफी वरिष्ठ हैं ।

(ख) सहायक इंजीनियरों (सिविल तथा बिजली) को पुरानी वरिष्ठता सूची उस ग्रेड में विभिन्न तरीकों द्वारा भर्ती के लिये अपनाये गये कोटे पर आधारित कतिपय सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई थी यह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा, श्री एम० रामैय्या तथा अन्यों बनाम भारत संघ के मामले में यह मत व्यक्त किया गया था कि यह कोटा उचित प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप यह आवश्यक हो गया कि, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के परामर्ष से वरिष्ठता के संशोधित सिद्धांत निर्धारित किये जायें और उनके अनुसार वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार किया जाये। संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार करके संघ लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है और उन से अनुरोध किया गया है कि वह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के लिये सहायक इंजीनियरों के चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाये ।

मोरवा (मध्य प्रदेश) में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

606. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संकृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगरौली कोयला क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में काम करने वाले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों की काफी संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मोरवा, मध्य प्रदेश के सभी जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनी सेवा निवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास लिये रहना

607. **श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सरकारी अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद (एक) वर्तमान किराया दर पर (दो) मानक किराया दर पर तथा (तीन) बाजार किराया दर पर अधिकाधिक कितनी अवधि तक सरकारी आवास रख सकता है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई आदेश जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह उन आदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) कोई भी अधिकारी, सेवा-निवृत्ति के बाद सामान्य पूल का मकान, सामान्य दर से लाइसेंस फीस की अदायगी पर, 2 महीने की अवधि के लिये, तथा सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी अथवा अस्वीकृत छुट्टी के मामले में, छुट्टी की अवधि के लिए जो कि 4 महीने से अधिक नहीं हो, अपने पास रख सकता है । सम्पदा निदेशक भी, विशेष मामलों में, मूल नियम 45 (ए०) के अन्तर्गत मानक लाइसेंस फीस का दुगना अथवा पूलित मानक लाईसेंस फीस का दुगना, इनमें से जो भी अधिक हो, अदा करने पर मकान को 6 महीने से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिये मकान पास रखने की अनुमति भी दे सकता है । उसके बाद मकान को अपने पास रखने वाले व्यक्ति को अनधिकृत दखलकार समझा जाता है तथा उसे मार्कीट दर पर हर्जाना देना पड़ता है ।

(ख) तथा **(ग)** यह रिआयत समय-समय पर संशोधित सरकारी मकानों के आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार दी जाती है ।

केरल को पर्याप्त मात्रा में चावल की सप्लाई

602. **श्री वयालार रवि :**

श्री सी० एच० मुहम्मद कोया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस राज्य को पर्याप्त मात्रा में चावल की सप्लाई की जाए जिससे आगामी अभाव के महीनों में व्यक्तियों को 6 औस न्यूनतम राशन दिया जा सके, और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा आगामी तीन महीनों के लिये उस राज्य को कितना कितना चावल और गेहूं अलाट किया जा रहा है तथा इसका महिनेवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केरल के मुख्य मंत्री और राज्य सरकार के अन्य प्रतिनिधियों के साथ केरल की खाद्य स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद, केरल का खाद्यान्नों का कोटा बढ़ाकर जनवरी 1974 के लिए 72,000 मी० टन चावल और 8000 मी० टन गेहूं का दिया गया है । फरवरी और मार्च, 1974 के प्रत्येक मास के लिए 79,000 मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं जिसमें 70,000 मीटरी टन चावल, 8,000 मीटरी टन गेहूं और 1,000 मीटरी टन मोटे अनाज हैं । केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता को देखकर, राज्यों की खाद्यान्नों का मासिक कोटा आवंटित करते समय केरल की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा ।

नेशनल स्टुडेन्टस यूनियन आफ इंडिया की मांगें

610. **श्री वयालार रवि** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्टुडेन्टस युनियन आफ इंडिया ने सरकार को छात्रों का मांग-पत्र पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो छात्रों की मुख्य मांगें क्या हैं और उनके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) भारत के राष्ट्रीय छात्र संघ द्वारा सरकार को कोई भी मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । तथापि, एक "शिक्षा घोषण-पत्र" प्राप्त हुआ है जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6215/74**] घोषणा-पत्र में जो सुझाव दिए गए हैं उनकी जांच की जा रही है ।

त्रिवेन्द्रम में कृषि फार्म की स्थापना

611. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में कृषि फार्म की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ।

(ख) क्या इस योजना के क्रियान्वयन में कोई विलम्ब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का विचार राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता देने का है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) से (ग) : केरल सरकार से जानकारी मांगी जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों और क्लर्कों को सरकारी आवास का आबंटन

612. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में इस समय विभिन्न सरकारी स्कूलों और कार्यालयों के ऐसे अध्यापकों और क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है;

(ख) उपर्युक्त अध्यापकों और क्लर्कों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें बीमारी के आधार पर बिना बारी के आवास आवंटित किया गया है;

(ग) क्या कुछ अध्यापकों / क्लर्कों ने झूठे चिकित्सा प्रमाणपत्रों के आधार पर आवास का आवंटन करा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में इस तथ्य की जांच करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :(क) 1032 ।

(ख) 227

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों का अनधिकृत कब्जा

613. **श्री छत्रपति अन्बेश:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ख) अगर उन्हें उस सरकारी जमीन से हटाया जाता है, जिस पर उन्होंने बिना किसी आवंटन अथवा बिक्री के कब्जा कर रखा था, तो क्या उन्हें वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली और नई दिल्ली में जिनके पास रहने का स्थान नहीं होता उनके मामले में इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सरकारी भूमि पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अनधिकृत कब्जाधारियों को वैकल्पिक वास देने के बारे में सरकार ने कोई विशेष निर्णय नहीं लिया है । झुग्गी झोंपडी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत आने वाले लोगों को बेदखल किए जाने से पूर्व शिबिर-स्थल दिये जाते हैं ।

गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस, अलीगढ़ के गोदाम में आग लग जाना

614. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, अलीगढ़ के गोदाम में 19 जनवरी, 1974 को आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या सरकार ने आग के कारणों की जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां ।

(ख) लगभग 60,000 रुपये के कागज । भवन को पहुंची क्षति का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) इसकी जांच की जा रही है ।

Quantity of Wheat and Coarse Grains demanded by and supplied to Karnataka

615. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat and coarse grains demanded by the Karnataka Government from the Central Government during the last six months;

(b) the quantity of foodgrains supplied to the State Government by the Central Government during the said period; and

(c) the reasons for not supplying the required quantity of foodgrains?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) A statement is attached.

(c) In view of the limited availability of stocks in the Central Pool, allotments are made to the different State Governments keeping in view the needs of the deficit States, availability of foodgrains with the State Governments and in the open market and other relevant factors.

STATEMENT

Demand and allotment of wheat and coarse grains to Karnataka

(Quantity in thousand tonnes)

Month	Demands		Supplies	
	Wheat	Coarse grains	Wheat	Coarse grains
September, 1973	50.0	..	15.0	6.5
October, 1973	50.0	..	18.0	8.6
November, 1973	50.0	..	10.0	9.0
December, 1973	50.0	..	9.0	2.4
January, 1974	25.0	..	9.0	5.1
February, 1974	50.0	..	9.0*	11.0*

(*Allotment).

Financial assistance for National Highways in Kerala

616. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given by the Union Government to the Kerala Government for the construction of national highways during the last two years;

(b) the amount of financial assistance asked for by the State Government for this work during the said period; and

(c) the amount of financial assistance proposed to be given to the State Government for this purpose during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) National Highways are a Central subject and the expenditure on the development and maintenance is therefore being met by the Government of India. The table below indicates the position regarding final requirements received from Kerala Government and allotments made against those requirements :—

	Final requirements intimated by State Government	Amount allotted
	Rs. lakhs	Rs. lakhs
1971-72	135.75	135.75
1972-73	355.00	355.00

(c) Allocation for 1974-75 can be decided only after the Budget Estimates for that year have been voted by Parliament.

Sugar supplied to Himachal Pradesh

617. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of sugar supplied by the Central Government to the Himachal Pradesh Government during the last five months;

(b) the quantity of sugar sought by the State Government from the Central Government; and

(c) the reasons for non-supply of full quota to the State Government?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) The following quantities of levy sugar were allotted to Himachal Pradesh during the last five months :—

September, 1973	1484 tonnes
October, 1973	1640 ,,
November, 1973	1484 ,,
December, 1973	1484 ,,
January, 1974	1564 ,,

(b) & (c) No communication in regard to the monthly quota has been received from the Government of Himachal Pradesh. In any case, the basic monthly quotas of levy sugar for various States/Union Territories including Himachal Pradesh, have been fixed on a national basis, taking into account the population figures as recorded in 1971 census, and the past pattern of consumption. Actual monthly allotments are, however, adjusted marginally in relation to the total release of levy sugar for each month.

Construction of Roads and National Highways in Madhya Pradesh

618. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given by Government to Madhya Pradesh for construction of National Highways during the last two years;

(b) the amount of financial assistance sought by the State Government for this work during the said period; and

(c) the amount of financial assistance which will be given to the State Government for the purpose during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) & (b) Being a Central subject the expenditure on the development and maintenance of National Highways is being met by the Government of India. The table below indicates the position regarding final requirements received from Madhya Pradesh Government and the allotments made against those requirements :—

	Final requirements intimated by State Government	Amount Allotted
	Rs. lakhs	Rs. lakhs
1971-72	132.00	132.00
1972-73	317.31	317.31

(c) Allocation for 1974-75 can be decided only after the Budget Estimates for that year have been voted by Parliament.

Allocation for Mechanised Farming by Small and Marginal Farmers during Fifth Plan

619. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount provided in the first year of the Fifth Five Year Plan for mechanised farming by small and marginal farmers; and

(b) expenditure incurred thereon during the last year?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) & (b) No specific financial provision has been made in the first year of the Fifth Five Year Plan for mechanised farming by small and marginal farmers. Since separate provision is not made to enable small and marginal farmers to take to mechanised farming, expenditure figures relating to the same for last year are not available

Under the two Central Sector Schemes for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agency, subsidy is available to identified small and marginal farmers for custom service provided by State Agriculture Department, soil conservation department, Agro-Industries Corporation and Custom Service Centres for tractor ploughing, harvesting, threshing, spraying and dusting operations. The Agencies also give grants towards capital expenditure in setting up such custom service centres by Cooperatives, panchayats or other organised institutions to provide custom service to the identified participants.

Allocations to Marginal Farmers Development Agency and Marginal Farm Labour Agency in Madhya Pradesh

620. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the funds allocated to the M.F.D.A. (Marginal Farmers Development Agency) and M.F.L.A. (Marginal Farm Labour Agency) in Madhya Pradesh during the last thre years; and

(b) the expenditure actually incurred thereon and the details of targets achieved?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) & (b) Under the Central Sector Scheme, the Government of India have sanctioned two MFAL (Marginal Farmers and Agricultural Labourers). Projects during the Fourth Five Year Plan in the districts of Durg and Raisen-Sehore in Madhya Pradesh, The position of funds released and expenditure incurred by these projects during the last three years is indicated below :—

(Rs. in lakhs)

Name of the project	Funds released			Expenditure		
	70-71	71-72	72-73	70-71	71-72	72-73
MFAL Durg	3.21	11.00	5.50	Nil	6.34	11.00
MFAL Raisen-Sehore	0.784	6.00	25.50	Nil	4.23	18.21

The achievements made by these projects upto 31-12-73 are given in the enclosed statement. [*Placed in the Library : See No. L.T.*—6216/74]

Scheme under Small Farmers Development Agency in M.P. During 1973-74

621. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the brief outline of the schemes lanuched in Madhya Pradesh in 1973-74 under the Development Agency concerning Small and Middle-class farmers; and

(b) the estimate of the total expenditure incurred on these schemes?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b) Under a Central Sector Scheme, 3 S.F.D.A. (Small Farmers Development Agency) Projects were set up in the districts of Bilaspur, Chindwara and Ratlam-Ujjain in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan. A brief note on the implementation of the S.F.D.A. scheme is enclosed. [*Placed in the Library. See No. L.T.*—6217/74]

Proposal to Establish Institute for Physical Education in M.P.

†**622. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to establish an institute for physcial education in Madhya Pradesh as has been done in other States; and

(b) if so, when the above proposal is likely to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) Government of India have already established an institution for physical education at Gwalior, Madhya Pradesh in 1957. This is now called the Lakshmibai National College of Physical Education. There is no proposal to set up any other institution for physical education in Madhya Pradesh or elsewhere at present.

कृषकों को चिकनाई वाले डीजल तेल की सप्लाई

623. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषकों से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें चिकनाई वाला डीजल तेल नहीं मिल रहा,

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर नहीं पड़ सकता, और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) से (ग) कृषि कार्यों के लिए लुब्रीकेटिंग तथा डीजल तेल की कमी के बारे में कुछ शिकायतें मिली है। पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय डीजल तेल की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रहा है और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे कृषकों के लिए पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रणाली पर कड़ी नजर रखें। देश भर में और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां मांग बहुत अधिक है, डीजल तेल की उपलब्धि तथा सप्लाई पर कड़ी नजर रखने के लिए इस मंत्रालय में एक कन्ट्रोल रूम की भी स्थापना कर दी गई है।

खाद्य उत्पादन पर डीजल तेल की कमी का क्या प्रभाव पड़ सकता है इस का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेय जल की व्यवस्था

624. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के पहले वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय-जल की व्यवस्था करने संबंधी लक्ष्य निश्चित कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) योजना आयोग ने 1974–75 के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण जल पूर्ति के लिए 46.94 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के लक्ष्य को अनन्तिम रूप से तय कर दिया है। इसमें राज्यों के लिए 45.78 करोड़ रुपये तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1.16 करोड़ रुपये शामिल हैं।

लघु सिंचाई योजनाओं का लक्ष्य

625. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में शुरू होने वाली लघु सिंचाई योजनाओं के लक्ष्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के प्रथम वर्ष में शुरू होने वाली योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां। अनन्तिम रूप से यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 1974–75 की अवधि में लघु सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाकर 14 लाख हैक्टर कर दिया जाए।

(ख) प्रारम्भ होने वाली योजनाओं में सार्वजनिक तथा सामुदायिक सतही जल का भंडारण तथा पथान्तरी कार्य, सार्वजनिक तथा सामुदायिक नदी उठाउ-सिंचाई परियोजनाएं, नदियों/धाराओं पर निजी पम्पसेट लगाना, सार्वजनिक नलकूप, निजी नलकूप, खुदाई के कुओं पर पम्पसेट लगाना, कुओं का वेधन तथा उन्हें गहरा करना, कुओं का पुनर्नवीकरण आदि शामिल हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजिनियरों के रूप में काम कर रहे इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए नये वेतनमान

626. **श्री एस० डी० सुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के रूप में काम कर रहें इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए 425–700 रुपये के वेतनमान की सिफारिश की है और डिप्लोमाधारी जूनियर इंजीनियरों के लिए भी इसी वेतनमान की सिफारिश की गई है; और

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह स्थिति स्पष्ट करते हुए कि इंजीनियरिंग स्नातक डिजाईन कार्य भी करते हैं जो कि डिप्लोमाधारी नहीं कर सकते और विभाग के डिग्री धारियों की सेवाओं का कम उपयोग नहीं किया जाता, हाल ही में तृतीय वेतन आयोग के क्रियान्वयन सेल के साथ उच्च वेतनमान देने का मामला उठाया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए 425–700 रुपये के वेतनमान की सिफारिश की है ।

(ख) वेतन आयोग कार्यान्वयन कक्ष को यह बता दिया गया है कि केवल स्नातक इंजीनियरों के लिये 550–900 रुपये के वेतनमान में एक नया काडर बनाने का प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव वर्तमान कनिष्ठ इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों अथवा स्नातकों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर ही आधारित नहीं है । यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है । तथापि, वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए 425–700 रुपये का वेतनमान अधिसूचित किया है ।

गोआ की एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा पश्चिम बंगाल तथा आसाम के बीच बरास्ता बंगला देश जल परिवहन सेवा चलाने के लिये अनुमति मांगा जाना

627. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ की एक बड़ी प्राइवेट कम्पनी ने सरकार से पश्चिम बंगाल तथा आसाम के बीच बरास्ता बंगला देश जल परिवहन सेवा चलाने के लिये अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) बंगला देश से होकर पश्चिम बंगाल तथा असम के बीच नदी यातायात चलाने की अनुमति के लिये गोआ की किसी निजी कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार को नहीं लिखा है ।

उर्वरक में मिलावट में वृद्धि

628. **श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान आयातित उर्वरक में मिलावट में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी , राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) यदि मिलावट के कोई मामले पकड़े गये हैं तो उनका स्रोत क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 1971–72 और 1972–73 के लिये राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि तमिलनाडु, मैसुर, राजस्थान और गुजरात राज्यों में उर्वरकों की मिलावट में बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में कमी हुई है । आयातित उर्वरकों में मिलावट होने के मामलों के विषय में अलग से कोई जानकारी नहीं भेजी जाती ।

(ख) राज्यवार ब्यौरा संलग्न है ।

(ग) जिन नमूनों का विश्लेषण किया गया है उनको खुदरा व्यापारियों से लिया गया है ।

विवरण

विश्लेषण किये गये उर्वरकों के नमुनों और मिलावटी सिद्ध होने वाले उर्वरकों के नमूने

राज्य	विश्लेषण किये गये नमूने	मिलावटी नमूने	मिलावटी नमूनों की प्रतिशतता	विश्लेषण किये गये नमूने	मिलावटी नमूने	मिलावटी नमूनों की प्रतिशतता
1. केरल . . .	320	37	11.5	224	15	6.7
2. तमिलनाडु . .	2,850	96	3.4	3,182	156	4.9
3. मैसूर . . .	850	86	10.1	926	100	10.8
4. राजस्थान . .	862	74	8.6	900	87	9.6
5. गुजरात . .	878	64	7.2	371	56	15.0
6. उड़ीसा . .	1,124	168	14.9	1,293	133	10.3
7. उत्तर प्रदेश . .	692	244	36.0	428	113	26.9
8. पंजाब . . .	517	67	12.0	704	62	9.0

Location of underground water in Drought-Affected Areas

629. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Satellite launched by the U.S.A. a year ago to locate the under-ground water resources in drought-affected areas of Western India has helped in locating them;

(b) if not, the reasons for the delay; and

(c) if so, the facts thereof?

Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) to (c) Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

भारतीय समाज कल्याण परिषद का भूखे और नैत्रहीन बच्चों की संख्या के बारे में अनुमान

630 श्री राजदेव सिंह :

डा० सरदीश राय :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाज कल्याण परिषद ने अनुमान लगाया है कि देश में लगभग 70 प्रतिशत बच्चों को भूखे पेट रहना पड़ता है;

(ख) क्या विटामिनों की कमी के कारण प्रतिवर्ष 10,000 से 20,000 बच्चे अंधे हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित काफी संख्या में बच्चे मन्द-पोषित होते हैं यद्यपि परिणामात्मक आकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) देश में किये गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि बच्चों में विटामिन "ए" की कमी बहुत पाई जाती है। अपनी इस बिकट स्थिति में यह कमी बच्चों को अन्धे बना सकती है। इस कमी के कारण सम्भवत: 12,000 से 14,000 बच्चे प्रति वर्ष अन्धे हो सकते हैं।

(ग) सरकार बच्चों के बीच कुपोषण रोकने के लिए काफी प्रयत्नशील है और इस के लिए निम्न-लिखित कार्यक्रम शुरु किये हैं जिन्हें पांचवीं योजना में विस्तृत करने का भी प्रस्ताव है :—

कार्यक्रम	कवरेज	चौथी योजना में वित्तीय परिव्यय
		(रुपये लाखों में)
1. विटामिन "ए" की कमी के कारण अंधापन के विरुद्ध रोगनिरोधन ।	120 लाख लाभप्राप्त-कर्ता	40.00
2. बच्चों तथा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं में पोषणिक रक्त क्षीणता के विरुद्ध रोगनिरोधन ।	180 लाख लाभ प्राप्त-कर्ता	66.00
3. शहरी गन्दी-बस्तियों तथा आदिम-जाती क्षेत्रों में स्कूल-पूर्व बच्चों, गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिये अनुपूरक खाद्य कार्यक्रम ।	40 लाख लाभप्राप्त-कर्ता	5950.00
4. 6 से 11 वर्ष तक के प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ।	130 लाख (10 लाख स्कूल-पूर्व बच्चों को मिला कर)	खाद्य पदार्थ केयर द्वारा नि:शुल्क प्रदान की जाती है। प्रशासन तथा परिवहन का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।
5. व्यावहारिक पौष्टिक आहार कार्य-क्रम (मुख्यत: उत्पादन परिरक्षण तथा सरंक्षीखाद्य के प्रयोग द्वारा स्थानीय भोजन को उन्नत बनाने के लिए एक शैक्षिक प्रयत्न) ।	1181 सामुदायिक विकास खंड	1000.00
6. व्यावहारिक पौष्टिक आहार कार्य-क्रम के अन्तर्गत न आने वाले स्कूल-पूर्व बच्चों तथा स्त्रियों के लिए मिश्रित कार्यक्रम ।	314 बालवाड़ियां	290.00

साथ ही साथ, अपेक्षित पौषणिक मूल्य तथा उपभोक्ता प्राथमिकता की निम्नमूल्य खाद्य पदार्थों को उन्नत बनाने के लिए व्यवस्थित प्रयत्न किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में अगला कदम यह भी है कि खाद्य विभाग के अधीन पौष्टिक आहार विकास निगम स्थापित किया जाए।

Issue of Bogus Licences for sales of Vanaspati in Delhi

631. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the vanaspati licensing scandal in Delhi;

(b) if so, whether an amount of Rs. 200 in the form of fee for issue of each licence regarding sale of vanaspati in Delhi and Rs. 5 for expenditure on papers has been charged from retailers and vanaspati dealers; and

(c) whether these licences were dishonoured by the wholesalers; and if so, the action taken against the employees of Civil Supply Department of Delhi who were found guilty?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b) Prior to January, 1974, dealers holding stocks upto 100 kg. of vanaspati were exempted from the licensing provisions of the Delhi Hydrogenated Vegetable Oil Licensing Order, 1967. As this facility was being abused, the exemption was withdrawn in January, 1974 and licensing made compulsory for all dealers. The charges levied were the same as hitherto *viz.* Rs. 5 towards licence fee and Rs. 200 by way of security deposit.

(c) Due to reduced availability, wholesalers were not able to meet the demands of the retailers except to a limited extent. The question of taking action against the employees of the Civil Supplies Department of Delhi does not arise.

Expenditure on decoration etc. of residences of Ministers

632. Shri Phool Chand Verma :

Shri Bhagirath Bhanwar :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the decoration, electricity and water respectively at the residences of the Union Deputy Ministers, State Ministers, Cabinet Ministers and the Prime Minister during 1973-74 till the 31st January, 1974 separately; and

(b) the total expenditure incurred thereon?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

महानगरों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

633. श्री सरोज मुखर्जी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में महानगरों के विकास के सहायता र्थ 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के प्रत्येक महानगर के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पांचवी योजना में महानगर-विकास तथा राष्ट्रीय महत्ता की परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु 250 करोड़ रुपये की रकम का प्रस्ताव है। इस में दिल्ली के गिर्द राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की रकम शामिल है।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

दूसरे हुगली पूल के निर्माण के लिये धन का नियतन

634. श्री सरोज मुखर्जी :

श्री समर गुह :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में दूसरे हुगली पुल के निर्माण के रुपए स्वीकार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार को यह राशि कब तक दे दी जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार की चौथी योजना काल में दूसरे हुगली पुल और उस के पहुंच मार्गों (राज्य परियोजना) पर व्यय पूरा करने के लिए 8 करोड़ रुपए तक की राशि देने के लिए ही केवल सहमत हुई।

(ख) 1972-73 मे 50 लाख रुपए की राशि मुक्त की गई। 1973-74 में 4 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में 226 लाख रुपए की राशि पहले ही मुक्त की गई है, जिससे राज्य सरकार की चालू योजना में अब तक दी गई कुल राशि 276 लाख रूपये हो गई। इस में से चौथी योजना में 31-12-1973 तक राज्य सरकार द्वारा बताए गए ऐजेंसी प्रभारों को छोड़ कर वास्तविक कार्यों पर व्यय की राशि 208.46 लाख रुपए है।

केरल में वाईनाड के निकट आखेट स्थल

635. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **कृषि** मंत्री वाईनाड, केरल में बाघों को सुरक्षित रखने के लिए योजना के बारे में 6 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2043 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वाईनाड के निकट एक आखेट स्थल (गेम सैक्चुअरी) बनाने की दीशा में क्या प्रगति हुई है; ओर

(ख) कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य में मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) : भलीभांति विचार करने के पश्चात, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि बन्दीपूर की 'बाघ योजना' को केरल के वाईनाड में लागू न किया जाए।

Export of Mustard Oil and Malka Dal to Bangladesh

636. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether mustard oil and malka dal are being exported to Bangladesh; and

(b) if so, whether this has resulted in an increase in prices in India?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) A negligible quantity of mustard oil (including rape and colza oil), *viz.*, 168 Kgs. was exported to Bangladesh during April, 1973– August, 1973, the latest period for which statistics are available for the current financial year. There were no exports of malka dal to Bangladesh during this period.

(b) No Sir.

गुजरात राज्य से अनाज बाहर ले जाने पर रोक

637. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य से सभी अनाजों के बाहर ले जाने पर रोक लगाने के कोई निदेश दिए हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इससे गुजरात में अनाज की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो कितना सुधार हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) गुजरात सरकार ने सभी खाद्यान्नों के निर्यात को रोकने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, गुजरात से दूसरे क्षेत्रों को चावल, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का और छोटी मिलेट के भेजने पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्रों में वन्य जीवों का परिरक्षण

638. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्रों में वन्य जीवों की हत्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्रो में वन्य-जीवों के परिरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सुन्दरबन बाघ परिरक्षण क्षेत्रों में 6 वर्षों (1973–74 से 1978–79 तक) के दौरान 30,92,000 रुपये की लागत से केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में "प्रोजेक्ट टाइगर" नामक एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस आश्रय-स्थल में सब प्रकार के वन्य-प्राणियों की सुरक्षा की जायेगी। सुन्दरबन के आरक्षित वन में पक्षियों तथा जानवरों का शिकार करना निषिद्ध है।

कच्चे तेल के आयात पर बढते हुए खर्च को पूरा करने के लिए चीनी का निर्यात बढाना।

639. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के आयात पर बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिये चीनी की देशीय खपत को कम करने तथा उसका निर्यात बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके फलस्वरुप चीनी की कृत्रिम कमी हो जायेगी और परिणामत: उसके मूल्यों में भी वृद्धि होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) मौजूदा तेल संकट में विश्व के बाजारों में चीनी के अभूतपूर्व ऊंचे मूल्यों और इस वर्ष भारत मे चीनी के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि का पूरा फायदा उठाने के लिए अमूल्य विदेशी मुद्रा कमाने के लिए इस वर्ष चीनी का निर्यात बढ़ाने की राष्ट्रीय आवश्यकता है। ऐसा करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाएगा कि घरेलू खपत के लिए चीनी की जरूरत पर अनुचित प्रभाव न पड़े।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध आरोपों की जांच

640. **श्री भान सिंह भौरा** :
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा अन्य कमचारियों के विरुद्ध अपराधिक कदाचार और अवैध रुप से घूस स्वीकार करने के आरोपों की जाँच कर ली है;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें चलाये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिल्ली न्यायालय के स्पैशल जज की अदालत में श्री इकबालसिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम, कमला प्रसाद और राधेश्याम अग्रवाल, उन फर्मों के मालिक जिनकी तरफदारी की गई थी, के विरुद्ध 28-11-73 को एक चार्ज शीट पहले ही दायर की जा चुकी है। उसके न्यायालय में हाजिर होने पर न्यायालय ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

केन्द्रीय अन्तर्देशिय जल परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा बायलर की बिक्री

641. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा बायलर संख्या डब्ल्यू० बी० 2/8823 को जो कि इस निगम के राजावामान गोदी-यार्ड के ईस्ट स्लिप में जहाजों को खड़ा करने के लिये आवश्यक है, 18,200/2 रुपये में बेच रहा है;

(ख) क्या बायलर संख्या डब्ल्यू बी० 2/8823 का एक कम्पनी ने पुर्न-मूल्यांकन करके 56,700/2 रुपये मूल्य लगाया है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम तथा विद्युत के संकट के होते हुये भी इन बायलरों को बेचना वांछनीय है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) यह बायलर बेचा गया, परन्तु इसकी अभी तक सुपुर्दगी नहीं की गई है क्योंकि इसका अभी भी पूर्वी स्लिपवे विंच में प्रयोग हो रहा है ।

(ख) 56,700 रुपए 3 बायलरों की कीमत है जिसमें बायलर नं० डब्ल्यू० बी० 8823 भी शामिल है ।

(ग) और (घ) निगम ने विंचों को बिजली से चलाने का प्रस्ताव किया और बायलर चूंकि कोयले से चलते थे इसलिए जनवरी, 1972 में जब पेट्रोल उपलब्ध नहीं था और विद्युत संकट था ये बायलर बेच दिये गये ।

राजाबागान स्थित गोदी-यार्ड को अलग करना

642. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजाबागान, कलकत्ता स्थित गोदी-यार्ड की उसके शेष प्रतिष्ठान से अलग करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो कम्पनी की आय के प्रमुख स्रोत इस गोदी-यार्ड के कार्यकरण के प्रभाव का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) डाकयार्ड का लेखा अलग से रखा जा रहा है ।

पांचवीं योजना में निहित ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आवास योजना

643. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में देश के ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के लिये आवास की योजना सम्मिलित है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना में ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों को मकान देने के लिये कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवासस्थल देने की एक योजना है जो कि अक्तूबर, 1971 में केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में आरम्भ की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को भूमि अर्जन की उचित लागत जहां आवश्यक हो तथा आवास-स्थलों के विकास की लागत जो प्रति आवास स्थल 150 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये के लिये शत प्रतिशत अनुदान की सहायता दी जाती है । इस योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है ।

पांचवीं योजना अवधि में इस योजना के कार्यान्वयन के लिये राज्यो और संघ राज्य-क्षेत्रों की प्लानों के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 108.16 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

पश्चिम बंगाल को पर्याप्त उर्वरक की सप्लाई

644. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र की ओर से पश्चिम बंगाल को उर्वरक की अपर्याप्त सप्लाई के कारण वहां के किसानों को खाद्यान्न उगाने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय पूल से पश्चिम बंगाल को उर्वरक की कम सप्लाई किये जाने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्यों की उर्वरक सम्बन्धी मांगें देशी स्रोतों से और केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा आयातित उर्वरकों से पूरी की जाती है।

2. जहां तक पूल का सम्बन्ध है 1973-74 में रबी के मौसम के दौरान उपलब्धि में कमी होने का मुख्य कारण यह है कि मण्डी में उर्वरको की कमी रही है।

3. रबी (अगस्त, 73-जनवरी, 74) मौसम के दौरान मांग की तुलना में पश्चिम बंगाल को पूल से 39 प्रतिशत नाइट्रोजन तथा 36 प्रतिशत $पी_2 ओ_5$ की सप्लाई हुई है। जहां तक राज्य की कुल मांग का सम्बन्ध है, पूल तथा विनिर्माताओं से होने वाली सप्लाई की प्रतिशतता नाईट्रोजन के सम्बन्ध में 55 प्रतिशत और $पी_2ओ_5$ के सम्बन्ध में 47 प्रतिशत रही है। यह स्थिति बहुत से अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी थी।

पश्चिम बंगाल रीजन मैनेजर के लिये निर्धारित पंजाब के चावल को अन्यत्र भेजना

645. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल रीजन मैनेजर के लिये निर्धारित पंजाब के 53,000 टन चावल को भारतीय खाद्य निगम के जोनल मैनेजर को दिये जाने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। परिचालन सम्बन्धी योजना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के मासिक आवंटनों के प्रति पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार को निर्विघ सप्लाई बनाए रखने के लिए पश्चिमी बंगाल के भारतीय खाद्य निगम के डिपों को केन्द्रीय स्टाक भेजा जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर

646. **श्री आर० एन० बर्मन**
डा० रानेन सेन:

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में पृथक-पृथक, ऐसे कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें रिहायशी क्वार्टरो का आबंटन नहीं किया गया है ;

(ख) राज्यवार ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो 15 वर्षो से अधिक रिहायशी क्वार्टरों के आबंटन किये जाने के लिये प्रतीक्षा कर रहे है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) निर्माण और आवास मंत्रालय केवल सामान्य पूल वास से संबंधित है, रक्षा, रेल, डाक व तार आदि मंत्रालयों विभागों द्वारा नियंत्रित वास से उसका संबंध नहीं है। सामान्य पूल वास की व्यवस्था उन 17 शहरो में से केवल 6 शहरों में है जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 5 लाख अथवा उससे अधिक है।

5 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले जिन 6 शहरों में सामान्य पूल वास की व्यवस्था है वहां के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें रिहायशी वास आबंटित नहीं किया गया है तथा उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या जो 15 वर्ष से अधिक समय से वास के आबंटन के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं, का एक विवरण–पत्र संलग्न है।

निधियों तथा अन्य साधनों के अभाव के कारण इन शहरों में निकट भविष्य में और अधिक क्वार्टर बनाना सम्भव नहीं है।

विवरण

5 लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या जिन्हें रिहायशी वास आबंटित नहीं किये गये हैं तथा ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो 15 वर्ष से अधिक समय से वास के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, का विवरण–पत्र

क्रम संख्या	शहर का नाम	वास के आबंटन के लिये प्रतीक्षा कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या	15 वर्ष से अधिक समय से वास के आबंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
1	दिल्ली	58,924	9,897
2	कलकत्ता	17,780	1,112
3	बम्बई	20,714	2,210
4	मद्रास	6,134	105
5	नागपुर	245	..
6	बंगलोर	—बंगलौर में सामान्य पूल वास के टाईप III के 84 तथा टाईप IV के 42 टाईप क्वार्टर आबंटन के लिये उपलब्ध हो गये हैं। कार्यपालक इंजीनियर, बंगलौर केन्द्रीय मण्डल ने निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये है। अतः बंगलोर में क्वार्टरों की मांग तथा कमी का इस समय हिसाब लगाना सम्भव नहीं है।	

टिप्पणी : कालम 4 में दी गई सूचना टाईप I से IV के क्वार्टरों के पात्र कर्मचारियों के बारे में है। टाइप V तथा उससे ऊपर के टाईप के पात्र अधिकारियों के मामले में, अग्रता तारीख उस तारीख से गिनी जाती है जिस तारीख से वे 800 रुपये और उससे अधिक परिलब्धियां लेने लगते हैं। उनके मामले में सम्पदा निदेशालय के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि उनकी सेवावधि कितनी है। अतः ऐसे अधिकारियों की संख्या संबंधी सूचना जिनकी सेवा अवधि 15 वर्ष अथवा उससे अधिक है तथा जो टाइप V और उससे ऊपर के टाईप के पात्र है और जिन्हें क्वार्टर आबंटित नहीं किया गया है, उपलब्ध नहीं है।

महानगरों में खुले बाजार में चीनी की कीमत में वृद्धि

647. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 और जनवरी, 1974 के महीनों में कलकत्ता, बम्बई, कानपुर दिल्ली और मद्रास जैसे महानगरों में खुले बाजार में चीनी की कीमत 4 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 5.00 और 5.80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी, और

(ख) यदि हां, तो खुले बाजार में चीनी की कीमत कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) कलकत्ता, बम्बई कानपुर, दिल्ली और मद्रास के खुले बाजारों में चीनी के खुदरा मूल्य दिसम्बर, 73 और जनवरी 1974 के दौरान 3.65 रुपये से 4.70 रुपये प्रति किलो के बीच थे जबकि, नवम्बर, 73 में 3.40 रुपये से 4.00 रुपये प्रति किलो के बीच थे उत्पादन शुल्क, उत्पादन लागत आदि में वृद्धि होने के कारण मूल्य में कुछ वृद्धि करना अनिवार्य तथा। तथापि, दिसम्बर, 73/जानवरी/ 1974 में मूल्यों में वृद्धि मुख्यतया रेलवे की हड़ताल से उत्पन्न यातायात संबंधी अड़चनों और सड़क यातायात के लिए दीजल तेल की कमी के कारण हुई थी। यातायात और सप्लाई स्थिति में सुधार होने से जनवरी 1974 तीसरे सप्ताह से इस मास के तीसरे सप्ताह तक चीनी के खुदरा मूल्यों में काफी नरमी आयी थी लेकिन बजट–पूर्व अटकल बाजियों के कारण मूल्य में फिर मजबूती का रुख आया है ।

औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों के किराये की बकाया राशि

648. **श्री एस ० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या कानपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से मकान किराये की कुल बकाया राशि एक मुश्त वसूल की जा रही है ;

(ख) क्या राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से किराये की राशि किस्तों में वसूल करने के लियें अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) : औद्योगिक कर्मचारियो के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना (जिसे अब औदयोगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता–प्राप्त आवास योजना कहते हैं) राज्यक्षेत्र में है। उत्तर प्रदश सरकार द्वारा कानपुर तथा अन्य स्थानों में बनाये गये मकानों के किराये की वसूली सहित उनका स्वामित्व तथा प्रबन्ध का कार्य उक्त सरकार के ही पास है।

तथापि इस योजना के अन्तर्गत कानपुर में बनाये गये मकानों के किराये की वसूली तथा उनके निपटान का प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार से उठाया गया है। जब तक इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे वर्तमान दखलकारों को न हटायें अथवा उनसे दण्डस्वरुप प्रभार वसुल न करें।

शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नेत्रहीन युवकों और युवतियों को रोजगार देना

649. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शैक्षणिक अर्हता–प्राप्त नेत्रहीन युवकों और युवतियों को रोजगार उपलब्ध करने के लिये कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या कुछ आवृति कामों के लिये रोजगार के मामले में उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सामान्य रोजगार कार्यालये तथा इस देश में विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने के लिए स्थापित किए गए II विशेष रोजगार कार्यालय शिक्षित नेत्रहीन लड़कों और लड़कियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देते हैं।

(ख) और (क) केन्द्रीय सरकार के रिक्त पदों के लिए भेजे जाने हेतु रोजगार कार्यालयों द्वारा उन्हें, अग्रता—III दी जाती है।

विश्वविद्यालयों द्वारा कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

650. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठारी आयोग की सिफारिशों को अभी तक अनेक विश्वविद्यालयों ने क्रियान्वित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालय की संख्या कितनी हैं ; उनके नाम क्या हैं; और

(ग) रिपोर्ट की क्रियान्वित को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) शिक्षा आयोग (1964–66) की प्रमुख सिफारिशों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकारी संकल्प (1968) में समावेश कर लिया गया है, जिनकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार और विश्वविद्यालय का है। बहुत सी सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी है और यद्यपि कई सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित किया जाना है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में हुए विलम्ब का मुख्य कारण धन की कमी है।

तथापि सभी सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित करना एक सतत तथा दीर्घ कालीन प्रक्रिया है जिसको उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान फैला दिया जायेगा।

विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न सम्बन्धी दंगे

651. **श्री सी० जनार्दनन**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राशन के दूकानों और उचित दर की दूकानों में अनाज की कम सप्लाई के कारण हाल ही में अनेक राज्यों में खाद्यान्न सम्बन्धी दंगे हुए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) अनाज के लिए दंगों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण हाल ही में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) कुछ राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उन राज्यों में कोई खाद्य दंगे नहीं हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है । रिपोर्ट प्राप्त होत ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

निम्न आय वर्ग समूह के आवास हेतु राज्यों का अनुदान

652. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निम्न आय वर्ग समुह के आवास हेतु प्रत्येक राज्य के लिए अनुदान मंजुर किया है;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकान बनाने का निर्णय किया है ;

(ग) मंजूर की गई राशि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य को मकान बनाने हेतु अनुदान के रूप में कितनी राशि मिली है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता से भूमिहीन श्रमिकों के लिए प्रत्येक राज्य कितने मकानों का निर्माण करने में समर्थ हुआ है ; और

(ङ) क्या भूमिहीन श्रमिकों को इन मकानों का किराया देना होगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : फिलहाल, इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए, राज्य योजना की उच्चतम सीमा से पृथक, केन्द्रीय क्षेत्र को निम्नलिखित केवल 2 सामाजिक आवास योजनाओं के लिए ही अनुदान मंजूर किये जाते हैं :—

(i) बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना; तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदरों के लिए आवास–स्थल देने की योजना उपर्युक्त (i) पर उल्लिखित योजना के अधीन, अनुमोदित परियोजनाओं पर व्यय के $87\frac{1}{2}\%$ तक केन्द्रीय सहायता- 50% ऋण तथा $37\frac{1}{2}\%$ सहायता–राज्य सरकारों को, पात्र बागान मजदूरों के मकानों के निर्माणार्थ मंजूर की जाती है। उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित योजना के संबंध में, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पात्र भूमिहीन मजदूरों को मुफ्त आवास–स्थल देने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है । राज्य सरकारों को भूमि अर्जन को उपयुक्त कीमत देने के लिए जहां कही आवश्यक हो, शत प्रतिशत अनुदान सहायता तथा आवास–स्थल के विकास की लागत, जो औसतन 150 रु० प्रति स्थल से अधिक न हो, दी जाती है। लाभ–भोगियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने आबंटित स्थलों पर अपने निजी प्रयत्नों अथवा राज्य सरकार तथा अन्यों की सहायता से मकान/झोपड़ों बनाए तथा इस प्रयोजन के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती। चतुर्थ योजना अवधि में इन दो योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों को मंजूर किये गये अनुदानों का विवरणपत्र संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

***I बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना :**

राज्य का नाम	अनुदान की राशि (लाख रुपयों में)
1. असम	43.17
2. पश्चिम बंगाल	1.00
3. तमिल नाडु	1.36
4. कर्नाटक	4.74
कुल	50.27

II ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना (अक्तुबर 1971 में प्रारंभ की गई):

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजना की कुल लागत	अब तक दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (अनुदान)
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	90.37	22.59
2	बिहार	45.82	11.45
3	गुजरात	306.58	76.65
4	हरियाणा	0.08	0.02
5	हिमाचल प्रदेश	0.64	0.32
6	कर्नाटक	239.38	59.84
7	केरल	677.76	352.26
8	मध्य प्रदेश	199.63	49.91
9	महाराष्ट्र	164.56	41.14
10	उड़ीसा	8.40	2.10
11	पंजाब	31.68	7.92
12	राजस्थान	11.24	2.81
13	तमिल नाडु	75.51	37.76
14	उत्तर प्रदेश	30.85	7.71
15	पश्चिम बंगाल	19.39	4.85
	कुल	1,901.89	677.33

* यह योजना 1 अप्रैल 1970 से केन्द्रिय क्षेत्र से हस्तांतरीत की गई थी।

पश्चिम बंगाल में चावल मिल मालिकों द्वारा आन्दोलन

653. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में चावल मिल मालिकों द्वारा किये गये आन्दोलन की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार को ऐसे किसी आन्दोलन की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरोप, बंगला देश और भारत के बीच माल परिवहन के कार्य में लगी नौवहन कम्पनियों द्वारा लगाया गया अधिभार

654. **श्री चौधरी राम प्रकाश :**

श्री एम० सुदर्शनम :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप, बंगला देश और भारत आदि के बीच माल परिवहन के कार्य में लगी नौवहन कम्पनियां 15 जनवरी, 1974 से 20 प्रतिशत अधिभार ले रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) यह अनुमान किया जाता है कि उल्लेख/भारत/बांगला देश/य० के० महाद्वीप सम्मेलन द्वारा लगाये गये बंकर अधिभार से है। प्रारम्भ में इस सम्मेलन द्वारा लगाये गये बंकर अधिभार 23-11-73 से 3.2% था। इसे 15-1-74 से 20% और 1-2-74 से 23% बढ़ाया गया।

(ख) इस बंकर अधिभार के लिये इस सम्मेलन द्वारा दिये गये कारण बंकर कीमतों में असाधारण वृद्धि है जो शिपिंग लाइन के लागतों पर सीधा प्रभाव डालती है। सम्मेलन में अखिल भारतीय पीत वणिक परिषद् और सरकार को अपनी कार्यवाही के औचित्य ठहराने के लिए आंकड़े भेजें हैं।

कलकत्ते में विकास कार्य की धीमी प्रगति

655. **श्री चौधरी राम प्रकाश :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में विकास कार्य की धीमी प्रगति के बारे में प्रधान मंत्री ने असन्तोष व्यक्त किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) प्रधान मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

झाड़ग्राम सब-डिवीजन पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के नाम की भूमि का गैर आदिवासियों के नाम अन्तरण

656. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आदिवासी क्षेत्रों में और विशेषकर झाड़ग्राम, सब-डिवीजन, पश्चिम बंगाल में गैर आदिवासियों द्वारा गत तीन वर्षों में आदिवासी किसानों की कितनी भूमि हड़प ली गई है; और

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को आदिवासियों से गैर-आदिवासियों के नाम भूमि के अन्तरण के बारे में उचित कार्यवाही करने के कोई निदेश दिये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकारी तौर पर घोषित आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों से गैर आदिवासियों को भूमि के अंतरण पर सामान्यत: पाबन्दियाँ लागू हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें आदिवासी रहते हैं, लेकिन उन्हें आदिवासी क्षेत्र माना नहीं जाता। तथापि अधिकांश मामलों में भूमि के स्वामित्व का हस्तान्तरण वैधानिक ढांचे के बाहर अलिखित लेन-देन और सांठ-गांठ करके सौदा आदि के जरिये किया जाता है। आदिवासियों से गैर-आदिवासियों को किस हद तक भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण किया गया है, इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना यदि असम्भव नहीं तो कठिन तो है ही।

(ख) ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में जहां आदिवासी भूमि के संबंध में विशिष्ट कानून लागू हैं राज्य सरकारों ने समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी अनुदेश जारी किए हैं कि ये कानून ठीक तरह से क्रियान्वित किए जाएं। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों ने आदिवासियो का भूमि के स्वामित्व के हस्तान्तरण और उन्हे भूमि से बेदखल करनें संबंधी कानूनों को कड़ा भी कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने आदिवासी विकास एजेंसी क्षेत्रों में ऋण से राहत भूमि स्वामित्व हस्तान्तरण और भूमि की बहाली के संबंध में एक अध्ययन दल की स्थापना की थी इसकी सिफारिशें संबंधित राज्य सरकारों के पास भेज दी गई हैं और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि इन्हें दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में आगे कार्यवाही करें।

राज्यों में उपलब्ध फालतू भूमि

657. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी नये कानूनों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप फालतू भूमि के राज्य-वार आंकड़े प्राप्त हो गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) तथा (ख) जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन के दौरान ही उपलब्ध होने वाली फालतू भूमि का ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। तथापि, कुछ राज्यों ने पहले स अस्थायी अनुमान लगाए हैं, जोकि संलग्न विवरणपत्र में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य	संभावित फालतू क्षेत्र (1,000) एकड़
1. आन्ध्र प्रदेश	1,000
2. असम	395
3. बिहार	500
4. गुजरात	50
5. हरियाणा	50
6. कर्नाटक	400
7. केरल	100
8. मध्य प्रदेश	50
9. महाराष्ट्र	371
10. मणिपुर	4
11. उड़ीसा	100
12. पंजाब	87
13. तमिलनाडु	93
14. त्रिपुरा	2
15. उत्तर प्रदेश	300
16. पश्चिम बंगाल	200
	3,702

संशोधित कानूनों के क्रियान्वित किए जाने के बाद निम्नलिखित राज्यों को निम्नलिखित फालतू भूमि पहल ही प्राप्त हो गई है :—

1. केरल	10,387	एकड़
2. तमिलनाडु	700	एकड़
3. पश्चिम बंगाल	53,807	एकड़

मछली पकड़ने तथा नौकाओं का आयात करने के लिये यूनियन कार्बाइड को लाइसेंस

658. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे समुद्री क्षेत्रों से मछली पकड़ने तथा इस कार्य के लिय नौकाओं का आयात करने के लिए यूनियन कार्बाइड को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) मात्स्यकी ऐसा उद्योग नही है जिसके लिये लाइसेंस देने की आवश्यकता हो। मैसर्स युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उन 12 फर्मों में से एक थी, जिसे समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये 30 नौकायें आयात करने की एक योजना के अन्तर्गत नौकायें आयात करने के लिये 1969 में अस्थायी रूप से चुना गया था। जून, 1970 में आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा दो नौकाओं के लिय आयात लाइसेंस जारी किया गया था और नौकायें दिसम्बर, 1970 में आयात की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत चार और नौकाओं के लिये एक आवेदन-पत्र विचाराधीन था। फर्म ने इन नौकाओं के संबंध में अपना आवेदन-पत्र वापस ले लिया है।

सरकार द्वारा जून, 1973 में अधिसूचित योजना के अन्तर्गत फर्म ने गहरे समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिये 8 नौकायें आयात करने के लिये भी आवेदन पत्र दिया था फर्म ने इस आवेदन पत्र को भी वापस ले लिया है।

ट्रालरों के आयात के लिए लाइसेंस देने को सरल बनाना

659. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्यमकर्ताओं को ट्रालरों के आयात के लिए लाइसेंस देने की शर्तों को सरल बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) क्या नौवहन विकास निधि में इस उद्योग को शामिल करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) 50 नौकाओंका आयात करने के लिए जून 1973 में शुरु हुई योजना की शर्तों का प्रारुप बड़ी सावधानी से तैयार किया गया है ताकि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आयात को ही नहीं बल्कि देश में उनके निर्माण को भी सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना की शर्तों के अनुसार प्रत्येक आयातित नौका के बदले में एक नौका देश में बनाई जाएगी। इससे पहले 1968 में शुरु की गई योजना के अनुसार प्रत्येक दो आयातित नौकाओं के बदले में एक नौका देश में बनाई जाती थी। आयातों पर सदा निर्भर रहने से बचने के लिए यह जरुरी समझा गया है कि देशीय क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जाए और देश में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को तैयार करने की तकनीकी का विकास किया जाना चाहिये। 50 नौकाओं के आयात की योजना के अन्तर्गत देश में तैयार की जानेवाली नौकाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अधिसूचित शर्तों के आधार पर सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं और गैर–सरकारी क्षेत्र की छोटी बड़ी फर्मों से इस योजना को प्रोत्साहन मिला है। अतः इन शर्तों में संशोधन करना जरुरी नहीं समझा गया है। मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जहाजरानी विकास निधि के अधिकार क्षेत्र में लाने की सम्भावना पर परिवहन तथा जहाजरानी मन्त्रालय की सलाह से विचार किया जा रहा है।

उर्वरकों के वितरण को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

660. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की उपलब्धता में अत्यधिक कमी की संभावना को बने रहने को दृष्टि में रखते हुए तथा उर्वरकों की चोरबाजारी तथा कदाचारों को दूर करने हेतु उर्वरकों के वितरण को पूर्णतया अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं। तथापि उर्वरकों के कदाचारों तथा चोरबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकारों को उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत पर्याप्त अधिकार दिये गये है। संक्षिप्त मुकदमा चलाने के लिये भी राज्यों को अधिकार दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

पांचवी योजना के दौरान वन-विज्ञान में अनुसन्धान

661. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में वन–विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बाते क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना में 171.09 लाख रु० के प्रत्याशित खर्च के मुकाबले वन विज्ञान अनुसंधान के लिए 484.35 लाख रु० की व्यवस्था की है। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत भी पांचवीं योजना के दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 111.12 लाख रु० के प्रत्याशित खर्च के मुकाबले में बन विज्ञान अनुसंधान के लिए 1053.00 लाख रु० की व्यवस्था की है।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में वन विज्ञान अनुसंधान करने का प्रस्ताव है :—

(1) पर्यावरण अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना।

(2) उष्ण कटिबंधीय उत्तरध्रुवीय मरु वनरोपण अनुसंधान।

(3) उच्च स्तरीय देवदारू पुनरूत्पादन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।

(4) हाल ही में कांटे गये वन क्षेत्रों में बनों में उत्पन्न होने वाली किस्मों के साथ–साथ नकदी की फसले उगाने के विषय में अनुसंधान तथा प्रदर्शन करना।

(5) लघु वन उत्पादन के विषय में अनुसंधान करना।

(6) उष्ण कटिबंधीय पाइन यूकलीपटस और पापलर संबंधी अनुसंधान।

(7) बीज सुधार, वृक्ष संवर्धन तथा बीज बैंक।

(8) ओइलों रेजिन के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में अनुसंधान।

(9) अनुसंधान सर्वेक्षण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम और फार्म वानिकी अनुसंधान संबंधी सर्विसिंग।

(10) वन्य प्राणियों के संबंध में अनुसंधान।

राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वन विज्ञान अनुसंधान का उद्देश्य भूमि संबंधी कार्य की उन्नत तकनीकों, बीज अंकुरण परीक्षण, नरसरी तथा पौदरोपण तकनीकों आदि विभिन्न स्थानीय वन विज्ञान संबंधी समस्याओं को हल करना है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजपथ

662. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये राष्ट्रीय राजपथों के विकास का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन नये राष्ट्रीय राजपथों के नाम क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों , संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभिन्न अन्य प्राधिकारियों ने 40,000 किलोमीटर से अधिक 150 से अधिक मार्गों के राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में लिये जाने के प्रस्ताव भेजे हैं। इन पर इनके राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के इकहरी गली के स्तर तक लाने में 856 करोड़ रुपये से अधिक और दोहरी गली के स्तर तक लाने में लगभग और 400 करोड़ रुपये खर्च होगा। इसमें से पांचवीं योजनामें राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धती में नये मार्गों को शामिल करने के लिए केवल 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था के उपलब्ध होने की संभावना है। चुंकि किसी भी दशा में इसकी तैयारी अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। अत: उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नामों का बताना समय पूर्व होगा, जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल किये जाने के लिये लिया जाएगा।

नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

663. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी शैक्षणिक वर्ष में कितने तथा कौन-कौन से नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) क्या सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये नया सर्वेक्षण करायेगी जिसमे सभी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जा सके ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) नये विश्वविद्यालय खोलने के बारें में राज्य सरकारों द्वारा किये गये कुछ प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन हैं। हैदराबाद और पांडिचरी में एक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है। गोवा, दमन और दीव में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है। किन्तु यह बताना कठिन है कि अगले शैक्षिक वर्ष के दौरान कितने नये विश्वविद्यालय कार्य आरम्भ करेंगे।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह अभिमत है कि किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने से संबधित कोई प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व राज्य सरकार को राज्य में उच्चतर शिक्षा तथा उसकी परियोजना गत आवश्यकताओं के लिये विद्यमान सुविधाओं का सर्वेक्षण करना चाहिए। कोई नया विश्वविद्यालय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करने से पहले आयोग को शुरू में ही सर्वेक्षण के साथ सम्बद्ध कर लेना चाहिये। एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रश्न पर समुचित विचार करने के लिये वर्तमान स्थिति तथा अतिरिक्त विश्वविद्यालय के लिये न्यायोचित मांग दर्शाने वाले पर्याप्त आंकडे तैयार करना आवश्यक होगा।

हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

664. **श्री नारायणचन्द पाराशर :**

श्री के० कोंड्डा रामी रेड्डी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय किस तिथि तक स्थापित हो जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) कानून तथा उपर्युक्त कार्मिकों की नियुक्ति सहित सभी औपचारिकताएं पुरी होते ही, हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17

665. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17(वैस्ट कोस्ट रोड) के सुधार के लिये क्या व्यवस्था है ;

(ख) इसमें से महाराष्ट्र तथा गोआ में कितनी राशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) पांचवी योजना के दौरान महाराष्ट्र और गोआ में इस सड़क पर क्या सुधार कार्य किये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) चूंकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, कार्यों के कार्यक्रम के बारें में कुछ कहना समय पूर्व होगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नए शिपयार्ड स्थापित करने के स्थान

666. **श्री शंकरराव सावंत :**

श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये शिपयार्ड स्थापित करने के स्थानों के संबंध में कोई निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्णय क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा स्थानों को निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

वनस्पति घी की कमी

667. **श्री शंकर राव सावंत :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनस्पति घी की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) वनस्पति का उत्पादन नवम्बर और दिसम्बर, 1973 के महीनों में लगभग सामान्य स्तर पर पहुंच गया था लेकिन जनवरी, 1974 के प्रारम्भ में मूंगफली के मूल्य में बेमौसमी और अचानक भारी वृद्धि होने से उस मास के दौरान इसके उत्पादन को फिर से धक्का लगा। उत्पादक क्षेत्रों से खपत क्षेत्रों को तेल भेजने और सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए सरकार ने तुरंत कार्यवाही की जिसका वांछित परिणाम निकला और उत्पादन फिर बढ़ने लगा। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ सप्ताहों की अपेक्षा अब सप्लाई स्थिति बेहतर है।

चावल व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

668. **श्री एम० कल्याणसुंदरम्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) क्योंकि चावल का थोक व्यापार लेने की नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए न केवल कार्यचालन संबंधी ब्यौरों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी बल्कि राज्य सरकारों और राजनैतिक दलों के पूर्ण योगदान और सहयोग की भी आवश्यकता थी, इसलिए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने इस संबंध में राज्य के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों और विरोधी दलों के नेताओं से कई एक बार विचार विमर्श किया। इन बैठकों में इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाले कई कठिनाईयों का उल्लेख किया गया। बफर स्टाक और अपेक्षित प्रबंध न होने के कारण आगामी खरीफ मौसम से चावल का थोक व्यापार लेने से संबंधित नीति का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता थी। तथापि सरकारी वितरण प्रणाली को मांग को पूरा करने और बफर स्टाक तैयार करने की आवश्यकता की दृष्टि से चावल की अधिकतम अधिप्राप्ति करने का निर्णय किया गया था। यह बात राज्यों पर छोड़ दी गई थी कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अधिप्राप्ति की प्रणाली अपनाएं, मोटे तौर पर उन्हें यह परामर्श दिया गया था कि वे या तो उत्पादों पर क्रमिक लेवी लगाने अथवा मिल मालिकों/व्यापारियों पर लेवी लगाने की प्रणाली को अथवा दोनों प्रणालियों को अपनाएं और भारी संख्या में हालरों को भी अपने नियंत्रण और देख-रेख में लाएं जो राज्य सरकारें 1973-74 के खरीफ के मौसम से चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की इच्छुक थी उनको ऐसा करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तदनुसार, असम राज्य सरकार ने पहली नवम्बर, 1973 से चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया है।

खाद्यानों के लिये गुजरात में आन्दोलन

669. **श्री एम० कत्तामुतु :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1974 के जनवरी महीने में जनता ने अधिक खाद्यान्नों तथा मूल्य–वृद्धि को रोकने के लिये आन्दोलन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी 1974 में लोगो ने जो आन्दोलन किया था वह अंशत: खाद्यान्नों की अधिक मात्रा और मूल्य–वृद्धि को रोकने के लिए था। राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसलिए राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानो की माध्यम से खाद्यान्नों को देने की व्यवस्था की थी और उसने खाद्यान्नों के एसोसिएशनों तथा धर्मार्थ संस्थाओं से यह अनुरोध किया था कि वे बिना लाभ–हानि के या राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न बेचें।

राज्य के लिए खाद्यान्नों का केन्द्रीय आवंटन माह जनवरी, 1974 से बढ़ा दिया गया था।

चौथी योजना की अवधि में पशुपालन तथा डेरी परियोजनाओं का विकास

670. **श्री एम० कत्तामुतु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चौथी योजना की अवधि में पशुपालन तथा डेरी परियोजनाओं के विकास के लिए निर्धारित किये गये लक्षों में से किसी भी लक्ष के प्राप्त किये जाने की सम्भावना नही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं तथा उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं। चौथी योजना के दौरान आदर्श ग्राम खण्डों, भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्रों, पशु–चिकित्सालयों तथा औषधालयों और ग्रामीण डेरी केन्द्रों, आदि परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्षपूर्ण रूप से प्राप्त होने की सम्भावना है। सघन पशु विकास परियोजनाओं, सघन अंडा तथा कुक्कुट उत्पादन तथा विपणन केन्द्रों, ऊन श्रेणीकरण तथा विपणन केन्द्रों आदि अन्य परियोजनाओं के लक्ष्यों में मामूली कमी हुई है। वर्ष 1973–74 के दौरान मुख्य पशु-पालन तथा डेरी विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य स्तर तथा उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कुछ परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी रहने के कारणों में पशुपालन तथा डेरी उद्योग के विकास के लिए अपर्याप्त वित्तीय आवंटन होना परियोजनाओं के निर्धारण के लिए उचित स्थानों का डेरी से पता लगना और डेरी संयंत्रों की निर्माण सामग्री अर्थात् परियोजनाओं की विभिन्न सामग्रियों की उपलब्धि सुनिश्चित करने में देरी लगना शामिल है। पंचम

पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इन "स्पिल ओवर" परियोजनाओं को पूर्ण करने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

विवरण

कार्यक्रम/परियोजना	1973–74 के लिए निर्धारित लक्ष्य	1973–74 में संभावित उपलब्धि
1. सधन पशु विकास परियोजनाएं . . .	67	63
2. आदर्श ग्राम खण्ड	619	621
3. चारा बीज उत्पादन फार्म	39	38
4. सधन अंडा तथा कुक्कुट उत्पादन एवं विपणन केन्द्र . .	86	81
5. भड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्र	611	835
6. ऊन श्रेणीकरण तथा विपणन केन्द्र . . .	23	13
7. पशु चिकित्सालय तथा औषधालय . . .	7,938	9,495
8. चालू तरल दुग्ध संयंत्र	124	90
9. चालू दुग्ध उत्पाद कारखाने तथा क्रीमरी . . .	25	18
10. ग्रामीण डेरी केन्द्र	43	52

राज्यों में ग्रामीण राजपथ

671. श्री के० राम कृष्ण रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पांचवी योजना में विभिन्न राज्यों में ग्रामीण राजपथों के सुधार की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को क्रियान्वित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) ग्रामीण सड़कों के लिए किसी भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए पांचवीं योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सैक्टर सड़क कार्यक्रम में कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु, यदि माननीय सदस्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे हैं, तो योजना अवधि के दौरान सर्वऋतु सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सैक्टर में 500 करोड़ के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि 1500 से अधिक आबादी वाले गावों को जोड़ा जा सके और पहाड़ी, अथवा तटीय अथवा जनजाति क्षेत्रों में, जहां आबादी अधिक बिखरी हुई है, 1500 और इससे अधिक आबादी वाले गावों के समूह को योजक सड़कों से जोड़ा जायेगा।

अमरीका में भारतीय छात्रों और भारत में अमरीकी छात्रों को सुविधाएं

672. श्री सरोज मुखर्जी :

श्री वी० मायावन :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका स्थित भारतीय छात्रों को वही सुविधाएँ प्राप्त हैं, जो भारत स्थित अमरीकी छात्रों को मिलती हैं;

(ख) भारत में 'य० एस० एजूकेशन फाउन्डेशन' के डा० हेरिंगटन के नेतृत्व वाले अमरीकी दल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व वाले भारतीय दल की दिल्ली में आयोजित 10 जनवरी, 1974 को समाप्त हुई चार दिवसीय मीटिंग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सिफारिशें कब लागू की जाएंगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) अमरीका में भारतीय अध्यताओं और भारत में अमरीकी अध्यताओं को अनुसंधान के लिए उपलब्ध सुविधाओं की तुलना करना कठिन है क्योंकि दोनों देशों के अध्यताओं की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं।

(ख) विवरण संलग्न है जिस में बैठक में की गयी सिफारिशें दी गई हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–6218/74]**

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत और अमरीका में मुख्य शैक्षणिक सहयोग के विषयों पर शिक्षित समुदाय को संसूचित करने के लिए भारत में विशेषज्ञ सलाहकार समूह का गठन कर रहा है। इसी प्रकार के समूह की स्थापना अमरीका में भी की जा रही है। क्योंकी प्रत्येक देश में उपलब्ध की सुविधाओं से शिक्षित समुदाय परिचित हो जायेंगे अत: ये समूह अध्येताओं को उनके लिये लाभदायक और उनके देश की आवश्यकताओं के संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण के विषयों का चयन करने में सहायता प्रदान कर सकते है। अन्य सिफारिशों को सहयोगात्मक अनुसन्धान कायक्रमों को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू इन्स्टीट्यूट फार फिजिकल रिहैबिलीटेशन, दिल्ली

673. **श्री सरोज मुखर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट फार फीजिकल रिहैबिलीटेशन, दिल्ली में विकलांगों को बहुत यातना तथा कठिनाई हो रही है ;

(ख) उनकी कठिनाइयां क्या हैं और सरकार द्वारा उनको दूर किये जाने में असमर्थता के क्या कारण है ; और

(ग) क्या जिन बोर्डों में उनको रखा जा रहा है उनके लिए उनके मां बाप से अत्यधिक शुल्क लिया जाता है जबकि विनियमों में कहा गया है कि उनके लिए मामूली शुल्क लिया जाए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) इस संस्थान का स्टाफ तथा कार्यकर्ता जुलाई के अंत से 16 सितम्बर, 1973 तक हड़ताल पर थे। इस हड़ताल के बाद से इस संस्थान में बहुत कारगर रूप से काम नहीं हो रहा है। इसके कुछ कारण निम्नलिखित है :—

(1) स्टाफ को नियमित रूप से वेतन न दिया जाना ;

(2) इस भवन में अत्यावश्यक मरम्मतें करने के लिए अक्तूबर 1973 में वहां रहने वाले लगभग 100 बच्चों को उनको घरों को भेज दिया गया था।

(3) अपने कार्यों को चलाने के लिए संस्थान के पास पर्याप्त धन नहीं था।

जवाहरलाल नेहरू इस्टीट्यट फार फिजिकल मेडिसाइन एण्ड रिहैबिलीटेशन तथा इसके संबंध एकक काउंसल फार दी एड आफ दी क्रोपल्ड एण्ड दी हैंडीकैप्ड के प्रबन्ध के अधिन आते है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक गैर-पंजीकृत संस्था है। इस संस्थान के ठीक प्रशासन

के लिए यह परिषद् उत्तरदायी है। सरकार ने चालू वर्ष में इस संस्थान को काफी धन दिया है संस्थान द्वारा हाल में प्रस्तुत किए गए लेखों के आधार पर शेष देय राशि पर विचार किया जा रहा है।

(ग) एक विवरण पत्र संलग्न है, जिसमें लिए जाने वाले शुल्क दिखलाए गए हैं।

विवरण

विभिन्न अनुभागों द्वारा ली जाने वाली फीसें

विकलांग बच्चों के लिए स्कूल तथा आकुपेशनल थेरापी शेल्टर्ड वर्कशाप।

आय स्तर	ट्यूशन फीस	बोर्डिन्ग फीस
500 रुपये तक	21 रुपए	65 रुपए
500 रूपये से 700 तक	26 रूपए	75 रुपए
700 रुपए से 1000 रुपए तक	36 रूपए	100 रूपए
1000 रूपए से ऊपर	46 रुपए	120 रुपए

पुनश्च इनके अतिरिक्त अभिभावकों को उपकरणों, दवाइयों, पुस्तकों तथा विशेष परिचारक, यह कोई हो तो, इत्यादि के लिए भी अदायगी करनी पड़ती है।

फिजिको-आकुपेशनल थेरापी इंस्टीट्यूट

क्रमसंख्या	विवरण	राशि (रूप)
1	प्रवेश	30
2	आवधिक फीस (6 मास)	150
3	जमानत जमा	50
4	परीक्षा फीस	50 रुपए प्रति वर्ष
5	विद्यार्थीयों के लिए नियम पुस्तिका	1
6	विद्यार्थी बिल्ला	2
7	विद्यार्थी की पत्रिका (वार्षिक शुल्क)	2 रूपए प्रति वर्ष
8	विद्यार्थीयों के क्लब की फीस	10 रूपए प्रति वर्ष
9	स्वयं–सहायता यंत्र	30 रुपए प्रतिवर्ष
10	पहचान पत्र की फीस	2
11	शिल्प फीस	50 रुपए प्रति वर्ष ओ० टी० पाने वाले के लिए तथा एक बार पी० टी० पाने वालों के लिए
12	एसोसिएशन फीस	2 रुपये प्रति वर्ष

काजू की सघन खेती

674. **श्री वरके जार्ज :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे काजूओं का आयात करने से भारी विदेशी मुद्रा के खर्च को देखते हुए भारत सरकार ने भारत में काजू की सेवन खेती के लिए किसी योजना को अंतिम रूप दिया है ;

(ख) क्या सरकार को केरल सरकार अथवा केरल राज्य काजू विभाग निगम की ओर से इस बारे में सहायता और सहयोग दिये जाने के लिए कोई अनुमोदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या काजू को काश्त के लिए अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में एक लाख हेक्टर भूमि अलाट किए जाने की व्यवहार्यता के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अणासाहेब पी० शिन्दे) : (क) काजू की सघन खेती की योजनाएं पंचवर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है ।

(ख) जी, हां।

(ग) इस संबंध में केरल सरकार के अनुरोध की जांच की गई है, लेकिन केरल काजू विकास निगम को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भूमि अलाट करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

Reorganisation of International Shipping Services

675. **Shri Shrikrishna Agrawal**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether keeping in view the shortage of oil, Government have taken a decision to reorganise the international shipping services;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the impact thereof on the economy of the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) The Govt. does not fix sailing schedules and has not taken any decision to reorganise the international shipping services. Depending upon the situation developing from the oil crisis, the shipping companies may adjust their sailing schedules.

(b) & (c) Does not arise.

Seizure of Indian Oil Tanker by Italy

676. **Shri Shrikrishna Agrawal**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Italian authorities seized an Indian oil tanker after leakage of crude oil into the sea in January, this year;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the steps taken by the Government of India in this matter?

Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) An incident of leakage of crude oil into the sea from the vessel Bailadilla owned by the Shipping Corporation of India occurred on 14-1-1974 at Fuimicino, Rome, when the vessel was moored at a distance of 4 nautical miles from the coast. According to the Master of the vessel, a certain quantity of crude oil leaked into the sea during discharge of cargo. The vessel was seized under the orders of the local Magistrate. The Court appointed a tribunal for investigation of the cause of oil spillage. The discharge of cargo continued and was completed on 21-1-74 The Tribunal completed their investigation on 22-1-74 and came to the conclusion that the port side drop line valve was defective and there was no human error involved. Accordingly, the Tribunal informed Court and the vessel was released. The vessel sailed Fuimicino on 23-1-74. The decision of the Court regarding penalty if any is awaited.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानों का भुगतान

677. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वित्तीय अनुदानों के भुगतान और भारत के विश्वविद्यालयों और संबंध संस्थाओं को सहायता देने के लिए वर्ष 1973–74 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध की गई ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे भुगतान की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार के अनुदानों का बहुत बड़ा भाग केन्द्रीय विश्वविद्यालय और विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है; और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) सचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसदीय सौध का निर्माण

678. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय सौध का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और उस सम्पूर्ण परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सामान्यत: भवन में निर्माण कार्य निर्धारित समय अनुसार चल रहा है लेकिन भीतरी डिजाइन तथा सजावट के कार्य में देर होने की संभावना है।

(ख) भवन के भीतरी डिजाइन तथा सजावट का कार्य इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सौंपा गया है, लेकिन वे अभी तक भीतरी सजावट की योजना को अन्तिम रूप नहीं दे पाये हैं।

(ग) भवन का निर्माण कार्य अगस्त, 1974 तक पूरा किये जाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस परियोजना पर लगभग 1.85 करोड़ रुपये का कुल व्यय होने का अनुमान है।

सांस्कृतिक शिष्टमंडल

679. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1973 और फरवरी, 1974 के बीच कलाकारों के कोई शिष्टमंडल विदेश भेजे गए थे ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) अगर उपयुक्त अवधि के दौरान किन्हीं विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमण्डल ने भारत की यात्रा की है, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6219/74**]

गुजरात में खाद्यानों की कमी

680. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में पिछले तीन महीनों से खाद्यान्न की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गुजरात को खाद्यान्नों की सप्लाई में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ग) गुजरात की खाद्य स्थिति को ध्यान में रखकर खाद्यान्नों का आबंटन बढ़ाकर जनवरी, 1974 में 50,000 मी० टन और फरवरी तथा मार्च, 1974 के प्रत्येक महीने के लिए 52,000 मी० टन कर दिया गया है। खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की स्थिति पर बारीकी से विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों, जिनमें गुजरात भी शामिल है, को यह सलाह दी है कि वे अपने संबंधित राज्यों के अन्दर मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबंधों को हटा दें और मोटे अनाजों के अंतर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबंधों में संशोधन करें ताकि राज्य सरकारों के नामिक एजेंटों के लिए अन्य राज्यों से मोटे अनाजों का खरीदना और भेजना सम्भव हो सके।

खरीफ फसल के निर्धारित और प्राप्त वसूली लक्ष्य

682. **श्री वी० मायावन** :

श्री पीलू मोदी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान खरीफ फसल की कम वसूली और चावल उगाने वाले राज्यों का ध्यान चावल की कम वसूली की ओर दिलाया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें सूचित किया है कि उन्हें वसूली कार्य में सहायता दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो चालू मौसम के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी वसूली की गई तथा यह वसूली केन्द्रीय सरकार और सम्बद्ध राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य में कितनी कम है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में अधि प्राप्ति क लक्ष्य और वास्तविक अधिप्राप्ति बताने वाला एक विवरण संलग्न है, 1973-74 का खरीफ अधिप्राप्ति मौसम अभी चल रहा है, और इस समय अधिप्राप्ति में होने वाली कमी बताना जल्दबाजी होगी। तथापि, जिन मामलों में अधिप्राप्ति की रफ्तार धीमी है, वहां राज्य सरकारों को लक्ष्य को पूरा करने के लिये अधिप्राप्ति को बढ़ाने के सभी प्रयत्न करने के लिये कहा गया है ।

विवरण

1973-74 के खरीफ मौसम के लिए चावल/मोटे अनाजों के निर्धारित लक्ष्य और इन लक्ष्यों के प्रति अधिप्राप्ति की गई मात्रा ।

('000 मीटरी टन में)

राज्य का नाम	निर्धारित लक्ष्य		अधिप्राप्त मात्रा	
	चावल	मोटे अनाज	चावल	मोटे अनाज
1. आन्ध्र प्रदेश	600	100	396.9	..
2. असम	150	..	106.6	..
3. बिहार	100	25	36.8	..
4. गुजरात	50	150	16.0	12.7
5. हरियाणा	350	50	367.4	..
6. जम्मू और कश्मीर	50	..	38.4	0.8
7. कर्नाटक	275	200	81.8	1.0
8. केरल	125		16.0	
9. मध्य प्रदेश	600	100	153.7	4.7
10. महाराष्ट्र	200	400	134.9	109.5
11. उड़ीसा	400	..	128.9	..
12. पंजाब	950	200	813.2	61.1
13. राजस्थान	..	250	..	32.5
14. तमिल नाडु	350	25	112.4	..
15. उत्तर प्रदेश	300	150	285.5	63.7
16. प० बंगाल	500	..	104.8	..
17. अन्य	..	..	6.9	Neg
जोड़	5,000	1,650	2800.2	286.0

दिल्ली में उचित दर दुकानों पर मिलावट की गई आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

683. **श्री पीलू मोदी :**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में उचित दुकानों पर बेची जा रही गहूँ, आटा, चीनी, मैदा जसी आवश्यक वस्तुओं की किस्म घटिया है तथा उनमें पत्थर और धूल मिली रहती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है तथा समाज विरोधी कार्य करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) इस प्रकार की कोई सामान्य शिकायत प्राप्त नही हुई है। दिल्ली प्रशासन को उचित मूल्य की दुकानों से बांटने के लिये दी गई खाद्य वस्तुओं की किस्म विहित निर्दिष्टियां के अनुरूप होती है।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा अच्छी किस्म की वस्तुओं को बदला नही जाता है, दिल्ली समेत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए है :—

(1) प्रत्येक राज्य में उचित मूल्य की दुकानो पर हर रोज मूल्य-चार्ट के साथ नमूनों और खाद्यान्नों का अथ शेष और इतिशेष स्टाक और अन्य आवश्यक जिन्सों के स्टाक का प्रदर्शन नियमित रूप से करना चाहिये ।

(2) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकान के स्टाक की अचानक जांच कर चाहिये और दोषी पाये जाने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिये ।

(3) उचित मूल्य के दुकानदारों के कदाचारों और अनियमितताओं के बारे में कार्डधारियों से प्राप्त शिकायत पर तुरन्त कायवाही की जानी चाहिये ।

दिल्ली विश्वविद्यालय को फोर्ड फाउंडेशन का अनुदान

684. **श्री पीलू मोदी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षोंके दौरान फोर्ड फाउन्डेशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय को भारी धनराशि अनुदान के रूप में दी है; और

(ख) यदि हां, तो वह राशि किन प्रयोजनों के लिये दी गई और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से, जनवरी, 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा फोर्ड फाउंडेशन से 50 लाख डालर तक की सहायता प्राप्त करने के लिए सहमत हो गई थी। इसके अतिरिक्त, चीनी अध्ययन विभाग, भाषा-विज्ञान विभाग, विधि संकाय तथा प्राणि-विज्ञान शरीर-विज्ञान पुनरुत्पादन) के लिये क्रमशः 5,36,000 डालर, 200,000 डालर, 441,000 डालर और 74,500 डालर की सहायता मंजूर की गई थी। उक्त सहायता का उद्देश्य , विश्वविद्यालय में अनुसंधान तथा शिक्षा में सुधार करना था ।

सहायता की अवधि सितम्बर, 1973 में समाप्त हुई थी । विश्वविद्यालय की प्रार्थना पर सरकार ने विश्वविद्यालय को शेष प्राधिकृत सहायता को फरवरी, 1975 तक उपयोग करने की मंजूरी दी।

विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 50 लाख डालर के आबंटन में से कुल 20,21,955 डालर के अनुदान पिछले तीन वर्ष के दौरान विनियुक्त किए गए थे ।

तेल के अभाव में भारतीय जहाज का रुका रहना

685. **श्री पीलू मोदी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि चौगुले स्टीमशिप कम्पनी के एक जहाज को 16 दिसंबर, 1973 से कई दिनों तक तेल की कमी के कारण ऐडेलेड (आस्ट्रेलिया) में रूके रहना पडा; और

(ख) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) जहाज के लिये बंकर प्राप्त करने के लिये कम्पनी को आवश्यक सहायता दी गई।

Memorandum from Bihar regarding Food Problem

686. **Shri Ramavatar Shashtri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Bihar Government have submitted a memorandum to him in regard to serious food problem in the State ;

(b) if so, the gist thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) No memorandum has recently been received from the Bihar Government. The State Government however has asked for raising the monthly allocation of foodgrains. Allotments of foodgrains are made from the Central Pool every month keeping in view the availability of stocks in the Central Pool, needs of the deficit states and other relevant factors. The State Government has also been requested to intensify procurement within the State.

Dalda seized from Railway Wagons at Patna Ghat

687. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether S.D.O., Patna city had seized 17,500 tins of Dalda from 26 railway wagons at Patna Ghat in the first or second week of January;

(b) if so, the name of the place from where it was brought and the person who had brought it indicating the value thereof ;

(c) the names of guilty persons in this connection and the action taken by Government against them; and

(d) the manner in which the seized Dalda was disposed of ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) (a) to (d) Information called for from the State Government has not yet been received. The same will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम को बसों के चलने के घंटे

688. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसें एक दिन में केवल 9 घण्टे चलती हैं जबकि बम्बई और अहमदाबाद में संबंधित राज्यों की बसें औसतन दिन में 15 तथा 16 घंटे तक चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की बसों की समय सूची को इस प्रकार बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिससे एक दिन में वे भी अधिक समय तक चल सकें ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जुलाई, 1971 में प्रकाशित राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ के अध्ययन दल (नगर सेवाओं) की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम की बस का औसत दैनिक परिचालन समय लगभग 11.47 घंटे आता है, जबकि अहमदाबाद नगर परिवहन और बी० ई० एस० टी० उपक्रम की हालत में यह समय लगभग 15 घंटे बनता है ।

अहमदाबाद और बम्बई में बस के परिचालन घंटों के अधिक होने का कारण यह है कि इन नगरी में बसों का परिचालन समय, दिल्ली परिवहन निगम की दो सीधी शिफ्टों के स्थान पर 2½ शिफ्टों पर आधारित है ।

(ग) बड़े के बेहतर उपयोग के लिये दिल्ली परिवहन निगम की बसों के लिये रख रखाव सुविधाओं में सुधार करने और मार्ग ढांचे को युक्तियुक्त करने और पुनर्संगठित करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं ।

सुपारी बोर्ड की स्थापना

689. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर में हाल ही में हुए मालनाड़ विकास सम्मेलन में सरकार से अनुरोध किया है कि वह अन्य वस्तुओं जैसे काफी और इलाइची बोर्डों की तरफ सुपारी बोर्ड की स्थापना भी करे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई चीनी मिलों को लाइसेंस दिये जाने के लिये पुनरीक्षित प्रक्रिया

690. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों के माध्यम से अपने आवेदन पत्र भेजने के बारे में नई चीनी मिलों को लाइसेंस दिये जाने के लिये पुनरीक्षित लाइसेंस प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने कार्यविधि में सुधार किया है ताकि ऐसे आवेदन पत्रों के निपटाने में अन्यथा होने वाली देरी को दूर किया जा सके ।

तामिलनाडु द्वारा केरल को चावल की सप्लाई और खाद्य सामग्री की सप्लाई के लिए अन्तर्राज्यीय व्यवस्था करना

691. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल राज्य को 15,000 टन चावल सप्लाई करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि केरल राज्य खाद्य की कमी की स्थिति पर काबू पा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके अनुरोध पर कोई निर्णय लिया गया है, और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) खाद्य सामग्री की अन्तर्राज्यीय सप्लाई की अनुमति देने हेतु विशेष व्यवस्था के अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पिछले वर्ष जून में केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर तमिलनाडु सरकार से केरल सरकार को 15,000 मी० टन चावल खरीदने की इजाजत देने के लिए कहा गया था ।

(ग) अधिप्राप्ति के हित में धान और चावल के लिए राज्यों के बीच ऐसे सौदों की अनुमति देने की नीति नवम्बर, 1973 से समाप्त कर दी गई है ।

वर्ष 1974 के दौरान खाद्यानों के आयात की उंची कीमत

692. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत को इस वर्ष आयातित गेहूँ के लिये अधिक कीमत की अदायगी करनी होगी;

(ख) यदि हां, तो गेहूँ के निर्यातकर्ता देशों ने जो ऊंची कीमत मांगी है, उसका ब्यौरा क्या है और भारत ने कितनी कीमत देने का प्रस्ताव किया है,

(ग) ऐसी ऊंची कीमत से राजकोष पर किस सीमा तक असर पड़ेगा; और

(घ) देश की मांग को पूरा करने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की देश के भीतर से ही वसूली करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) इस समय गेहूं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 210 से 220 डालर प्रति मीटरी टन जहाज तक निष्प्रभार के बीच भिन्न-भिन्न बताए जा रहे है । तथापि, राजकोष पर ऊंचे मूल्यों का प्रभाव खरीदे गई मात्रा पर निर्भर करेगा ।

(घ) किसानों को प्रोत्साहन मूल्य पेशकर, उत्पादकों।व्यापारियों पर लेवी लगाकर, अधिप्राप्ति तन्त्र आदि को सुधारकर देश में खाद्यान्न की अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए पहलेही प्रयत्न किए जा रहे हैं । 1974-75 मौसम के लिये अधिप्राप्ति और मल्य नीति तैयार करते समय, इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा ।

डबल रोटी का अभाव

693. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री रणबहादुर सिह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेषकर राजधानी में डबलरोटी की कमी है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है,

(ख) देश में, विशेषकर राजधानी में डबलरोटी की मांग पूरी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) डबलरोटी की इस प्रकार कमी न होने देने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) स्टाक की उपलब्धता और कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य सराकारों को केन्द्रीय पूल से प्रत्येक मास गेहूं का आबंटन किया जाता है। क्योंकि केन्द्रीय स्टाक से आबंटित किए गए गेहूं का आंतरिक वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, इसलिये राज्य के अन्दर डबलरोटी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु गेहूं के पदार्थ (मदा सूजी आदि) बनाने के लिए रोलर आटा मिलों को गेहूं आबंटित करने के बारे में वेही निर्णय लेते हैं।

पांचवी योजना के दौरान शिशु कल्याण के लिए आबंटित धनराशि

694. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत देश में शिशु-कल्याण के लिए भारत सरकार ने कुल कितनी राशि नियत की हैं; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये राजस्थान को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये परिव्ययों को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

गेहूं तथा अन्य प्रकार के अनाज के वसूली मूल्यों के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश

695. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने देश में गेहूं तथा अन्य प्रकार के अनाज के वसूली मूल्य फिर से निर्धारित करने की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु की कितनी कितनी कीमत निर्धारित की गई,

(ग) गेहूं के अधिक मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार द्वारा उक्त निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि मूल्य आयोग ने 1974-75 की रबी मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है। आशा है कि आयोग इस सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) आशा है कि सरकार कटाई मौसम के शुरू होने से पूर्व अधिप्राप्ति मूल्यों की घोषणा कर देगी ।

मूंगफली के तेल को अन्य राज्यों में भेजने पर रोक लगाने के लिये गुजरात सरकार को अनुमति दिया जाना

696. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बात की अनुमति मांगी है कि गुजरात राज्य से अन्य राज्यों को मूंगफली के तेल को भेजने पर कुछ रोक लगायी जाये ताकि मूंगफली के तेल के बढ़ते हुये मूल्यों पर नियंत्रण किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात से अन्य राज्यों को मूंगफली अथवा मूंगफली तेल को निर्यात करने पर रोक लगाने और वहीं से अन्य राज्यों को मूंगफली के निर्यात पर लेवी लगाने के लिये भी एक प्रस्ताव गत वर्ष अक्तूबर में प्राप्त हुआ था ।

(ख) भारत सरकार गुजरात सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी ।

खाद्यान्नों की सप्लाई हेतु गुजरात का अनुरोध

697. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में गुजरात के मुख्यमंत्री तथा पूर्ति मंत्री दिल्ली आये थे और उन्होंने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि गुजरात राज्य में जल्दी खाद्यान्न भेजे जायें क्यों कि राज्य की खाद्य स्थिति ठीक नहीं;

(ख) क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें फालतू अनाज वाले राज्यों से मोटा अनाज खरीदने की अनुमति दी जाये ताकि वह स्थिति पर काबू पा सकें , और क्या उनका अनुरोध रद्द कर दिया गया था, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) गुजरात के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री ने राज्य में खाद्य स्थिति पर जनवरी, 1974 के दूसरे सप्ताह के केन्द्रीय सरकार साथ विचार विमर्श किया था और राज्य को खाद्यान्नों का आबंटन चढ़ाने के लिय अनुरोध किया था । विचार-विमर्श के दौरान मोटे अनाजों के संचलन को या तो आबाधा करने की आवश्यकता या अधिशेष राज्यों से मोटे अनाज के द्विपक्षीय सौदे करने की इजाजत देने का प्रश्न उठाया गया था ।

केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आबंटन जनवरी, 1974 के 50,000 मीटरी टन से बढ़ाकर फरवरी और मार्च, 1974 के प्रत्येक मास के लिये 52,000 मीटरी टन कर दिया गया है ।

खाद्यान्नों की उपलब्धता सुधारने के लिये मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर मौजूदा प्रतिबन्धों में ढील देने के लिए 24-1-74 को अनुदेश जारी किए गए थे ताकि राज्य सरकार के नामित एजेन्टों के लिए अन्य राज्यों से मोटे अनाज खरीदना और उन्हें भेजना सम्भव हो सके ।

कर्नाटक में करवाड़ के स्थान पर शिपयार्ड

698. **श्री टी० वी० चन्द्रशेखरपा बीबासप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में करवाड़ के स्थान पर शिपयार्ड बनाने के संबंध में अध्ययन करने के लिय नियुक्त की गई समिति के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या करवाड़ में शिपयार्ड बनाने के संबंध में निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो शिपयार्ड के लिये करवाड़ को न चुनने के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) तकनीकी आर्थिक कार्यदल जिसे राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रस्तावित निर्माण स्थलों की जांच करने के लिये बनाया था कि रिपोर्ट अभी विचाराधीन है तथा देश में नए शिपयार्डों के स्थानों के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

भारत बंगला देश और बर्मा और श्रीलंका के प्रतिनिधियों का नौवहन सम्मेलन

699. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, बंगला देश और बर्मा और श्रीलंका के प्रतिनिधियों का नौवहन सम्मेलन हाल ही में बंगला देश में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में मुख्यतया किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) बंगला देश/भारत-श्रीलंका बर्मा सम्मेलन के सदस्य लाइनों के प्रतिनिधि, उक्त सम्मेलन की स्थापना का उद्घाटन करने के लिये 28-1-74 को ढ़ाका में मिले ।

(ख) शिपिंग लाइनों ने बंगला देश से भारत, श्रीलंका और बर्मा के साथ होने वाले व्यापार के लिए एक कांफ्रेन्स जिसका प्रधान कार्यालय ढाका में हो, बनाने का फैसला किया । बांगला देश शिपिंग कारपोरेशन, दो वर्ष की अवधि के लिए सम्मेलन का अवैतनिक सचिव नियुक्त किया गया है । सम्मेलन का उद्देश्य नियमित नौचालन की व्यवस्था करना माल लाने ले जाने की समस्याओं का समाधान करना और स्थिर भाड़ा दरों और वहन की एकसी स्थितियों की सुनिश्चत करना है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए नया विधान

700. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक नया विधान लागू करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) अलीगड मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय को छोड़कर) के अधिनियमों में भी निकट भविष्य में संशोधन करने का, सरकार का विचार है ।

काल-पात्र कांड की जांच के लिए काल पात्र सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की मांग

701. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री चन्द्रभाल मनी तिवारी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काल-पात्र संबंधी राष्ट्रीय समिति ने सरकार से काल-पात्र कांड की जांच करने की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति ने काल-पात्र कांड की जांच करने के लिए संसदीय समिति की नियुक्ति की भी मांग की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त प्रयोजन के लिये समिति नियुक्त करने का है और यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) ओर (ख) सरकार को इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गत तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया गेहूं

702. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार प्रत्येक राज्य से, भारतीय खाद्य निगम द्वारा, कुल कितना गेहूं खरीदा गया,

(ख) इसमें से कितनी गेहूं चूहों, कीड़ों-मकोड़ों, वर्षा में भीगने तथा अन्य कारणों के कारण नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हुई; और

(ग) क्या ऐसी क्षति को न्यूनतम करने के लिये भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां। खाद्यान्नों का भण्डारण चूहों, दीमक और सीलन से सुरक्षित गोदामों में किया जाता है और परिरक्षण में तकनीकी दृष्टि से योग्यता प्राप्त व्यक्तियो की दख-रेख में खाद्यान्नों को सम्भालने तथा भंडारण के आधुनिक तथा वज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भा० खा० नि० द्वारा खरीदी गई गेहूं की मात्रा।

राज्य	वर्ष 1971-72	1972-73	1973-74
	(मात्रा हजार मीटरी टन में)		
असम	..	..	0.8
बिहार	13.4	1.7	0.4
दिल्ली	15.0	22.4	0.2
हरियाणा	..	252.6	135.6
हिमाचल प्रदेश	0.6	0.3	1.8
जम्मू और कश्मीर	..	..	18.9
गुजरात	53.2	0.8	नगण्य
मध्य प्रदेश	49.2	64.9	81.6
उड़ीसा	..	..	0.8
पंजाब	897.0	960.6	658.2
के० शा० चंडीगढ़	6.8	2.8	0.3
उत्तर प्रदेश	1144.6	205.3	164.6
राजस्थान	153.9	46.1	146.3
पश्चिमी बंगाल	..	0.1	0.4

नोट :—भा० खा० नि० के अलावा इस अन्य एजेंसियों ने भी इन वर्षों में गेहूं की अधिप्राप्ति की थी। उपर्युक्त विवरण में उनके आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं।

पांचवीं योजना में आवास और नगरीय विकास निगम के लिये धनराशी का आवंटन

703. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पांचवीं योजना में आवास और नगरीय विकास निगम के लिये कितनी धन-राशि आवंटित की है; और

(ख) क्या चौथी योजना में आवास और नगरीय विकास के लिये निगम के आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 90 करोड़ रुपए; जिस में से 14 करोड़ रुपए सरकार द्वारा साम्य अंशदान के रूप में होंगे तथा शेष रकम बाजार और संस्थानों से उधार लेकर इकट्ठी की जायेगी।

(ख) 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था में से सरकार द्वारा केवल 6 करोड़ रुपए साम्य अंशदान के रूप में दिय जा सके । शष रकम आर्थिक कठिनाई के कारण उपलब्ध नहीं कि जा सकी ।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की स्मृति में (वैज्ञानिकों के पुरस्कार)

704. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रतिवर्ष तीन पुरस्कार, जिनमें से प्रत्येक दस हजार रुपए का होगा, डा० सी० वी० रमन, डा० होमी जे० भाभा और डा० मेघनाद साह की स्मृति में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक देने के लिये स्थापित किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के समान रूप से प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जैसे कि जगदीश चन्द्र बोस और अन्य ऐसे वैज्ञानिकों जिन्होंने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, की स्मृति में ऐसे पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां । ये पुरस्कार हरि ओम न्यास नड़ियाड़ द्वारा दान दी गई 4.50 लाख रुपए को अक्षयनिधि से होने वाली आय में से दिए जाएंगे;

(ख) हरि ओम न्यास ने और भी 1.50 लाख रूपए आचार्य जगदीश चन्द्र बोस के नाम पर जीव विज्ञानों में अनुसंधान के लिए एक उचित वार्षिक पुरस्कार देने हेतु एक अक्षयनिधि खोलन के लिए दिए है । आयोग ने इस दान का स्वागत किया है तथा अक्षयनिधि खोलने के लिए न्यास की ओर से सरकारी संकल्प प्राप्त होने और निधि की राशि मिलने पर इस बारे में आगे कि कारवाई की जाएगी ।

सोयाबीन तथा सूरजमुखी के उत्पादन की योजनायें

705. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन तथा सूरजमुखी का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना विभिन्न राज्यों ने स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ये योजनायें स्वीकार नहीं की हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) 1973-74 के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिये सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना की मंजूरी दी गई है । इसी प्रकार सूरजमूखी का उत्पादन बढ़ाने के लिए आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना की भी मंजूरी दी गई है । ये दोनों योजनाएं उन सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है जिनके लिए इनकी मंजूरी दी गई है ।

खाद तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में सामंजस्य

706. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोजकों ने खाद तथा रासायनिक उर्वरकों के बीच ठीक सामंजस्य रखने में उपेक्षा बरती है;

(ख) क्या इससे भूमि की उर्वरता में तथा अंततः उत्पादकता में कमी आती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या हमारे कृषि वैज्ञानिक इस बारे में अपने विचारों में परिवर्तन कर रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी नहीं। कार्बनिक खादों के प्रयोग का सुझाव सामान्य रूप से रासायनिक उर्वरकों के पूरक के तौर पर दिया जाता है। मिट्टी को रासायनिक उर्वरकों के अधिक मात्रा में प्रयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त करने लायक बनाने के लिये उनका प्रयोग आवश्यक होता है। तथापि सुझाई गई खाद की मात्रा की तुलना में कार्बनिक खादों से पोषक तत्वों की सप्लाई अपर्याप्त होती है, अत: इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये रासायनिक उर्वरकों के बड़े पैमाने पर प्रयोग से बचा नहीं जा सकता है। अत: सरकारी नीतियों और योजनाओं में सदैव रासायनिक उर्वरकों और कार्बनिक खादों के समुचित प्रयोग की ओर ध्यान दिया गया है। रासायनिक उर्वरकों की कमी की वर्तमान स्थिति में कार्बनिक खादों का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने कार्बनिक खादों के उत्पादन और प्रयोग का एक व्यापक और समकित कार्यक्रम शुरू किया है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम

707. **श्री मोहम्मद इस्माईल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सड़क परिवहन निगम का विघटन किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) लोक उपक्रम संसदीय समिति ने अपनी 62वीं रिपोर्ट में सिफारिश की कि केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को बन्द कर दिया जाय क्योंकि वाणिज्यिक रूप से यह एक सक्षम संगठन नहीं है। समिति ने उक्त 62वीं रिपोर्ट में अपनी की गई कार्रवाई रिपार्ट में इस सिफारिश को फिर दोहराया है। उपर्युक्त निगम् को समाप्त किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

बम्बई में वर्ष 1972 के दौरान की गई अनाज की नीलामी की जांच

708. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में 1972 में अनाज की नीलामी में कितने अधिकारी सम्बद्ध थे;

(ख) क्या दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिये कोई जांच गठित की गई है और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 1972 में खोले गए केन्द्र से खाद्यान्नों की बिक्री के बारे में भारतीय खाद्य निगम के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई विशेष जांच लम्बित पड़ी नहीं बताई जाती है। बिक्री केन्द्र को अब बन्द कर दिया गया है। लेकिन सरकार भारतीय खाद्य निगम से इस संबंध में अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, एकत्रित करने के लिये कह रही है।

अखिल भारतीय बस सेवा आरम्भ करना

709. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल द्वारा यात्रा करने में लोगों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या प्रायोगिक आधार पर अखिल भारतीय बस सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या ऐसी सेवा उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर आरम्भ की आयेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय स्थापित करना

710. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार से दिल्ली में एक और पूर्ण स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय को कोर्स द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसार, विश्वविद्यालय कोर्ट के कुछ सदस्यो तथा अन्यों के साथ कुलपति ने 26 दिसम्बर, 1973 को प्रधान मन्त्री से भेंट की और दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की चिन्ताजनक रूप से बढ़ रही संख्या सम्बन्धी समस्या तथा विद्यमान प्रशासनिक व शैक्षिक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया दिल्ली में एक दूसरा विश्वविद्यालय खोलने सहित काफी सुझावों पर विचार-विमर्श हुआ। विश्वविद्यालय में छात्रों व कालिजों की बढ रही संख्या से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने और इस समस्या को हल करने के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया ।

भारतीय खाद्य निगम के लौटाये गये चैक

711. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ चेक बिना सकारे लौटा दिय गय थ जिसके कारण ऋण पर मिलने वाली चीनी तथा अन्य अनाज नहीं मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) ऐसे केवल एक मामले के बारे में गंटूर से सूचना प्राप्त हुई, जोकि संदेश भेजने में विलम्ब होने के कारण हुआ। तथापि, चीनी और अन्य खाद्यान्नों की सप्लाई प्रभावित नही हुई थी।

फालतू मक्का और चने वाले राज्यों से इनका आयात करने के लिये बिहार द्वारा अनुमति मांगा जाना

712. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने फालतू मक्के और चने वाले राज्यों से इनका आयात करने के लिये अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य से बाहर चने के संचलन पर न तो कोई प्रतिबंध लगाया है और न ही किसी राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध लगाने पर अपनी सहमति ही प्रकट की है। जहां तक मोटे अनाजों का संबंध है, स्थिति का सावधानी से पुनरिक्षण करने के बाद भारत सरकार

ने यह निर्णय किया है कि मोटे अनाज के अंतर्राज्यीय संचलन पर लगी रोक को हटा देना चाहिए ताकि राज्य सरकारों के नामित एजेंटों के लिए अन्य राज्यों से मोटे अनाज खरीदना और लाना सम्भव हो सके। सभी राज्य सरकारों, जिनमें बिहार भी शामिल है, को 24-1-1974 को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गये हैं।

खाद्य पदार्थों तथा खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

713. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में (दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 तक) खाद्य पदार्थों तथा खाद्य तेलों के मूल्यो में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) निम्न लिखित सारणी में पहले तीन महीनों, अर्थात् 3 नवम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के तदनुरूपी सूचकांकों की तुलना में 2 फरवरी, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह (अन्तिम सप्ताह, जिसके सूचकांक उपलब्ध हैं) के विभिन्न खाद्य पदार्थों तथा खाद्य तेलों के थोक मूल्यों के सूचकांकों में प्रतिशत भिन्नता दी गई है :—

जिन्स	3-11-73 को समाप्त होने वाले सप्ताह के सूचकांकों की तुलना में 2-2-74 को समाप्त होने वाले सप्ताह के थोक मूल्यों के सूचकांकों में प्रातशत भिन्नता।	जिन्स	3-11-73 को समाप्त होने वाले सप्ताह के सूचकांकों की तुलना में 2-2-74 को समाप्त होने वाले सप्ताह के थोक मूल्यों के सूचकांकों में प्रति शत भिन्नता।
अनाज	(+) 5.3	मांस	(+) 9.8
दालें	(+) 1.2	फल तथा सब्जियां	(—) 5.9
गुड़	(—) 9.1	घी	(+) 1.3
चीनी (खुले बिक्री)	(+) 3.9	वनस्पति	(+) 12.1
दूध	(—) 1.8	खाद्य तेल	(+) 16.8
मछली	(+) 30.4	गर्म मसाले तथा अन्य मसाले	(+) 8.1
अंडा	(—) 5.8		

गत तीन महीनों में (अर्थात् 3 नवम्बर, 1973 से 2 फरवरी, 1974, तक) अनाज दाल चीनी (खुली बिक्री) मछली मांस, घी, वनस्पति, खाद्य तेलों, गर्म मसालों तथा अन्य मसालों के मल्यों में वृद्धि हुई है, जबकि गुड़े, दूध, अंड, फल तथा सब्जियां के मूल्यों

में गिरावट आई है। दिसम्बर, 1972 से लेवी की चीनी का प्रति कि० ग्रा० मूल्य 2.15 रुपये पर स्थित रहा है। मूल्यों में हुई वृद्धि के अनेक कारण प्रतीत होते हैं; जैसा कि गत वर्ष कम उत्पादन होने के कारण से पहले का बहुत कम स्टाक बचना, सट्टा व्यापार तथा स्टाक की जमाखोरी और देश में सामान्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां आदि।

स्वतंत्रता सेनानी अध्यापकों के सेवा काल में वृद्धि करना

714. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री स्वतन्त्रता सेनानी अध्यापकों के सेवा-काल में वृद्धि करने के बारे में 3 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3142 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानी अध्यापकों के सेवा-काल में पांच वर्ष तक की वृद्धि करने के बारे में दिल्ली प्रशासन ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या इसके लिए अध्यापकों से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितने आवेदकों से; और

(ङ) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी अध्यापकों की सेवा काल में एक वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय किया, जिन्हें ताम्र पत्र प्रदान किए गए हैं। ऐसे अध्यापक को ताम्र-पत्र-धारी तथा निरोग होना चाहिए।

(ग) से (ङ) कुछ ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी अध्यापकों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें ताम्र-पत्र प्रदान नहीं किए गये हैं। उनके आवेदन पत्रों पर उपलब्ध साम्य के आधार पर विचार किया जायेगा।

खाद्यानों के लेवी मूल्यों में वृद्धि

715. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के लेवी मूल्य में वृद्धि की है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ;

(ख) क्या कुछ राज्यों में चावल मिलें किसानों को भारतीय खाद्य निगम की अपेक्षा अधिक लेवी मूल्य दे रही है ;

(ग) क्या इससे वसूली पर कोई प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) सरकार इसे रोकने तथा अधिक खाद्यान्न वसूल करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) (ग) और (घ) : चावल मिलें किसानों को कोई लेवी नहीं देती हैं। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकारें चावल और धान के बारे में अधिप्राप्ति की विभिन्न प्रणालियां अपनाती है। कुछ राज्यों में अधिक से अधिक मात्राएं अधिप्राप्त करने के लिए धान के उत्पादको पर लेवी, चावल मिलों पर लेवी से सम्मिश्रित है।

विवरण

खाद्यान्नों की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने की दृष्टि से कुछ राज्य सरकारों ने 1973–74 के चालू खरीफ मौसम से चावल/धान के बारे में लेवी की प्रतिशतता बढ़ा दी है और कुछ राज्य सरकारों ने एक या अधिक खाद्यान्नों के बारे में नये सिरे से अनिवार्य लेवी लागू की है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

चावल/धान

(1) **बिहार** . मिलमालिकों/व्यापारियों पर लेवी की प्रतिशतता 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। धान के उत्पादकों पर लेवी के पमाने में भी वृद्धि कर दी गई है।

(2) **हरियाणा** . . मिलमालिकों/व्यापारियों पर लेवी की प्रतिशतता 90 से बढ़ाकर 95 कर दी गई है।

(3) **कर्नाटक** . धान के उत्पादकों पर लेवी की मात्रा बढ़ा दी गई है।

(4) **उड़ीसा** . धान की एकाधिकार खरीद की प्रणाली के अलावा, चावल हुलरों पर लेवी लागू की गई है।

(5) **तमिल नाडु** . व्यापारियों द्वारा चावल और धान की खरीदारी पर लेवी की प्रणाली के अलावा, धान के उत्पादकों और अधिशेष क्षेत्रों से चावल और धान का स्टाक भेजने पर लेवी लागू की गई है।

(6) **उत्तर प्रदेश** अधिशेष जिलों में मिलमालिकों और व्यापारियों पर लेवी की प्रतिशतता 70 से बढ़ाकर 80 कर दी गई है।

(7) **पश्चिमी बंगाल** मिलमालिकों पर लेवी के प्रतिशतता 50 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है।

मोटे अनाज

(1) **गुजरात** . . बाजरी के व्यापारियों पर लेवी लागू की गई है। इसके अलावा कृषकों को व्यापारियों, राज्य सरकार के क्रय एजन्टों और भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त अन्य को बाजरी बेचने की मन्दी है।

1973–74 के रबी मौसम में अधिप्राप्ति में कमी के कारण

चालू रबी विपणन मौसम (1973–74) के दौरान गेहूं की अधिप्राप्ति में धीमी प्रगति ग्रामीण क्षेत्रों से गेहूं की कम सप्लाई होने के कारण हुई है। यह आमद पिछले दो वर्षों से अपेक्षाकृत कम रही है जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) कुछ राज्य सरकारों के अनुसार गहूं का अन्तिम उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हुआ है।

(2) किसानोंने इस भावना से कि अन्य खाद्यान्नों के चल रहे मूल्यों की तुलना में गेहूं का 76 रुपये प्रति क्विंटल का मौजूदा अधिप्राप्ति मूल्य बहुत ही कम है, गेहूं रोक लिया ;

(3) पिछले कुछ वर्षों में गेहूं की उन्पादकता में वृद्धि होने से किसानों की स्टाक रोकने की क्षमता बढ़ गई है। किसान अपनी न्यूनतम वित्तीय आवश्यकताओं को चना, जो, आदि जैसी अन्य फसलों, को बेच कर पूरा कर लेता है। इन जिन्सों के अच्छे दाम मिल रहे हैं ;

(4) बाद में, वर्ष के कम आमद के मौसम में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य कमाने की प्रत्याशा में उत्पादकों की खाद्यान्नों को रोक लेने की प्रवृत्ति ;

(5) जनसाधारण में सामान्य कमी की मनोभावना का होना। इससे न केवल उत्पादकों बल्कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने भी बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की जमाखोरी की ;

(6) खुले बाजार में खाद्यान्नों की सामान्य कमी साथ में सरकारी वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों का सीमित वितरण ;

(7) थोक व्यापारियों और अन्य स्वार्थी पक्षों का इस नई नीति का जम कर विरोध और उसके विरुद्ध प्रचार ;

(8) फसल की कटाई के समय बाजार में विभिन्न उपभोक्ता-वस्तुओं विशेषकर वनस्पति, चीनी, सीमेंट, डीजल आदि में कमी। इन वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि ने किसान में रोका पैदा किया। उसकी नज़र में केवल उसके माल पर ही मूल्य नियन्त्रण लागू किया जा रहा है ; और

(9) पंजाब, हरियाणा और बिहार राज्यों में विरोधी दलों का गेहूं का थोक व्यापार लेले की निति के विरुद्ध प्रदर्शन।

मुख्य पत्तनों की आयातित अनाज उतराने की क्षमता

716. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक मुख्य पत्तन को आयातित माल तथा खाद्यान्न उतारने की दैनिक क्षमता कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : प्रत्येक बड़ी बन्दरगाह की आयातित खाद्यान्नों को सम्भालने की आंकी गई दैनिक क्षमता संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

बड़ी बन्दरगाहों की खाद्यान्न सम्भालने की आंकी गई दैनिक क्षमता

क्रम संख्या	बन्दरगाह	सम्भालने की दैनिक क्षमता (आंकड़े हज़ार मी० टन में)
1	बम्बई	5.1 (3 आरक्षित घाट)
2	कांडला	3.0 (2 आरक्षित घाट)
3	कोचिन	1.5
4	कलकत्ता	5.0
5	मद्रास	3.0 (2 घाट)*
6	विशाखापत्तनम	2.5 (2 आरक्षित घाट)
7	तोतिकोरिन	1.0
8	मारमूगौआ	0.5
9	भावनगर तथा सौराष्ट्र की अन्य बन्दरगाहें	1.5

*नोट :—मद्रास पर खाद्यान्नों के 3000 मी० टन सम्भालने की क्षमता एक ही समय पर 2 खाद्यान्न घाटों के कार्यचालन के बारे में है। यदि नियन्त्रण से बाहर कारणों से ऐसा सम्भव नहीं है, तो न्यनतम 2000 मी० टन सम्भाली जाएगी और शेष 1000 मीटरी टन कोचिन, तोतिकोरिन, नागीपत्तनम और कोझी कोड जैसी अन्य बन्दरगाहों पर सम्भाली जाएगी।

प्रत्येक पत्तन पर से भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाये गये माल की मात्रा

717. **डा० इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1973 और 31 जनवरी, 1974 के बीच प्रत्येक पत्तन पर से भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिकतम कितना खाद्यान्न उठाया गया ; और

(ख) प्रत्येक पत्तन पर गोदियो से माल उठाने की भारतीय खाद्य निगम की क्षमता क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अक्तूबर 1973 से जनवरी, 1974 तक के महीनों में प्रत्येक मास प्रत्येक बन्दरगाह से भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठवाई गई खाद्यान्नों की मात्रा और प्रत्येक बन्दरगाह पर गोदियों से माल उठवाने की भारतीय खाद्य निगम की मासिक क्षमता संलग्न विवरण में दी जाती है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6220/74]**

प्रत्येक पत्तन के ट्रांजिट शेडों में पडे खाद्यानों तथा उर्वरक

718. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वाई ईश्वर रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक पत्तन के ट्रांजिट शेड़ों में भारी मात्रा में खाद्यान्न और उर्वरक अलग अलग खुले स्थानों पर पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1 अक्तूबर, 1973 और 1 फरवरी, 1974 को वहां कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न तथा उर्वरक पड़े हुए थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(टनों में)

	खाद्यान्न				उर्वरक			
	ट्रांजिट शेड में		खुले में		ट्रांजिट शेड में		खुले में	
पत्तन का नाम	1-10-73 को	1-2-74 को	1-10-73 को	1-2-74 को	1-10-73 को	1-2-74 को	1-10-73 को	1-2-74 को
कलकत्ता	..	..	..	..	..	..	..	..
बंबई	2528	6292	..	.	109	941	1468	1112
मद्रास	9746	25239	..	..	4661	3094	..	..
कोचिन	..	15850	..	..	..	4330	..	..
मारमुगोआ	..	..	..	..	..	..	..	..
कांडला	4656	12756	..	..	7821	1646	7903	979
विशाखापत्तनम	13137	10639	..	6379	10823	9467	..	13406
पारादीप	..	..	..	..	..	..	..	..

टिप्पणी—ट्रांजिट शेडों और खुले स्थान से निकासी भारतीय खाद्य निगम अन्य आयातकर्ताओं द्वारा की जाती है ।

गोआ के प्राथमिक स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य बनाना

719. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ सरकार ने जून से आरम्भ होने वाले आगामी शैक्षिक वर्ष से गोआ के प्राथमिक स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया गया था ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य सरकारों को अनाज को रियायती मूल्य पर बेचने के निदेश

720. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक खाद्यान्नों को राज-सहायता द्वारा उचित मूल्य पर बेचने के निदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये निदेश क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में राजसहायता का अंश सम्मिलित होता है। इस विषय पर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई और अनुदेश नहीं जारी किए हैं।

रूस से अधिक गेहूं की सप्लाई की प्रार्थना

721. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री मधु दण्डवते :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूस को 1974 के दौरान अधिक गेहूं की सप्लाई करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना गेहूं आयात किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कोई ऐसा अनुरोध नहीं किया गया है। तथापि, सामान्य प्रश्न समीक्षाधीन है।

अन्तर्महाद्वीपीय बस परिवहन प्रणाली

722. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्महाद्वीपीय (इन्टरकान्टीनेन्टल) बस परिवहन प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक सम्पर्क सुदृढ़ बनाने के लिये एक कदम के रूप में ऐसी सेवा को कम से कम ढ़ाका और पिण्डी तक लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) इस समय सरकार के सम्मुख ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य कल्याण बोर्ड का हटाया जाना

723. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य समाज कल्याण बोर्डो को समाप्त करके उन्हें अपने अन्तर्गत लाना चाहती है ;

(ख) क्या समाज कल्याण की कुछ परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी ; और

(ग) यह कब कार्य रूप में आयेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डो को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संगठनात्मक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अधीन राज्य स्तर की समितियों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में निरक्षरता की प्रतिशतता

724. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में सामान्य रूप से निरक्षरता की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) व्यस्क निरक्षरता दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या किन्हीं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए अनुदान मिल रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1971 की जन गणना के अनुसार उड़ीसा में निरक्षरता की प्रतिशतता 73.82 है।

(ख) प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है। तथापि, भारत सरकार इस क्षेत्र में चुने गए जिलों में किसान कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं जैसे कुछ प्रयोगात्मक कार्यक्रम चला रही है, जिनमें से चार जिले उड़ीसा में है। पांचवी पंचवार्षीय योजना में कार्यात्मक साक्षरता, सामूहिक साक्षरता तथा गैर औपचारिक शिक्षा के परिवर्धित कार्यक्रमों पर विचार किया गया है, जिसमें उड़ीसा राज्य भी सम्मिलित होगा।

(ग) जी नहीं; किन्तु राज्य की एक स्वैच्छिक संस्था से हाल में ही प्राप्त हुए एक अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम, बालासोर, उडीसा के गोदामों में खाद्यान्नों की कमी के लिये नियत की गई जिम्मेदारी

725. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में उड़ीसा के बालासोर जिले के भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की कमी के लिए जिम्मेदार किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ; और

(ख) प्रत्येक गोदाम में कितनी कमी थी और इसकी लागत कितनी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के डिपो में अनुमेय सीमा से अधिक सभी कमी सम्बन्धी मामलों की जांच निर्धारित कार्यविधि के अनुसार की जाती है ।

पता चला है कि धान/चावल (723 मी० टन धान और 1601 टन चावल) जो कि 1972 के दौरान बालासौर जिले में मिल मालिकों के क्रय एजेंट और भण्डारण एजेंटों के पास पड़ा था, की कमी के लिए करार की शर्तों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम कार्यवाही कर रहा है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की मांगें

726. **श्री पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने अधिक वेतन सहित अध्यापकों की मांगे स्वीकार न किए जाने पर धरना देने, परीक्षाओं का बहिष्कार करने और हड़ताल करने की धमकी दी है ;

(ख) क्या मूल्य सूचकांक लगभग 300 प्रतिशत बढ़ाये जाने पर भी 1961 के बाद अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाये नहीं गये हैं और उनके लिए चिकित्सा और आवास की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने अपने 19 फरवरी, 1974 के पत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को अध्यापकों की मांगों को स्वीकार कराने के लिये कार्रवाई योजना से सूचित किया था । उसमें 18 फरवरी, को धरना, रैली तथा भूख हड़ताल तथा संसद के सामने प्रदर्शन भी शामिल था, जिसके बाद हड़ताल तथा परिक्षाओं और निरीक्षण कार्य का बहिष्कार भी सम्मिलित था ।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसके कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों का परिशोधन पिछली बार अप्रैल 1966 से किया गया था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों में और अधिक संशोधन करने के प्रश्न की जाँच की जा रही है । कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए आयोग एक योजना तैयार कर रहा है । विश्वविद्यालय ने अध्यापकों को अतिरिक्त आवासीय सुविधाएं देने के प्रश्न पर भी आयोग से चर्चा की है ।

डेरी फार्मिंग का आधुनिकीकरण

727. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डेरी फार्मिंग का अधुनिकीकरण करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस सबन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और विशेषकर राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में किये गये प्रदर्शनों से पता चलता है कि आधुनिक डेरी फार्मों की सहायता से (जिनमें अधिक उत्पादनशील रखे जाते हैं) कृषक भूमि की प्रति इकाई और दुधारू पशुओं से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रायोजित विभिन्न पशु और डेरी विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषकों को विदेशी नस्ल के पशुओं के साथ संकर प्रजनन कराने को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि देशी गायों की तुलना में दुग्ध उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सके। उनको यथासम्भव हरे चारे को खिलाकर पशुओं की पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने की भी सलाह दी जा रही है, जिससे कि दुग्ध उत्पादन की लागत को कम करने की दृष्टि से संकेन्द्रित दाने-चारे के व्यय को कम किया जा सके। इस सन्दर्भ में सघन पशु विकास योजना का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है, जो कि पशु विकास के क्षेत्र में एक अधिक महत्वपूर्ण उत्पादन प्रधान योजना है और इसके अन्तर्गत नियंत्रित प्रजनन, उन्नत दाने-चारे, पशु स्वास्थ्य संरक्षण, उचित प्रबन्ध और विपणन और दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों आदि के समस्त पहलुओं की व्यवस्था है। अभी तक विभिन्न राज्यों के ऐसी 62 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं में अधिक उत्पादनशील और पोषक चारे के उत्पादन पर लगा-तार ध्यान दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं में दुग्ध उत्पादन के लिये सुलभ और लाभप्रद मण्डी की व्यवस्था के लिये, प्रत्यक परियोजना मुख्य डेरी/दुग्ध आपूर्ति योजना के साथ सम्बद्ध कर दी गई है। अभी तक देश के विभिन्न भागों में लगभग 90 डेरी संयंत्र स्थापित किये जा चुके है, जिसमें से अधिकांश को सघन पशु विकास कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध किया गया है। सघन पशु विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत संकप प्रजनन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशों से अधिक संख्या में अधिक उत्पादनशील विदेशी पशु आयात किये जा रहे हैं। अभी हाल में, विदेशी नस्लों के प्रशीतित वीर्य के उत्पादन और पशु विकास कार्यक्रमों में उनके सम्भाव्य उपयोग के लिये 5 प्रशीतित बैंकों की भी स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। विदेशों के सहयोग से आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर, डेरी फार्मों का विकास करने के लिये भी कार्यक्रम आरम्भ किये गये है। भारत–स्विस परियोजना, मद्दूपट्टी(मुन्नार), केरल राज्य/नाभा (पंजाब), भारत–डेनिश परियोजना, हेसरघट्टा––मैसूर, भारत–जर्मनी परियोजना, मण्डी (हिमाचल प्रदेश,) भारत–आस्ट्रेलियन कार्यक्रम हिसार (हरियाणा)/बरपेट्टा (असम) उलेल्खनीय है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषकों को डेरी फार्म उद्योग की लाभप्रदता से अवगत कराया जाता है। यह कार्य कृषकों तथा उनके लड़कों के लिये अल्पावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करके किया जा रहा है।

उर्वरकों की कमी

728. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

श्री बूटा सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों की भारी कमी है जिससे न केवल वर्तमान रबी की फसल अपितु अगली खरीफ की फसल को भी खतरा बना हुआ है ;

(ख) क्या हमारे अपने उर्वरक संयंत्र प्रतिष्ठापित क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं ; और

(ग) इस बारे में निकट भविष्य में देश में भारी खाद्य संकट को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) रबी 1973-74 के मौसम में देश में उर्वरकों की कमी महसूस की गई थी। वर्तमान संकेतों के अनुसार आशा बन्धती है कि खरीफ 1974 के मौसम के लिए उर्वरकों की आवश्यकता न्यूनाधिक पूरी कर ली जाएगी ।

(ख) राउरकेला, नैवेली और उद्योग मण्डल (एफ० ए० सी० टी०) के उर्वरक कारखानों के अलावा अन्य नियमित रूप से चलने वाले कारखानों में उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम नहीं रहा है । उपर्युक्त तीन कारखानों में क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारण ये हैं कि राउरकेला में कच्चे माल की सप्लाई अपर्याप्त रही है और अन्य दो कारखानों में यांत्रिकी संबंधी तथा कुछ अन्य समस्याएं रही है ।

(ग) सरकार उर्वरकों के सम्बध में कई कदम उठा रही है । इनमें से कुछ इस प्रकार है:—

(1) यथासंभव अधिकतम मात्रा में उर्वरकों का आयात करने के प्रयास करना ।

(2) देशी कारखानों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने और नये कारखाने लगाने के प्रयत्न करना ।

(3) उर्वरक वितरण प्रणाली को तर्कसंगत बनाना ।

(4) उर्वरकों के उपलब्ध स्टाक के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना ताकि कृषि उत्पादन पर उर्वरकों की कमी का कम से कम प्रभाव पडे ।

शिक्षा प्रणाली की आवधिक समीक्षा

729. **श्री देवेंद्र सिंह गरचा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विकास और आवश्यकताओं के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन तथा आवधिक समीक्षा करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के संकल्प (1968) में की गई प्रगति की जांच तथा शिक्षा के भावी विकास के लिए मार्ग-निर्देशन की सिफारिश करने हतु प्रत्येक पांच वर्षों में पुनरीक्षण करने की परिकल्पना की गई है ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार देश की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में शिक्षा पद्धति के पुनर्निर्माण के लिए अत्याधिक प्रयास करने का है ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी 13 जून, 1973 की बैठक में शिक्षा के विकास की एक योजना स्वीकृत की थी। उसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) पूर्व-स्कूल विकास के कार्यक्रम पर अधिक बल देना ;

(2) प्रारंभिक शिक्षा को जिसे 855 करोड़ रुपए अथवा कुल विनिधान का 47 प्रतिशत मिलता है, सबसे अधिक प्राथमिकता देना। इसमें स्कूल भोजन कार्यक्रम "पौष्टिक आहार" के लिए निर्धारित 112 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। व्यापक सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर देकर, प्रथम कक्षा में पर्याप्त रूप से समान सहयोग पैदा करके, बरबादी और अस्थिरता को दूर करके बहु-कक्षाओं में प्रवेश, अंशकालिक शिक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, समाज के (विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के) पिछडे वर्गों के बच्चों को दाखिला देकर तथा कोटि में सुधार करके शिक्षा के विकास की नीति में आमूल परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है ;

(3) प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों पर विशेष बल देना जिसमें (क) निरक्षरता उन्मूलन और 15–25 आयु-वर्ग के लिये कल्याणकारी सेवाओं सहित अनौपचारिक शिक्षा और (ख) प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम को रोजगार कार्यक्रमों के साथ जोडना शामिल है।

(4) माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्कूलों के स्थान निर्धारण के लिये उचित योजना बनाने, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करने, 10-2-3 की समान पद्धति को अपनाने और कोटि में सुधार करने पर भी विशेष बल देने का प्रस्ताव किया गया है।

(5) विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित चार मुख्य उद्देश्य होंगे :—

(क) उच्च शिक्षा में दाखिले का विनियमन जो शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के अवसरों के सम्भावित क्षेत्र और पद्धति के अधिकाधिक अनुरूप होगा— एक महत्वपूर्ण नीति जिसको अब पहले पहल ही आरंभ किया जा रहा है ;

(ख) समाज के कमजोर वर्गों के लिए, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये उच्च शिक्षा के अधिकाधिक और समान शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था करना ;

(ग) उत्तर-स्नातक शिक्षा और अनुसंधान का विकास ; और

(घ) कोटि में सुधार ;

(6) युवक कल्याण, शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर विकास करना ;

(7) सभी स्तरों पर औपचारिक शिक्षा का विकास करना। जिसमें यह शामिल किया जायेगा : (क) बहु-कक्षाओं में प्रवेश और आरम्भिक स्तर पर अंशकालिक शिक्षा कार्यक्रम (ख) 15–25 आयु-वर्ग के युवकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम (ग) माध्यमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम (घ) राष्ट्रीय स्तर पर एक खुले विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना ; और (ङ) माध्यमिक और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर प्राइवेट अध्ययन के लिए पूर्ण सुविधाएं प्रदान करना ;

(8) मिडिल स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रसार और विविधिकरण सहित तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनाना और उसका गुणात्मक सुधार करना ;

(9) शैक्षिक निवेशों पर अधिकाधिक बल देना, जसे पाठ्यचर्या में संशोधन, कार्य अनुभव लागू करना, अध्यापन की नई पद्धति अपनाना, परीक्षा सुधार, पाठ्यपुस्तकों

में सुधार, सेवा-पूर्व और सेवा रत दोनों प्रकार की अध्यापक शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक शब्दावली का प्रयोग, जिसमें जन-संचार, अच्छा पर्यवेक्षण, स्कूल और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध का विकास शामिल है।

(10) सभी स्तरों पर चुनी हुई संस्थाओं का गुणात्मक सुधार करना ;

(11) कार्यान्वयन पर बल देना ; और

(12) सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों पर अधिक बल देना और उन्हें शिक्षा के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना ।

दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की स्थिति

730. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की स्थिति बुरी है और इससे दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को राशन की सप्लाई प्रभावित हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन गोदामों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के सारे गोदाम भण्डारण के अनुकूल है और समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं। दिल्ली के केन्द्र शासित प्रदेश में उचित मूल्य के दुकानदारों को नियमित सप्लाई की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली की राशन की दुकानों पर अनाज की अनुपलब्धि

731. **श्री देवेंद्र सिंह गरचा :**

श्री राज राज सिंह देव :

क्या **कृषि** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास राजधानी की राशन की दुकानों पर अनाज, विशेषत: गेहूं के कई दिनों तक उपलब्ध न होने के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या दुकानों से मानवीय उपभोग के अयोग्य अनाज भी पकड़ा गया है ; और

(ग) सप्लाई में ऐसे अत्यधिक विलम्ब एवं घटिया अनाज के उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरण के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) उचित मूल्य की दुकानों को उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई में सामान्यतया कोई असाधारण देरी नहीं होती है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध, मक्खन और घी की उपलब्धता

732. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना, दिल्ली में दूध, मक्खन और घी आसानी से मिलने लग गया है अथवा कठिनाई बनी हुई है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है कि दिल्ली दुग्ध योजना दूध तथा दूध के उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुद्ध प्रिय मौर्य) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना लगभग 3 लाख लिटर पास्चुरीकृत दूध का वितरण करती है। वह अपनी पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कर रही है। इसके अलावा दिल्ली दुग्ध योजना जनता को बिक्री के लिये मक्खन और घी सहित अन्य दुग्ध उत्पादों का भी उत्पादन करती है। इनका उत्पादन पास्चुरीकृत दूध की आवश्यकता पूरी कर लेने के बाद पर्याप्त मात्रा में दूध के उपलब्ध होने पर ही किया जाता है। टोकनधारियों को उनकी पूरी आवश्यकता के अनुसार पास्चुरीकृत तरल दुग्ध सप्लाई किया जा रहा है और दिल्ली दुग्ध योजना के लिये व्यावसायिक आधार पर मक्खन और घी का उत्पादन करना संभव नहीं हो सका है। केवल संसद-सदस्यों और महानगर परिषद के सदस्यों को बेचने के लिये थोड़ी मात्रा में मक्खन और घी तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य जनता को कुछ हद तक टेबल बटर भी बेचा जाता है।

(ख) शहर की कुल दूध की आवश्यकता प्रतिदिन 7 लाख लिटर होने का अनुमान लगाया गया है जबकि दिल्ली दुग्ध योजना अभी इसका लगभग 43 प्रतिशत ही पूरी कर रही है। केन्द्रीय डेरी की क्षमता वर्तमान 3 लाख लिटर से बढ़ाकर 3.75 लाख लिटर तरल दूध की करने के लिये इसका विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली में 4 लाख लिटर प्रतिदिन की क्षमता की एक अन्य डेरी का भी निर्माण किया जा रहा है और इसके चालू वर्ष के अंत में काम शुरू कर देने की संभावना है। उस समय दिल्ली दुग्ध योजना दूसरी डेरी के साथ राजधानी की तरल दूध की पूरी आवश्यकता पूरा कर सकने की स्थिति में हो जाएगी। तथापि दिल्ली दुग्ध योजना के लिये व्यावसायिक आधार पर दुग्ध उत्पादों को बनाना, तरल दूध की आवश्यकताएं पूरी कर सकने के बाद ही संभव हो सकेगा।

दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने दुग्ध क्षेत्रों से दूध की वसूली का काम तेज करने के लिये उपाय किये है और इन दुग्ध क्षेत्रों की राज्य सरकारों से दूध की सप्लाई प्राप्त करने में सहायता देने के लिये अनुरोध किया गया है, ताकि दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहे और यह बिना किसी रुकावट के लोगों की तरल दूध की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार

733. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1974 को हमारे सुरक्षित भंडारों में कितना खाद्यान्न था ;

(ख) खाद्य मोर्चे पर देश जिस संकट का सामना कर रहा है, उसको देखते हुए क्या यह सुरक्षित भंडार पर्याप्त है ; और

(ग) सुरक्षित भंडारों में वृद्धि करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) पहली फरवरी, 1974 को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास लगभग 34 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का अनुमानित कुल प्रत्यक्ष स्टाक था। इस स्टाक की सरकारी वितरण प्रणाली की कार्यचालन संबंधी आवश्यकताओं की न्यूनाधिक पूर्ति हेतु जरूरत है। अधिप्राप्ति में तेजी लाकर तथा यथासम्भव मात्रा में आयात कर स्टाक की भरपायी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

गोपालपारा जिले में बागवान में पाए गए प्राचीन पंजर अवशेष

734. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आसाम के गोपाल-पारा जिले के बागवान में लगभग चार से पांच हज़ार लोगों के प्राचीन पंजर अवशेष पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुरातत्वविदों ने कोई टिप्पणियां की हैं, ये पंजर किस अवधि के हैं ; और

(ग) क्या ये पंजर विभिन्न संग्रहालयों में रखे जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) पुरातत्व तथा राज्य संग्रहालय निदेशक, गोहाटी ने यह सूचित किया है कि प्रस्तावित स्थान कब्रस्तान मालूम पड़ता है और इस स्थान में जितने अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, उनकी वास्तविक संख्या केवल एक दर्जन के लगभग है। ये अभी हाल की ही हैं । इन परिस्थितियों में इन्हें संग्रहालय में संरक्षित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Assurance given by Union Agriculture Minister on Central Legislation for Cow Protection

735. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased state :

(a) whether some Members of the Goraksha Samiti (Cow Protection Committee) met him a few days back and he had given an assurance to them for enacting a legislation for cow protection throughout the country;

(b) whether they had sought Government's cooperation for uninterrupted functioning of the Goraksha Samiti (Cow Protection Committee) in the entire country; and

(c) if so, the facilities provided to said Committee by Government?

The Minister of Agriculture (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Some Members of Committee on Cow Protection had called on the Union Minister of Agriculture. No question of an assurance for enacting a legislation for cow protection throughout the country could arise and no such assurance was given as the whole matter relating to legislation in respect of cow slaughter is being considered by the Committee on Cow Protection and action in this regard will be taken by the Government after the Committee has given its report and it has been considered by the Government.

(b) & (c) The Committee on Cow Protection is having its regular meetings and the Government's cooperation for uninterrupted functioning is always available. Normal facilities as provided to the high powered committees appointed by the Government have been given to the Committee on Cow Protection.

Expenditure incurred by Food Corporation of India on Food Zones

736. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3117 on 3rd December, 1973 regarding Zones for foodgrains and state the expenditure incurred by Food Corporation of India on food zones, zone-wise during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):

The Food Corporation of India incurs expenditure on account of trading in foodgrains and other foodstuffs. No expenditure is incurred by the Food Corporation of India on account of food zones.

Arrest of Students for Hijacking and Damaging D.T.C. Buses in Delhi

737. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will th eMinister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether 16 students of Pusa Institute, Delhi were arrested on the 20th December, 1973 for hijacking and damaging the buses;

(b) whether the students had expressed their wrath over the irregular D.T.C. Bus Service; and

(c) the steps taken by Government to improve the Bus Service?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) The students of Pusa Polytechnic held up sixteen D.T.C. buses at Pusa Gate Crossing near East Patel Nagar from 09·50 to 14·36 hrs., on 20th December, 1973; ostensibly on the ground that the operation of bus services was irregular. The students also demanded three extra trips between Tilak Nagar, R.K. Puram and Red Fort to the above Polytechnic and back. After discussion with the students on the spot, it was agreed that two extra trips would be provided from Tilak Nagar and Red Fort on routes No. 53 and 13-C respectively upto East Patel Nagar. A case was registered against nineteen students of the Institute when they did not allow the buses to be moved by the Police and they were arrested.

(c) The buses, which have out-lived their economic life, are being scrapped and new buses are being added gradually to the fleet of the Corporation. Orders were placed on the manufactures and body builders for 425 new buses during the year 1972-73, out of which 225 have already been added to the fleet of the Corporation. The remaining buses are expected to be received by the end of April, 1974. The Corporation also proposes to purchase 590 buses (including 90 double deckers) during 1974-75. The question of operating private mini buses under DTC's control is also receiving attention. Further, the Corporation has taken steps to improve the facilities for repairs and main tenance of its buses, so that breakdowns may be reduced and outshedding improved as far at possible.

Allotment of Houses built by D.D.A. to Members of Parliament

738. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the different types of houses built by the Delhi Development Authority;

(b) whether facilities for allotment of houses out of them to Members of Parliament also exist; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) The Delhi Development Authority has constructed flats for allotment to persons in the Middle Income Group (those with annual incomes ranging between Rs. 7,201 and Rs. 18,000), Low Income Group (annual incomes upto Rs. 7,200), Janta Group (annual incomes upto Rs. 3,000) and Community Service Personnel. A limited number of flates have also been built for allotment to persons, irrespective of their incomes ('D' Category-bigger type flats).

(b) Yes, Sir.

(c) Two per cent of the flats built by the D.D.A. are reserved for allotment, on the basis of their annual incomes, to Members of Parliament, Members of the Metropolitan Council, Councillors of the Delhi Municipal Corporation and non-official members of the New Delhi Municipal Committee and the Delhi Cantonment Board. Instructions are being issued to the D.D.A. to raise to three percent the reservation in respect of the MIG category to cover allotments on the basis of applications to be invited in future.

पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिये आवास का लक्ष्य

739. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिये आवास के लक्ष्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) पांचवी पंच वर्षीय योजना के प्रथम वष के लिए आवास निर्माण के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में आवास सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सहायता

740. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से आवास के लक्ष्य को पूर्णरुप से प्राप्त कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास स्थल देने की केन्द्रीय योजना के लिए, जो अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी, केवल हिमाचल प्रदेश सरकार को पृथक केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है । इस योजना के अन्तर्गत कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे । तथापि हिमाचल प्रदेश के लिए 430 आवास-स्थलों की व्यवस्था के लिये 64,500 रुपये की अनुमानित लागत की परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है तथा परियोजनाओं के निष्पादन के लिये राज्य सरकार को दो किश्तों में अभी तक 32,250 रुपये की राशि दी गयी है । आगे की किश्ते खर्च की प्रगति को देखकर दी जायेंगी । जैसा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा सूचित किया गया है, सितम्बर, 1973 के अन्त तक 111 आवास स्थलों का विकास किया जा चुका था ।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं तथा उनकी वित्त व्यवस्था राज्य सरकार, अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार करती है । राज्य सरकार को, सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये, जिसमें आवास शामिल है, केन्द्रीय सहायता 'समेकित ऋणों' और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है । राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित करने तथा उनके कार्यान्वियन के लिये निधियां निर्धारित करने में स्वयं सक्षम हैं ।

हिमाचल प्रदेश में चौथी योजना के दौरान कृषि उत्पादन लक्ष्य

741. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश का चौथी योजना का कृषि उत्पादन लक्ष्य पूरा हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (क) खाद्यान्नों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादन का चौथी योजना का लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना है। जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है चतुर्थ योजना के 13.50 लाख मीटर टन के लक्ष्य के मुकाबले में 11 लाख मीटरी टन उपलब्धि का अनुमान लगाया गया है। यह कमी मुख्यत: प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों की मौजूदगी, रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी और पोंगबांध के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र जलमग्न होने की वजह से हुई है।

अन्य जिन्सों के संबंध में लक्ष्य और सम्भावित उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

(उत्पादन '000 मीटरी टन)

फसल	लक्ष्य स्तर 1973-74	सम्भावित उत्पादन 1973-74
आलू	96.80	97.00
सब्जियां . .	83.00	83.00
सेब	173.00	173.00
अन्य फल	68.00	68.00

महानगरों में दूध बेचने की मशीनें लगाना

742. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में दूध की बिक्री के लिए मशीनें लगाने का विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) भारतीय डेरी निगम से सहायता प्राप्त आपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अन्तर्गत अन्य कार्य-विधियों के अतिरिक्त दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की मौजूदा डेरियों का विस्तार किया जा रहा है और नई डेरियां स्थापित की जा रही हैं। मौजूदा विस्तारित डेरियां बोतलों में दूध सप्लाई करेंगी, किन्तु नई डेरियां नए से कार्य करेंगी। उस पृथक प्रणाली के अन्तर्गत मशीनों की सहायता से दूध बेचा जायेगा।

(ख) पूरी तरह विचार-विमर्श करने के बाद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और दिल्ली में जो नई डेरी बनाई जा रही है उसमें मशीनों की सहायता से दूध बेचने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रणाली के अन्तर्गत अत्यधिक प्रशीतित दूध नई डेरी से विशेष रूप से बनाई गई दूध की टंकियों में भर कर शहर के विभिन्न भागों में स्थित दूध बेचने वाली मशीनों को भेजा जाएगा। यह दूध ठंडा रहेगा और इन मशीनों द्वारा ग्राहकों को इसी रूप में वितरित किया जाएगा।

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

पश्चिम बंगाल सरकार ने नई डेरी से बड़ी मात्रा में दुग्ध वितरण करने का सुझाव दिया है। सड़कों के कई भाग तंग होते हैं अत: दुग्ध वितरण आंशिक रूप से दूध बेचने वाली मशीनों द्वारा किया जाएगा और कुछ दूध डिब्बों में भर कर वितरित किया जाएगा। इस बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना है।

इस की नई डेरी भी शुरू में नई डेरी के कुल उत्पादन के आधे भाग को दूध बेचने वाली मशीन की सहायता से बेचेंगी । बम्बई से संबंधी प्रस्ताव पर महाराष्ट्र सरकार की सलाह से अंतिम निर्णय किया जायेगा ।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की नई डेरियों के लिये प्रस्तावित दूध बेचने वाली प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं :—

(i) दूध बेचने वाली मशीनों की सहायता से दूध सप्लाई करने से बोतलें भरने में जो लागत पड़ती है उसमें कमी होगी और परिवहन के खर्च में भी कमी हो जायेगी ।

(ii) यह दूध उस दूध की तुलना में, जो बोतलों में भरा होता है और सुबह शाम केवल दो घंटों तक ही ठीक हालत में रहता है, अधिक समय तक स्वास्थ्यकर रहेगा ।

(iii) इस प्रणाली से वितरित होने वाला दूध बोतलों में बेचे गए दूध की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यकर होगा, क्योंकि इस दूध को ग्राहक को दिए जाने तक 5 डिग्री सेन्टीग्रड के तापमान पर रखा जाएगा ।

कमी के कारण खाद्य पदार्थों के उपभोग में किफायत

743. **श्री ई० वो० विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1973-74 के दौरान देश में खाद्यान्नों के अभाव को देखते हुए राष्ट्रभर में खाद्य पदार्थों की खपत में किफायत बरतने तथा अनावश्यक खपत रोकने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अगस्त, 1972 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को जारी किए आदेशों, जो कि अभी भी प्रचलित हैं, के अनुसार अतिथियों सहित जितने व्यक्तियों को अनाजों और दालों से बने खाद्य पदार्थ तथा मिठाइयां परोसी जा सकती हैं, उनकी संख्या को साधारण पार्टियों के बारे में 25 और शादियों और अन्त्येष्टि संस्कार से संबंधित पार्टियों के बारे में 100 तक सीमित रखा गया था । इन अनुदेशों की देश में चल रही कठिन खाद्य स्थिति के संदर्भ में समीक्षा की गई थी और उपर्युक्त मित-व्ययिता संबंधी उपायों को और सख्त करने का निर्णय किया गया था । तदनुसार, फरवरी 1973 में राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे खाद्य (भोजनालयों द्वारा भोजन परोसने पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1973 जारी कर होटलों और अन्य भोजनालयों में परोसे जाने वाले खाने के सभी दौरों पर प्रतिबन्ध लगा दें । इस आदेश के अधीन, केवल दो प्रकार के भोजन परोसे जाएंगे एक प्रमुख भोजन और दूसरा गौण अथवा दोनों गौण जैसाकि नीचे दिखाया गया है :—

प्रमुख भोजन:—मछली अथवा मांस अथवा मुर्गी अथवा शिकार से बना भोजन अथवा इनमें से किसी एक से बना शोरवा अथवा सब्जियों से बना शोरवा और चावल या पुलाव या चपातियां या परोटें या भाकरीस या नान या डबलरोटी अथवा गेहूं से या गेहूं के आटे से बना कोई पदार्थ प्रमुख भोजन के अन्तर्गत आएगा ।

नोट :—सभी मामलों में सुलाद, दाल और दो सब्जियों तक प्रमुख भोजन के अंग के रूप में परोसे जा सकते हैं ।

गौण पकवान :—कोई भी मिष्ठान्न, अथवा मुख्यत: सब्जियों या अण्डों से बना एक पकवान गौण भोजन के अन्तर्गत आएगा । गौण भोजन के अन्तर्गत अनाज से बना कोई पकवान नहीं आएगा ।

1973–74 में वनस्पति का उत्पादन

744. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 और 1972-73 के उत्पादन की तुलना में वनस्पति तेल का उत्पादन 1973-74 में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में खाए जाने वाले तेलों की सप्लाई को बढ़ाने के लिए 1973-74 में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां। वनस्पति का उत्पादन 1971-72 के 5.94 लाख मीटरी टन से गिरकर 1972-73 में 5.80 लाख मीटरी टन और 1973-74 में अनुमानतः 4.45 लाख मीटरी टन रह गया ।

(ख) इसका मुख्य कारण 1973-74 के दौरान वनस्पति बनाने के लिये कच्चे तेलों की अपर्याप्त उपलब्धता और साथ में विश्व के बाजारों में खाद्य तलों की कमी होना था । कच्चे तलों की कमी 1972-73 के फसल वर्ष में मूंगफली की पैदावार में 22.6 लाख मीटरी टन तक की भारी कमी होने के कारण हुई थी ।

(ग) 1973-74 के दौरान सरकार ने य पग उठाए हैं :—(1) उत्पादन और वनस्पति के निर्माण में बिनौले, सरसों, चावल की भूसी की तेलों जसे वेकल्पिक दशी तेलों के प्रयोग को बढ़ावा देना (2) विदेशी मुद्रा पर ऊंची कीमत देकर भी तेलों का अधिक आयात करना और (3) गैर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में क्षमता लगाने को हतोत्साहित करना ।

मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण वनस्पति के उत्पादन में कमी

745. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :**

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के तेल के मूल्य में अचानक वृद्धि के कारण देश में वनस्पति का उत्पादन करने वाले 74 कारखानों में से लगभग आधे कारखाने या तो बन्द हो गए हैं या उनके उत्पादन में भारी कमी हो गई है;

(ख) उपभोक्ताओं को वनस्पति तेल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार कारखाने बन्द हो जाने या उत्पादन में कमी हो जाने के कारण उपभोक्ताओं को वनस्पति तेल की नियमित सप्लाई पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सामान्य उत्पादन की अवधि में भी किसी विशिष्ट अवधि में लाइसेंसशुदा और स्थापित फैक्टरियों की संख्या का केवल लगभग दो तिहाई फैक्ट्रियां कार्य किया करती थीं क्योंकि उनकी क्षमता मौजूदा मांग से काफी अधिक थी । जनवरी, 1974 के पहले पखवाड़े में मूंगफली के तेल की ऊंची कीमतों के कारण कुछ और फैक्टरियों ने अस्थायी तौर पर उत्पादन स्थगित कर दिया था । जनवरी, 1974 के दौरान उत्पादन में कुल कमी दिसम्बर, 1973 के उत्पादन की तुलना में 26.7 प्रतिशत थी ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा किए गए उपचारी उपायों का इच्छित परिणाम निकला और उत्पादन सामान्य स्तरों पर पहुंच गया है। इससे वनस्पति की सप्लाई स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है।

शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निश्चित करने वाला आदर्श कानून

746. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या शहरी संपत्ति को उच्चतम सीमा निश्चित करने वाले आदर्श कानून को राज्य सरकारों की राय जानने के लिये परिचालित किया गया था;

(ख) उस पर किन राज्यो ने अपनी राय दी है;

(ग) क्या शहरी संपत्ति पर उच्चतम सीमा लगाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की गई है; और

(घ) शहरी संपत्ति को उच्चतम सीमा निश्चित करने संबंधी कानून कब तक संसद में लाया जाएगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित राज्यों की सरकारों ने अपनी राय दे दी थी :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू और कश्मीर
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. महाराष्ट्र
11. मैसूर
12. नागालैंड
13. उड़ीसा
14. पंजाब
15. राजस्थान
16. तमिलनाडु
17. त्रिपुरा
18. उत्तर प्रदेश
19. पश्चिम बंगाल

(ग) तथा (घ) यह मामला विचाराधीन है।

Over-Crowding in the D.T.C. Buses due to rise in Price of Petrol

747. **Shri Lalji Bhai :**

Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that due to shortage of petrol and rise in its prices, a large number of persons have stopped using their scooters, cars etc. and most of them now travel by D.T.C. buses;

(b) whether as a result of this, the D.T.C. buses have become over-crowded adding to the inconveniences of the travelling public;

(c) whether Government propose to increase the number of buses immediately ; and

(d) if so, the extent thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) Yes, Sir. As a result of curbs placed on consumption of petrol and increase in its price, there has been some shift from personalised transport to public transport.

(c) & (d) Yes, Sir. 200 new buses are expected to be added to the fleet of the Delhi Transport Corporation by the end of April, 1974. The Corporation proposes to purchase 500 more single decker and 90 double decker buses during 1974-75. The Corporation has also started engaging private mini buses. The State Transport Authority, Delhi, has recently granted 35 regular mini bus permits to the Corporation for certain specified routes and it is expected that all the 35 mini buses would be running on their respective routes by March 1974.

Inconvenience to the passengers due to illigible route number of the D.T.C. Buses

748. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state whether most of the D.T.C. Buses do not bear legible route numbers and destinations causing a lot of inconvenence to the passengers ?

Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : An adequate number of destination and route boards has been provided for the D.T.C. buses which are outshedded from the depots. The difficulty in displaying legible route numbers and destination boards arises only when buses are diverted from their normal routes to other routes to meet traffic requirements. To obviate this difficulty, the Corporation has now painted a square just below the left wind screen glass of the bus which the route number is invariable written with a chalk whenever the bus is diverted from its normal route. The Corporation also proposes to put up a bigger destination board box so that the board displayed in it may be legible from a distance. The new type of the destination boxes are being provided in the new buses being acquired by the Corporation.

Insects in Bottle of Milk supplied by Delhi Milk Scheme

749. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that insects have been found in the bottle of milk supplied by Delhi Milk Scheme in December, 1973; and

(b) if so, whether an inquiry has been conducted in this regard and the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b) Two cases of milk bottles allegedly containing insects were reported to Delhi Milk Scheme in December, 1973. In one case the cap of the bottle returned was found to be loose and therefore, it was not possible for DMS to check whether the dead house fly which was found in the bottle was present in the bottle when the milk bottle was sold to the customer. The DMS cannot obviously take responsibility for cases of such nature where the bottle is returned with a loose cap. In the other case, pupae of some insect was found in the bottle

This evidently was as a consequence of an unwashed empty bottle having been returned by a customer to the Delhi Milk Scheme and the pupae was so firmly attached to the inside surface of the bottle that it was not removed by mechanical washing which every milk bottle undergoes at the Delhi Milk Scheme. Every bottle is thoroughly washed in an inverted position by mechanically operated detergent jets and chances of any foreign matter remaining in the bottle during this process are remote. Every bottle passes through an inspection point before it is filled and bottle(s) with any doubtful contents are removed at this point. This therefore, appears to be a stray case of a bottle remaining unwashed considering that 5·75 lakh bottles are washed, filled and distributed daily. While the DMS has been and will continue to maintain strict pest control measures in the dairy and also ensure that each bottle is thoroughly washed and inspected before it is filled with milk, the Scheme is also reiterating its request to the customers to wash the milk bottles after pouring out milk and keep these in a clean place before they are tendered at the milk booths at the time of collection of milk.

Sex Education at School level

750. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to impart sex education at school level in the near future;

(b) if so, the salient features of the scheme; and

(c) whether the introduction of this scheme will help in making family planning scheme more effective ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Production of Wheat during Current Year

751. **Shri B. S. Chowhan :**

Shri Probodh Chandra :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the likely production of wheat by the end of current year ; and

(b) how it compares with that of the last year ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) According to the All-India Final Estimate, during 1972-73, the output of wheat in the country amounted to 24·92 million tonnes. The Final Estimate of production of wheat in the country during the current year, 1973-74, would become available after the close of the agricultural year, i.e. some time in July-August, 1974. However, the production in this year would be influenced by a number of a factors, including favourable condition of soil moisture that prevailed at the time of sowing, deficiency of rainfall during January-February 1974, overall shortage of fertilisers and weather conditions during the remaining part of the season in the different wheat growing areas.

Study by Khadi and Gramodyog Commission regarding distribution of Food Stuffs at Low Prices

752. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Khadi and Gramodyog Commission has made a study in regard to arrangements for the supply of pure food-stuffs direct to the public in the whole country at fair prices; and

(b) if so, the salient features of the report of the Commission indicating the date when this study was initiated ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) & (b) The requisite information has been called far from the Khadi and Village Industries Commission, Bombay.

Request from Maharashtra to remove Ban on Inter-State movement of Wheat

753. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Maharashtra has asked the Central Government to remove the ban imposed on the Inter-State movement of wheat ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) No formal proposal of this nature has been received. However, the policy of single State wheat zones aims at procuring maximum quantities of wheat in the surplus States for meeting the requirements of the deficit States.

कोचीन शिपयार्ड के कर्मचारियों द्वारा मनाया गया विरोध दिवस

754. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड के कर्मचारियों ने हाल में विरोध दिवस मनाया था और कर्मचारियों ने दिसम्बर के अपने वेतन को लेने से इन्कार कर दिया था,

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा रखी गई मांग क्या है, और

(ग) इस मामले को सुलझाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां । कम्पनी के अपने वेतनमान तथा भत्ते के अन्तिम रूप दिये जाने तक के लिये कर्मचारियों ने 31-12-73 को अन्तरिम सहायता की अपनी मांग के समर्थन में एक प्रदर्शन किया। अनेक कर्मचारियों ने दिसम्बर का अपना वेतन जो 29-12-73 को वितरित किया गया को नहीं लिया । इन कर्मचारियों ने अपना वेतन अगले कार्यदिवस को लिया ।

(ग) कंपनी ने अपने वेतनमान तथा सेवा संबंधी शर्तें तैयार करने की कार्रवाई कर ली थी । कर्मचारियों के संघ से बातचीत करने के बाद 8-2-74 को उनके वेतन के ढांचे तथा अन्य सेवा की शर्तों के बारे में एक दीर्घकालीन समझौता हुआ है ।

पोलैंड के सहयोग से केरल में मत्स्य भोजन संयंत्र की स्थापना

755. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार पोलंड सरकार के सहयोग से केरल में एक मत्स्य भोजन संयंत्र स्थापित करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पोलैंड सरकार के सहयोग से केरल में मत्स्य चूर्ण संयंत्र स्थापित करने के संबंध में भारत सरकार को केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राशन की मात्रा बढ़ाने के लिए केरल से प्रतिनिधि मंडल

756. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार केरल सरकार की राशन की मात्रा 6 से बढ़ाकर 12 औंस करने की मांग को स्वीकार नहीं करेगी ;

(ख) क्या हाल ही में इस बारे में केरल के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिला था; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो केरल तथा वैसे ही अभाव वाले अन्य राज्यों के प्रति केन्द्र की खाद्य नीति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) स्टाक की समूची उपलब्धता, सभी राज्यों, विशेषकर कमी वाले राज्यों की साक्षेप आवश्यकता, बाजार उपलब्धता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर, केन्द्रीय भंडार से राज्य सरकारों को प्रति माह खाद्यान्नों के आबंटन किए जाते हैं । केरल के मुख्य मंत्री की केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ हुई चर्चा के दौरान खाद्य स्थिति पर चर्चा की गई थी और जनवरी, 1974 से राज्य सरकार के आबंटन को बढ़ा दिया गया था ।

राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण और कार्डधारियों को दी जाने वाली मात्रा का निर्धारण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ।

कोचीन शिपयार्ड में जहाज बनाना

757. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कोचीन शिपयार्ड में मालिकों को जहाज बनाने के लिये अब तक कितने आशय पत्र जारी किये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सूचना क्या है , और

(ग) पहला जहाज कब तक बनाया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को पोत स्वामियों से तीन आशय पत्र प्राप्त हुए हैं। कुछ अन्य पोत स्वामियों ने भी कोचीन शिपयार्ड में बनाये जाने वाले प्रास्ताविक जहाजों में अपनी रुचि व्यक्त की है ।

(ग) प्रथम जहाज का निर्माण 1975 के आरम्भ में शुरू होने और 1977 की तीसरी तिमाही में पूर्ण होने की संभावना है ।

केरल को वचनानुसार चावल के कोटे का आवंटन

758. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री द्वारा लागाये गये इस सार्वजनिक आरोप की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य को चावल की सप्लाई के वचन पूरे नहीं किये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पिछले 6 मास से केरल को दिये गए चावल और गेहूं की मात्रा कितनी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) केन्द्रीय भंडार में उपलब्धता, राज्य सरकारों की सापेक्ष जरूरतों, बाजार-उपलब्धता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय भंडार से राज्य सरकारों की खाद्यान्नों का मासिक आबंटन किया जाता है। केरल सरकार आबंटन के बारे में भारत सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुये है। पिछले छः महीनों के दौरान केन्द्रीय भंडार से राज्य को चावल और गेहूं की आवंटित तथा सप्लाई की गई मात्राएं इस प्रकार हैं :—

(हजार मीटरी टन में)

माह	आबंटन		सप्लाई	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
अगस्त, 73	55.0	30.0	60.9	39.0
सितम्बर, 73	45.0	30.0	49.8	25.3
अक्तुबर, 73	45.0	30.0	50.3	35.8
नवम्बर, 73 .	53.0	20.0	46.9	14.3
दिसम्बर, 73 .	65.0	8.0	70.1	8.0
जनवरी, 74 . . .	72.0	8.0	65.2	7.8

National Highways in Tribal Areas

779. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the States where roads have been built as National Highways in tribal areas till now, the length thereof and the amount spent thereon and the places in Rajasthan where such roads are at present under construction; and

(b) whether Central Government undertake construction of only such roads in tribal areas which have been declared as National Highways or otherwise also?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) National Highways are planned and developed as trunk roads linking the various parts of the country as a whole and not for any particular area or region. Some of these highways pass through areas with tribal concentration. A statement indicating the approximate length of National Highways passing through such areas in different States is attached. The total expenditure incurred on National Highways original works upto 31-3-73 (excluding repairs and maintenance) is Rs. 202·60 crores. This includes expenditure on such works in tribal areas covering interalia Udaipur and Dungarpur districts in Rajasthan.

(b) The Government of India are primarily responsible for the development and maintenance of National Highways only. Other roads are the primary responsibility of the respective State Governments. However, loan assistance is provided to the State Governments for roads under certain specific programmes which in some cases, cover some tribal areas as well. In addition in the 4th Plan some grants-in-aid have also been given for development of certain arterial roads under six pilot projects for tribal development in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Orissa.

STATEMENT

S. No.	Name of State	Approximate length in Kms.
1	Andhra Pradesh	96
2	Assam .	40
3	Bihar .	472
4	Gujarat .	45
5	Madhya Pradesh .	440
6	Maharashtra	116
7	Manipur	147
8	Meghalaya	344
9	Nagaland	107
10	Orissa .	361
11	Rajasthan	100
12	Himachal Pradesh	120
	TOTAL .	2388

Setting up of Delhi Art Commission

760. Shri M. C. Daga :

Shri Prabodh Chandra :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Delhi Art Commission has been set up and if so, when and the names of its members along with the date of their appointment; and

(b) whether all the rules under Delhi Urban Art Commission Act have been formulated and laid on the Table of the House?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) The Commission has not yet been set up.

(b) The rules are under formulation.

Number of Houses Constructed State Wise

761. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the State-wise number of houses constructed during the Fourth Five year Plan period with Central assistance indicating the expenditure incurred by the State Governments concerned separately in connection therewith and the scheme under which these houses were constructed; and

(b) the number of houses constructed for the agricultural labourers out of them?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) (a) All social housing schemes introduced by the Ministry of Works and Housing excepting Subsidised Housing Scheme for Plantation Workres and the Scheme for provision of House-Sites to the landless workers in rural areas which are in the Central Sector) are in the State Sector. Central financial assistance to the States is given in the form of 'Block Loans' and 'Block grants' for implementation of all State sector shemes, including social housing schemes. The States have complete freedom to allocate funds under their programmes according to priorities and requirements determined by them. Under the Subsidised scheme for Plantation Workers, Central assistance is limited to the extent of 87½%—50% as loan and 37½% as subsidy. Under the house-site scheme, 100% Central assistance is made available in the shape of out right central grant to the States.

Two statements showing the expenditure incurred and the houses constructed (so far reported by the various State Governments etc.) under the different social housing schemes during the Fourth Five Year Plan are attached—(Annexure I & II). [*Placed in the Library* See *No. L.T.*—6221/74.]

(b) No separate scheme has been formulated by this Ministry for construction of houses specifically for the agricultural labourers. For the construction of houses in rural areas, this Ministry had introduced a Scheme known as the Village Housing Projects Scheme in 1957. The number of houses constructed thereunder during Fourth Plan period has been given in Annexure II referred to above.

Conference of Ministers of social Welfare of Various States

762. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) Whether a conference of Ministers of Social Welfare of various States was held in January, 1974 and if so, the decisions taken therein; and

(b) whether performance of Fourth Five Year Plan was also discussed there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) Yes, Sir.

A Conference of the Ministers of Social Welfare of various States was held on 31st January, 1974, with the following results :—

(i) The Fifth Plan approach to Social Welfare and the strategy proposed therefor, was endorsed.

(ii) The Integrated Child Development Services Programme was approved and the proposal to involve voluary organisations for the development of Social Welfare Services in the Fifth Plan was accepted :—

(iii) The Central Social Welfare Board and the State Social Welfare Advisory Boards may be reorganised as to their composition and functions.

(iv) The financial allocation for Social Welfare being already very meagre, the Conference urged that these should not be allowed to become lower as this Sector serves primarly the weaker and distressed sections of society.

(v) The strategy proposed by the Planning Commission and the Ministry of Home Affairs that sub-plans need to be prepared involving expenditure of 20 per cent of the Plan Outlay benefit of the weaker sections of the community particularly the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and backward classes, was, endorsed.

(c) No, Sir.

Special Nutrition Programmes

763. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state when Special Nutrition programmes were introduced in various States, State-wise and the total expenditure incurred on them in each State during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : The programme was introduced in year 1970-71 in tall the States/Union Territories except in the following cases :—

State/U.T.	*Year when started*
Nagaland	1971-72
Lakshadweep	1971-72
Meghalaya	1972-73
Mizoram .	1973-74
Arunachal Pradesh . .	1973-74

A statement showing the expenditure incurred on the programme in each State/Union Territory during the last trhee years is attached. [*Placed in the Libraty. [See No. L.T.* 6224/74].

वनों का विकास

764. श्री फतहसिंह राव गायकवाड : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान आवश्यक मूल आधार को बढ़ावा देकर संचार व्यवस्था, लट्ठे कराने के आधुनिक उपकरणों तथा वन सम्बन्धी कार्यों की तकनीकी में सुधार करके वनों के पद्धतिबद्ध विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) चालू वर्ष में क्या सुधार होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बो० पी० मौर्य) : (क) 1972-73 के दौरान, संचार सुधार, आधुनिक काष्ठ निष्कासन तकनीकों आदि के माध्यम से वनों के नियमित विकास के लिये अन्य योजनाओं के साथ-साथ निम्न योजनायें क्रियान्विति की गई थीं ।

योजना का नाम	1972-73 के दौरान प्रत्याशित व्यय
1. वनों का विकास	154.50 लाख रु०
2. आधुनिक काष्ठ निष्कासन तकनीके और काष्ठ संक्रियायें	122.92 लाख रु०

1972-73 के दौरान काष्ट निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्रों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत 164 प्रार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और इस योजना पर 5.38 लाख रुपये व्यय हुआ था ।

(ख) अपर्युक्त दो योजनाओं को क्रियान्विति के फलस्वरूप चालू वर्ष के दौरान हुई प्रगति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी करके सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों के बारे में पोर्ट ब्लेयर में प्रशिक्षण केन्द्र

765. **श्री फतहसिंहराव गायकवाड :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षण देने के लिये पोर्ट ब्लेयर में एक मछुआ प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) अण्डमान के पास समुद्र में चलाने के लिये 8 यंत्र-चालित नौकाओं का निर्माण किया जा रहा है। ये नौकाएं चलाने के बाद प्राप्त अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए और अधिक यंत्र-चलित नौकायें चालू करने का निर्णय किया जाएगा। मछली पकड़ने के लिये नौकायें चलाने और उनके रख-रखाव के काम के लिये मुख्य भूमि में 25 मछुओं को पहले ही प्रशिक्षण दिया गया है। सतत आधार पर यंत्र-चालित नौकायें चालू करने की संभावना और प्रशिक्षण की अतिरिक्त सुविधाओं का जायज़ा लिये जाने तक पोर्ट ब्लैयर में मछुओं को प्रशिक्षण देने के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है।

विदेशों से आनेवाले अनाज का रास्ते में क्षतिग्रस्त हो जाना

766. **श्री फतेहसिंहराव गायकवाड :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में और निषेधात्मक मूल्यों पर प्राप्त कीमती अनाज का अधिकांश भाग भारतीय पत्तनों पर पहुंचते पहुंचते मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

(ख) क्या जनवरी, 1973 से आयातित अनाज को होने वाली क्षति का कोई जहाजवार अनुमान लगाया गया है, और

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी क्षति हुई और इसके क्या कारण है और इनको रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) समुद्री यात्रा के दौरान खाद्यान्नों की कुछ मात्रा कभी कभी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तथापि, ऐसे मामलों में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा नगण्य होती है।

(ख) खाद्यान्नों से लदे जलपोत के पहुंचने पर खाद्यान्नों की क्षति का यदि ऐसा कोई मामला बताया जाता है तब मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र सर्वेक्षकों द्वारा उसका सर्वेक्षण कराया जाता है और उसका मूल्यांकन करवाया जाता है।

(ग) जनवरी से नवम्बर, 1973 के दौरान आयात किए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा के 0.4 प्रतिशत खाद्यान्नों के क्षतिग्रस्त होने का अनुमान लगाया गया था। यह क्षति या तो जलपोत के छिद्रों से समुद्री पानी दाखिल हो जाने से अथवा तूफानी मौसम के दौरान बायलरों से पानी रिसकर खाद्यान्नों तक पहुंचने के कारण हुई थी। जलपोत लेते समय, सावधानीपूर्वक केवल समुद्री यात्रा करने योग्य जहाज ही लिए जाते हैं और अनाज लादने से पूर्व उनका निरीक्षण किया जाता है। क्षति होने की दशा में, स्वतंत्र सर्वेक्षकों के मूल्यांकन के आधार पर शिपिंग कम्पनियों से मुआवज़ा देने की मांग की जाती है।

कालपात्र में रखे गए पत्र में उल्लिखित इतिहास का मूल पाठ तैयार करने वाले इतिहासकारों के नाम

767. **श्री समर गुह :**

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन इतिहासकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने कालपात्र में रखे स्वतन्त्र भारत के 25 वर्ष के इतिहास का मूलपाठ तैयार किया और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी;

(ख) क्या मूल पाठ सरकार को दिखाया गया था;

(ग) क्या "हिस्ट्री कांग्रेस" तथा समाचार पत्रों कालपत्र की आलोचना की है; और

(घ) यदि हां, तो आलोचना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) कालपत्र में रखा गया ऐतिहासिक दस्ता वेज़ तैयार करने का कार्य भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा हाथ में लिया गया था जो विद्वानों की एक स्वतंत्र संस्था है। सरकार ने उनके द्वारा तैयार किए गए मलपाठ की जांच करना उचित नहीं समझा।

(ग) और (घ) सरकार को भारतीय इतिहास कांग्रेस द्वारा काल पात्र के बारे में की गई कोई आलोचना की जानकारी नहीं है। तथापि समाचार पत्रों द्वारा की गई कुछ आलोचना सरकार के ध्यान में आई हैं। यह आलोचनाएं ऐतिहासिक मूलपाठ में कुछ तथाकथित बातें छूट जाने तथा अशुद्धियों से सम्बन्धित हैं। यह आलोचनाएं तथ्यों पर आधारित नहीं है।

खाद्यान्नों का वसूली अभियान तथा उनके मूल्यों में वृद्धि

768. **श्री ईश्वर गुह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वसूली अभियान की नवीनतम स्थिति सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) खाद्यान्नों के वसूली लक्ष्यों के पूरा होने के सम्बन्ध में क्या संभावनाएं हैं;

(ग) मोटे अनाजों सहित खाद्यान्नों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) उन अनाजों के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं जिनके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(ङ) (एक) खाद्यान्नों तथा अन्य मोटे अनाजों के वसूली लक्ष्यों को पूरा करने, (दो) राशन दुकानों तथा उचित दर दुकानों से वितरण का आश्वासन देने और (तीन) खाद्यान्नों के मूल्यों तथा मोटे अनाजों के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 1973-74 के रबी और खरीफ मौसमों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के प्रति खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति संलग्न विवरणों में दी जाती है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6223/74**]

(ख) 45.305 लाख मी० टन गेहूं की अधिप्राप्ति की गई है जबकि लक्ष्य 81.18 लाख मी० टन था। यद्यपि रबी की अधिप्राप्ति का मौसम 31 मार्च, 1974 तक चलता रहेगा लेकिन गहूं की अधिप्राप्ति लगभग समाप्त हो गई है अर्थात् अधिप्राप्ति में 35 लाख मी० टन से भी अधिक कमी हुई है। गेहूं की अधिप्राप्ति में कमी होने के कुछेक प्रमुख कारण संलग्न विवरण में दिए जाते हैं। क्योंकि खरीप की अधिप्राप्ति अभी चल रही है इसलिए इस समय खरीप के अनाजों की अधिप्राप्ति में सम्भावी कमी बताना जल्दबाजी होगी। तथापि, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) मोटे अनाज समेत खाद्यान्नों के अखिल भारतीय थोक मूल्यों के सूचकांक में फरवरी, 1974 के प्रारम्भ में पिछले वर्ष की उसी अवधि की अपेक्षा 23.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।

(घ) खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि बहुत से तथ्यों पर निर्भर करती है जोकि इस प्रकार है :—(1) खपत के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता (2) बाजार में उपलब्धता (3) सामान्य मूल्य स्तर आदि में वृद्धि। अक्तूबर, 1973 से मार्च, 1974 के दौरान खपत के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता न केवल 1973-74 की खरीफ की फसलों की पैदावार से बल्कि पिछली फसलों से भी निर्धारित होगी। मार्च-एप्रैल, 1973 में कटी रबी की फसल और 1972-73 की खरीफ की फसल की पैदावार पिछले फसलों की पैदावार से कम थी। इसके परिणामस्वरुप पिछले दो सूखे के वर्षों में बाजार में पिछली फसलों का स्टाक बहुत ही कम रह गया था। किसान, व्यापारी और उपभोक्ता इन सभी स्तरों पर न केवल स्टाक की भरपाई की प्रवृत्ति है बल्कि भावी आकस्मिकताओं के लिए सुरक्षा स्वरूप स्टाक रोक रखने की प्रवृत्ति भी है। इस प्रवृत्ति ने खाद्यान्नों की खास कर मोटे अनाजों, जोकि गरीब किसानों के प्रमुख अनाज हैं, की बाजार में उपलब्धता पर असर डाला है।

अक्तूबर, 1973 से जनवरी, 1974 के दौरान पिछले वर्ष की उसी अवधि की अपेक्षा जनता के पास मुद्रा सप्लाई में वृद्धि ने सामान्य मूल्य स्तरों में वृद्धि में भी योगदान दिया है।

(ङ) (1) सारे 1973-74 के रबी और खरीफ अधिप्राप्ति मौसमों में अधिप्राप्ति की प्रगति पर बराबर निगरानी रखी गई है और सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ बराबर विचार-विमर्श किया जाता रहा। अधिप्राप्ति प्रणालियों में त्रुटियों को दूर करने और विभिन्न लेवी और नियन्त्रण आदेशों के प्रवर्तन में कड़ाई बरतने के लिए बहुत से सुझाव दिए गए हैं। जून, 1973 में गेहूं के लिए बोनस योजना लागू की गई थी। (2) और (3) उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उचित वितरण सुनिश्चित करने और खाद्यान्नों के मूल्यों को नीचे लाने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के केन्द्रीय आवंटन की मात्रा 1971 के 78 लाख मी० टन से बढ़ाकर 1972 में 105 लाख मीटरी टन और 1973 में 114 लाख मीटरी टन कर दी गई है। यथासम्भव देश में खाद्यान्नों की अधिक से अधिक मात्रा अधिप्राप्त करने के अलावा, 1973 में 41 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात किए गए थे और रूस से 20 लाख मीटरी टन गेहूं की पेशकश भी स्वीकार की गई है। राज्यों के अन्दर मोटे अनाजों के एक जिले से दूसरे में लाने-ले जाने सम्बन्धी प्रतिबन्धों में ढील देकर और राज्य सरकारों के मनोनीत एजेन्टों को अधिशेष राज्यों से मोटे अनाज खरीदने और उनका संचलन करने की अनुमति देकर हाल ही में कमी वाले राज्यों में मोटे अनाजों की उपलब्धता बढ़ाई गई है।

हल्दिया में जहाज निर्माण परियोजना

769. श्री समर गुह : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में जहाज निर्माण परियोजना के बारे में अन्तिम फैसला कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिये समय अनुसूची सहित इसे तैयार करने का कार्यक्रम क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण

770. श्री समर गुह :
श्री गजाधर मांझी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, तथा अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में तेज से वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या तिलहन के उत्पादन का रिकार्ड काफी अच्छा रहा ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न खाद्य तेलों की कीमतों में ऐसी तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) गत नवम्बर, 1973 से तेलों की कीमतों में वृद्धि सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण 1972-73 के दौरान तिलहनों के उत्पादन में कमी होना है। यह कमी प्रमुख तिलहन उत्पादन क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में व्यापक सूखे के परिणामस्वरुप हुई और इससे स्टाक में कमी, सट्टे का व्यापार और जमाखोरी, गुजरात में गड़बड़ी होने के कारण सप्लाई में रुकावट और मूल्यों में सामान्य रुप से वृद्धि हुई है ।

(ख) 1973-74 के दौरान खरीफ तिलहनों का उत्पादन सामान्यत: अच्छा होने की सूचना मिली है। रबी तिलहनों की बुवाई भी सामान्यत: अनुकूल परिस्थितियों में हुई है। तथापि, इस समय यह बता सकना सम्भव नहीं है कि इनकी कुल कितनी फसल होगी।

(ग) इसके कारण ऊपर (क) के सामने दिए गए हैं।

(घ) निम्नलिखित तालिका में देश में अक्तूबर, 1973 से हर महीने के अन्त में प्रमुख खाद्य तेलों के थोक मूल्यों के सूचकांक दिए गए हैं :—

तेल	नीचे दिए गए महीने के अंत में				2-2-1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए अद्यतन सूचकांक
	अक्तूबर 1973	नवम्बर 1973	दिसम्बर 1973	जनवरी 1974	
मूंगफली का तेल .	349.7	309.2	344.7	353.8	360.7
तिल का तेल .	318.2	295.4	307.4	321.0	328.8
सरसों का तेल	365.0	376.9	423.4	460.9	456.2
नारियल का तेल	485.2	530.6	526.9	571.1	555.9
खाद्य तेल (समग्र रूप से) .	350.6	336.6	360.9	377.8	381.1

(ङ) सरकार ने देश में वनस्पति तिलहनों और तेलों की उपलब्धि में सुधार करने के लिए और उनके मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए कदम उठाये हैं इनमें यथा सम्भव विभिन्न तिलहानों, तेलों और चिकनाई का आयात करके सप्लाई में वृद्धि करना, बिनौलों और चावल की भूसी की अधिकाधिक पेराई करके तेल निकालने के काम को प्रोत्साहन देना, वृक्ष-मूलक गौण तिलहानों के अधिक उपयोग को

बढ़ावा देना, वनस्पति घी के निर्माण के लिए मूंगफली और सरसों के तेल के उपयोग पर रोक लगाकर उनकी जगह अन्य तेलों का उपयोग करना, पारम्परिक और अपारम्परिक तिलहनों जैसे कि सोयाबीन और सूरजमुखी के उत्पादन को बढाना और बैंकों से ऋण देने तथा वादा-व्यापार पर नियंत्रण शामिल हैं। हाल ही में राज्य सरकारों से सट्टेबाजी और जमाखोरी को रोकने के लिए उपाय करने का अनुरोध किया गया है ।

Procurement Target of Rice and Actual Procurement

771. Shri M. S. Purty :

Shri Jyotirmoy Bosu :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the targets for procurements of rice fixed by the Central Government, State-wise;

(b) the quantity procured, State-wise and reasons for shortfall ; and

(c) the time by which procurement targets are likely to be achieved in each State?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a), (b) and (c) A statement showing the targets of procurement and the quantities of rice actually procured upto-date, State-wise, is enclosed. The procurement season is not yet over and, therefore, it is not possible to indicate the extent of the eventual shortfall at this stage. Overall, the procurement of rice so far is better than the corresponding position last year and earlier years. In some of the States, the progress of procurment has been found to be slow. Some of the main reasons for the same are as follows :

(1) Damage to the crop on account of late rains, adverse weather conditions at the time of harvesting, infestation etc., in some States.

(2) High ruling prices of rice and paddy in the open market.

(3) General price rise in the case of other commodities has also adversely affected the pace of procurement.

(4) A tendency on the part of producers and others to hold back the grain in the expectation of better prices later in the year.

(5) A general climate of scarcity psychology.

STATEMENT

Statement showing targets and actual procurement of rice

(Fig. in '000 tonnes)

Name of the State	Target for 1973-74	Quantity procured	As on	Corresponding position 1972-73	Total procurement in 1973
1	2	3	4	5	6
1. Andhra Pradesh . .	600	396.9	17-2-74	73.0	326
2. Assam	150	106.6	16-2-74	63.9	89
3. Bihar . . .	100	36.8	18-2-74	18.0	56

1	2	3	4	5	6
4. Gujarat .	50	16.0	18-2-74	3.6	6
5. Haryana	350	367.4	20-2-74	211.5	277
6. Jammu & Kashmir	50	38.4	20-2-74	24.7	25
7. Karnataka	275	81.8	19-2-74	39.7	51
8. Kerala	125	16.0	9-2-74	9.5	57
9. Madhya Pradesh	600	153.7	18-2-74	163.3	243
10. Maharashtra . . .	200	134.9	20-2-74	60.5	66
11. Orissa	400	128.9	17-2-74	94.2	209
12. Punjab .	950	813.2	20-2-74	644.9	754
13. Rajasthan . .			18-2-74		
14. Tamil Nadu .	350	112.4	17-2-74	42.2	131
15. Uttar Pradesh . . .	300	285.5	20-2-74	157.8	227
16. West Bengal . . .	500	104.8	18-2-74	114.4	176
17. Others		6.9	18-2-74	3.7	13
TOTAL .	5,000	2,800.2		1,724.9	2,706

Dust mixed in wheat stored in F.C.I. Godowns

772. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether 20 per cent dust is mixed in the wheat stored in the godowns of the food Corporation of India ; and

(b) if so, whether Government will make an enquiry into the matter and take legael action against the officers found guilty?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में राशन कार्डों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए नयी प्रणाली

773. **श्री डी० बी० चंद्रगौडा :**

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राशनकार्ड धारियों को नियमित रुप से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने के लिए राजधानी में कोई नई प्रणाली आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या ह ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन की होती ह। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया हैं कि कार्डधारियों को खाद्यान्नों का नियमित वितरण सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक नई प्रणाली शुरू की गई हैं जिसके अनुसार उचित मूल्य की दुकान के प्रत्येक दुकानदार के लिए एक तारोख निश्चत की जाती हैं जिस दिन उसे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक उठाना होता हैं। प्रशासन, उचित मूल्य के उन चूककर्ता दुकानदारों, जोकि निर्दिष्ट तारोख को अपना स्टाक नहीं लेते हैं, के विरुद्ध कार्यवाही करता हैं। इससे खाद्यान्न के कार्डधारियों के लिए उचित मूल्य के दुकानदारों के पास स्टाक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होती हैं।

राज्यों द्वारा खाद्यान्नो के लाने ले जाने पर प्रतिबंध

774. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री पी० आर० शिनाय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने और कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने राज्य के अन्दर अथवा अन्य राज्यों को खाद्यान्न लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में कुछ राहत दी है; और

(ग) क्या ऐसी प्रक्रिया को अपनाने से सरकार खाद्यान्नों के मूल्यों को कम कर सकी है और उसकी कमी दूर कर सकी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटाले राज्य सरकारी के मनोनीत एजटों को भी अन्य राज्यों से मोटे अनाज खरीदने और उनके संचलन की अनुमति दी गई है। इन उपायों का उद्देश्य मूल्यों में अन्तर्राज्यीय विषमता को कम करना और मोटे अनाजों की उपलब्धता में वृधि करना है। सरकार इन उपायों के परिणामों को अभी देख रही है।

विवरण

खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध/भारत सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों के अधीन जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/जीनों में खाद्यान्नों (चावल, धान, गेहूं और प्रमूख मोटे अनाजों) के निर्यात पर प्रतिबन्ध है, के नाम।

1. **चावल/धान :**

(1) उत्तरी चावल जोन जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, तथा पंजाब और चण्डीगढ़ तथा दिल्ली के संघ शासित प्रदेश शामिल हैं। (2) आन्ध्रप्रदेश और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेश में स्थित यनम का क्षेत्र। (3) असम (4) बिहार (5) गुजरात (6) केरल और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेश का महे क्षेत्र (7) मध्यप्रदेश (8) महाराष्ट्र (9) मणिपुर (10) मेघालय (11) कर्नाटक (12) उड़ीसा (13) राजस्थान (14) तमिलनाडु और

पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेश के पांडिचेरी और कारीकल क्षेत्र (15) त्रिपुरा (16) उत्तर प्रदेश (17) पश्चिमी बंगाल (18) दादरा एवं नगर हवेली (19) गोवा, दमन और दीव ।

2. गेहूं :

(1) आन्ध्र प्रदेश राज्य और पांडिचेरी का यनम क्षेत्र (2)असम (3) बिहार (4) गुजरात राज्य, संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और संघ शासित प्रदेश गोआ, दमन एवं दीव के दमन एवं दीव क्षेत्र (5) हरियाणा (6) हिमाचल प्रदेश (7) जम्मू एवं कश्मीर (8) केरल राज्य, लक्कादीव, मिनिकाय एवं अमीनद्दीव द्वीपसमूह और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी का महे क्षेत्र (9) मध्यप्रदेश (10) महाराष्ट्र राज्य और संघ शासित प्रदेश गोआ, दमन और दीव का गोआ क्षेत्र (11) मणिपुर (12) मेघालय (13) कर्नाटक (14) नागालैण्ड (15) उड़ीसा (16) पंजाब राज्य और संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ (17) राजस्थान (18) तमिलनाडु राज्य और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी और कारीकल क्षेत्र (19) त्रिपुरा (20) उत्तर प्रदेश (21) पश्चिमी बंगाल राज्य (उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पश्चिमी बंगाल राशनिंग आदेश, 1964 लागू है) और संघ शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (22) संघ शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश (23) संघ शासित प्रदेश दिल्ली (24) संघ शासित प्रदेश मिज़ोरम ।

3. मोटे अनाज :

बाजरा : आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, चण्डीगढ़, गोआ, दमन और दीव तथा पांडिचेरी ।

ज्वार : आन्ध्रप्रदेश, गुजराथ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर-प्रदेश, गोआ, दमन,एवं दीव, पांडिचेरी ।

मक्का : आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, चण्डीगढ़, पांडिचेरी ।

रागी : आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली, पांडिचेरी ।

II—सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों (चावल, धान और गेहूं) के अन्तर्राज्यिय संचलन पर लगाए गए प्रतिबन्ध ।

1. चावल/धान :

निम्नलिखित राज्यों के अन्दर चावल/धान के संचलन पर प्रतिबन्ध है । (1) आन्ध्र-प्रदेश (2) असम (3) गुजरात (4) मध्यप्रदेश (5) महाराष्ट्र (6) कर्नाटक (7) उड़ीसा (8) तमिलनाडु (9) उत्तरप्रदेश (10) पश्चिमी बंगाल ।

2. गहूं :

निम्नलिखित राज्यों के अन्दर गेहूं के प्रश्न पर प्रतिबन्ध लगाए गए थे : (1) बिहार (2) मध्यप्रदेश (3) महाराष्ट्र और (4) राजस्थान ।

बंगलोर और कुडडरेमक के बीच सड़क के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

775. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक महत्व की दृष्टि से मंगलोर तथा कूड्डरेमक के बीच एक सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस सड़क के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता देने का वचन दिया गया है; और

(ग) इस परियोजना को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) राज्य में मंगलोर पत्तन से कुद्रेमुख खानों तक योजक सड़क के विकास के लिये कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राज्य या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के लिये सितम्बर, 1972 में 166.47 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया। इस राशि से अधिक को राज्य सरकार ने अपने साधनों से पूरा करना था। राज्य सरकार जोकि पहले इस प्रयोजन के लिये 166.47 लाख रुपये का ऋण लेने के लिये सहमत हो गई थी, के फिर से विचार कर यह फैसला किया कि वह उक्त प्रयोजनार्थ ऋण नहीं लेगी क्योंकि उसके विचार में यह सड़क मुख्यत: स्वयं कुद्रेमुख परियोजना के लाभार्थ है। इसलिये राज्य के लिये ऋण लेकर परियोजना प्राधिकारियों के लाभ के लिये इस सड़क के निर्माण पर पैसा खर्च करने का कोई औचित्य नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता

776. श्री पी० आर० शिनाय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1974-75 में कितनी कमी रहेगी ; और

(ग) क्या सरकार की नीति यह है कि जब कभी कमी दिखाई दे खाद्यान्नों का आयात कर लिया जाये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 1969–70 और 1970–71 के दौरान खाद्यान्नों की पैदावार में उल्लेखनीय सुधार देखा गया था। चौथी योजना के आधार वर्ष 1968–69 में 9·40 लाख मी० टन का वास्तविक उत्पादन हुआ था, जबकि 1970–71 में 1084 लाख मी० टन की पैदावार हुई थी। चौथी योजना के प्रथम दो वर्षों में प्राप्त प्रगति के फलस्वरूप, 1972 के प्रारम्भ से रियायती आयात समाप्त करना सम्भव हुआ था। लेकिन पिछले दो वर्षों में विशेषतया 1972-73 के दौरान दूर-दूर तक सूखे और कमी की स्थिति पैदा होने के कारण खाद्यान्नों की पैदावार 1972–73 में गिरकर 952 लाख मी० टन हो गई। खाद्यान्नों की पैदावार को भारी धक्का लगने से, 1973 के दौरान वाणिज्यिक आधार पर खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा था। 1974–75 के लिए पैदावार संबंधी, अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। अत: यह कहना कठिन है कि 74–75 में देश को खाद्यान्नों की कमी का सामना करना पड़ेगा। उत्पादन में कमी होने की दशा में, सरकार को सीमित मात्रा में आयात करने के बारे में विचार करना होगा ताकि सरकारी वितरण प्रणाली की उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की सप्लाई बराबर रखी जा सके।

कर्नाटक में धान का उत्पादन

777. श्री पी० आर० शिनाय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में कतिपय जिलों में धान का उत्पादन कम होता है और यदि हां, तो वे जिले कौन से हैं ; और

(ख) क्या इन जिलों को ऊंची कीमतों तथा अनुपलब्धता के कारण कठिनाई का सामना करना पडा क्योंकि कर्नाटक राज्य को वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय पूल में एक लाख टन चावल का योगदान देना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) जहां तक धान के उत्पादन का सम्बन्ध है, कमी वाले जिले इस प्रकार है :—

1. बीदर
2. कोलार
3. गुलबर्गा
4. तुमकुर
5. बीजापुर
6. बंगलोर

(ख) केन्द्रीय भण्डार के लिए कर्नाटक सरकार का चावल का अंशदान अभी प्राप्त होना है।

बंबई और मंगलौर के बीच स्टीमर सेवा

778. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंबई और मंगलोर के बीच एक स्टीमर सेवा शुरू करने के लिये अभ्यावेदन दिया गया है ताकि डीजल तेल को बचाया जा सके तथा इन दोनों मुख्य पत्तनों के बीच गरीब वर्गों के यात्रियों की सहायता की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो कब से यह सेवा शुरू हो जायेगी।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) बंबई और पानाजी के बीच गैर सरकारी सेक्टर शिपिंग कंपनी द्वारा कोंकन तटीय यात्री सेवा तीन यात्री जहाज से चला रही थी। इन जहाजों में से एक खो गया। शेष दो जहाजों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया और सेवा चलाने के लिये मुगल लाइन लिमिटेड, जो कि लोक सेक्टर नौवहन कंपनी है, को हस्तान्तरित कर दिया है। उपलब्ध जहाजों की संख्या में कमी के कारण सेवा की बारम्बारता पहले ही कमी है। कोंकन तट पर बारम्बारता को और घटाकर मंगलोर तक इस सेवा के निरन्तर का सुझाव प्राप्त हुआ है और विचाराधीन है।

मोटे अनाजों को एक जिले से दूसरे जिले में लाने ले जाने पर से प्रतिबंध हटाने के बारे में राज्य सरकारों को परामर्श

779. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को मोटे अनाजों के एक जिले से दूसरे जिले में लाने ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाने का परामर्श दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और ऐसा परामर्श देने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को राज्यों में मोटे अनाजों की उपलब्धता सुधारने और कमी तथा अधिशेष जिलों के बीच उत्पन्न मोटे अनाजों के मध्य अन्तर को ठीक करने के लिए अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने की सलाह दी है।

ग्राम्य भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थलों के आवंटन हेतु वित्तीय सहायता देना

780. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में ग्राम्य भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थलों के आवंटन हेतु वर्षवार तथा राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति किस आधार पर दी जाती है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अक्तूबर, 1971 में शुरू की गई थी। वर्ष 1971–72 में किसी भी राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी। वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की केन्द्रीय योजना के अधीन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों को, जहां कहीं आवश्यक हो, भूमि अर्जन की उचित लागत, तथा आवास स्थलों के विकास की लागत, जो 150 रुपये प्रति आवास-स्थल से अधिक न हो, के लिये 100% अनुदान सहायता देने की व्यवस्था है। परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदित हो जाने पर परियोजना की अनुमानित लागत का 25% राज्य सरकार को तुरन्त दे दिया जाता है जिससे वे परियोजनाओं का निष्पादन आरम्भ कर सकें। उनको शेष राशि कार्य की प्रगति तथा किए गए वास्तविक खर्चे को देखते हुए दी जाती है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के अधीन राज्य सरकार को दी गई निधियों का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता		
		1972–73	1973–74 (लाख रुपये में)	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	22.59	22.59
2.	बिहार	11.45	—	11.45
3.	गुजरात	76.65	—	76.65
4.	हरियाणा	0.02	—	0.02
5.	हिमाचल प्रदेश	0.16	0.16	0.32
6.	कर्नाटक	59.84	—	59.84
7.	मध्य प्रदेश	—	49.91	49.91
8.	केरल	205.44	146.82	352.26
9.	महाराष्ट्र	41.14	—	41.14

1	2	3	4	5
10.	उड़ीसा	2.10	—	2.10
11.	पंजाब	7.92	—	7.92
12.	राजस्थान . .	2.81	—	2.81
13.	तमिलनाडु . .	18.88	18.88	37.76
14.	उत्तर प्रदेश . . .	7.71	—	7.71
15.	पश्चिम बंगाल . .	4.85	—	4.85
	जोड़ .	438.97	238.36	677.33

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों से चिनी न उठाई जाने के कारण उचित मूल्य की दकानों पर चीनी का न मिलना

781. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी न मिलने का कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों से चीनी के कोटे का उठाया न जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उस सम्बन्ध में अपनाये गये उपचारात्मक उपाय क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम केवल 15 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में थोक स्तर पर लेवी चीनी की सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। कुछ राज्यों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी चीनी भेजने में देरी करने से चीनी की कमी के बारे में दिसम्बर, 1973 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मुख्यत: यह दिसम्बर, 1973 में हुई लोको-हड़ताल और डीजल तेल की कमी के कारण हुआ था जिससे रेल और सड़क के मार्ग से चीनी के संचलन में बाधा पड़ी थी।

संचलन स्थिति में सुधार होने के साथ चीनी की कुछ अग्रिम नियुक्ति और कारखानों से चीनी का स्टाक उठाने की वैधता अवधि को बढ़ाने से चीनी की स्थिति अब पर्याप्त सुगम हो गई है।

त्रि-भाषा सूत्र

782. **श्री प्रबोध चंद्र :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने सरकार से त्रि-भाषा सूत्र को अधिक प्रबल रूप से लागू करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) र (ख) विभिन्न राज्यों में त्रि-भाषा सूत्र को समुचित रूप से कार्यान्वयन करने की समस्या पर राष्ट्रीय

शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की 22 दिसम्बर, 1973 की हुई वार्षिक आम सभा में विचार-विमर्श किया गया जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । यह सुझाया गया कि परिषद को स्कूल स्तर पर अध्यापन, अध्ययन तथा भाषाओं के परीक्षण की ओर अच्छी व प्रभावी पद्धतियां तैयार करनी चाहिए ।

औद्योगिक रूप से पिछडे जिलो में कृषि विकास

783. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार में पालामऊ जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में कृषि विकास के लिये कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) जी नहीं । तथापि, सरकार ने विभिन्न राज्यों के अनेक जिलों में कृषि विकास के लिये कुछ विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये हैं । ये जिले वे है जहां छोटे तथा सीमान्त किसानों व आदिवासियों की आबादी अधिक है और जहां चिरकाल से निरन्तर सूखा आदि पड़ने की सम्भावना रखने वाले क्षेत्र है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

यमुना-पार क्षेत्र तथा सचिवालय के बीच दिल्ली परिवहन निगम की विशिष्ट बस सेवा

784. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से दफ्तर के समय सचिवालय की ओर विशिष्ट बस सेवा चलाने के लिये यमुना-पार क्षेत्र को दिल्ली परिवहन निगम की ओर बसें देने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने यमुनापार क्षेत्र से केन्द्रीय सचिवालय तक सुबह और शाम को दोनों समय 11-सी और 20 बी मार्ग पर नियमित सेवाओं के अतिरिक्त 39 फेरों की व्यवस्था पहले से ही की है । ये सेवाएं उक्त क्षेत्र की यातायात आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त समझी गई हैं । निगम का यातायात विभाग समय समय पर सर्वेक्षण करता है और जब आवश्यक एवं उचित हो अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था करता है ।

वर्ष 1974 में सहायता और खरीद के आधार के रूप में खाद्यान्नों का आयात

785. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में सहायता और खरीद के आधार पर भारत द्वारा कुल कितना खाद्यान्न आयात किया जा रहा है ; और

(ख) इसमें से बिहार को कितना खाद्यान्न आवंटित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अब तक किए गए प्रबन्धों के अधीन आशा है जनवरी–जून, 1974 के दौरान देश में उधार पर और खरीदे गए लगभग 26 लाख मी० टन खाद्यान्न पहुंचेंगे ।

(ख) किसी राज्य के लिए खाद्यान्नों का मासिक कोटा निर्धारित नहीं है । केन्द्रीय पूल में स्टाक की कुल उपलब्धता, अन्य कमी वाले राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय पूल से प्रत्येक मास आवंटन किए जाते हैं ।

जिला पालामऊ, बिहार के लिए खाद्यानों का विशेष नियतन

786. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा किये गये खाद्य नियतन के अतिरिक्त वहां पर अनाज की स्थिति को सुधारने के लिय बिहार के पालामऊ जिले के लिये, खाद्यान्नों का कोई विशेष नियतन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे):(क) और (ख) विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से आवंटन केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक और कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । राज्यों के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और केन्द्रीय सरकार द्वारा जिलों को कोई सीधे आवंटन नहीं किया जाता है ।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि पालामऊ जिले को फरवरी, 1974 में 200 मी० टन गेहूं और 500 मी० टन माइलो का अतिरिक्त आवंटन किया गया है ।

पालामऊ जिले को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जोडने के लिये नदी पर अन्तर्राज्यीय सड़क पुल बनाना

787. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश और बिहार सरकार के नदी पर सड़क पुल बनाने का अनुरोध किया है जो कि पालामऊ जिले को उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश के साथ जोड़ेगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य् क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) बिहार सरकार से प्राप्त एक आवेदनपत्र के अनुसरण में भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रोहला-रामानुजगंज अम्बीकापुर सड़क पर रामानुजगंज में कनहर नदी पर एक पुल के निर्माण के लिये चौथी योजना में 10 लाख रु० का ऋण स्वीकृत किया है । कनहर नदी बिहार के पालामऊ जिले और मध्य प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करता है । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार ने भी अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राजपुर-कुसमी-महुआदनेर सड़क पर कनहर नदी पर एक पुल के निर्माण के लिये पांचवी योजना के ऋण सहायता के लिये एक प्रस्ताव भेजना है । चूंकि पांचवी योजना अभी तक प्रारम्भिक चरण में है, इस अन्तर्गत परियोजना संबंधी अन्तिम स्थिति बताना संभव नहीं है ।

Changes in Education to Tackle Unemployment

788. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the number of unemployed persons has increased after Independence on account of the present system of education and whether any proposal for radical changes in the system are under consideration to tackel this problem; if so, the outlines thereof;

(b) whether any proposal to introduce job oriented education is also under consideration;

(c) whether any State Government has forwarded the proposal of job oriented education and if so, the outlines thereof ; and

(d) whether Governments are making an analysis of the systems of eduation in Japan and Russia so that it may be introduced in India in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) While there has been an increase in the number of job seekers registered with the Employment Exchanges, such an increase cannot be attribute to the present system of education.

Nevertheless the question of effecting changes in the present educational system on the lines enumerated in the National Policy on Education (1968) has been engaging the attention of the Government. Programmes have been drawn for introduction of work experience new teaching methods, etc., improvement of standards, adoption of the new education pattern of 10+2+3 and vocationalisaton at the Higher Secondary Stage. A scheme of vocationalisation has been prepared for implementation in the Fifth Five Year Plan in selected higher secondary schools under which about 1000 schools are to be selected throughout the country.

(c) No specific proposal of job-oriented education has been forwarded by State Governments. However, it is known that vocationalisation of Higher Secondary Education by way of imparting occupational training in trades as also experiments in Work Experience have been conducted in some of the States such as Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Kerala.

(d) The systems of education in Japan and U.S.S.R. cannot be directly applied to this country. A predominantly agricultural country like India with a large population will have to adopt an educational system suited to its needs. However, the available information on experiences of other countries is kept in view in framing policies and programmes.

Hindi as Medium of Instruction in Law

789. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of Universities in the country where medium of instruction of Law is Hindi and the medium of its examination is also Hindi;

(b) whether a Law student can take Law examination through Hindi medium from the point of view of freedom of expression; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government to remove this hurdle?

The Deputy Minister of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) The required information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

Number of D. T. C. Buses in Operation in Delhi during 1974-75

790. Shri Hukam Chand Kachawai :

Shri Rana Bahadur Singh :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of buses in operation at present with D.T.C. ;

(b) whether 300 new buses have been added to the fleet since November, 1973 as expected ;

(c) number of new buses being added to the D.T.C. fleet during 1974-75 for improving transport service in Delhi; and

(d) whether it is proposed to run some mini buses for Delhi office goers?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport : (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The Delhi Transport Corporation operates, on an average, 1272 buses daily, including 212 private buses engaged by it.

(b) The Corporation placed orders on the manufacturers and body builders for 425 new buses during 1972-73. Out of this, it has already received 225 buses, including 63 which were delivered from 1st November, 1973 to 16th February, 1974. According to the delivery schedule indicated by the manufacturer/body building firm, another 160 buses would be available by 31st March, 1974. Bodies on the ramaining 40 chassis would be constructed in April, 1974. Thus, all the 425 buses are expected to be added to the fleet by the end of that month.

(c) 590 new buses are proposed to be added to the fleet during 1974-75, including 90 double-decker buses.

(d) Yes, Sir. The Corporation has already started engaging private mini buses. The State Transport Authority, Delhi, has granted 35 regular mini bus permits to the Corporation and it is expected that all the 35 mini buses would be running on their respective routes by March, 1974.

खरीफ वसूली का खाद्य स्थिति पर प्रभाव

791. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 में खरीफ की अत्यधिक अच्छी फसल के समाचारों के बावजूद देश के अधिकांश भागों में खाद्य स्थिति असन्तोषजनक है;

(ख) क्या अधिकांश राज्यों में खरीफ वसूली अभियान अनुमानित गति प्राप्त करने में असफल रहा है, और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त (क) और (ख) के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) देश की सामान्य खाद्य स्थिति अभी भी कठिन बनी हुई है। चालू विपणन मोसम में, धान/चावल की अब तक की अधिप्राप्ति संतोषजनक रही है, हालांकि कुछ राज्यों में प्रगति अच्छी नहीं है। मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति, लक्ष्य से पीछे है। कमी के मुख्य कारण ये हैं :— (1) देर से और काफी वर्षा होने से कुछ राज्यों में मोटे अनाजों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, (2) विशेषकर मोटे अनाजों की मंडियों में कम आवक के कारण बाजार-मूल्य काफी ऊंचे चलते रहे हैं, और (3) पिछले दो वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होने के कारण उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं सहित सभी स्तरों पर खाद्यान्नों की जमाखोरी की उल्लेखनीय प्रवृत्ति रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री को दिए गए अपमिश्रित उर्वरक के नमूने

792. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-उद्योग निगम, पंजाब द्वारा 27 दिसम्बर, 1973 को नई दिल्ली में अपमिश्रित उर्वरक के नमूने उनको पेश किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नमूनों में कोयला, रेत, मिट्टीय आदि मिला हुआ था ;

(ग) क्या उर्वरकों में यह अपमिश्रण उसके भावनगर में आयात और लदान के पश्चात् किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) कृषि-उद्योग निगम पंजाब ने 27-12-1973 को उर्वरकों के कोई नमूने पेश नहीं किये थे। परन्तु दिनांक 14-12-73 को उन्होंने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को एक तार भेजा था, जिसमें उन्होंने बन्द गाहों से प्राप्त हुए उर्वरक के कुछ

थलों का कम भार होने और उनमें बाह्य सामग्री पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की थी। दिनांक 15-12-73 को पंजाब के कृषि मंत्री द्वारा भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री को भेजे गए निगम के नोट में भी यही बात दोहराई गई। दिनांक 16-12-73 को मंत्रालय के एक अधिकारी को अनुदेश दिया गया था कि वह मौके पर जांच करने के लिये जायें। जांच से पता चला है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा भावनगर बन्दरगाह से सम्बन्धित उर्वरक को भेजते समय उसमें कुछ अदूषित उर्वरक बुहार कर भी भेजा गया था, जो कि अनुज्ञेय है। परन्तु अदूषित उर्वरक के बुहार कर भेजे गये कुछ थैलों में अशुद्धता की मात्राएं मिल गई थी। भारतीय खाद्य निगम को कहा गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि उर्वरकों, विशेषकर अदूषित उर्वरक को बुहार कर प्रेषित करते समय काफी सावधानी बर्ती जाये।

राज्यों में गोबर गैस संयंत्रों के प्रसार के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

793. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में गोबर गैस संयंत्रों के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपनी ऋण सम्बन्धी शर्तों को उदार बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) विभिन्न राज्यों, विशेषकर गुजरात में, संयंत्र अब तक कितने गोबर गैस स्थापित किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मंत्रालय ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध किया है कि विभिन्न राज्यों में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को उदारता से ऋण दिए जाएं। ऐसे ऋणों की शर्तों को उदार बनाने के प्रश्न पर अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विचार विमर्श नहीं हुआ है।

(ख) मालूम हुआ है कि खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग ने अगस्त, 1973 तक विभिन्न राज्यों 6250 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए हैं। इनमें से 2816 गोबर गैस संयंत्र गुजरात में स्थापित किए गये हैं।

अनाज के उत्पादन पर उर्वरक संकट का प्रभाव

794. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 में देश में अनाज के उत्पादन पर उर्वरक संकट का बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या पश्चिमी यूरोप, अमरीकी और जापान के उर्वरक सप्लाई करने वालों ने अपने वायदों को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) वर्ष 1974–75 के दौरान उर्वरकों की कुछ कमी होने की आशंका है, जिसके फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों का उत्पादन उससे कम होने की संभावना है जोकि उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध होने पर होता।

(ख) तेल संकट और कच्चे माल की अत्यधिक कमी के कारण पश्चिमी यूरोप, अमेरीका और जापान के सप्लाई करने वालों ने मूल्यों में वृद्धि करने और माल भेजने के कार्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए कहा है।

(ग) देश में उर्वरकों की उपलब्धि बढ़ाने की दृष्टि से सरकार कई उपाय कर रही है। इनमें ये शामिल हैं :—

(1) करार किए गए उर्वरकों की जहाज़ द्वारा ढुलाई में तेजी लाकर और नए करार करके अधिकाधिक आयात करने का प्रयास करना।

(2) देशी उर्वरक कारखानों से अधिकाधिक उत्पादन करने का प्रयास करना।

(3) उर्वरक वितरण प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना।

(4) उपलब्ध उर्वरकों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना ताकि कृषि उत्पादन पर उर्वरकों की कमी का कम से कम असर पड़े।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ की फसल की वसूली

795. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली खरीफ की फसल की वसूली सन्तोषजनक है;

(ख) खाद्य निगम द्वारा अब तक की गयी मोटे अनाजों की वसूली की राज्यवार स्थिति क्या है; और

(ग) निर्धारित वसूली लक्ष्यों से यह कितनी कम है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम और अन्य अधिप्राप्ति एजेन्सियो द्वारा चावल और अन्य खरीफ के अनाजों के राज्यवार लक्ष्य और अधिप्राप्ति बताने वाला वाला एक विवरण संलग्न है। क्योंकि अधिप्राप्ति अभी भी की जा रही है, इसलिए इस समय सम्भावी कमी की मात्रा बताना जल्दबाजी होगी। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6224/74।)**

शिक्षा की समान पद्धति

796. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा की समान पद्धति के बारे में राज्यों ने अभी तक निर्णय नहीं किया है ;

(ख) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने इस पद्धति को स्वीकार कर लिया है और लागू कर लिया है और वे राज्य कौन-कौन से है जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है ; और

(ग) शिक्षा की समान पद्धति बनाने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग मे उपमंत्री (श्री० डी० पी० यादव) (क) से (ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होता है, सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि पांचवी योजना अवधि के दौरान सम्पूर्ण देश में स्कूल शिक्षा की गई पद्धति शुरू की जानी चाहिए। उक्त पद्धति आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक द्वारा शुरू की जा चुकी है। बिहार एक 10 वर्षीय पद्धति शुरू करने के लिये सहमत हो गया है। पश्चिम बंगाल ने माध्यमिक शिक्षा की एक परिशोधित पद्धति शुरू की है जो दसवीं कक्षा तक होगी और वह उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 वर्षों का पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है। असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सिद्धान्त रूप में नई पद्धति स्वीकार कर ली है। आशा है कि नागालैण्ड, असम की पद्धति का अनुसरण करेगा। अन्य राज्य सरकारें इस मामले पर विचार कर रही हैं। दिल्ली प्रशासन का मई, 1975 से नई पद्धति शुरू करने का प्रस्ताव है जब यह पद्धति केन्द्रीय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्ध संघ शासित क्षेत्रों के स्कूलों में भी लागू हो जाएगी । अन्य संघ शासित क्षेत्रों के स्कूल, अपने-अपने राज्य बोर्डों द्वारा, जिनसे वे सम्बद्ध हैं, किये गए परिवर्तनों को अपनाएंगे ।

नई पद्धति को धीरे धीरे शुरू किया जाएगा और इसके पहले उचित रूप से पाठ्यक्रम, पाठ्यकपुस्तकें इत्यादि तैयार किये जाने चाहिए । इस सम्बद्ध में विभिन्न पहलुओं पर जून, 1973 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया था जैसे कि बोर्ड की कार्यवाही को मुद्रित रिपोर्ट के पृष्ठ 46–48 में उल्लिखित है जो कि लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

यह आशा की जाती है कि अधिकांश राज्य/संघ शासित क्षेत्र पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में नई पद्धति को अपना सकेंगे ।

दिल्ली में खाद्यानों में मिलावट

797. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में खाद्यान्नों में मिलावट के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और सरकार ने राजधानी में समाज-विरोधी गतविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग) विस्तृत रिपोर्ट की प्रतिक्षा है ।

Creation of Multi-State Zone System for Coarse Grain

798. **Shri Jagannath Mishra :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to have Multi-State Zone system by abolishing Single State Zone System in respect of Coarse grain;

(b) if so, the names of the States which have offered to cooperate in introducing this system ; and

(c) the decision taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

दिल्ली में डबल डेकर बसें चलाना

799. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डबल डेकर बसें चलाने के लिये कोई सुरक्षित रूट नहीं है और परिणामस्वरूप अनेक दुर्घटनाएं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कतिपय रूटों पर इन डबल डेकर बसों को चलाने के संबंध में कुल उपायों का सुझाव देने के बारे में कोई समिति नियुक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन मिन्टों रोड और तिलकब्रिज के निकट नीची मेहरावों के पुलों और कुछ अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों जहां दो मंजली बसें या तो चलाई नहीं जा सकती या यातायात अवरूद्ध हो जाती है, को छोड़कर अन्य मार्ग उनके चलाने के लिये सुरक्षित समझे गये हैं। परन्तु सावधानी के लिये ये बसें केवल उन्हीं मार्गो पर चलाई जा रही हैं जिनका दिल्ली परिवहन निगम ने प्रस्ताव किया है और परिवहन निदेशक, दिल्ली प्रशासन, पुलिस अधीक्षक (यातायात) दिल्ली और केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक (यातायात) ने सहमति दी है।

मोटे अनाजों की अन्तर्राज्यीय खरीद सम्बन्धी नीति

800. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री गजाधर मांझी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार एक राज्य सरकार को किसी अन्य राज्य से मोटे अनाज सीधे खरीदने देने के लिए सहमत हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार व्यक्तिगत राज्य सरकारों को अन्य राज्यों से मोटे अनाजों की सीधी खरीदारी करने की इजाजत देने के लिए सहमत हो गयी है। ऐसा कमी वाले राज्यों में मोटे अनाजों की उपलब्धता सुधारने के लिए किया गया था। केन्द्रीय सरकार की नीति राज्य सरकारों के मनोनीत एजन्टों को खरीदारी करने और अन्य राज्यों से मोट अनाज भजने की अनुमति देने की है। राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह दी गई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कोयले की कमी के कारण दक्षिण रेलवे का रेल गाड़ियां रद्द करने का कथित निर्णय

श्री निहार लास्कर (करीमगंज) : मैं रेल मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"कोयले की कमी के कारण दक्षिण रेलवे के रेल गाड़ियां रद्द करने के कथित निर्णय से उत्पन्न गंभीर स्थिति।"

रेल मंत्रालय म उप मंत्री (श्री [illegible]द शफी कुरैशी) : अध्यक्ष महोदय, हाल में कोयले की कमी के कारण कोई गाड़ियां रद्द [illegible]हीं की गई, जैसा कि दक्षिण रेलवे के इस तरह के निर्णय की सूचना देते हुए 20-2-1974 को एक समाचार छपा था। इस समाचार में जिन गाड़ियों का उल्लेख किया गया था वह समय सारणी के अनुसार ठीक समय पर चल रही हैं।

लेकिन रेलों के पास कोयले का बहुत कम स्टाक है जैसा कि मैंने 15-11-1973 को सदन में बताया था। नवम्बर में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि पिछले कुछ महीनों में रेलों को कम कोयले की सप्लाई होती रही है और इसकी वजह से रेलों के पास कोयले का स्टाक बहुत कम हो गया है। मैंने इस बात का भी

जिक्र किया था कि उद्योगों को स्टीम कोयले की खास जरूरत पूरी करने के लिये रेलों को कोयले की अपनी खपत में कमी करनी पड़ी। इस काम की एक योजनाबद्ध तरीके से करने के उद्देश्य से रेलों ने नवम्बर में विभागीय और शंटिंग सेवाओं में कमी करने का फैसला किया और साथ ही ऐसी कुछ गाड़ियां अस्थायी रूप से बन्द कर दी गयीं जो थोड़ी दूर वाली थीं और जिन में कम यात्री चला करते थे। ऐसा इन हिदायतों के साथ किया गया था कि दैनिक यात्रियों, अदालतों में जाने वालों, विद्यार्थियों, औद्योगिक कर्मचारियों के हितों को हानि न पहुंचे। आर्थिक जीवन के लिये आवश्यक माल गाड़ियों के परिचालन पर भी इस का प्रभाव नहीं पड़ा। नवम्बर, 73 में गाड़ियां के संचलन में इस प्रकार की योजना बद्ध कटौती के अलावा दक्षिण रेलवे पर कोयले की कमी के कारण और कोई गाड़ियां रद्द नहीं की गयीं।

किन्तु, जैसा कि विचार था, सुनियोजित ढंग से कोयले का स्टाक बनाना संभव नहीं हो सका है क्योंकि नवम्बर, 1973 के बाद से रेलों पर कर्मचारियों के आन्दोलनों के बाढ़ सी आ गयी और उनके बाद दिसम्बर, 1973 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल हुई जिससे कोयले के लदान, खासतौर से बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में होने वाले लदान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। दिसम्बर की घटनाओं से रेलें ऊभर भी नही पायी थी कि दक्षिण पूर्व रेलवे के सहायक स्टेशन मास्टरों ने जनवरी के मध्य में 'धीमे चलो' आन्दोलन शुरू कर दिया जिसके बाद सभी प्रमुख रेलों पर सवारी और मालडिब्बा कर्मचारियों ने आन्दोलन शुरू कर दिया और दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर सामूहिक रूप से अनुपस्थित रहने लगे जिसके कारण पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर कोयले के लदान पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा। यदि संचनल की स्थिति सामान्य हो जाये तो कोयले का स्टाक बनाना सम्भव हो सकता है और उन गाड़ियों को फिर से चालू किया जा सकता है जिन्हें नवम्बर, 1973 में इंजन कोयले का स्टाक बनाने और उद्योगों की स्टीम कोयले की खास जरूरत पूरी करने के उद्देश्य से बन्द कर दिया गया था।

श्री निहार लास्कर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण रेलवे की कुछ रेल-गाड़ियां रद्द की गयी हैं यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है जोंकि नवम्बर 1973 में रद्द की गई थीं। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अस्थायी रूप से रद्द की गई इन गाड़ियों को पुनः चलाने के लिये वह कितना समय और लेंगे ताकि यात्रियों को होने वाली असुविधाओं से बचाया जा सके।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : दक्षिण रेलवे में 433 रेलगाड़ियां की अपेक्षा अब 164 गाड़ियां चलती हैं। हम कोयले का स्टाक बना रहे हैं जैसे ही स्टाक बन जाएगा हम रद्द की गई गाड़ियों को पुनः चालू कर देंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It has not been made clear as yet whether there is shortage of coaches or of coal in the country.

When the coal mines were in private sector the coal mineral used to get wagons in time after giving bribe to Railway Officers. Since the nationali sation of coal mines the bribery is no more there and as a result wagons are not being supplied for lifting coal.

Is it also a fact that Railways themselves are arranging for supplies of coal for their own consumption by road transport.

Shri Mohd. Safi Kureshi : Neither there is shortage of Railway coaches nor of Coal in the country. From November, 1973 onwards there has been a spate of staff agitation on the Railways followed by the locomen strike, which has surely affected the loading of coal. Apart from this there was a go slow agitation of Assistant station masters and carriage and wagon staft also because of which thousand of trains stop mooving and the loaded goods cannot reach at the destination in time.

It is gratifying that bribery has ended in this field.

It is not however true that the Railways are getting coal supplies for their own con sumption by road transport.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : In the statement laid by the hon. Minister on the Table of the House many reasons have been given for Shrinking of Coal supplies but nothing has been said regarding the inefficiency of Railways.

It has been stated in the report of Railway Convention committee for 1972 that nineteen thousand wagons were earmarked for carring coal but only 12 thousand wagons were actually pressed into service out of which only seven thousand wagons reached their destination. I fail to understand why only 12 thuosand out of 19 thousand were loaded and why only 7 thousand reached their destination. It is actualy due to the inefficiency of the railways. The wagons had actually gone but they were not properly loaded and they did not reach their destination properly.

Railway Convention committee has reported that there is pilferage worth Rs. 10 crores has taken place in the railways. How far this short-coming of the Railways have been over-come.

It has been said that the departmental shunting has been reduced. Reduction of shunting is likely to interfere in the movement of train.

As far the question of coal saving is concerned Railway can accumulate its stock only for 10-15 days but if the Railways will keep their stock high industries which consume steam coal will have difficulty and this is the only reason why we are not increasing our stock.

Railway has already reduced the number of trains for its own use.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. ADJOURNMENT MOTION

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister should make a statement as to how much foodgrain is being sent to Gujarat.

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी जाती ।

श्री निम्बालकर (कोल्हापूर) : मैंने इस सम्बंध में ध्यानाकर्षण सूचना दी है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : We want to censure the Government and it cannot be done unless an adjournment motion is moved.

अध्यक्ष महोदय : हम वर्षों से जो प्रक्रिया अपनाते चले आ रहे हैं मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उडीसा नदी प्रदूषण निवारण (संशोधन) अधिनियम

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं सभा-पटल पर उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उड़ीसा नदी प्रदूषण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6197/74]**

चीनी उद्योग विकास परिषद का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, इण्डियन डेरी कारपोरेशन, बडोदा का वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चीनी उद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6198/74]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इंडियन डेरी कारपोरेशन बड़ौदा का वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखो गई । देखिए संख्या एल० टी० 6199/74]**

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 25(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) चीनी (1973-74 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 27(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखो गई । देखिए संख्या एल० टी० 6200/74]

चीनी उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन 1973 तथा इस पर सरकारी संकल्प

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) (एक) चीनी उद्योग के लागत ढांचे तथा उसको देय उचित मूल्य संबंधी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1973) ।

(दो) दिनांक 22 फरवरी, 1974 का सरकारी संकल्प संख्या 15-9/73-एस० पी० वाई०, जिसमें उपयुक्त प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय अधिसूचित किए गये हैं ।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6914/74]

केन्द्रीय भांडागार निगम (संशोधन) नियम 1973 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासा ब पी० शिन्दे) : मैं सभा-पटल पर निम्न-लिखित पत्र रखता हूं :

(1) भांडागार निगम अधिनियम, 1972 की धारा 41 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केंद्रीय भांडागार निगम (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 दिसंबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1371 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6201/74]**

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 दिसंबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 802(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उत्तरी चावल क्षेत्र (लाने-लेजाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 8(ङ) में प्रकाशित हूआ था ।

[ग्रंथालय में रखी गई । दखिए संख्या एल० टी० 6202/74]

मोटरगाडी अधिनियम वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) मोटरगाड़ी (तीसरा पक्ष बीमा) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०आ० 2811 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) मोटरगाड़ी (तीसरा पक्ष बीमा) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 3550 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०/6203/74]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री सेवा में शिक्षुता) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1418 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य बेड़े में इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 13 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6204/74)

3. मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पारादीप पत्तनन्यास के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखे तथा उन परलेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6205/74]**

4. (एक) उड़ीसा राज्य के संबंधमें राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उद्घोषणा दिनांक, 3 मार्च, 1973 के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उड़ीसा अधिसूचना संख्या सां०नि०आ० 1009/73 की एक प्रति जो उड़ीसा राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उड़ीसा पर्यटक मोटरगाड़ी नियम, 1967 में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) (एक) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (दो) उसके हिन्दी संस्करण को सभा-पटल पर न रखने के कारणों को बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रख गई । देखिए संख्या एल० टी० 6206/74]

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत इत्यादि के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र), चंडीगढ़ का 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । दखिए संख्या एल० टी० 6207/74)

(2) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6208/74]

(3) सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1970-71 और 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदनों (हिंदी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6209/74]**

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखे (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रती तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6210/74]**

(5) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 44 की उपधारा (2) के अन्तर्गत वास्तुविद परिषद् (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 543 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6211/74]**

(6) विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 की धारा 5 के अन्तर्गत विक्टोरिया स्मारक (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 46 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6212/74]**

(7) (एक) दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 31 दिसम्बर 1973 में अधिसूचना संख्या एफ० 5/15/72-एजुकेशन (दो) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त नियमों के अंग्रेजी संस्करण के साथ उनका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6213/74]

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The last item laid by the hon. Minister Shri D. P. Yadav said *i.e.* "A statement explaining the reasons for not laying simultaneously the Hindi version of the above rules" is not satisfactory. Why not the work in Hindi can be done with English simultaneously?

एसो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक

ESSO (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS IN INDIA) BILL

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि एस्सो ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड द्वारा भारत में जिन पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण और विपणन किया जाता है उनका समन्वित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में एस्सो इस्टर्न इन्कारपोरेटेड के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने कि अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि एस्सो ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड द्वारा भारत में जिन पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण और विपणन किया जाता है उनका समन्वित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में एस्सो ईस्टन इन्कारपोरेटेड के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. speaker, Sir I only oppose a part of this Bill. I have been writing to the Minister of petroleum and chemicals that ever since he has started negotiations with the ESSO Company. The Company has started the selling its property in Bombay. One Petrol pump has already been disposed off in spite of the assurance given by the Minister that the Company will not make any disinvestment. We want to know what the Government is going to do in this regard. This information should be made available to the House before this Bill is allowed to be introduced.

Shri Shahnawaz Khan : Unless this agreement comes into force we cannot prevent them from doing anything.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि एस्सो ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड द्वारा भारत में जिन पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण और विपणन किया जाता है उनका समन्वित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में एस्सो ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरणकरने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री शाहनवाज खां : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : बंगाल के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक गम्भीर घटना हुई है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन बातों का ज़िक्र न करें जिनकी मैंने अनुमति नहीं दी है ।

मैंने केवल श्री मधु लिमये को नियम 377 के अन्तर्गत बोलने की अनुमति दी है । मैं किसी अन्य को कोई प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा ।

Shri Atal Bihar Vajpayee (Gwalior) : I want to draw your attention towards a press report. The Returning Offices of the Gaighata constituency has stopped the counting in 5 polling booths. Counting will not the done till the orders of the Election Commission.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न पर किसी को अनुमति नहीं दे रहा । यह सदन चुनाव के ठीक तथा गलत होने के बार में कोई निर्णय नहीं ले सकता । इसका निर्णय चुनाव आयुक्त करता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : विरोध में हम सदन त्यागत हैं ।

(तत्पश्चात श्री ज्योतिर्मय बसु तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

(Then Shri Jyotirmay Bosu and some other members left the House)

अध्यक्ष महोदय : मेरे अपने चुनाव में भी कुछ इसी प्रकार की घटना हुई थी । मैंने प्रक्रिया का पालन किया और चुनाव आयुक्त के पास गया । यह 1962 की बात है। मैंने प्रक्रिया का पालन किया ।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

सूती धागे पर भारतीय सूती कपडा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा लगाया गया शुल्क

Shri Madhu Limaye (Banka) : The matter relates to the taxes. Under Section 265 of the Constitution no tax can be levied or collected except by authority of law the provision of the constitution has been contravened by way of levy worth Rs. ten on a new applications for telephone. Levy of Rupee one per kilogram is also charged for exporting yarns to the foreign countries.

A few years ago Public Accounts Committee also in its report pointed out that levy should the imposed only with the prior sanction of the Parliament. Similarly. Indian Cotton Mills Federation has also been imposing levy on various articles. Such type of levies are nothing but taxes.. These matters should be referred to the Public Accounts Committee or Previlege Committee.

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय को लेते हैं ।

Shri Madhu Limaye : What about free and fair election.

Mr. Speaker : Elections have been conducted.

Shri Madhu Limaye : Same decision should be taken before his speech otherwise will have to leave the house.

तत्पचात श्री मधु लिमये सभा भवन से बाहर चले गये
Then Shri Madhu Limaye left the House.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे । श्री बी० के० दासचौधरी

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :"—

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्हें 18 फरवरी, 1974 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।' "

राष्ट्रपति द्वारा इस वर्ष पेश किया गया अभिभाषण एक वास्तविक दस्तावेज है । इसमें ऐसी किसी भी समस्या का उल्लख करने से नहीं छोड़ा गया है जिसका कि आज राष्ट्र को सामना करना पड़ रहा है । राष्ट्रपति ने केवल समस्याओं का ही उल्लेख नहीं किया है अपितु इस सम्बन्ध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत् भी बताएं हैं तथा लोक प्रतिनिधियों के रूप में हमें क्या करना चाहिए, इसके लिये हमें उपाय भी बताएं हैं ।

राट्रपति ने ठीक ही कहा है कि ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी गम्भीर सनस्याओं का सामना न करना पड़ा हो । हमें गत तीन वर्षों के दौरान बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है । हमारे देश की निरन्तर परीक्षा होती रही है । देश ने धैर्य से इन कठिनाइयों का सामना किया है और उन्हें विकास कार्यों में बाधक नहीं बनने दिया । यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये ।

प्रश्न यह भी उठाया गया है कि देश के कुछ भागों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आयुक्त ने चुनाव रोक दिए हैं और उसके लिये विरोधी दलों द्वारा सरकार को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है । यदि कही कोई गड़बड़ी होती है तो उचित कार्यवाही करने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयुक्त की है और चुनाव आयुक्त ने निस्संदेह तुरन्त कार्यवाही की है ।

देश के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या अभाव और खाद्यान्नों के मूल्य की है । परन्तु यह विश्वभर की समस्या है विश्व के बाजार में पिछले वर्षों में जबकि मूल्य 70-80 डालर प्रति मीटरी टन थे अब वे बढ़कर 215--220 डालर प्रति मीटरी टन हो गये हैं । रूस और चीन जैसे समाजवादी देशों को भी अमरीकी तथा अन्य देशों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न खरीदना पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : ये अपना भाषण बाद में जारी रख सकते है ।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lock Sabha re-assembled after Lunch at five mintues past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए[

[MR. DEPUTY SPEAKE *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासचौधरी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री बी० के० दासचौधरी : आज सवेरे ही वसूली संबंधी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया था कि वर्ष 1970-71 में खाद्यान्न उत्पादन 1090 लाख मीटरी टन था । 1972-73 में यह घटकर 950 लाख मीटरी टन हो गया । इसलिये हमें उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था के द्वारा सप्लाई को बढ़ाना चाहिये ।

1971 से लगातार दो वर्ष के सूखे और कुछ भागों में आई बाढ़ के कारण खाद्य संकट और गम्भीर हो गया है और इस कारण हमारा उत्पादन गिर गया है । परिणामस्वरूप हमारे पास अपनी जनता को खिलाने क लिये पर्याप्त भंडार नहीं है । इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य इतने अधिक बढ़ गये हैं कि खाद्यान्नों का आयात करना सरकार के लिए सम्भव नहीं रहा है । फिर भी सरकार हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठी है । अपने देश के सभी भागों में वसूली को तज बनाने का प्रयत्न किया है ।

यह बात सच नहीं है कि वसुली की नीति तथा प्रणाली असफल रही है । केवल पिछले वर्ष ही वसूली कुछ सीमा तक अधिक हुयी है । दूसरा कारण यह था कि हमने 1971 में निश्चय कर लिया था कि हम खाद्यान्न के लिए अमरीका आदि के आगे हांथ नहीं फैलायेगें एवं अपनी आवश्यकता देश में ही अधिक खाद्यान्न वसूल करने तथा सरकारी वितरण पद्धति को देश पूरा करेंगे ।

इस समय सरकार द्वारा उचित मूल्य की 1,75,000 दुकानों को 8 लाख टन तक मासिक कोटा दिया जा रहा है । तदनुसार हमें 1 करोड़ टन खाद्यान्न प्रति वर्ष चाहिये । परन्तु जहां कहीं भी वसूली की गयी है, वहां कुछ स्वार्थी दलों ने आर्थिक कठिनाइयों और अभाव का लाभ

[श्री० बी० के दास चौधरी]

उठाना चाहा हैं। एक और तो वे लोगों को अपना खाद्यान्न देने नहीं देते और दूसरी और वे यह प्रचार करते हैं कि सरकार अपने वसूली अभियान में असफल रही है। इतना ही नहीं एक और तो वे वसूली मूल्य को बढ़ाने के लिये कहते हैं, तो दूसरी और वे विक्रय मूल्य को कम करने और राज सहायता को अधिक करने की बात कहते हैं। फिर लोग कहते हैं कि सरकार घाटे की अर्थ-व्यवस्था को अपना रही है इस प्रकार अभी सभी बातों में विरोधाभास है। स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण किसी जिम्मेदारी का परिचालक नहीं है। वस्तूतः ऐसे लोगों को समझाना कठीन हैं। समुचित उनका उद्देश्य परिस्थिति से लाभ उठाना ही प्रतीत होता है।

तेल संकट तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अथवा मुल्य स्थिति बहुत ही गम्भीर होती जा रही है। सरकार के लिये इस प्रकार की आर्थिक स्थिति का सामना करना काफी कठिन हो रहा है। इस के होते हुए हमारी प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हमारी जो सरकार है, वह राष्ट्र के हितों का पूरा ध्यान रख रही है और आर्थिक मामलों को निपटा रही है।

तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बढ़ जाने के कारण जो संकट पदा हुआ है उससे जापान, पश्चिम जर्मनी आदि को काफ़ी अधिक कठिनाइयों का सामाना करना पड़ रहा है। उससे यूरोपीय साझा बाजार के लिये कठिन स्थिति पैदा हो गयी है। हम देख रहे है कि यूरोपीय साझा बाजार का एक प्रमुख साझेदार देश फ्रांस ने तेल उत्पादन देशों से अपने आप पृथक रूप से बातचीत शुरु कर दी है, ताकि उस दश को कुछ उचित मूल्य पर तेल मिल सके।

आज विश्व भर में यदि कोई ऐसा देश, जिसे तेल उत्पादक देशों से सहानुभूति प्राप्त हो रही है, तो वह भारत ही है।

अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि सरकार ने ईरान के साथ एक समझौता किया है जिसके अन्तर्गत वह देश हमारे तेल शोधक कारखानों के लिए विशेषकर मद्रास तेल शोधक कारखाने के लिये तेल देगा। इसके अतिरिक्त ईरान ने हमारे देश को कुछ सीमा तक अशोधित तेल देने के लिये भी हमारी सरकार के साथ एक समझौता किया है। हमारी आवश्यकताओं का कम से कम दो तिहाई भाग इस वर्ष अवश्य मिलेगा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि पश्चिम एशियाके संकट के संबध में अपनाई गई हमारी नीति का हमें लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया है। इससे यह भी सिद्ध हो नाता है कि भारत सरकार की नीति बहुत ही सफल रही है।

बंगला देश के संबंध में भी हमारी नीति ठीक सिद्ध हुयी है। हम ने यह घोषणा की थी कि बंगला देश एक वास्तविकता है और हमे सभी देशों से मान्यता मिलनी चाहिये। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री भुट्टो मान्यता देने में विलम्ब करने की चाल चलते रहे, परन्तु अन्ततः उन्हें भी वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा और बंगला देश को मान्यता देनी ही पड़ी।

आशा है कि सारा संसार हमारी सरकार द्वारा अपनायी गयी विदेश नीति की सत्यता को मान लेगा।

हमारें एक महान मित्र श्री ब्रेझनेव जब रूस से यहां आये थे तो उन्होंने विदेशी संबंधों, शान्ति, प्रगति तथा सहयोग आदि के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा की गयी कार्यवाहियों की सराहना की थी। लगभग सभी देश विभिन्न देशों के साथ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रगति ो बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व को अनिवार्य समझने लगे हैं।

इसके बावजूद हम देखते है कि समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान नहीं हो पा रहा है किन्तु, क्या हिंसा हिंबन्दो के लिये उकसाने से ये कठिनाइयां दूर हो जायेंगी? हमें दृढ़ विश्वास के साथ भरसक प्रयास करने चाहिये। हमें अच्छा नागरिक बनाना चाहिये। समय समय पर सभी प्रकार की

हिंसा, बन्दो तथा हड़ताले हानिकारक हैं। उत्पादन को बन्द कर देना भी हानिकारक है । हमें हड़तालों के लिये आव्हान करना बन्द कर देना चाहिये । ऐसा करने का यह समय नहीं है ।

हमें न केवल मूल्य वृद्धि, अपितु, उत्पादन में कमी का भी सामना करना पड़ रहा है और सरकार इस दिशा में उचित कार्यवाही कर रही है। यदि आवश्यक हुआ, तो सरकार सख्त से सख्त उपाय भी करेगी।

मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हिन्द महासागर में अमरीका अथवा ब्रिटेन नौसेना अड्डे बनाने से उनका क्या राष्ट्रीय हित सिद्ध हो गया। संयुक्त राष्ट्रमहासभा ने भी इस बारे में एक संकल्प द्वारा यह घोषणा की है कि हिन्द महासागर को शान्ति के सागर के रूप में रहने देना चाहिये। हिन्द महासागर के तट के देशों ने कड़े शब्दों में विरोध भी करना शुरु कर दिया है ।

समूचे राष्ट्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चुंकि हम जटिल अभावो की इस प्रकार की कठिनाइयों को महसूस कर रहे है, इसलिए हमें दृढ़ संकल्प होकर प्रयास करना चाहिये ताकि इस संकट को सभी के सहयोग से हल किया जा सके। यह केवल कांग्रेस दल के लिये ही नहीं, अपितु विरोधी पक्ष के दलों की भी बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिये, क्योंकि वे भी इस देश का ही अंग हैं। उनकी भी लोगो के प्रति सहानुभूति हैं जो इन कठिनाइयों से पीड़ित हैं। किन्तु वे इसके साथ साथ इस प्रकार की बाधायें भी खड़ी कर रहे हैं ताकि हम इन समस्याओं का समाधान न कर सकें। किन्तु मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिये दृढ़ संकल्प है। यदि सरकार के लिये 1971 वर्ष की बड़ी समस्याओं को हल करना सम्भवत था, तो वह आगामी मासो तथा वर्षों में आने वाली समस्याओं को हल कर लेगी।

हिंसा को प्रोत्साहन देने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार इस समय इन कठिनायों को दूर कर देने की स्थिति में है। हिंसा के लिये प्रेरित करना तथा हड़तालों तथा बन्दो आदि का आव्हान करना लोकतंत्र नहीं है। परन्तु विरोधी पक्ष के कार्यों से यह पता चलता है कि वे लोकतंत्र के स्थान पर आतंक का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। वे लोकतंत्र के साथ पर अराजकता लाना चाहते हैं। सरकार अवश्य ही इन कठिनाइयों पर काबू पा लेगी।

अन्त में मैं यह कहता हूँ कि सरकार को कुछ तथ्यों की और ध्यान देना चाहिये। इस संकट के कारण योजना के लिये हमें अपने संसाधनों का निदेश करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। किन्तु उद्योगों के कुछ क्षेत्रों में पुंजी निवेश इस ढंग से किया गया है कि अधिक से अधिक विलासती का सामान बताया जा रहा है, किन्तु सामान्य जनत द्वारा खपत योग्य वस्तुओं को नहीं बताया जा रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की उचित वितरण पद्धति लागू करे। उचित वितरण व्यवस्था को लागू करने के लिये समूचे संगठन को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वितरण पद्धति को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये। यदि सम्भव हो तो आन्तरिक व्यापार जो इस समय वाणिज्य मंत्रालय में है, सप्लाई विभाग के साथ जोड़ दिया जाना चाहिये और उसे अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये ताकि वे वितरण तंत्र को और अच्छी तरह सुव्यवस्थित कर सके जिससे लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इस सभा को राष्ट्रपति के प्रति आभार प्रकट करने वाले प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकार कर लेना चाहिये। मुझे आशा है कि समस्त सभा इस संबंध में मेरे साथ सहमत होगी।

Sbri Amrit Nahata (Barmer) : When the President came to the Central Hall to deliver his address, some Members had staged a demonstration in the Hall to protest and express their resentment against price rise, scarcity of essential commodities and such other things. I appreciate their feelings in this regard.

[Shri Amrit Nahata]

I can mention one instance of a great leader of the Opposition. He has been praying daily for increase in prices and shortages of commodities (*Interruptions*).

He is my neighbourer in Jodhpur. But these are the members of the opposition parties, who have exploited the present situation to fulfil their own political ends. We should not be surprised if they make efforts to create such conditions (*Interruptions*).

The resentment of the public is understandable, but when the responsible M. P'sexpress their sentiments through violance, arson, loot etc. it appears that some kind of conspiracy to undermine democratic traditions and parliamentary conncetions has been hatched.

There are certain forces within the country and outside the country, which has not appreciated the measure taken by the Prime Minister and they want to create an atomosphere of lawlessness, disorder and anarchy in the country. There might be some weaknesses in the ruling party and they are liable to commit mistakes but they are quite keen to understand the feelings of the people. However, the methods of violence, arson, loot and lawlessness adopted by the opposition parties would effect the integrity of the nation. Such methods should be discouraged and dealt with properly.

The country is facing several complex problems. Different sections of people have got their own interest. Some political parties want to please every section of the prople and give contradictory assurances to them to fulfil their own selfish ends.

The only way to bring about the desirable adjustment in the conflicting interest is to create a substantial growth in production, so that the economy of the country may be increased. There should be no profit motive behind increasing of production. The present crisis is not an economic crisis, but it is crisis of price increase, a crisis of faith and morality. The ideas of patriotism and service to the nation should be adhered to the ruling party should certainly get out successful and are emerge out stronger in the present hour of trial.

Some people are talking about introducing limited dictatorship in the country. The people of the country had with stood such kind of difficulties in the past and cenrtainly they would come out successful in this hour of crisis also. We should have full faith in our people.

Our Prime Minister has got an unique quality of taking right step at the right moment. We are confident that the ruling party is the only party which has a national approach instead of having a sectarian approach and it would be able to face the present challenges and difficulties successfully with all self-confidence. We would surely solve them.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 18 फरवरी, 1974 को एक-साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी है।' "

सदस्यों द्वारा अनेक संशोधनों की सूचना दी गयी है। जो सदस्य उपस्थित हैं और अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे 15 मिनट के भीतर अपनी चिट भेज दें। उन्हें, प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि महाराष्ट्र सरकार के राष्ट्रीय एकता आन्दोलन के अनुसार चलने और शिव सेना की गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु से विवश करने के लिये अभिभाषण में किसी कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।" (1)

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ज्यूनियर डाक्टरों के, जो उनके और सरकार के बीच 31 मार्च, (1973) समझौते के कार्यान्वयन के लिये आन्दोलन कर रहे हैं, सरकार द्वारा दमन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (2)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में चुनाव के अवसर पर भारी संख्या में परियोजनाओं के, जिन में से कुछ न तो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई हैं और न ही बजट में उनके लिए किसी प्रकार की धनराशि की व्यवस्था की गई है, के शिलान्यास रखे जाने की प्रथा अपनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (3)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने चुनाव अभियान के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन का घोर दुरूपयोग किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (4)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी सेवाओं में सामान्य और तकनीकी कर्मचारियों के दर्जे और उनकी परिलब्धियों में असमानता को दूर करने सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई गई है।" (5)

कि प्रस्ताव के अन्त में वह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने चुनाव अभियान के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी तंत्र के घोर दुरूपयोग को रोकने में भारतीय निर्वाचन आयोग की घोर विफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (6)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में सामान्य तौर पर साहसी जनता और विशेषकर 50 से अधिक शहीदों, जिन्होंने वहां के भ्रष्ट और अयोग्य शासन के विरूद्ध वीरतापूर्ण और सफल लड़ाई लड़ी, को श्रद्धांजलि दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (7)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी तथा उनकी बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में सरकार की घोर विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वहां पर खाद्यान्न सम्बन्धी उपद्रव हुए और जिन्हें सेना की सहायता से दबाया गया।" (8)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात राज्य विधान सभा को भंग करने के लिए गुजरात के लोगों की मांग को स्वीकार न करने के विशिष्ट कारणों तथा मजबूरियों का कोई उल्लेख नहीं है और इसकी बजाय वहां पर निलम्बित सभा को बनाया रखा जा रहा है।" (9)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no assurance has been given in the Address about introduction of excise duty in place of all types of sales taxes." (10)

[श्री० जगन्नाथराव जोशी]

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of a definite time limit for solving Karnataka/Maharashtra boundary dispute." (11)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the different time-limits within which each of the river water disputes will be settled." (12)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of Government's failure to hold proper inquiry into valid corruption charges levelled against high placed leaders and officers." (13)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance regarding reducing the voting age to 18 years thus inculcating a feeling in the rising youth of participation in the building of the nation." (14)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no reference in the Address of the serious danger to Indian democracy as a result of open alliance between the ruling party and the C.P.I." (15)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no assurance has been given in the Address regarding comprehensive insurance of meagre property of the poor farmers, namely cattle wealth and crops." (16)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for providing housing accommodation to every family in the country within a specified period." (17)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any effective steps for providing immediate relief to the unemployed, poor, those living in inaccessible places and other weaker sections of the society distressed by tremendous rise in prices and shortages." (18)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no time-bound assurance in the Address for removing deep seated and large-scale dissatisfaction among the youth due to increasing unemployment and aimless education system." (19)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of doing away with the nationalisation of whole-sale trade in wheat in view its failure." (20)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the policies pursued so far being responsible for the economic crisis and steep fall in the growth of development." (21)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need to include the right to employment among the fundamental rights enshrined in the Constitution" (22)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance to constitute a Committee of Member of Parliament to investigate the charges levelled against the Maruti Ltd." (23)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of needbased minimum wage for employees and labourers." (24)

That at end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address no assurance has been given to stop in future the constitutionally ambiguous and politically immoral practice of suspending the Legislative Assembly instead of dissolving it while imposing President's rule in any State." (25)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of implementation of any time bound scheme to end black money." (26)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address anger and resentment has not been expressed over the Government decision to hand over the Indian land in Chamb-Jaurian to Pakistan inspite of India's victory in the 1971 war." (27)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of appointing a permanent Finance Commission to settle the question of allocation of financial resources on the basis of stability between the Centre and States and just requirements." (28)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that stress has not been laid in the Address on the implementation of a national policy which may enable the farmers, labourers and other weaker sections living below poverty level to make themselves free from their indebtedness with in a specific period." (29)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of changing immediately the basic policies of Government responsible for the failure in achieving the various targets of Fourth Plan." (30)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no concrete indication in the Address of a proper solution and remedy of increasing poverty, declining production and consequent public resentment in the country during the last three years." (31)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of participation of workers in the management of all public undertakings within a specific period." (32)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any guidelines to check increasing interference by Government in the administration and management of Central universities." (33)

[श्री जगन्नाथराव जोशी]

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of granting Indian citizenship to and permanent settlement of Sindhi refugees who crossed over to India during the 1971 war." (34)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no announcement has been made in the Address for convening a round table conference of the representatives of all classes of the country which are important from the economic point of view for laying down a national policy in regard to employment, prices, production and income." (35)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address no anxiety has been expressed about making radical improvement in the electoral system to free elections from the ill-effects of casteism, regionalism and money." (36)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of revoking provisional article 370 of the Constitution for complete merger of Jammu and Kashmir with India." (37)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not refer to the assurance that Government's interference in the appointment of Judges to the Supreme Court and to the High Courts will be stopped." (38)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance to ensure supply of drinking water in every village of India within a specified period." (39)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address about the continuous failure of the Government in taking concrete, basic and effctive measures remove scarcity of essential commodities and to check galloping rise in their prices." (40)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that tnere is no mention in the Address of the failure of Government in providing fertilizers, irrigation facilities and seeds to the farmers in time and of the concrete measures to be taken in this regard." (41)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address about the definite time for proper and adequate rehabilitation of and payment of compensation to the displaced persons from Chamb-Jauria sector during Indo-Pak war of 1971." (42)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no assurance has been given in the Address that the land of the Scheduled Castes, which other people got transferred in their names by improper means, would be returned to them within a specific period." (43)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret tnat there is no mention in the Address of the concrete steps for full utilisation of the industrial capacity of the country." (44)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention of such urgent and concrete steps in the Address as may enable education to become an important media of social upliftment, economic development and of making noble citizens." (45)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the project for effective, fruitful and complete utilisation of the entire manpower of the country." (46)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no positive assurance has been given in the Address in regard to introduction of necessary land reform scheme within a specified period for achieving maximum production through intensive cultivation." (47)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of lifting of emergency." (48)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in tne Address about equal pay for equal work for all workers." (49)

That at the end of the motion, the following be added, namely :

"but regret that an announcement has not been made in the Address that cow slaughter would be banned throughout the country." (50)

That at the end of the motion, the following be added namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address that a high power commission would be constituted to consider all the difficulties of the pensioners and to provide them proper assistance and other facilities." (51)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no concern has been expressed in the Address about the increasing danger to the democracy in the country due to the dictatorial attitude of the ruling party." (52)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no assurance that States will be given adequate financial assistance for providing electricity, metalled roads, drinking water, medical centres, agricultural equipment centres, small and cottage industries equipment centres and education facilities to each village of the country within a specific period." (53)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address concern has not been expressed over the non-implementation of the resolution passed by Parliament in 1967 that all the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution along with the English would be considered optional languages for all India and Central Services examinations and also there is no mention of any specific period for implementing this resolution." (54)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance for conducting a judicial inquiry in regard to the excesses committed by police on the people of Gujarat." (55)

श्री० सी० एच० मोहमद कोया (मंजेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीयों पर शिव सेना द्वारा किये गये अत्याचारों और उनके जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।" (57)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्वविद्यालय के अल्प संख्यक स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (58)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल की जनता को प्रति व्यक्ति 12 औंस चावल का राशन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की तैयारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (59)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि देश में हुए साम्प्रदायिक दंगों तथा उन पर रोक लगाने के उपायों के संबंध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (60)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि केरल सरकार द्वारा भेजी गई नारियल उद्योग (पुनर्गठन) योजना, जिससे उद्योग का लाभ होगा तथा 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (61)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि मुस्लिम तथा अन्य अल्प संख्यकों को सरकारी सेवा तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी उपायों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है ।" (62)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि कालीकट हवाई अड्डे तथा मेलट्टूर-फेरोके रेल लाइन, जो कि केरल के पिछड़े मालापुरम जिले की दीर्घकाल से अनुभव की जा रही आवश्यकतायें हैं, का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (63)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू-को उर्दू-भाषी राज्यों में दूसरी भाषा बनाने संबंधी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है ।" (64)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि "मोपला विद्रोह" जो कि गांधी जी द्वारा खिलाफत आन्दोलन नाम से आरम्भ किये गये सविनय अवज्ञा आन्दोलन का एक भाग था, में भाग लेने वाले देश भक्तों को राजनीतिक पेंशन देने के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (65)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि बर्मा से आये भारतीयों को दिये गये ऋण को स्वर्णकारों को दिये गये ऋणों के समान समाप्त करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (66)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि केरल के लिये एक पृथक पारपत्र कार्यालय शीघ्र खोलने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (67)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि केरल से नौकरी की तलाश में गये लोगों, जिन्होंने एक नाव में बैठकर दुबई से भागने का प्रयास किया, के दुःखद अन्त तथा हमारे दूतावास के कर्मचारियों द्वारा अवैध आप्रवासियों की शिकायतों को दूर करने में उपेक्षा का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (68)

श्री सी० के० चंद्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि भाषायी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से बम्बई में बसे तथा काम कर रहे मलयालियों पर हाल में शिव सेना के अत्याचारों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (84)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार अट्ठारह वर्ष की उम्र वालों को मतदान का अधिकार देगी जिसका देश के युवकों को वचन दिया गया था।" (85)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (आदेश) विधेयक इस सत्र में पुरःस्थापित किया जायेगा।" (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार तथाकथित पब्लिक स्कूलों को, जो पाश्चात्य सभ्यता समर्थक तथा दंभियों को हमारे समाज में पैदा करते हैं, समाप्त करने के लिये तत्काल कदम उठायेगी।" (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार रेल कर्मचारियों को बोनस स्वीकृत करेगी।" (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार तेजी से बढ़ती हुई कीमतों को कम करने में असफल हुई है।" (89)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार हमारी अर्थव्यवस्था में भारतीय तथा विदेशी एकाधिकार के विकास को रोकने में असफल रही है।" (90)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अध्यादेश को, जो केन्द्र के पास 3 वर्ष से अधिक समय से पड़ा हुआ है, जारी करने की केरल सरकार को तुरन्त अनुमति देगी।" (91)

[श्री सी० के० चंद्रप्पन]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार चोर-बाजारी करने वालों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरूद्ध, जो जनसाधारण की विपत्तियों के लिये जिम्मेदार हैं, सार्थक तथा कड़ी कार्यवाही करेगी।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार काले धन की वृद्धि को समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण जैसे दृढ़ उपाय करेगी।" (93)

कि प्रस्ताव में अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार शिव सेना तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे अर्ध-उग्रराष्ट्रवादी और अर्ध-सैनिक संगठनों पर, जो देश तथा राष्ट्र की एकता को खतर में डाल रहे हैं, प्रतिबन्ध लगाने के लिये कदम उठायेगी।" (94)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार भारत में शिक्षा पद्धति को, जो आज भी पुरानी है तथा देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अप्रर्याप्त है, सुधारने तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिये तत्काल कदम उठायेगी।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार केरल कि पिछड़े वर्गो के इसाईयों, मलबार के वेलन समुदाय तथा कुटम्बी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिये कदम उठायेगी।" (96)

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनाज तथा को कम करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं।

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को अनाज तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर देने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में कीई उल्लेख नही है।" (98)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात राज्य में मूल्य वृद्धि के विरुद्ध आन्दोलन और अनाज और जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के विरुद्ध आन्दोलनों में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों के प्रति सहानुभूति का कोई उल्लेख नहीं है।" (99)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में निलम्बित विधान सभा को भंग करने और तुरन्त नये निर्वाचन कराने के सम्बन्ध में जनता की भावना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (100)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि गुजरात सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और गुजरात में मूल्य वृद्धि के विरुद्ध आन्दोलन के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के विरुद्ध न्यायिक जांच कराने के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नर्मदा नदी परियोजना विवाद के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा निर्णय दिये जाने में हुए असाधारण विलम्ब के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (102)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि गुजरात में राज्य विधान सभा को भंग करने और नये निर्वाचन कराने सम्बन्धी गुजरात की जनता की सर्वसम्मत और लोकप्रिय मांग को दबाने के लिए केन्द्रीय आरक्षण पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा सामूहिक हत्यायें और दमन करने को रोकने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समूचे देश में मद्य निषेध लागू करने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (104)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि भारतीय दवा उद्योग के हितों के विरुद्ध विदेशी दवा निर्माता कम्पनियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने को रोकने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नही है।" (105)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एक सुनिश्चित और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (106)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लाटरियों को बन्द करने के लिए कारगर उपाय करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (107)

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no definite or concrete steps to lower the prices or at least to stabilise them in respect of essential commodities have been stated in the Address." (108)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret to find that no specific steps to make the essential commodities available to the common man without any difficulty have been mentioned in the Address." (109)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret to state that no measures have been specified for ameliorating the conditions of Harijans, Backward Classes and Scheduled Tribes against whom atrocities are being committed in various parts of the country and whose conditions have become worse from year to year." (110)

[Shri Ramavatar Shastri]

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret to note that no mention has been made of the liberal supply of fertilisers and tractors to the poor farmers to enable them to produce more foodgrains urgently needed by the country." (111)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for imposing restrictions on foreign profiteers." (112)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about nationalisation of foreign-owned factories." (113)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for the sale of sugar on a uniform price through ration shops by abolishing the relaxation given to the sugar producers of selling sugar in the open market." (114)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the reactionary elements who are demanding the division of Andhra Pradesh." (115)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the policy of killing of innocent people in reckless firing during food agitation in Gujarat." (116)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the previous Government of Gujarat as answerable for the present situation there." (117)

That at the end of the motion, the following be added. namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the elements and parties tyring to divert the food agitation of the public of Gujarat in reactionary directions." (118)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the alliance among the reactionary parties in the country." (119)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal for immediate nationalisation of foreign oil companies." (120)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of any action to be taken against persons indulging in blackmarketing and profiteering in diesel, petrol and kerosene." (121)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of the need for ensuring the supply of diesel to the farmers." (122)

That at the end of the motion, the following be added. namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of nationalisation of foreign trade." (123)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of any action to be taken against officers who are wrecking the public sector foctories from within." (124)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal to check thefts, wastage and extravagant expenditure in public sector." (125)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret tnat in the Address there is no mention of any effort to check bureaucracy and officialdom in public sector factories." (126)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal to increase the production in and to improve the working of public sector factories through cooperation of labourers and employees or tnrough their participation in the management." (127)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of any proposal to appoint only those officers, who have faith in socialism and public sector, to the highest posts in the public sector factories." (128)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for distribution among agricultural labour and poor peasants of surplus land of Jotedars and landlords that will be available after introducing progressive land reforms." (129)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the States that are showing favour to landlords and profiteers." (130)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for changing the Government policy responsible for inflation." (131)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any concrete proposals to be adopted to fight drought and floods." (132)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any specific and concrete steps to check skyrocketing prices and scarcity of goods." (133)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for taking stringen action against profiteers, hoarders and speculators." (134)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for adopting the policy of taking-over of wholesale foodgrain trade and continuing the procurement scheme." (135)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the tendency of the profiteers and hoarders of fleecing the public by price-hike because of the non-implementation of the scheme of procurement of rice and taking-over the wholesale trade thereof." (136)

[Shri Ramavatar Shastri]

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any proposal in regard to take over of wholesale trade in wheat and other foodgrains during the next rabi crop and to implement new procurement scheme by avoiding the mistakes committed in the past." (137)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any steps for exposing and condemning the elements within and outside the Government which are sabotaging the rice procurement scheme in various States." (138)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for taking stringent action against the officers sabotaging Government foodgrain procurement scheme." (139)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"dut regret that there is no mention in the Address of the failure of Government's policy in getting out the foodgrains hoarded by the big farmers in the villages." (140)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address about starting a 'bring out the foodgrains' drive and seeking the co-operation of the common people in this matter." (141)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to openly censure the political parties sheltering the profiteers and hoarders and to exhort the people to be careful against them." (142)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for taking a non-capitalist road to development by doing away with the present capitalist society." (143)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of any steps for squeezing out the reactionary and anti-social elements who are in firm control of Government machinery." (144)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for the implementation of a policy of proper distribution of foodgrains among the people of Bihar, Kerala, Gujarat and other deficit States by supplying adequate quantities of foodgrains to them." (145)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address about the sale of all the essential commodities through the ration shops." (146)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address about any definite policy for stabilising the prices of foodstuffs and other necessities of life." (147)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address about the supply of Dalda, mustard oil, soap, kerosene oil, cloth, pulses, coal, etc. at cheaper rates at the ration shops in addition to wheat, rice, bajra etc. being sold by them." (148)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the need for nationalising the mills manufacturing Dalda, sugar, cloth, jute, soap, mustard oil, drugs etc." (149)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any steps for restricting and limiting the profits of profiteers and monopoly capitalists." (150)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for breaking the economic power of 75 monopoly capitalist houses of the country." (151)

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति को गुजरात विधान सभा को तुरन्त भंग करने की सलाह देने में सरकार असफल रही है।" (152)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि गुजरात राज्य में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध गुजरात में हुए सहज तथा व्यापक जन अन्दोलन का, जिसके फलस्वरूप वहा सरकार का अन्ततः पतन हुआ है, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (153)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात विधान सभा का केवल निलम्बन किये जाने के विरुद्ध अहमदाबाद और गुजरात के लोगों में रोष और आन्दोलन का कोई उल्लेख नहीं है जबकि उस राज्य में अब राष्ट्रपति के शासन लागू किया गया है।" (154)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि गुजरात भर में पुलिस द्वारा अन्धाधुंध गोली चलाये जाने के कारण हुए रक्तपात के बारे में, जिसमें काफी हद तक बचा जा सकता था, और इस गोलीबारी के शिकार अनेक निर्दोष व्यक्तियों को श्रद्धाजलि अर्पित करने के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (155)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार ने अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य भागों में गत छः अथवा सात सप्ताहों में हुए जन-आन्दोलन में पुलिस गोली बारी में जिन परिवारों के सदस्य मारे गये अथवा गम्भीर रूप से जख्मी हुए उन परिवारों को उचित राहत तथा पर्याप्त प्रतिकार देने हेतु तुरन्त और ठोस कदम नहीं उठाए हैं।" (156)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि गत छः अथवा सात सप्ताह में अहमदाबाद तथा गुजरात के असंख्य निर्दोष तथा शान्ति प्रिय लोगों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने तथा अन्य अनेक अन्य अत्याचार किये जाने की तुरन्त न्यायिक जांच कराने में सरकार विफल रही है।" (157)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल के जन-आन्दोलन के दौरान गुजरात में कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाये गये दमनकारी तथा तानाशाही तरीकों की निन्दा नहीं की गयी है।" (158)

[श्री पी० जी० मावलंकर]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि गुजरात की बदनाम तथा निष्कासित सरकार प्रेस को डराने-धमकाने तथा इस प्रकार प्रेस स्वातंत्र्य का गला घोटने के लिये विभिन्न कार्य किये हैं।" (159)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस सरकार ने आकाशवाणी, अहमदाबाद का सरकारी प्रचार के लिए किस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे सामान्य जनता की दृष्टि में आकाशवाणी की साख को धक्का लगा है।" (160)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन जनवरी और फरवरी, 1974 में गुजरात की कांग्रेस सरकार द्वारा अनेक छात्रों, शिक्षकों, पत्रकारों तथा राजनितिक विरोधियों की गिरफ्तारियां की सरकार द्वारा निन्दा नहीं की गयी है।" (161)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि गुजरात में विशेषत: खाद्यान्नों, खाद्यतेलों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हेतु कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित नहीं की गई है।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि प्रधान मंत्री नर्मदा जल विवाद पर अपना पंच फैसला देने में विफल रही है जिसके कारण गुजरात के लोगों को अकथनीय पीड़ा, परेशानी, अपमान तथा कठिनाइयां हुई हैं।" (163)

श्री के० एस चावड़ा (पाटन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लघु उद्योग आरम्भ करने के लिए व्याज मुक्त ऋण, जो 10 वर्षों के बाद आसान किस्तों में वापस किए जायें, देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (164)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरों में, जो एक दशक से क्रमश: 10.27 प्रतिशत तथा 8.54 प्रतिशत पर स्थिर हैं और जो सामान्य साक्षरता दर 29.6 प्रतिशत से बहुत कम हैं, वृद्धि करने के प्रयत्नों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में ये जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रेणी 1, 2 और 3 की सरकारी सेवाओं में आरक्षित स्थानों को भरने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (166)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतन्त्रता प्राप्ति के 26 वर्ष बाद भी देश से अस्पृश्यता को पूर्णतया दूर करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (167)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात.—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे महानगरों से गन्दी बस्तियों को हटाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (168)

श्रीमती कृष्णा कुमारी (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसाधारण की कठिनाइयों के ठोस अथवा निश्चित समाधान नहीं दिए गए हैं।" (169)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की समस्यायों के समाधान की कोई दृढ़ रूपरेखा नहीं दी गयी है।" (170)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढती हुई मुद्रास्फिति तथा आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी की समस्या का समाधान करने के लिए निश्चित कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं दी गई है।" (171)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश की समस्याओं के सम्बध में किसी वास्तविक दृष्टिकोण का कोई उल्लेख नहीं है।" (172)

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की भ्रामक नीतियां तथा अवास्तविक आश्वासन बने हुए हैं।" (173)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम तथा रोजगार और हस्तकला, कुटीर उद्योग और स्वयं-नियोजन के विकास के बारे में कोई आशाजनक कार्यक्रम नहीं है।" (174)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण भारत की समस्याओं, विशेष रूप से कृषि, सिंचाई, बिजली, बीज और उर्वरक सम्बन्धी समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिया गया है।" (175)

Shri Ramavatar Shashtri (Patna) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for fixing reasonable prices of agricultural produce to the farmers." (179)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for supplying manure; seeds and agricultural implements on reasonable prices to the farmers." (180)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there no mention in the Address of the need for providing essential commodities to the farmers on reasonable prices." (181)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that theere is no mention in the Address of the need for fixing the price of sugarcane at 15 per quintal for the farmers." (182)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any concrete measures for providing adequate quantity of fertilizers to the farmers on reasonable prices. (183)

[Shri Ramavatar Shashtri]

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for imposing restrictions on advancing loans by the nationalised banks to monopolists, capitalists, hoarders, profiteers, speculators, blackmarketeers and exploiters of the public." (184)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for taking effective measures to remove the hurdles in he way of coal production." (185)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for reducing the price of coal." (186)

That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for taking stringent action against persons sabotaging coal production." (187)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need tor nationalising some non-nationalised coal mines of Santhal Pargana and Hazaribagh districts of Bihar." (188)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of any effort to seek workers co-operation in the field of coal production." (189)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal for giving preference to the supply of coal to public sector factories." (190)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal to set up an atomic power station in Bihar to generate electricity." (191)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal to set up a thermal powe station in Katihar to remove the shortage of power in Bihar and particularly increase the per capita consumption of electricity in North Bihar." (192)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of any steps to avoid the loss of crores of rupees by plugging the large scale leakage of power." (193)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal to abolish the useless and expenditure-oriented Railway Board and to set up an autonomous corporation with a view to improve the working of railways." (194)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not refer to any changes in the anti-labour policy of the Railway Board." (195)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not refer to any increase in amenities to about 17 lakh railway employees in order to ensure the smooth functioning of railways." (196)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need to declare bonus to the railway workers." (197)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any reference to the need to grant bonus to all categories of workers." (198)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any arrangements for supply of adequate number of railway wagons for transportation of goods." (199)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not conain any mention regarding the immediate need to take-over Arthur Butler Company, Muzaffarpur, Britannia Engineering Company, Mokameh and other private factories and put them into commission with a view to increasing the production of railway wagons." (200)

That at the end of the motion , the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of giving up anti-labour policy and solving labour problems sympathetically." (201)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal for introduction and passing of a Bill for amending the Industrial Disputes Act in the interest of workers during the current session of Parliament." (202)

That at the end of motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention any likely move to ensure one union for one industry." (203)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal to decide the question of representative character of a union by secret ballot and to give recognition only to such a union." (204)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention , of any proposal to declare as 'workmen' labourers and employees working in pharmaceutical industries, universities and hospitals." (205)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal to ban anti-labour and anti-national action like closure of factories and lockouts." (206)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any proposal to limit the profits of capitalists." (207)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of imposing restrictions on the remittance of profits by foreign factories and companies outside the country." (208)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no reference of sharing the benefits of increase in the industrial production with the labourers." (209)

[Shri Ramavatar Shastri]

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address for imposing ban on the use of Government machinery for election purposes." (210)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention about abolition of debt slavery system and writing off all kinds of loans advanced by money lenders." (211)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address for making efforts to normalise relations with the People's Republic of China." (212)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to commend the Soviet proposal for Asian Collective Security." (213)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention the need of vigilant, conscious and continuous struggle against the reactionary forces trying to create breaches in the friendship of Soviet Union and other socialist countries with India." (214)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address for taking steps to eradicate corrruption rampant from top to bottom in Government Departments." (215)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of providing special economic assistance for development of backward States and areas." (216)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any effective steps to check increasing incidents of communalism and violence." (217)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the elements raising slogan of dividing the country in the name of caste and religion." (218)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the brutal attacks by Shiv Sena on non-Maharashtrians in Bombay." (219)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of imposing immediate ban on R.S.S., Jamat-e-Islami, Shiv Sena and other communal organisations." (220)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केवल तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और वास्तविकता की उपेक्षा की गई है।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में आज विद्यमान राजनीतिक-आर्थिक स्थितियों का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया है।" (223)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि कांग्रेस सरकार ने गलत, जन-विरोधी तथा एकाधिकार-समर्थक नीतियां अपनाकर देश को विनाश के कगार में लाकर छोड़ दिया है।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लख नहीं किया गया है कि अनाज की मांग करने के लिए 80 से अधिक लोगों को गुजरात की गलियों में गोली से मार दिया गया है।" (225)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि पश्चिम बंगाल में संसदीय लोकतंत्र की पूर्ण अवहेलना की गई है और अब उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में और इससे पूर्व कई अन्य राज्यों में संसदीय लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों को जानबूझ कर तोड़ दिया गया है।" (226)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार ने गुजरात के भूखे लोगों पर भारी जुल्म ढाये हैं।" (227)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभी तक भी गुजरात राज्य विधान सभा को भंग नहीं किया गया है जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि केन्द्र गुप्त रूप से बदनाम सरकार को फिर से सत्तारूढ़ करने का षड़यंत्र रचा रहा है।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि केन्द्र तथा अधिकांश राज्यों में सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व में देश तेजी से एक-दलीय तानाशाही की ओर अग्रसर हो रहा है और हमारे देश में पहले से पुलिस राज्य है।" (229)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सत्तारूढ़ दल की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनसाधारण के लोकतंत्री आन्दोलनों को दबाने के लिए सरकारी द्वारा भारतीय रक्षा नियमों, आपातकालीन स्थिति, आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम और अन्य काले अधिनियमों तथा कानूनों का उपयोग किया गया है और किया जा रहा है।" (230)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि क्षेत्रीयतावादी, अति राष्ट्रवादी और उग्र राष्ट्रवादी शक्तियों के दमन में सरकार की अनिच्छा तथा असफलता के बारे में और बम्बई में अल्प-संख्यक दक्षिण भारतीयों को शिवसेना के अत्याचारों से बचाने में सरकार की अनिच्छा तथा विफलता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (231)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि सत्तारुढ़ दल उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मनीपुर, नागालैंड और पांडेचरी में अपने पक्ष में चुनावों को प्रभावित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की मशीनरी का भारी उपयोग कर रहा है।" (232)

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और काले-धन के प्रभाव के बारे में, जो राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं, कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (233)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में वर्तमान केन्द्रीय मंत्रिमंडल समस्त भ्रष्टाचार का स्रोत है।" (234)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि बेरोजगारी तथा अर्ध-रोजगारी में चिन्ताजनक वृद्धि की समस्या को अभिभाषण में बिलकुल विस्मृत कर दिया गया है, मानों ऐसी कोई समस्या है ही नहीं।" (235)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि सरकार द्वारा गलत तथा एकाधिकार-समर्थक आर्थिक, वित्तीय तथा राजस्व सम्बन्धी नीतियां अपनाये जाने के कारण देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट है और आर्थिक गतिविधियों तथा उत्पादन में बिलकुल गतिरोध आ गया है।" (236)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि भरपूर फसलों के सरकारी दावे के बावजूद भी मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है और खाद्यान्नों की खरीद सम्बन्धी साधारण लक्ष्यों की पूर्ति में सरकार की विफलता के कारण समूचे देश में लोक वितरण पद्धति समाप्तप्राय हो गई है।" (237)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है कि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य न केवल आकाश को छू रहे हैं, अपितु कुछ आवश्यक वस्तुएं खुले बाजार से गायब भी हो गई हैं।" (238)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि एकाधिकारी औद्योगिक गृहों और ग्रामीण निहित हितों के विकास को रोकने में सरकार की विफलता और अनिच्छा का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (239)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार ने ग्रामीण धनी व्यक्तियों के हित में अनाज के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अपनी योजना को लागू नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप यह योजना असफल हो गई है तथा गुजरात जैसे राज्यों में इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है।" (240)

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान नहर और लिफ्ट चैनल को केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (241)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीकानेर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके बारे में लोग बहुत क्षुब्ध हैं।" (242)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि उत्तर राजस्थान में खाद्य-पदार्थों के राशन के कोटे को 3 किलोग्राम प्रतिमास से बढ़ाकर 8 मूल किलोग्राम प्रतिमास करने के लिए राजस्थान को अधिक कोटा देने की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (243)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पलाना में, जहां पर 'लिगनाइट' उपलब्ध होने का पता चला है, एक तापीय विद्युत् केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (244)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि बीकानेर के निकट, जहां पलाना और जामसर में 15 मील की परिधि के भीतर क्रमशः लिगनाइट तथा जिप्सम आसानी से उपलब्ध हैं और निर्माणाधीन राजस्थान नहर से पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सकेगा, एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि तेल संकट के कारण नेप्था महंगा होता जा रहा है और सस्ते उर्वरकों के लिए लिगनाइट और जिप्सम का बखूबी उपयोग किया जा सकता है।" (245)

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि सूती वस्त्र जैसे कतिपय उद्योगों को वास्तव में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सहायता दी गई है जिनका समाज का धनी वर्ग उपभोग करता है जबकि इससे मध्यम तथा मोटे कपड़े जैसे आम उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन गिरता है।" (246)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूती वस्त्र, चीनी, आवश्यक औषधियां तथा वनस्पति जैसे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया गया है।" (247)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है कि घाटे की अर्थव्यवस्था को, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ रही है, नियंत्रण में नहीं रखा जा रहा है।" (248)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण से इस बात का आभास नहीं होता कि जब तक मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया जाता तब तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना का असफल होना निश्चित है।" (249)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि यद्पि पांचवीं पंचवर्षीय योजना का उज्जवल चित्रण किया गया है किन्तु अभिभाषण में इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि गत वर्ष मूल्यों में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्तीय दृष्टि से योजना का आकार पहले ही कम हो गया है।" (250)

[श्रीमती रोजा देशपांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज के सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वर्गों की विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष उपाय नहीं सुझाये गये है।" (251)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों जैसी सार्वजनिक वितरण पद्धति के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में सरकार असफल रही है।" (252)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि यद्यपि सरकार तथा योजना आयोग समाज के 30 प्रतिशत उच्चतम वर्ग के लिए तथाकथित खपत की कटौती के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं किन्तु अभिभाषण में समाज के समृद्ध वर्गों द्वारा अपव्यय तथा आडम्बरपूर्ण में कमी करने के लिए किसी प्रभावी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (253)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि यद्यपि सरकार सबसे नीचे के स्तर के 30 प्रतिशत लोगों के उपभोग को बढ़ाने की बात करती है किन्तु अभिभाषण में समाज के इस वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।" (254)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'गरीबी हटाओं' के नारे को, जिसके आधार पर मध्यावधि संसदीय निर्वाचन लड़ा गया था तथा जिस पर वर्तमान पांचवी लोक सभा आधारित है पूरी तरह से भूला दिया गया है।" (255)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस निर्णायक प्रश्न की उपेक्षा की गई है अर्थात् 'गरीबी हटाओ' के नारे अथवा समाज के अधिक निर्धन वर्गों की रहन-सहन की दशा में सुधार करने का वचन वर्तमान उत्पादन सम्बन्धों में परिवर्तन किये बिना पूरा नहीं किया जा सकता है तथा यह अर्थव्यवस्था के ढांचे में आमूल परिवर्तन किये बिना नहीं हो सकता है।" (256)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन, अर्थात् हमारी अर्थव्यवस्था एक समानान्तर पद्धति के द्वारा की जा रही बरबादी की जानकारी नहीं दी गई है और यह भी संकेत नहीं दिया गया है कि बड़े नोटों का विमुद्रीकरण आवश्यक हो गया है।" (257)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि देश में मूल्यों में वृद्धि तथा भ्रष्टाचार के लिए कालाधन ही मुख्यतया जिम्मेदार है।" (258)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं किया गया है कि बूर्ज्वि वर्ग के दलगत हित साधन के लिए काले धन को न केवल चलने ही दिया गया है किन्तु उसे सरकार की नीति के कतिपय पहलुओं द्वारा किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहन भी दिया गया है।" (259)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि काला धन उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है और साथ ही यह मूल्य-वृद्धि का एक कारण भी है।" (260)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक अभी भी किसी न किसी बहाने एकाधिकारियों तथा सट्टेबाजों को अपेक्षाकृत बड़ी रकमें दे रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र में अननुज्ञेय ऋण का विस्तार होता है जो मुद्रास्फीति का कारण बनता है।" (261)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं किया गया है कि यद्यपि एकाधिकारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है किन्तु बड़े व्यापार-गृह अपने आन्तरिक साधनों को सट्टेबाजी तथा मुनाफाखोरी में लगा रहे हैं जिसका अन्य बातों के साथ-साथ यह परिणाम होता है कीमतें बढ़ती हैं।" (262)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि एकाधिकारियों तथा अन्य बड़े व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन तथा कर-परिहार, जो कई सौ करोड़ रुपये प्रति वर्ष का होता है, कि आदत को बने रहने दिए जा रहा है जबकि इस प्रकार के कर अपवंचन और कर-परिहार से प्राप्त राशि को सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी में लगाया जा रहा है।" (263)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि समस्त देश में जमाखोरी-विरोधी तथा जमा पदार्थों को निकालने का आन्दोलन चलाने में सरकार असफल रही है तथा इस प्रकार के आन्दोलन चलाने में जनता की पहल की भी सराहना नहीं की गई है।" (264)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि दिल्ली जैसे स्थानों में सरकारी गोदामों को आवश्यक वस्तुओं को छिपाने तथा जमा करने के लिए थोक व्यापारियों को सौंपा गया जिन्हें बाद में कुछ मामलों में भारतीय साम्यवादी दल की दिल्ली यूनिट द्वारा संगठित सार्वजनिक हस्तक्षेप के द्वारा प्रकाश में लाया गया था।" (265)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि यद्पि कुछ छोटे व्यक्तियों को जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया तथा दण्ड दिया गया तथापि काले व्यापार से सम्बन्धित बड़े व्यक्तियों को बच निकलने दिया जाता है।"(266)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भ्रष्टाचार के प्रति, जो प्रशासन में उन उच्च श्रेणियों में व्याप्त है जिससे सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों को सहायता मिलती है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है।" (267)

[श्रीमती रोजा देशपांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यद्यपि तेल संकट पर दुख प्रकट किया गया है, तथापि पेट्रोल का राशन करने का प्रस्ताव भी नहीं किया गया है जबकि मूल्य में और वृद्धि करने की बात कही जा रही है ।" (268)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस असाधारण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है जब की कई स्थानों पर नमक की भी कमी हो गई है और यह ऊंचे मूल्य पर बेचा जा रहा है ।" (269)

श्रीमती कृष्णा कुमारी (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कई भागों में विशेष रूप से राजस्थान में लोगों पीने का पानी उपलब्ध कराने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है ।" (270)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान नहर को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पूरा करने के महत्व का उल्लेख नहीं है ।" (271)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिए एक तंत्र स्थापित करने में असफल रही है ।" (272)

श्रीमती रोजा देशपांडे : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का वास्तविक यथार्थवादी तथा उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन नहीं किया गया है और स्थिति का सामना करने के लिये किसी मार्गदर्शन का संकेत नहीं किया गया है ।" (273)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि हड़ताले, बन्ध, असंतोष तथा उग्र लोकतंत्रात्मक कार्यवाहियां, बढ़ती हुई कीमतों, अभाव तथा कमी का परिणाम हैं, जिन के लिये न केवल एकाधिकारी, मुनाफाखोर तथा जमाखोर अपितु सरकार भी जिम्मेदार है ।" (274)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि संकट की गंभीरता अथवा इसके कारणों को समझने में सरकार की विफलता अभिभाषण से स्पष्ट जाहिर है ।" (275)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यद्यपि यह दावा किया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में लोगों की मनोवृत्ति को समझा जा सकता है किन्तु दुखों से पीड़ित उनकी वैध सर्वविदित मनोवृत्ति के प्रत्युत्तर में किन्हीं प्रभावी उपायों का उल्लेख करने की बात का तो कहना ही क्या उनकी विवशताओं के प्रति भी कोई संवेदना प्रकट नहीं की गई है ।" (276)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण पूर्ववत सारहीन तथा आडम्बरपूर्ण है जो आज की परिस्थिति में जनता के रोष तथा उत्तेजना में वृद्धि करने के अतिरिक्त उन्हें और भी निराश करता है।" (277)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख करते हुए यह परस्पर विरोधी वक्तव्य दिया गया है कि आज हमारे देश में कीमतें बढ़ती जा रही हैं जब कि उत्पादन, जैसा कि अनाज के सम्बन्ध में है, बढ़ रहा है।" (278)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है कि इस वर्ष भरपूर फसल होने के बावजूद अनाज का मूल्य बढ़ता ही जा रहा है, जो न केवल जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों की क्रियाओं के कारण हो है किन्तु इन्हें प्रभावी उपायों द्वारा रोकने में सरकार की असफलता के कारण भी है।" (279)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खरीफ की फसल की वसूली में सरकार की असफलता का विशेषरूप से उल्लेख नहीं किया गया है जिसे सरकार की अस्थिर तथा कतिपय भू-स्वामी वर्ग, जमाखोर और थोक व्यापारी समर्थक नीतियों के कारण अधिकांशतः विफल करने दिया गया है।" (280)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय साम्यवादी दल तथा अन्य दलों की सराहना के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा गया है जिन्होंने गत वर्ष सरकार को चेतावनी दी थी कि चावल की वसूली का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक सरकार इस प्रयोजन के लिए एक प्रभावी तंत्र के जरिये चावल के थोक व्यापार को दृढ़ता से तथा लोगों का सहयोग प्राप्त कर अपने हाथ में नहीं लेती है।" (281)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह तथ्य नहीं स्वीकारा गया है कि सरकार द्वारा थोक व्यापार अपने हाथ में लेकर वसूली की एक सही सरकारी नीति के अभाव में केवल ऊंचा और तथाकथित प्रोत्साहन मूल्य देकर अनाज की वसूली नहीं की जा सकती है।" (282)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल तथा अन्य चावल उत्पादक राज्यों की सरकारों द्वारा वसूली का अपना साधारण कोटा पूरा करने में असफलता की आलोचना नहीं की गई है।" (283)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि फसल की कटाई से पहले कुछ सप्ताहों के दौरान जमाखोरों तथा थोक व्यापारियों द्वारा अनाज को छिपाया जाता रहा है और प्राधिकारी कई स्थानों पर तथा उनकी सांठगांठ से केवल देखते ही रहे।" (284)

[श्रीमती रोजा देशपांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मोटे अनाज की 15 लाख मीटरी टन की कुल वसूली के लक्ष्य के मुकाबले में वसूली करने में पूर्ण असफलता पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है।" (285)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि जब अनेक राज्यों में वसूली पूरी नहीं हो रही थी, कृषि मंत्रालय ने ठीक व्यवस्था करने तथा वसूली सुनिश्चित करने के लिए समय पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की है।" (286)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि जमाखोरों और थोक व्यापारियों के बीच एक ओर तथा सरकार और प्रशासन में कतिपय तत्वों के बीच दूसरी ओर समर्पक बना हुआ है जिसके कारण लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके हैं।" (287)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की ओर से इस बारे में कोई पश्चाताप नहीं किया गया है कि आज अनाज की अपेक्षाकृत कम मात्रा सार्वजनिक वितरक पद्धति के जरिये सप्लाय की जा रही है जबकि यह पद्धति देश में कई क्षेत्रों तथा स्थानों में वस्तुतः असफल हो गई है।" (288)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस गम्भीर स्थिति के प्रति सजगता नहीं दिखाई गई है जो सरकारी गोदामों में रक्षित भण्डार की कमी के फलस्वरूप पैदा की गई हैं जब कि कई राज्यों में चल रही वसूली भी धीमी और निराशाजनक है।" (289)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि भारी मात्रा में खाद्यान्न के आयात के लिये संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भरता गलत सिद्ध हुई है।" (290)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के मित्र देश रूस की प्रशंसा में जिसने गंभीर खाद्य संकट का मुकाबला करने के लिए बिना किसी विदेशी मुद्रा के खर्च के 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का ऋण दिया है, एक भी शब्द नहीं कहा गया है।" (291)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ दैनिक आवश्यकताओं की अन्य वस्तुओं में भी लगातार भारी वृद्धि हो रही है, जिससे जनसाधारण का जीवन दूभर हो गया है।" (292)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि यद्यपि अभिभाषण में जनता की कठिनाईयों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है, परन्तु इस तथ्य को विस्मृत कर दिया है कि स्वयं सरकार ने अनेक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में, समूची अर्थ व्यवस्था पर उनके कुप्रभाव तथा जनसाधारण के जीवन स्तर पर अतिरिक्त भार की पूर्ण अवहेलना करते हुए, वृद्धि की है।" (293)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि वर्तमान मुद्रा स्फीति वर्तमान आर्थिक ढाँचे का अंतरंग भाग बन गई है, जिसका प्रयोजन इस तंत्र के माध्यम से देश में पूंजीवादियों को वित्तपोषित करने के लिये जनसाधारण का शोषण करना है।" (294)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति के प्रतिपूर्ण अनभिज्ञता दिखाई गई है तथा इसे अपरिहार्य कह कर युक्तिसंगत बताने का प्रयास किया गया है, जबकि इस बात को स्वीकार करना आवश्यक है कि हमारे देश में अनेक आन्तरिक कारण जैसे कि लाभ के पीछे भागना, सट्टेबाजी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी मुख्य रूप से इसके लिये जिम्मेदार है।" (295)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अब भी इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है कि हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में कतिपय अति आवश्यक आधारभूत परिवर्तनों के बिना, विशेषतया उन तत्वों के विरुद्ध जो जनता की भूख और कठिनाइयों का लाभ उठा कर करोड़ों रुपये बना रहे हैं कड़े आर्थिक एवं अन्य कदम उठाये बिना, मूल्य वृद्धि के मामले को प्रभावशाली ढंग से हल नहीं किया जा सकता।" (296)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह अनुभव नहीं किया गया है कि मूल्य वृद्धि को रोकने और लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये न केवल वितरण स्तर पर अपितु उत्पादन स्तर पर भी ऐसी वस्तुओं पर व्यावहारिक नियंत्रण रखना आवश्यक है जिसके लिये दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कतिपय उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य हो गया है।" (297)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य को भुला दिया गया है कि सरकार उपर्युक्त दिशा में कदम उठाने की बजाय इस समय एकाधिकारियों तथा ऐसे अन्य तत्वों को, उनका सहयोग प्राप्त करने के नाम पर, नई रियायतें देने में व्यस्त है।" (298)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि कमी और अभाव तथा उत्पादन में गिरावट के इस युग में एकाधिकारियों ने गत वर्षों की तुलना में अपने मुनाफों में वृद्धि कर दी है और ऐसा करने में सरकार उन्हें प्रोत्साहन और सहायता दे रही है।" (299)

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need to accord extending recognition to the Provisional Revolutionary Government of South Viet Nam." (300)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not condemn the dangerous policy of Britain and America of setting up a military base in Diego Garcia in the Indian Ocean, thereby posing an imminent danger to the security of India." (301)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no menion of the need for severing of ties with Commonwealth as a protest against the establishment of a military base in Diego Garcia in the Indian Ocean by the British and American imperialists." (302)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about economic boycott of Britain and America as a protest against setting up of a military base by them in Diego Garcia in the Indian Ocean." (303)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for taking an immediate action for arriving at an honourable settlement with the Junior Doctors on the basis of past promises so as to end their nearly two-months old strike and bring an end to the difficulties of the patients." (304)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of the need for fixing a minimum need based wage of Rs. 314 per month for the Central Government Employees in order to remove the discontentment prevailing among them." (305)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for allowing all the national festivals as holidays to the Railway Employees like other Government Employees instead of allowing them only 3 days' holidays or to allow them overtime allowance in lieu thereof." (306)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the American infiltration in the various spheres in the country, particularly education." (307)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not exhort the people to carry on a relentless war against the nefarious and dirty activities of the C.I.A. and to expose their anti-national policies." (308)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for setting up at least one Central University in every State of the country as has been done in Andhra Pradesh." (309)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for hanging the adulterators of foodstuffs who are the enemies of mankind". (310)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no reference in the Address of the need for introducing a uniform course of study in the schools throughout the country." (311)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for nationalisation of education all over the country." (312)

That at the end of the motion, the following be added namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for granting pay scales and other facilities to the teachers and professors of colleges and universities as per recommendations of the University Grants Commission." (313)

That at the end of motion, the following be added, amely:—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for granting the status of a Central University to the University of Patna." (314)

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार उन साहूकारों तथा गैर-आदिवासी लोगों की भूमि हथियाने वाले लोगों के विरुद्ध जो आदिवासी क्षेत्रों में अनुचित तरीकों से आदिवासियों की भूमि हड़प रहे हैं, कड़ी कार्यवाही करने में असफल रही है।" (323)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चाय उद्योग तथा चाय बागान श्रमिकों के हित में सामान्यतया चाय उद्योगों और विशेषकर संकटग्रस्त चाय उद्योगों के तुरन्त राष्ट्रीयकरण किये जाने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (324)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (325)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार एक क्रान्तिकारी भूमि सुधार अधिनियम बना कर सभी राज्यों में गरीब तथा भूमिहीन किसानों को भूमि देने में असफल रही है।" (326)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में माल यातायात के लिए रेलों को पर्याप्त मात्रा में रेलवे वैगन उपलब्ध कराने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (327)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को तथा निष्कासित नरेश, नरोत्तम सिहनूक के नेतृत्व में कम्बोडिया की सरकार को तुरन्त मान्यता देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (328)

[श्री दशरथ देव]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि हिन्द महासागर में दियगो गार्सिया में अमरीका द्वारा नौसैनिक अड्डा बनाने के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने में सरकार की कमजोरी और विश्व के इस भाग में अमरीकी गतिविधियों के विरुद्ध विश्व मत बनाने में जोरदार पहल करने में सरकार की विफलता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (329)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार पटसन और कपास उत्पादकों को उचित मूल्य देने में असफल रही है"। (330)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार देश में बेरोजगार युवकों को नौकरियां अथवा निर्वाह भत्ता देने में असफल रही है।" (331)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश के सभी अनुत्पादक क्षेत्रों को सांविधिक राशनिंग क्षेत्रों के अन्तर्गत लाने में तथा ऐसे क्षेत्रों के लोगों को खुले बाजार में ऊंचे मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदने में होने वाली कठिनाई से मक्त कराने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (332)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफल रही है और उसने जमींदारों, सट्टेबाजों, जमाखोरों, चोरबाजारियों, तथा अनाज के थोक व्यापारियों के आगे घुटने टेक दिये है।" (333)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार आपात-कालीन स्थिति को, जो 1972 से भारत में लागू है, हटाने में विफल रही है।" (334)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि त्रिपुरा में पटसन मिल और पेपर मिल की स्थापना सम्बन्धी कार्य कब आरम्भ किया जायेगा।" (335)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कलकत्ता से अगरतला तक बारास्ता बंगला देश रेल सेवाएं प्रारम्भ करने के लिए सरकार द्वारा की गई किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया है, यद्यपि इस प्रकार की रेल सेवा चलाने का सिद्धान्त बहुत पहले भारत सरकार तथा बंगला देश सरकार ने स्वीकार किया था।" (336)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार स्वतंत्रता के 26 वर्ष बाद भी त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला को देश के अन्य भागों से रेल द्वारा जोड़ने में असफल रही है।" (337)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना, नामत:गुमाटी पन-बिजली परियोजना के निर्माण के लिए त्रिपुरा में रेना-बरमा के गरीब आदिवासियों को उनकी परम्परागत भूमि से बेदखल करके उन पर जुल्म ढाये हैं।" (338)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार त्रिपुरा में उन झूमियां लोगों को वैकल्पिक भूमि देने में असफल रही है, जिन्हें आरक्षित बनों के विस्तार के कारण अपने पेशे से वंचित कर दिया गया है।" (339)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में प्रादेशिक स्वायत्तता लागू करने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (340)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान त्रिपुरा में धर्मनगर से अगरतला तक रेल लाइन बिछाने के लिए निर्माण कार्य आरम्भ करने की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (341)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार आदिवासी आरक्षित क्षेत्र को सुरक्षित रखने में असफल रही है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व त्रिपुरा में पिछड़े हुए आदिवासियों के संरक्षण के लिए महाराजा द्वारा बनाया गया था।" (342)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा में आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र का पुनर्गठन करने तथा आदिवासी क्षेत्र के विकास कार्य आरम्भ करने के लिए वहां पर प्रादेशिक स्वायत्तता लागू करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (343)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में हरिजनों तथा आदिवासियों पर किये जा रहे अत्याचारों को रोकने में विफल रही है।" (344)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के नागरिकों को यह नहीं बताया गया है कि सत्ताधारी दल द्वारा पांचवीं लोक सभा के निर्वाचन के दौरान अपने चुनाव अभियान में लगाया गया "गरीबी हटाओं" का नारा क्रियान्विति के लिए नहीं किंतु भ्रम पैदा करने के लिए था।" (345)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार सरकारी उचित-मूल्य की दुकानों जैसी सार्वजनिक वितरण पद्धति के माध्यम से देश में निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के नागरिकों सामान्यतया तथा त्रिपुरा और मीजोरम जैसे परिवहन की दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में विशेषरूप से निम्न तथा मध्यम आय-वर्ग के नागरिकों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने में असफल रही है।" (346)

[श्री दशरथ देव]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है और समस्त देश में सभी आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण पद्धति लगभग समाप्त होने को है।" (347)

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई-मध्य) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर चिंता व्यक्त नहीं की गई है कि केन्द्रीय सरकार अब भी यह विश्वास करती है कि उसकी सारी नीतियां सही हैं और गलती के लिए अन्य व्यक्ति ही जिम्मेदारी हैं।" (372)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया है कि अधिकारियों द्वारा भारत रक्षा नियमों और आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बन्धी कानून का अत्यधिक दुरूपयोग किया जा रहा है यहां तक कि कुछ मामलों में इस प्रकार के दुरूपयोग के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय को कटु आलोचना करनी पड़ी है।" (373)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर कोई जागरूकता नहीं दिखाई देती कि देश में दक्षिण-पंथी शक्तियां सरकारी नीति से प्रोत्साहित हो रही हैं, विशेषकर आम जनता की दैनिक समस्याओं के संदर्भ में।" (374)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की ओर से इस बात की चिंता का कोई संकेत नहीं है कि 30हजार से भी अधिक राजनीतिक कार्यकर्ता आज भी या तो विचारणाधीन कैदियों की तरह या हिरासत आदेशों के अन्तर्गत जेलों में हैं जोकि हमारे लोक कार्यों पर एक लांछन है।" (375)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मृत्यु-दण्ड को कम करने की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (376)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि समस्त देश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ निकृष्ट व्यवहार करने पर कड़ाई से रोक लगाई जायेगी।" (377)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि यह आश्वासन दिये जाने के बाद भी कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी कानून का मजदूर संघों तथा अन्य लोकतांत्रिक आन्दोलनों के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा, आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी कानून का मजदूर आन्दोलनों के विरुद्ध बहुधा प्रयोग किया जाता है।" (378)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है कि संसद् सदस्यों के साथ भी पुलिस द्वारा, यह जानते हुए कि वे संसद सदस्य है, एक से अधिक अवसरों पर मारपीट की गई है।" (379)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषणों में 'सीमित तानाशाही' के खतरनाक सिद्धान्त के प्रति कोई चेतावणी नहीं दी गई है जिससे केवल उन लोगों को ही प्रोत्साहन मिलेगा जोकि देश के वर्तमान संसदीय लोकतंत्र को सत्तावादियों और अन्ततः प्रतिक्रियावादियों के हाथों में ले जाने में रुचि रखते हैं।" (380)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'राष्ट्रीय सरकार' के नारे के पीछे वर्तमान दक्षिणपंथी राजनीतिक चालों का समुचित उल्लेख नहीं किया गया है जबकि समय की मांग है कि वाम और लोकतंत्री शक्तियों के मिलेजुले प्रयासों और संघर्षों से सरकार को वाम दिशा की ओर ले जाया जाये।" (381)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं है कि मध्यवाद का मार्ग देश की आवश्यकताओं की पूर्ति या लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में पूर्णतः असफल रहा है।" (382)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि संसदीय लोकतंत्र को खतरा बुर्जुआ शासन की गलतियों और कार्यों से उत्पन्न होता है।" (383)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण इस बात का आश्वासन नहीं देता है कि स्वतंत्रता सेनानियों की लम्बित अर्जियां शीघ्र निपटाई जायेंगी तथा प्रत्येक व्यक्ति, को जो पेंशन पाने का पात्र है, अविलम्ब पेंशन दी जायेगी तथा वृद्धों, बीमारों और अन्य जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।" (384)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अखबारी कागज की कमी के बावजूद अखबारी कागज के सम्बन्ध में ठोस नीति का विकास करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (385)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि यद्यपि बड़े समाचारपत्रों ने अखबारी कागज की कमी के बहाने अपने पृष्ठों में कमी कर दी है, तथापि वे समाचारों के लिए निर्धारित स्थान को कम करके पुराने पैमाने पर विज्ञापन दे रहे हैं।" (386)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि छोटे समाचारपत्र और पत्र-पत्रिकाओं को जो भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अपनी कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए सरकार की ओर से विशेष सहायता मिलेगी।" (387)

[श्री दशरथ देव]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि बड़े समाचार पत्र अपने अखबारी कागज के कोटे का विभिन्न प्रकार से, जैसे 'आलोचना परिशिष्ट' निकालकर, दुरुपयोग कर रहे हैं।" (388)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा अधिकारियों को समय-समय पर दिये गये अपने अभ्यावेदन में की गई समुचित लोकतंत्रात्मक मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (389)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है कि आकाशवाणी मंत्रियों और सरकार का मुखांग बन गया है जबकि लोकतंत्रीय जन गतिविधियों तथा हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अन्य क्रियाकलापों की उपेक्षा की जाती है।" (390)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु आकाशवाणी का इस प्रकार पुनर्गठन करने में असफलता पर खेद है कि वह जनमत को उद्देश परक तरीके से शिक्षित कर सके तथा सांस्कृतिक और अन्य जन-गतिविधियों के प्रवर्धन में सहायक हो सके।" (391)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नौकरशाहों और तकनीशियनों के बीच उत्पन्न विवाद की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है जबकि तकनीशियनों की वैध शिकायतें अभी दूर की जानी शेष हैं।" (392)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि असंतोष और नैराश्य अब डाक्टरों और इन्जीनियरों में भी फैल गया है और इनमें से बहुत से इस समय देश के विभिन्न भागों में हड़ताल पर हैं।" (393)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा यह महसूस किए जाने का कोई संकेत नहीं है कि आई० ए० एस० वर्ग के लोग जिस विशेषाधिकार और प्रतिष्ठा का लाभ उठा रहे हैं उससे न केवल वैज्ञानिकों एवं तकनीकी कर्मचारियों में अपितु देश के अन्य लोगों में भी असंतोष पैदा हो रहा है।" (394)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु सरकारी सेवाओं में 'गोपनीय पंजिका' लिखने की प्रथा समाप्त करने में असफलता पर खेद है जोकि उच्च अधिकारियों की चापलूसी और चाटुकारी तथा फटकार और उत्पीड़न का साधन है।" (395)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि कपड़ा उपक्रमों तथा कुछ अन्य लोगों को निर्यात के नाम पर नये लाइसेंस दिये जाते हैं जबकि तथ्य यह है कि इनका उपयोग और अधिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है।" (396)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी प्रबन्धाधीन उपक्रमों में चल रहे कदाचार और संरक्षण जैसे इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की कुल्टी युनिट में नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके आई० एन० टी० यू० सी० नेताओं का सेवाकाल बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि ए० आई० टी० यू० सी० में निष्ठा रखने वाले कर्मकारों और कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं।" (397)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया है कि पी० एल० 480 ऋणों के तथाकथित समझौते के अन्तर्गत 830 करोड़ रुपये की राशि भारत में अमरीकी मिशन के पास उनके खर्च के लिये छोड़ दी गई है जबकि यह मालूम है कि इस राशि का अधिकांश भाग सी० आई० ए० तथा अन्य गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।" (398)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया है कि वाशिंगटन में भारतीय राजदूत भारत-अमरीकी मैत्री का ढोल पीट रहे हैं, जबकि भारत और अन्य देशों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए अमरीका डियागो-गारिशिया में परमाणु नौसैनिक-वायु अड्डे स्थापित कर रहा है।" (399)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता प्रदान करने में असफलता पर खेद है।" (400)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु हमारे देश में सी० आई० ए० की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में असफलता पर खेद है, जिसने हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों तेज कर दी हैं तथा बंगलादेश में भी इसी प्रकार की गतिविधियों से सम्पर्क बना लिया है।" (401)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा फोर्ड निधि तथा इसी प्रकार के अन्य अमरीकी मिशनों को दिए जाने वाला प्रेरित आमंत्रण बन्द किया जायेगा।" (402)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि पर्यटकों के नाम पर भारत विरोधी विद्रोही विदेशी तत्व अधिकाधिक देश में आ रहे हैं।" (403)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बदलते हुए समय की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने का वचन नहीं दिया गया है।" (404)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि समस्त देश में शिक्षक वर्ग में बढ़ते हुए असंतोष और नैराश्य का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनकी मांगें सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा प्रायः ठुकरा दी जाती हैं।" (405)

[श्री दशरथ देव]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, विश्वभारती विश्वबिद्यालयों जैसे विश्वविद्यालयों में, जहां कुप्रबन्ध और भाईभतीजाबाद अपनी चरमसीमा पर पहुंच चुका है, गिरते हुए स्तर के प्रति चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (406)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी राज्यों के प्रशासनों में व्याप्त खुले भ्रष्टाचार पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (407)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि देश के अनेक मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं तथा यह संकेत भी नहीं दिया गया है कि सरकार इन आरोपों से कैसे निपटेगी।" (408)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त आर्थिक और राजनीतिक संकट तथा सरकार की नीतियों और कार्यों जिससे यह गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है, के बारे में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है।" (416)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की जन विरोधी, एकाधिकार समर्थक, भूस्वामी समर्थक नीतियों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों और संकटों का सामना करने के लिए देश और जनता का ठोस मार्गदर्शन नहीं किया गया है।" (417)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकार पर अंकुश लगाने कि सरकार की पूर्व घोषणा, जमींदारों की अतिरीक्त भूमि के वितरण, गरीबी मिटाने, बेरोजगारी और अर्ध-रोजगार का हल ढूंढ़ने, आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने और संसद् के गत आम चुनाव के समय जनता को दिए गए अन्य सभी आकर्षक वायदों का कोई उल्लेख नहीं है।" (418)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनता के कष्टों के लिए कर्मकारों पर दोष मढ़ने का प्रस्ताव किया गया है जो लगातार और भारी मूल्य वृद्धि, अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी, चोर-बाजारी और अपमिश्रण जिस पर नियंत्रण रखने में सरकार पूरी तरह असफल रही है, के विरोध में हड़तालों और बन्द का आयोजन करने के लिए विवश हो जाते हैं।" (419)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सत्ताधारियों में व्यापक भ्रष्टाचार और नैतिक पतन, जिनमें सत्ताधारी दल के उच्च पदासीन आधिकार प्रमुख है, और निराशा, क्षोभ तथा कटुता की भावना जो कि जनता में ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (420)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल द्वारा संकुचित, पक्षपातपूर्ण और दल सम्बन्धी हितों के कारण देश के संसदीय लोकतन्त्र के मानदण्ड और ढांचे के समाप्त किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (421)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल और केन्द्र और राज्यों में इसकी सरकार द्वारा राज्यों में सत्तारूढ़ दल के प्रभाव को स्थायी बनाने और स्वस्थ विरोधी दलों के विकास को रोकने के उद्देश्य से देश के अनेक भागों में लोकतन्त्र और कानून का शासन समाप्त किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (422)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी के घोर और खुले आम दुरुपयोग करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (423)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकार की भस्वामी समर्थक और व्यापारी वर्ग समर्थक नीतीयों के कारण खाद्यान्न की वसूली अधिकांशतः असफल रही है।" (424)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक उत्पादन में गतिरोध आ जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (425)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन कारणों का कोई उल्लेख नहीं है जिनसे विद्युत संकट की पुनरावृत्ति, उत्पादन में कमी और परिवहन व्यवस्था ठप्प हुई है और हो रही है"। (426)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात की जनता द्वारा वि ान स ा भंग करने और नए चुनाव कराने की निरन्तर की जा रही मांग का कोई उलेख नहीं है।" (427)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा बार बार पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कराकर, ोली चलाकर और सशस्त्र सेना ों को बुला करके देश में ोकप्रिय आन्दोलकों को दबाए जाने के प्रयासों की उपेक्षा की गई है"। (428)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लाखों बेरोजगार युवकों की बढ़ रही समस्या और उससे उत्पन्न देश में सामाजिक और राज ीतिक अशांति की पूरी तरह उपेक्षा की गई है।" (429)

[श्री समर मुखर्जी]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में हरिजनों, आदिवासियों और खेतीहर श्रीमिकों तथा गरीब किसानो के साथ निरन्तर किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है । (430)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र में भाषायी अल्पसंख्यकों पर शिव सेना द्वारा बार बार किए जाने वालों हमले त । फलस्वरूप उनके मन में उत्पन्न असुरक्षा की भावना और महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा ऐसी फासिस्टवादी शक्तियों को खुलेआम और निलज्जतापूर्ण समर्थन दिए जान के कारण उनके द्वारा अनुभव की गई असुरक्षा की भावना की उपेक्षा की गई है ।" (431)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 31 मार्च, 1973 को जूनियर डाक्टरों को दिय गय आश्वासनों को पूरा करने में सरकार की असफलता की उपेक्षा की गई है ।" (432)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्न वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार की असफलता की उपेक्षा की गई है ।" (433)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कांग्रेसी समर्थकों और समाज विरोधी व्यक्तियों द्वारा पश्चिम बंगाल में श्रमिक संघियों और वामपंथी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हुए हमलों की उपेक्षा की गई है ।" (434)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आपात स्थिति समाप्त करने में सरकार की असफलता की उपेक्षा की गई है ।" (435)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उचित दर की दुकानों के माध्यम से जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न सप्लाई करने में सरकार की असफलता की उपेक्षा की गई है ।" (436)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समूचे देश में बन्द पड़े सभी कारखानों और मिलों को हाथ में लेने की सरकार की असफलता की उपेक्षा की गई है ।" (437)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मेहनत कश जनता तथा खेतिहर श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने में सरकार की असफलता की उपेक्षा की गई है ।" (438)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य सरकारों, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य सरकार को केवल प्रदेश के ही लोगों, अर्थात् मराठी भाषी लोगों को रोजगार देने के संकीर्ण दृष्टिकोण की नीति का पालन करने से रोकने में सरकार की असफलता की उपेक्षा की गई है।" (439)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कार्यरत सभी विदेशी गैर सरकारी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की असफलता की उपेक्षा की गई है।" (440)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में एकाधिकार के विकास को रोकने में सरकार की असफलता की उपेक्षा की गई है"। (441)

श्रीमती रोजा देशपांडे : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की अवहेलना की गई है कि अभी भी अनेक राज्यों में भूमि सुधारों का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप कतिपय लोगों के अधिकार में भूमि के होने से न केवल कृषि को बल्कि सामूहिक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की हानि हो रही है।" (464)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार से मेहनतकश किसानों की सभी बेदखलियों को समाप्त करने के लिये उपाय करने का अनुरोध नहीं किया गया है।" (465)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मेहनतकश किसानों की आवश्यक उर्वरक, बीज, ऋण इत्यादि तथा सिंचाई की सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पन्न समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है जबकि मुख्य रूप से जमींदार तथा धनी किसानों को यह सभी लाभ मिल रहे हैं।" (466)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मेहनतकश किसानों को आवश्यक उर्वरक, बीज आदि सिंचाई तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना तथा किसानों के सहयोग से इनका वितरण सुनिश्चित करने का सरकार से अनुरोध नहीं किया गया है।" (467)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि जिन अमानवीय परिस्थितियों में खेतिहर मजदूर जीवनयापन करते हैं तथा न्यूनतम मजूरी जो उन्हें नहीं दी जा रही है, की समस्या का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया है।" (468)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि कुछ समय से हरिजनों पर गांवों के जमीदार तथा अन्य शोषक अत्याचार कर रहे हैं तथा कुछ मामलों में तो हरिजनों की नृशंस हत्या की जा रही है और उनके घर तक जलाये जा रहे हैं।" (469)

[श्रीमती रोजा देशपांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर हरिजनों और खेतिहर मजदूरों को आवास के लिए भूमि न देने के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (470)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि सभी गांवों को पेय जल मुहैया करने के लिये प्रबन्ध किये जाने में जबकि यह सर्वविदित बात है कि लगभग आधे गांवों में पेय जल सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।" (471)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि हमारी कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था का पुनर्गठन तथा विशेषकर वर्तमान उत्पादन सम्बन्धों में परिवर्तन किये बिना विकास दर और कृषि उत्पादन में स्थायित्व कभी भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।" (472)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बैंकों की अनेक नई शाखायें खोली गई है किन्तु उनसे केवल ग्रामीण धनी व्यक्तियों की आवश्यकता की ही पूर्ति हो रही है और किसानों के गरीब वर्गों की उपेक्षा की जा रही है।" (473)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि गांवों में बेरोजगारी और अल्प रोजगारी में उस समय वृद्धि हो रही है जबकि शहरी क्षेत्रों में नये रोजगार के अवसरों में कमी हो रही है।" (474)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि देश में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आनी आरम्भ हो गई है—चौथी योजना में 11 प्रतिशत के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में गत वर्ष केवल 3 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। (475)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि कुछ मामलों में औद्योगिक उत्पादन में एकाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सरकार को ब्लैकमेल करने तथा दबाव डालने के लिय तथा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके अत्यधिक लाभ कमाने के लिये जानबूझकर गिरावट लाई गई है।" (476)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निहित स्वार्थ के एजेंटों तथा नौकरशाहों द्वारा जो उनमें पूरी तरह से जमे बैठे हैं तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां की जा रही है।" (477)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकारी क्षेत्र में की जा रही तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के पीछे उद्देश्य सरकारी क्षेत्र को बदनाम करना है ताकि सरकार पर सरकारी क्षेत्र के विस्तार के लिये कदम न उठाने के लिये दबाव डाला जा सके।" (478)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कोयले जैसे सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों में एकाधिकारियों के एजेन्टों ने अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों के वेश में खानों में प्रवेश करना आरम्भ कर दिया है।" (479)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि देश में विदेशों से निजी पूंजी, जिसमें बहु राष्ट्रीय निगमें भी सम्मिलित हैं, को आकर्षित करने की दिशा में नये प्रयास किये जा रहें हैं।" (480)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक लाभ पर सीमा निर्धारण के लिये प्राधिकारियों से अनुरोध नहीं किया गया है जबकि यह सर्वविदित बात है कि कुछ उद्योग अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं।" (481)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन लघु और मध्यम उद्योगों की उचित समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो आज कच्चे माल, ऋण तथा सरकार से अन्य प्रकार की उचित सहायता के अभाव में संकट में है।" (482)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन की उपेक्षा की जा रही है जिससे हमारी अर्थ व्यवस्था तथा विकास में असन्तुलन बना रहेगा।" (483)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस सम्बन्ध में आश्वासन नहीं दिया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के नाम पर एकाधिकारियों को वहां घर उद्योग आरम्भ करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।" (484)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता देने सम्बन्धी कोई बचन नहीं दिया गया है।" (485)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि इस समय सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षत्र में छोटी कारों के निर्माण को बन्द करने की आवश्यकता है तथा इस समय राष्ट्र में मोटरगाड़ी उद्योग में उपलब्ध समस्त संसाधनों को जुटाकरा लोक परिवहन के लिये बसें तथा अन्य परिवहनों के उत्पादन की आवश्यकता है।" (486)

[श्रीमती रोजा देशपांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारियों, जिनमें विदेशी एकाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को दी जा रही नई राहतों के विरुद्ध चेतावनी नहीं दी गई है।" (487)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि इस्पात के उत्पादन में भारी गिरावट आई है तथा इस्पात तथा कोयला उद्योग दोनों में ही निहित स्वार्थ संकट की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।" (488)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि इस्पात उद्योग में उत्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से कोयला, इस्पात तथा वाशरी में समुचित समन्वय नहीं है।" (489)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि एकाधिकार आयोग के होते हुए भी टाटा और बिरला तथा अन्य एकाधिकारी गृह वर्ष प्रतिवर्ष धनी होते जा रहे हैं।" (490)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात को अनुभव नहीं किया गया है कि एकाधिकार आयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने में बुरी तरह असफल रहा है क्योंकि निहित स्वार्थ इसके द्वारा किये गए कार्य को निरर्थक कर रहे हैं।" (491)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का अनुभव नहीं किया गया है कि जिस एकाधिकार आयोग की नियुक्ति इस समस्या से निपटने के लिए की गई थी वह अब जनता को ठगने का मात्र एक दिखावा बन कर रह गया है।" (492)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार ने ऐस्सों के शयर भारी मूल्य पर खरीद कर एक असन्दिग्ध समझौता किया है जबकि इसे तथा अन्य विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक था।" (493)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारी पूंजी का पूर्णतया उन्मूलन करने के लिये कड़े उपाय करने के लिये सरकार से अनुरोध नहीं किया गया है।" (494)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी श्रमिक वर्ग की मांग की ओर कोई ध्यान नही दिया गया है।" (495)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबन्ध में सभी स्तरों पर श्रमिकों के योगदान को सुनिश्चित नहीं किया गया है।" (496)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात को महसूस नहीं किया है गया है कि औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक शान्ति सुनिश्चित करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि औद्योगिक सम्बन्धों को लोकतांत्रिक बनाने वाली नीति होनी चाहिये किन्तु इस नीति के निर्माण में जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है।" (497)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में टाटा उद्योग समूह के हितों के अनुकूल, जो अपने इस्पात कारखाने का विस्तार करना चाहते है, बोकारों, विस्तार कार्यक्रम के सन्दर्भ में की जा रही तोड़ फोड़ की कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। (498)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समुद्र में तेल की खोज के लिये अमरीकियों को निमंत्रण देने के विरुद्ध चेतावनी नहीं दी गई है।" (499)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि एकाधिकारियों को सीमेंट का शीघ्र उत्पादन करने के लिये लघु संयंत्र लगाने के नाम पर सीमेंट के कारखाने के लिये नये लाइसेंस दिये जा रहे है जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव की भावना के विपरीत है।" (500)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि भारत अमरीका के बीच आर्थिक सम्बन्ध सुधारने के नाम पर भारत में नयी पूंजी लगाने के लिये अमरीका की एकाधिकारी पूंजी को देश में आने देने सम्बन्धी असामान्य निमंत्रण का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (501)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि पुंजी के निवेश की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये बहु-राष्ट्रीय निगमों से सम्बन्धित अनेक विदेशी दलों को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है।" (502)

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और देश के सभी अन्य भागों में जहां फरवरी, 1974 में निर्वाचन हो रहे है ,चुनाव अभियान के लिए सरकारी तंत्र के प्रयोग का निरनुमोदन नहीं किया गया है।" (503)

[श्री पी० जी० मावलंकर]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सत्ताधारी कांग्रेस नेताओं तथा मंत्रियों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में जहां इस समय निर्वाचन हो रहे हैं, चुनाव अभियान तथा अपने दल के प्रचार के लिए सरकारी साधनों, विशेष रूप से आकाशवाणी और टलीविजन, का प्रयोग किये जाने की आलोचना तथा निरनुमोदन नहीं किया गया है।" (504)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव अभियान में अच्छी तथा उचित आचार संहिता स्थापित करने में सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा पहल तथा नेतृत्व किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है ताकि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनों के आदर्श का चुनावों में यथासम्भव पालन हो सके।" (505)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में मूल्य-वृद्धि तथा मुद्रास्फीती को रोकने में सरकार असफल रही है।" (506)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि आवश्यक वस्तुओं तथा सामान की विभिन्न कृत्रिम रूप से पैदा की गयी कमियों को पूर्ण रूप से नहीं तो अधिकांशता दूर करने के उपाय करने में सरकार असफल रही है।" (507)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार सत्ताधारी दल के नेताओं के शान-शौकत से रहने के ढंग को रोकने में विफल रही है, जबकि वे उसी सांस में गरीबी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते है और दिन रात देश से गरीबी का उन्मूलन करने के वचन देते रहते है।" (508)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में गेंहूं के सरकारीकरण की विफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (509)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी वितरण प्रणाली विफल रही है।" (510)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार राजनैतिक, प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों से भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात तथा ऐसी अन्य बुराइयों और बीमारियों का उन्मूलन करने में विफल रही है।" (511)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार न्यायोचित तथा युक्तिसंगत आधार पर सही प्राथमिकतायें प्रदान करके करोड़ों गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिये संगत विकास योजनायें तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में विफल रही है।" (512)

Shri Ramavatar Shashtri (Patna) : I beg to move :

That at the end of the motion,the following be added, namely :—

"but regret the failure to unearth black money in the country." (513)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret the failure to impose restrictions on accumulation of black money."(514)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret the failure to impose more taxes on amassers of blackmoney and monopoly capitalists." (515)

That at the end of the motion, the following be added, namely .—

"but regret that there is no mention in the Address the existing capitalistic society as the root cause of all evils and disparities. "(516)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address the need for imposing restrictions on the huge expenses incurred in elections." (517)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address any definite programme to end the active connivance between political leaders, amassers of black-money and monopoly capitalists." (518)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not mention any specific steps to be taken to fulfil the assurances given during 1971 by the Ruling Party." (519)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not condemn the propagation of casteism, communalism and provincialism." (520)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not condemn the bureaucratic attitude of the various Government Departments." (521)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address has failed to condemn the increasing communal forces in the Universities, particularly Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University." (522)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address that U.S. and other foreign monopolists will not be allowed to invest money in India." (523)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address has failed to condemn the Food Corporation of India for misappropriation of crores of rupees by its officials." (524)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address has failed to condemn the policy of delaying the grant of pensions to freedom fighters." (525)

That at the end of the motion, the following be added namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the construction of a colony for freedom fighters in every State." (526)

[Shri Ramavatar Shastri]

That at the end of the m›tion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for converting the Andaman Jail into a memorial for freedom fighters." (527)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address that no tax will be imposed on the poor." (528)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need for putting an end to deficit financing." (529)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not make any mention of the need for boycotting of assistance from the U.S.A." (530)

श्री दशरथ देव (त्रिपुरापूर्व) : मे प्रस्ताव करता हूँ :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आदिवासी क्षेत्रों में साहूकारों, बन-ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा शोषण किये जाने के कारण आदिवासियों को आर्थिक दृष्टि से बरबाद किया जा रहा है।" (531)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अधिकांश राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के अधिकारी कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश सम्बन्धित संस्थाओं के संघों द्वारा सुझाये गये संशोधित रूप में, कार्यान्वित करने में असफल रहे है।" (532)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समूचे देश में शिक्षा संस्थाओं की परीक्षा प्रणाली के पूरी तरह अस्त-व्यस्त का उल्लेख नहीं है।" (533)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है की त्रिपुरा में गुमाटी पनबिजली परियोजना जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं के शुरू किये जाने के कारण लगभग 15 हज़ार आदिवासी और अन्य लोगों को परंपरा से उनके अधिकार में चली आ रही भूमि से जबरन विस्थापित कर दिया गया है और उस भूमि के लिए उन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा दिया गया है और न इसके बदले में कोई भूमि दी गई है।" (534)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि गैर-आदिवासी अधिकारियों द्वारा नियंत्रित और संचालित आदिवासी विकास खंडों ने आदिवासियों का पुनर्वास करने और उन्हें लाभप्रद व्यवसाय देने के बजाय देश के विभिन्न आदिवासी विकास खंड क्षेत्रों की आदिवासी जनता को शीघ्रता से समाप्त करना शुरू कर दिया है।" (535)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेदहै कि भिलाई संयंत्र, बोकारों संयंत्र, रांची उद्योग समूह जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं और अन्यसिंचाई बांधों से आदिवासियों को काफी क्षति पहुँची है क्योंकि परियोजनाओं के लिए अर्जिके भूमि से बेदखल किये गये परिवारों के पुनर्वास के लिये अन्यत्र भूमि देने सम्बन्धी नीति अभाव के कारण उन्हें बेदखल, बेघरबार और अनाथ होना पड़ा है।" (536)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार त्रिपुरा में गत 26 वर्षों में एक भी सिंचाई परियोजना का निर्माण करने में असफल रही है।" (537)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि बेदखल किये गये लोगों के पुनर्वास के लिये समुचित योजनाओं के अभाव में राष्ट्रीय परियोजनाएं, जैसे, सिंचाई परियोजनायें, जलबांध निर्माण, भिलाई संयंत्र, बोकारों संयंत्र, रांची उद्योग समूह, आदिवासियों की बेदखली तथा उनके कष्टों और बरबादी का कारण बन गई है।" (538)

श्रीमती रोजा देशपाडे (मध्य मुम्बई) : मै प्रस्ताव करती हूँ :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि औद्योगिक विकास मंत्रालय में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग को, विशेष रुप से एकाधिकारी गृहों को यथा संभव अधिकतम प्रोत्साहन तथा रियायतें देने की प्रवृत्ति चल रही है।" (539)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि औद्योगिक विकास मंत्रालय को बड़े व्यापारी लोग आजकल बहुत मददगार मानते है।" (540)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि जिन कारखानों और मिलों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उन्हें कुशलता से चलाया जायेगा।" (541)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि कभी कभी स्वयं पूंजीपतियों की यह रुचि होती है कि वे अपने उपक्रमों का कुप्रबन्ध कर उन्हें सरकार के हाथ में दे।" (542)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस आलोचना की उपेक्षा की गई है कि राष्ट्रीयकृत बैंको के निदेशक बोर्ड एकाधिकारियों के प्रतिनिधियों से भरे हुए है। (543)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चमड़ा उद्योग में छोटे पैमाने के एककों की वैध शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया है जबकि नये अवसर, जिनमें निर्यात सम्बन्धी अवसर भी शामिल हैं, इस उद्योग के बड़े एककों को दिये जा रहे हैं।" (544)

[श्रीमती रोजा देशपांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन उद्योग में छोटे पैमाने के एककों की, विशेषरूप से पंजाब में बड़े उद्योगपतियों को संरक्षण प्रदान करने के कारण, हुई कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई गई है।" (545)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की श्रमिकों सम्बन्धी "कड़ी" नीति, विशेषरूप से श्रमिकों को डराने-धमकाने की नीति के विरुद्ध श्रमिक वर्गरे की आलोचनाओं तथा संगठित मजदूर संघ आन्दोलन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (546)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों पर दबाव डालने तथा उनसे समझौता करने में लाभप्रद स्थिति में होने के विचार से सरकारी उपक्रमों द्वारा अंधाधुन्ध तालाबन्दी किये जाने की, जब कि एक औद्योगिक विवाद लम्बित है, कड़ी आलोचना के प्रति सजग नहीं है।" (547)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कई स्थानों पर मालिकों द्वारा मजदूरों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किये जाने से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है।" (548)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि मालिक जूट उद्योग जैसे कई उद्योगों में श्रमिकों के साथ अपने समझौतों अथवा त्रिपक्षीय समझौतों की शर्तों को भी नहीं मान रहे हैं।" (549)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि कई स्थानों में आइ० एन० टी० यू० सी० में कुछ तत्वों को जानबूझ कर महत्व दिया जा रहा है जबकि लोकप्रिय प्रतिनिधि एककों को मान्यता नहीं दी जा रही है।" (550)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है जब भी श्रम मंत्रालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है सरकार की जहां तक संभव हुआ हाल ही में यह प्रवृत्ति रही है कि श्रम मंत्रालय हस्तक्षेप न करे।" (551)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि सरकार केन्द्रीय मजदूर यूनियन संगठनों की सर्वसम्मत सिफारिशों तथा प्रस्तावों के प्रति बहुत कम आदर प्रदर्शित कर रही है।" (552)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समान कार्य के लिये समान वेतन की गारंटी नहीं दी गई है तथा महिला श्रमिकों के साथ भेद-भाव जारी है।" (553)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्युनतम वेतन निर्धारित करने के लिए अभी भी कोई सिद्धान्त नहीं बनाये गये हैं।" (554)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि वास्तविक तथा ठोस औद्योगिक विवादों में सरकार का लोकतांत्रिक हस्तक्षेप इस तथ्य की दृष्टि से कठिन बनता जा रहा है कि कुछ प्रभावशाली मंत्री उद्योगपतियों से धनराशि एकत्रित करने में रुचित रखते हैं।" (555)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी में वृद्धि की, जिसमें शिक्षित युवकों की बेरोजगारी भी शामिल है, वृहद समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है।" (556)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि जिस दर से रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं उससे कहीं अधिक दर से बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरुप बेरोजगारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।" (557)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की आलोचना नहीं की गई है कि तथा कथित ग्रामीण रोजगार त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत नियत की गई धन राशि का अधिकांशत: अपव्यय किया गया है।" (558)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण मजदूरों की छंटनी, जो देश में अभी भी हो रही है, रोकने के उपायों के बारे में प्रस्ताव नहीं किया गया है।" (559)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार लोगों को सहायता देने के किसी भी प्रकार के उपाय का प्रस्ताव नहीं है।" (560)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस विस्फोटक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है जो बेरोजगारी में वृद्धि के परिणामस्वरूप, विशेषरूप से इस तथ्य के कारण कि देश में कुछ दक्षिणपंथी तत्व अर्ध-पासिस्ट तरीके अपने राजनीतिक षडयंत्रों को चलाने के लिए इसका दुरुपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पैदा हुई है।"(561)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि इंजीनियरों और डाक्टरों में भी बेरोजगारी भयानक रुपसे बढ़ रही है और इनमें से कुछ रोजगार की तलाश में देश से बाहर जा रहे हैं।" (562)

[श्रीमती रोजा देशपांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम में अनियमितताओं तथा कुप्रबन्ध के परिणामस्वरुप बड़ी संख्या में अब कर्मचारियों को छंटनी किये जाने की धमकी दी गई है।" (563)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि कुछ मामलों में मिलो और कारखानों को अन्धाधुन्ध बंद करने से बेरोजगारी बढ़ी है तथा सरकार समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करती है कि ये उपक्रम अबाध गति से चलें।" (564)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि सरकार ने बेरोजगारी की समस्या के आकार तथा उसकी वृद्धि की दर का मूल्यांकन करने के लिए गंभीर प्रयत्न नहीं किये हैं।" (565)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस लोकप्रिय सुझाव, कि वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में सरकार को देश में चलने वाले विदेशी व्यापारिक संगठनों द्वारा सभी लाभ, लाभांश, रायल्टी व्याज आदि बाहर भेज जाने से रोकना चाहिए, की उपेक्षा की गई है।" (566)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋणों का भुगतान स्थगित करने की घोषणा करने के लिए सरकार को नहीं कहा गया है विशेषरुप से जबकि यह रकम पांच सौ करोड़ रुपये से ऊपर है और भारत की निर्यात आय का एक तिहाई से भी अधिक इस में ही चला जाता है।" (567)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यद्यपि गुजरात में हाल में हुई घटनाओं का उल्लेख किया गया है किन्तु उनके कारणों की गहराई तथा वहां व्यापक असंतोष तथा रोष भडकाने में कम से कम राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी का कोई उल्लेख नहीं है।" (568)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया है कि यद्यपि अनाज तथा मुंगफली का भरपूर उत्पादन हुआ है किन्तु गुजरात मंत्रिमण्डल के समर्थन से थोक व्यापारियों तथा जमाखोरों द्वारा कृत्रिम कमी बनाई गई है।" (569)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संकट काल के दौरान गुजरात को अनाज की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने में असफलता के लिए केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।" (570)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को शक्तिशाली बनाने तथा संकट पैदा करने में, जिसे आसानी से टाला जा सकता था, उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार ने, जिसमें मंत्रिस्तर पर भी शामिल है, जो भूमिका निभाई है उसका उल्लेख नहीं किया गया है।" (571)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है कि यद्यपि कुछ स्थानों में दक्षिणपंथी दल इस स्थिति से लाभ उठाना चाहते थे, किन्तु जन आन्दोलन अपने आप ही हो गया ।" (572)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर गम्भीरता से ध्यान नही दिया गया है कि स्थिति का शान्तिपूर्वक तथा सहानुभूति से सामना करने की बजाय गुजरात राज्य सरकार ने लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक रुप से कार्यवाही की और आन्तरिक सुरक्षा वनाये रखने अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने के अतिरिक्त कर्फ्यू लगाकर, लाठी चलाकर, आंसू गैस छोड़ कर और पुलिस द्वारा गोली चलवाकर भी दमन किया ।" (573)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई है जो अहमदाबाद में पुलिस के विना भड़काव तथा जानबूझ कर गोली चलाये जाने से मारे गय थ ।" (574)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया है कि यद्यपि लोगों पर हमला किया जा रहा था किन्तु अहमदाबाद और अन्य स्थानों में जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध आरम्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।" (575)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया है कि भूतपूर्व गुजरात सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये थे जिन पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गई अथवा केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में कोई रुचि नही ली ।" (576)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि जब गुजरात संकट से गुजर रहा था, वहां भूतपूर्व मंत्री खूले रुप से दलगत झगड़ों तथा परस्पर आक्षेपों में व्यस्त थे और कुछ मुख्य मंत्री पद के लिए प्रयत्न कर रहे थे ।" (577)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि गुजरात विधान सभा में सत्ताधारी दल के तथाकथित बहुमत तथा मंत्रिमण्डल की विद्यमानता के बावजूद, मंत्रिमण्डल का वस्तुतः पतन हुआ और उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी ।" (578)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया है कि गुजरात में स्थिति का सही तथा निष्पक्ष जायजा होने की बजाय केन्द्रीय सरकार ने वहां की सरकार को बचाना ठीक समझा ।" (579)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह अनुभव नही किया गया है कि गुजरात मे सरकार को बर्खास्त किये जाने की लोगों की मांग पर बहुत पहले ही ध्यान दियां जाना चहि था ताकि स्थिति को काबू से बाहर जाने देने से पहले ही उस पर नियंत्रण किया जा सकता ।" (580)

[श्रीमती रोजा देशपांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में स्थिति का मूल्यांकन करने के व्यर्थ प्रयास पर, जो एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा किया गया था, ध्यान नही दिया गया है ।" (581)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में लोगों के सहयोग से खाद्य स्थिति को सुधारने हेतु कुछ तुरन्त उपाय करने के बजाय वहां पर आन्दोलन को दबाने के लिए कार्मिक संघ नेताओं की सरकार द्वारा गिरफ्तारी से हुई क्षति का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।" (582)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया है कि गुजरात की स्थिति पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में उच्चतम स्तर पर विचार किया जाना चाहिए था ।" (583)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के प्रति सजगता प्रगत नहीं होती कि जब कि गुजरात सरकार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में इतनी बुरी तरह से विफल रही, तो उन्हें दबाने के लिये सेना बुलाना गलत और भड़काने वाला कदम था ।" (584)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि गुजरात में सेना को बुलाना एक असभ्य, अनचाही और पूर्णतया बदनाम सरकार को बचाने जैसा कार्य प्रतीत होता है, जिससे लोगों के भड़कने के अतिरिक्त स्वयं सेना की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है ।" (585)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह महसूस नहीं किया गया है कि गुजरात में पुलिस की गोलीबारी में 50–60 व्यक्तियों के मारे जाने के बाद सरकार को आवश्यकता इस बात की थी कि खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में स्थिति को सुधारने के लिये हर सम्भव प्रयास करती ।" (586)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के प्रति कोई जागरुकता नहीं दिखाई गई है कि गुजरात में मंत्रिमण्डल ने लोकतंत्र को भारी क्षति पहुंचाई है और इस बात के प्रति भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि गुजरात में जो कुछ हुआ, वह सत्ताधारी व्यक्तियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है ।" (587)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह महसूस नहीं किया गया है कि जब तक गुजरात में स्थिति को सही ढंग से हल नहीं किया जाता, दक्षिण पंथी तथा विघटनकारी शक्तियां इस का लाभ उठा कर अपने राजनैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगी, जो उन्होंने पहले ही आरम्भ कर भी दिया है ।" (588)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कुछ भागों में हाल में साम्प्रदायिक तथा अन्य विघटनकारी गतिविधियों में हुई वृद्धि के प्रति कोई गम्भीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है ।" (589)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि कुछ समय से कुछ सांप्रदायिक संगठनों ने अपना जहरीला प्रचार बहुत बढ़ा दिया है, जिससे देश के विभिन्न भागों में हिसांत्मक घटनायें हुई हैं ।" (590)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार की इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया गया है कि वह 1968 में श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में विफल रही है ।" (591)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात के प्रति यथोचित जागरूकता नहीं दिखाई गई है कि अफसरशाही तथा पुलिस में अभी तक साम्प्रदायिक तत्व विद्यमान है जिनके कारण अल्प संख्यक समुदायों को कई बार प्राथमिक सुरक्षा भी नहीं मिलती, जिस की गारंटी उन्हें संविधान में दी गई है ।" (592)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ स्कूलों तथा कालेजों में किये जा रहे साम्प्रदायिक प्रचार की ओर ध्यान नहीं दिया गया है ।" (593)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है कि सरकार ने प्रशासन तथा पुलिस में विद्यमान साम्प्रदायिक तत्वों को सेवा-मुक्त करने के उद्देश्य से उन का पता लगाने के लिये कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया है ।" (594)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई अश्वासन नहीं दिया गया है कि देश में समूचे साम्प्रदायिक प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उसे सख्ती से दबाने के लिये तुरन्त क्रांतिकारी कदम उठाये जायेंगे, जिसके बिना धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को सदा खतरा बना रहेगा ।" (595)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा देश के किसी अन्य साम्प्रदायिक नेता तर आक्षेप करते हुए राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के स्वर्गीय सरसंघचालक की प्रशंशा करने का निरनुमोदन अभिभाषण में नहीं किया गया है ।" (596)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर गम्भीर रूप से ध्यान नहीं दिया गया है कि साम्प्रदायिक शक्तियां सब लोगों के असंतोष के साथ अपनी निन्द्य कार्यवाइयां समाविष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं जिससे कि उनकी आपराधिक और राष्ट्र-विरोधी कार्यवाइयों पर पर्दा पड़ सके ।" (597)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि उच्चपदाधिकारियों तथा उच्च पुलिस अधिकारियों का तो कहना ही क्या, कुछ केन्द्रीय मंत्री भी साम्प्रदायिक शक्तियों के हमदर्द हैं ।" (598)

[श्रीमती रोजा देशपांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई में शिव सेना, जो कि गैर-महाराष्ट्रियों के विरुद्ध तथा लोकतंत्रात्मक आन्दोलन के विरुद्ध भी दंगे भड़का रही है, के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है।" (599)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है कि बम्बई में शिव सेना की गतिविधियों की प्रधान मंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा की गई भर्त्सना पर महाराष्ट्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।" (600)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात के प्रति कोई जागरूकता नहीं दिखाई गई है कि जब कि सत्ताधारी दल के कुछ मंत्री और प्रमुख नेता शिव सेना का सहयोग लेते हैं तथा उससे गठबन्धन करते हैं तो उसे अपनी विघटनकारियों गतिविधियों को बढ़ावा देने में शक्ति मिलती है, जो कि वास्तव में बम्बई में हुआ है और अब भी हो रहा है।" (601)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिव सेना के साथ सत्ताधारी दल के सिद्धान्तहीन गठजोड़ के विरुद्ध कोई स्पष्ट चेतावनी नहीं दी गई है, क्योंकि ऐसे गठजोड़ से शिव सेना जैसे संगठनों के हौसले बढ़ते हैं और उन्हें संरक्षण मिलता है।" (602)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई में शिव सेना की गतिविधियों के विरुद्ध केरल, कर्नाटक तथा अन्य स्थानों के लोगों द्वारा व्यक्त की गई गम्भीर चिन्ता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (603)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि महाराष्ट्र सरकार भारतीय साम्यवादी दल तथा अन्य वामपक्षी शक्तियों को, जोकि बम्बई में शिव सेना की विघटनकारी तथा हिंसात्मक गतिविधियों के विरुद्ध लड़ रही हैं, तंग कर रही है।" (604)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार बम्बई में शिव सेना की गतिविधियों को कुचलने के लिये अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करेगी ताकि उस नगर के लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।" (605)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में हुए साम्प्रदायिकता विरोधी अखिल भारतीय सम्मेलन के सुझावों तथा निर्णयों को पूर्णतया उपेक्षित कर दिया गया है।" (606)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि गृह मंत्रालय में आमूल परिवर्तन किया जाएगा ताकि वह अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने तथा देश में साम्प्रदायिक गतिविधियों से प्रभावशाली ढंग से निपटने के अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सके।" (607)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण इस बात के प्रति जागरूक नहीं है कि अधिकांश राज्य सरकारें साम्प्रदायिकता तथा साम्प्रदायिक गतिविधियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के निदेशों पर कोई ध्यान ही नहीं देती हैं।" (608)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि साम्प्रदायिक दबाव के कारण उर्दू भाषा को अभीतक हमारे राष्ट्रीय जीवन में उचित स्थान नहीं दिया गया है तथा केन्द्रीय सरकार इस स्थिति को दूर करने के लिये प्रभावी उपाय नहीं कर रही है।" (609)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह वचन भी नहीं दिया गया है गि नेपाली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूचि में शामिल किया जायेगा, जबकि सारे नेपाली भाषी लोग पहले ही इस मामले पर असंतुष्ट हैं।" (610)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह संकेत नहीं दिया गया है कि संविधान के अन्तगत स्वायत्त शासन की नेपाली भाषी तथा आदिमजातीय लोगों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और जहां कहीं भी इस के लिये उचित आधार होगा, उन मांगों को पूरा किया जायेगा।" (611)

कि अभिभाषण के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद के और अधिक समय तक बने रहने से नई कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।" (612)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिक आर्थिक शक्तियों, विशेषतया राज्यों के योजनबद्ध विकास के लिये, की बढ़ी हुई जनता की मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (613)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में कुछ साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक शक्तियों द्वारा केन्द्र के साथ 'समवर्ती आर्थिक शक्तियां' के नाम में आरम्भ किये गये विघटनकारी तथा पृथकवादी प्रचार की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (614)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मतदान आयु को 21 से घटा कर 18 वर्ष करने की जनता की मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (615)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई ऐसा संकेत नहीं दिया गया है जिस से यह ज्ञान हो कि सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि क्रांतिकारी सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन किये बिना एवं पद दलित लोगों के जीवन-यापन की स्थिति में सुधार किये बिना देश में स्थिरता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।" (616)

[श्रीमती रोजा देशपांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि सत्ताधारी दल का विधान सभाई बहुमत के द्वारा राजनैतिक स्थिरता का सिद्धान्त हाल की आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा उड़ीसा की घटनाओं से पहले ही गलत सिद्ध हो चुका है।" (617)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय पुनर्निमाण के मूलभूत कार्य की अवहेलना करके केवल चुनाव में बहुमत प्राप्त कर राजनैतिक स्थिरता की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है।" (618)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि अस्थिरता का मूल कारण कुछ इने-गिने लोगों द्वारा देश की अधिकांश जनता के प्रति सामाजिक अन्याय और उनके शोषण तथा दमन का जारी रखा जाना है।" (619)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के प्रति यथोचित जागरूकता नहीं दिखाई गई है कि केन्द्र में एक सुदृढ़ तथा स्थिर सरकार, जोकि निःसंदेह आवश्यक है, केवल निरन्तर विकासोन्मुख लोकतंत्र तथा पुरानी और दमनकारी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को मिटा कर ही बनाई जा सकती है।" (620)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामाजिक विकास के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपेक्षित कर दिया गया है, क्योंकि इस में यह मान लिया गया प्रतीत होता है कि पूंजीवादी ढांचे के अन्तर्गत भी राजनैतिक और आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।" (621)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि पूंजीवाद अस्थिरता को जन्म देता है तथा वास्तविक स्थिरता का अर्थ विकास के पूंजीवादी पथ का परित्याग करना है।" (622)

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा संपन्न किये गये नींव रखने सम्बन्धी अनेक समारोहों का कोई उल्लेख नहीं है जिनमें ऐसी परियोजनायें भी शामिल हैं जिनके लिए चौथी और पांचवी योजनाओं में मंजुरी प्राप्त नहीं की गई है और इस प्रकार मतदाताओं पर गलत प्रभाव डाला गया है।" (623)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को कम करने और हमारी अर्थव्यवस्था पर एकाधिकारियों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।" (624)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में काले धन को बाहर निकालने की दृष्टि से विमुद्रीकरण करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (625)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि गेहूं की वसूली करते समय बाजार में 'बिक्री के लिए आ सकने वाला फालतू' और 'बाजार में बिक्री के लिए आया फालतू' अनाज के बीच अन्तर समाप्त करके गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण को सफल बनाने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (626)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यप्रणाली को सुधारने और ऋण देने के मान-दण्ड में आमूल परिवर्तन करने, जिससे उद्योग और कृषि के उपेक्षित वर्ग आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें, के बारे में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (627)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कमजोर वर्गों तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा करने में सरकार की असफलता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (628)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आमूलचूल भूमि सुधार लागू करने की तुरन्त आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (629)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों के हित में औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक को संसद के चालू सत्र के दौरान पुरःस्थापित तथा पास करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (630)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औषध उद्योग, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों में काम कर रहे श्रमिकों तथा कर्मचारियों को 'कर्मकार' घोषित करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (631)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लम्बी अवधि से चले आ रहे कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमा विवाद को, जिसके कारण दोनो राज्यों के लोग आपस में कट मर रहे हैं, हल करने की तुरन्त आवश्यकत का कोई उल्लेख नहीं है।" (632)

श्रीमती भार्गवती तनकप्पन : (अड़ूर) मैं प्रस्ताव करती हूँ

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल के काजू तथा नारियल जटा जैसे परम्परागत उद्योगों के संरक्षण के लिए किसी ठोस आश्वासन का उल्लेख नहीं है।" (633)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में भाषायी अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों के विरुद्ध की जाने वाली किसी प्रकार की कार्यवाही का तथा उनके जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (634)

[श्रीमती भार्गवती तनकप्पन]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर बार-बार किये जाने वाले अत्याचारों तथा उनके जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने में सरकार की लगातार विफलता की अभिभाषण में निन्दा नहीं की गई है।" (635)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकारी और अर्द्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर-सरकारी उद्यगों में अनुसूचीत जातीयों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए ठोस उपायों के बारे में अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (636)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अस्पृश्यता दूर करने के लिए ठोस, आधारभूत तथा प्रभावी उपाय करने में सरकार की लगातार असफलता के बारे में कोई व्यग्रता प्रकट नहीं की गई है।" (637)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक निर्धारित अवधि के भीतर निरक्षरता को दूर करने के लिये ठोस तथा कारगर उपाय करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (638)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक निश्चित अवधि के भीतर शिक्षित नवयुवकों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए ठोस तथा कारगर उपाय करने में सरकार की निरन्तर विफलता के बारे में कोई व्यग्रता प्रकट नहीं की गई है।" (639)

श्री पी० जी० मावलंकर (अमदाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं : कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की वर्तमान स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्रण नहीं किया गया है।" (643)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आज देश में असंख्य जनसाधारण व्यक्तियों तथा नागरिकों को हर क्षेत्र में पेश आ रही भारी मुसीबतों और परेशानियों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (644)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान आर्थिक संकट के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया की स्पष्ट एवं निर्भीक शब्दों में चित्रित नहीं की गई है।" (645)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस समय हमारे राष्ट्र तथा आज के नेताओं में निर्विवाद तथा मूल रूप से व्याप्त गम्भीर विश्वास संकट को समूचे रूप से प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है।" (646)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनता को यह विश्वास दिलाने में विफल रहा है कि सरकार एक लोक तंत्रात्मक, न्यायोचित तथा समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में ईमानदारी एवं निश्चित रूप से कार्य कर रही है।" (647)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे राष्ट्रीय जीवन के राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सरकार और जनता के समक्ष कार्यों और चुनौतियों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (648)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्र के समक्ष मौजूद विभिन्न समस्याओं के प्रति सही एवं युक्ति-संगत दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है।" (649)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के करोड़ों निस्सहाय लोगों को जो कि भयंकर गरीबी का जीवन बिता रहे हैं दशा सुधारने के लिये किन्हीं प्रभावकारी पगों अथवा उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (650)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमाखोरों तथा सट्टेबाजों के विरुद्ध सरकार द्वारा तुरन्त दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं है।" (651)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार खाद्यान्नों की पर्याप्त वसूली करने में विफल रही है, जिससे समूची लोग वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त हो गई है।" (652)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार सामान तथा वस्तुओं की तस्करी प्रभावशाली ढंग से रोकने तथा उसका उन्मूलन करने में विफल रही है।" (653)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला निकालने में खानों तथा उसे देश भर में विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों में भेजने में रेलवे की विफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (654)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था को हुई भारी क्षति को, नीति तथा कार्यान्वयन दोनों स्तरों पर तुरन्त सुधारात्मक पग उठा कर, किस प्रकार दूर किया जायेगा।" (655)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी विदेशी नीति के नये तथा रचनात्मक पहलुओं की सुस्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है।" (656)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में, विशेषतया शिक्षित नवयुवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने के लिये किन्हीं व्यावहारिक योजनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है।" (657)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के असंख्य लोगों की निरन्तर निराशाजनक तथा दलित स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है।" (658)

[श्री पी० जी० मावलंकर]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों तथा आदिवासियों के साथ किये गये अमानवीय व्यवहार, जुल्म तथा अत्याचारों का उल्लेख नहीं किया गया है ।" (659)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों तथा आदिवासियों को उनकी अपमानित एवं उत्पीड़ित दशा से छुटकारा दिलाने के लिये किन्हीं उपचारात्मक उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है ।" (660)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे शैक्षिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में व्याप्त निराशा के वातावरण का उल्लेख नहीं किया गया है ।" (661)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख नहीं किया गया है ।" (662)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में मंत्रियों तथा अन्य उच्चपदाधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की तुरन्त न्यायिक जांच कराने में विफल रही है ।" (663)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि सरकार ने चिरलम्बित मामलों तथा विवादों का निर्णय करने में अत्याधिक समय लगाया है ।" (664)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में श्रमिकों की काम और आवास की दशा तथा उनकी न्यूनतम मजूरी और जीवन स्तर में अभी तक संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है ।" (665)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात की असाधारण तथा ऐतिहासिक घटनाओं का, जिनसे सरकार तथा जन जीवन में भ्रष्टाचार और अनैतिकता के विरूद्ध राज्यव्यापी विद्रोह हुआ तथा हो रहा है, केवल चार पंक्तियों में उल्लेख किया गया है ।" (666)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): राष्ट्रपति के अभिभाषण में तथ्यों की अवहेलना की गई है और जो कुछ कहा गया है वह सच से परे है । आज देश विस्फोटक स्थिति में है परन्तु सरकार इस स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दे रही है । लोग स्थान स्थान पर सरकार की भर्त्सना कर रहे हैं ।

देश में वस्तुओं का वास्तविक अभाव नहीं है । यह अभाव पैदा किया गया है । वस्तुएं उचित मूल्यों पर नहीं मिलती हैं परन्तु विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तुयें बेचना चाहता है उस मूल्य पर किसी भी मात्रा में वस्तुयें उपलब्ध हैं । प्रधान मंत्री विरोधी पक्ष पर दोषारोपण करती हैं परन्तु उनके सचिवालय के विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सब सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है । विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि यह संकट और गम्भीर हो जायेगा यदि नीतियों में परिवर्तन न किया गया ।

इकानामिक सर्वे आफ इंडिया के अनुसार तथा रिज़र्व बैंक सर्वे के 1972-73 के मुद्रा तथा वित्त संबंधी प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता में बहुत थोड़ी कमी आयी है परन्तु पिछले वर्षों की तुलना में वस्तुओं के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हुई है ।

वास्तविक खपत में भी वृद्धि नहीं हुई है और फिर भी खाद्यान्नों के मूल्यों में भयावह वृद्धि हुई है। 1973 में थोक के 39 प्रतिशत मूल्य बढे तथा फुटकर मूल्य 60 से 100 प्रतिशत तक बढे हैं। वितरण प्रणाली पंगु हो गई है। गुजरात के लोग सरकार को मार्ग दिखा रहे है। आन्दोलन से पूर्व अहमदाबाद में एक महिने में 2 किलो राशन मिलता था क्यों कि सरकार ने जमाखोरों को स्वतंत्रता दे रखी थी ।

खाद्यान्न व्यापार का सरकारीकरण असफल हो गया है। कांग्रेसवालों ने अपना अनाज सरकार को नहीं बेचा। सरकार को चावल के व्यापार के सरकारीकरण का विचार छोड़ना पड़ा। मोटे अनाजों के सम्बन्ध में वसूली लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। केरल, पश्चिम बंगाल में अनाजों की बहुत कम वसूली हुई। सरकार ने जमाखोरों तथा कालाबाजारी करने वालों की सहायता की है ।

प्रधान मंत्री, परमाणू उर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मैं उनकी प्रत्येक बात का उत्तर दूंगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कलकत्ता में आज 3.80 प्रति किलो तक मूल्य बढे हैं। उचित दर दुकानों में गेहू नहीं हैं। केन्द्र 1.50 लाख टन के न्यूनतम कोटे में केन्द्र ने बिहार को नवम्बर और दिसम्बर में 20,000 मीटरी टन सप्लाई की है। केरल में प्रतिदिन 340 ग्राम गेहूं और चावल सप्लाई नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में 3.5 किलो राशन मात्रा को घटाकर 2.5 किलोग्राम कर दिया गया है। वनस्पति 12 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। खाद्य तेलों का बड़े पैमाने पर अवैध वायदा व्यापार किया गया है। इससे बनस्पति के मूल्य बढ गये है। यह सब सत्तारूढ़ दल के साथ सांठ गांठ करके किया गया है। आयातित तेल पत्तनों पर पड़ा हुआ है। वर्ष 1973 में थोक मूल्यों में 39 प्रतिशत वृद्धि हुई परंतु फुटकर मूल्यों में 60 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। प्रधान मंत्री यह तर्क देती हैं कि मूल्य विश्वपर्यंत बढे हैं। आस्ट्रेलिया में 28.8, कैनाडा में 30, मिश्र में 39, जर्मनी में 22.8, इटली में 41.5 और जापान में 20.7 प्रतिशत मूल्य बढे है जो भारत में वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से बहुत कम हैं ।

देश की प्रतिव्यक्ति आय को देखा जाये तो ज्ञात होगा कि हम विश्व में सबसे अधिक गरीब है प्रधान मंत्री ने इस तथ्य को छुपाया है कि दूसरे देशों में प्रतिव्यक्ति आय बढी है और भारत में कम हुई है ।

मूल्य सर्वेक्षण के बारे में 22 फरवरी, 1974 के इकानामिक टाइम्स में कहा गया है कि गतवर्ष वनस्पति का मूल्य 6.58 पैसे प्रति किलो था और इस वर्ष 13 रुपये प्रति किलो है। गत वर्ष तेल का मूल्य 5.80 पैसे प्रति किलो था इस वर्ष 11.40 पैसे प्रति किलो हैं। चीनी का मूल्य 3.50 पैसे प्रति किलो था जो इस वर्ष 4.80 पैसे प्रति किलो है। यह सब क्यों हुआ ? सरकार इन मामलों में लिप्त है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं ।

सत्तारूढ़ दल समाजवाद की बात करता है। सरकार मिलमालिकों के साथ मिली हुई है और वे उनके लाभों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार, दक्षिण भारत में गतवर्षों की तुलना में इस वर्ष के लाभ कई गुने अधिक है ।

सन 1942 में भारत छोडो आन्दोलन में अंग्रेजो के हाथो 12 से अधिक व्यक्ति नहीं मरे थे। हमारी सरकार ने वस्तुओं के उचित मूल्यों की मांग करनेवाले 90 व्यक्ति मार दिये हैं। 1956-59 के महागुजरात आन्दोलन में 33 व्यक्ति मरे और आज गुजरात में पुलिस की गोलियो से 80 व्यक्ति मारे जाने पर भी सरकार लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। गुजरात में यह स्थिति ऊंचे मूल्यों, उचित दर

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

दुकानों से राशन की थोड़ी मात्रा में सप्लाई तथा सरकार की दमनकारी नीति के कारण हुई है । पुलिस गुजरात में बहुत अत्याचार कर रही है । लोगों को घरों से, मंदिरों से निकाल कर नंगा कर के सड़क पर मार्च करायी जाती है और पीटा जाता है, बलात्कार के उदाहरण भी उपलब्ध है । गुजरात सरकार ने करफ्यू तोड़ने वालों को 'देखते ही गोली मार देने' के आदेश दिये पर उच्च न्यायालय ने इन आदेशों को रद्द कर दिया है ।

छात्रों के साथ गुजरात में बड़ा शर्मनाक व्यवहार किया जा रहा है । आज गुजरात में को भी विधान सभा सदस्य, संसद सदस्य, कांग्रेस दल का सदस्य अथवा नेता अपने घर नहीं रूक सकता है । वहां के निवासियों ने 17 गधों का एक जलूस निकाला और प्रत्येक गधे को एक मंत्री के नाम से संबोधित किया सबसे ऊंचे गधे को मुख्य मंत्री का नाम दिया गया ।

गुजरात में बड़े जमीनदारों से सरकार ने अनाज वसूली नहीं की और उसने खेडूत समाज के दबाव में कार्य किया । बाजरा और चावल की वसूली नाममात्र की हुई । राज्य सरकार का पूर्वानुमान 12 लाख टन था जो बाद में 5 लाख टन कर दिया गया । चावल का वसूली लक्ष्य 62,000 टन था जबकि कुल वसूली केवल 14,000 टन हुई है । मूंगफली की भारी फसल होने पर भी 50 प्रतिशत मुंगफली भूमिगत चली गई और उत्पादक लोग, सरकार द्वारा व्यापारियों और मिलमालिकों को संरक्षण दिये जाने की स्थिति में, अपने स्टाक जमा किये हुए हैं । केन्द्र ने गुजरात के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है । काण्डला में सरकार की बड़ी मात्रा में स्टाक जमा है, परन्तु सरकार इस स्टाक को वोट लेने के लिये उत्तर प्रदेश भेज रही है ।

'फार इस्टर्न इकानामिक रिव्यू' नामक समाचार पत्र ने गुजरात की स्थिति पर प्रकाश डाला है । इस पत्र में सरकार की भर्त्सना की गई है ।

गुजरात विधानसभा भंग कर दी जानी चाहिये और नये चुनाव कराये जाने चाहियें । पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिये और जिन लोगों की जानें गयी हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिये ।

इसके पश्चात् मैं शेयरों के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में बोलना चाहता हूं । बम्बई के शेयर बाजार में एक वर्ष में ईक्विटी के मूल्यों में 210 प्रतिशत की वृद्धि हुई है सूती कपड़े के मूल्य में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । एक वर्ष में ही एकाधिकार गृहों का लाभ 150 प्रतिशत तक बढ़ा है ।

[**श्री जगन्नाथ राव जोशी** पीठासीन हुए
SHRI JAGANNATHRAO JOSHI *in the Chair*]

वांचू समिति के अनुसार नवम्बर, 1970 में 7,000 करोड़ रुपए का कालाधन था । यदि सरकार इस पर रोक लगाती तो मूल्यों को नियंत्रित किया जा सकता था ।

बड़े-बड़े व्यापारियों की और 900 करोड़ रुपए के कर की राशि बकाया है ।

600 ऐसी कम्पनियां हैं जिनकी ओर 10 लाख रुपए से अधिक की राशि का कर बकाया है और उन कम्पनियों में विदेशी तथा भारतीय कम्पनियां हैं । औद्योगिक विकास दर में सरकार का योगदान दो प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त बिजली की कमी है ।

उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में बिजली, डीजल, पैट्रोल, इस्पात, कोयला तथा वैगनों की कमी हैं । उद्योग और कृषि के प्रत्येक क्षेत्र को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

पश्चिम बंगाल के इंजीनियरी उद्योग को केवल 1973 में बिजली की कमी के कारण अनुमानतः 57 करोड़ रूपए के उत्पादन की हानि हुई । सरकार की गलत और एकाधिकार समर्थक नीतियों के कारण हमें लाखों रुपए की हानि हो रही है ।

कलकत्ता की एक अंग्रेज कंपनी, कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन सरकारी क्षेत्र से बिजली खरीद कर उसे निर्धन उपभोक्ताओं को तिगुने मूल्य पर बेच रही है । इस कंपनी का तुरंत राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

पश्चिम बंगाल में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में 100 प्रतिशत वृद्धि हो गई है । अन्य राज्यों में भी बहुत बेरोजगारी है । सरकार ने उनकी समस्याओं का पांचवीं योजना में उल्लेख करने की परवाह नही की ।

निर्धनता के बारे में बोलते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश विश्व में सब से गरीब है । निर्धनता के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या राज्यवार इस प्रकार है : जम्मू और काश्मीर में 44.9 प्रतिशत, बिहार में 49.4 प्रतिशत, उड़ीसा में 64.7 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 44.8 प्रतिशत तथा अरुणाचल प्रदेश में 57.4 प्रतिशत है ।

संविधान के अंतर्गत केन्द्र से यह आशा नहीं की जाती कि वह पुलिस रखे फिर भी 1950 में सरकार ने पुलिस के लिये 3 करोड़ रुपए का बजट रखा । 1973 में सरकार का पुलिस के लिये बजट बढ़ कर लगभग 135 करोड़ रुपए हो गया ।

कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिये $6\frac{1}{2}$ करोड रुपये का बजट था जो 1973 में बढकर 35 करोड़ रुपए हो गया ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुसलमान लोगों को अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उनका दमन किया जाता है और उन्हें तंग किया जाता है। उनकी किसी प्रकार से भी प्रगति नहीं हो रही है ।

समाचार-पत्रों के स्वामित्व का विस्तारण बंद किया जाना चाहिये ।

देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त है । अनेक समाचार-पत्रों ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में सरकारी तंत्र के उपयोग तथा प्रधान मंत्री द्वारा किये गये शिलान्यासों की आलोचना की है ।

यदि प्रधान मंत्री में आत्म-सम्मान की कोई भावना है तो उन्हें चाहिये कि मारुति मामले की संसदीय जांच करवायें ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : साम्यवादी, मार्क्सवादी दल दवारा प्रस्तुत संशोधन हास्यास्पद है । वे राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में संसदीय लोकतंत्र के विनाश का उल्लेख नहीं किया । जब राष्ट्रपति अभिभाषण कर रहे हों तो उनके अभिभाषण को सुना जाना चाहिये । परन्तु उनके दल ने राष्ट्रपति का घेराव करने का प्रयत्न किया और राष्ट्रपति के लिये उनके संवैधानिक कर्त्तव्य के पालन में बाधा डाली ।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की वर्तमान स्तिति का सच्चा और स्पष्ट चित्रण है । इस भाषण के चार भाग हैं । इसमें एक भाग में महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की कमी और मुद्रास्फिती का वर्णन है । दूसरे, उन्होंने सरकार की असफलताओं को भी बताया है । उन्होंने मुनाफाखोरों, उत्पादन में बाधाओं, वसूली के मामले में असफलता आदि का भी उल्लेख किया है । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि सरकारी

[श्री सी० एम० स्टीफन]

क्षेत्र सशक्त हो रहा है । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि समस्याओं के उपरान्त हमने विकास कार्यक्रम बंद नहीं किये हैं । जो चुनौतियां हमारे समक्ष हैं उनका भी उन्होंने उल्लेख किया है और उन्होंने जनता से कमर कसने का आग्रह किया है ।

महंगाई, वसूली में असफलता तथा खाद्यान्नों के न मिलने के आधार पर सरकार की आलोचना की जाती है । वास्तव में हालात खराब है । परन्तु क्या किसी ने इस स्थिति का समाधान सुझाया है । हमारे यहां अकाल पड़ जाते हैं । यदि अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए धन दिया जाये तो दूसरी ओर विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रश्न भी इसके साथ जुड़ा हुआ है । सरकार के समक्ष यह स्थिति थी की अकालग्रस्त लोगों की मदद की जाये अथवा विकास-कार्यक्रम बंद कर दिये जायें । सरकार दोनों मोर्चे पर आगे बढ़ी ।

1966 में लगभग 532 करोड़ रुपए का आयात किया गया । इस समय आयात में काफी कमी हो गई है । सरकार ने गेहूं के ठोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया । अब यह कहा जाता है कि सरकार अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो सकी है । मैं इस तर्क का विरोध करना चाहता हूं कि वसूली में असफलता मिली है । वर्ष 1966-67 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 120 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया तथा 140 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया । 1971-72 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में से 1 करोड़ टन खाद्यान्न उठाया गया । दस लाख टन खाद्यान्न आयात किया गया । इस बार संगठित राजनैतिक विरोध के बावजूद ऐसा किया जा रहा है ।

सरकार समाजवादी कार्यक्रम के प्रति कृतसंकल्प है । मुझे विश्वास है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा किया जा सकता है । मतभेद हो सकते हैं । सरकारी क्षेत्र में अनेक उद्योगों में बहुत प्रगति हुई है । गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र का बैंकों, बीमा, कोयला, लोहा और इस्पात, तेल और विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार हुआ है ।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या विरोधी दलों ने इस कार्य में सरकार की सहायता की है । उन्होंने कहीं भी सरकार को समर्थन नहीं दिया है ।

जहां कहीं भी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी तो लोगों में धीरज नहीं रहेगा । प्रश्न यह है : राजनैतिक दल का क्या कर्त्तव्य है ? उनका कर्त्तव्य यह है कि लोगों को समर्थन दें तथा उन्हें स्थिति की वास्तविकताओं से अवगत करायें । वैसा किये बिना यदि कोई 'बंद' का आयोजन करे या हिंसात्मक कार्यवाही करे तो वह एकाधिकार गृहों और प्रतिक्रियावादी तत्वों की ही सहायता करेगा ।

उन्हें 4 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से मिला है । 4 रुपए प्रति व्यक्ति की दर के लिये उन्होंने क्या किया है ? प्रश्न तो यह था कि राष्ट्रीय हित में क्या था...

श्री इन्द्रजित गुप्त (अलीपुर) : मजदूर संघ के एक नेता के रूप वह बहुत प्रसन्न हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि श्रमिक को वही कुछ मिला है जो उसे वास्तव में अनिवार्य रूप से मिलना चाहिये था । मैं जानता हूँ कि श्रमिकों को क्या मिल रहा है । कपडा श्रमिक को कुछ अधिक मिल रहा है । इसी प्रकार किसी अन्य क्षेत्र में एक श्रमिक को कुछ और ही दिया जा रहा है । किन्तु बात तो यह है कि जब समझौता हो चुका था, तो उन्होंने श्रमिकों को हड़ताल करने के लिये कहा । इस हड़ताल के कारण करोड़ों रुपए के उत्पादन की हानि हुई और आखिरकार इसके लिये उन्हें क्या मिला ? क्या इतने दिनों की हड़ताल का मूल्य केवल 4 रुपए प्रति व्यक्ति ही था ?

कुछ लोगों को चुनावों में राजनीतिक लाभ के अतिरिक्त इस हड़ताल का कोई भी लाभ नहीं था। जब देश एक संकट का सामाना कर रहा हो, जब कठिनाईयां सामने आ रही हो...

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सूचना का प्रश्न है। हड़ताल की सूचना तीन महीने पहले दी गयी थी।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, किन्तु इसके लिये इस समय मेरे पास समय नहीं है।

देश और उसकी जनता ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिये दृढ़ संकल्प किया हुआ है और सत्ताधारी दल कदम कदम पर सरकार और जनता का नेत्तृत्व कर रहा है और जनता निस्संदेह ही समाजवादी दिशा में कदम बढ़ा रही है। कोई भी व्यक्ति जो यह कहता है कि सरकारी क्षेत्र के विकास और एकाधिकार पर नियंत्रण रखने के बावजूद हम अभी भी पुंजीवाद के मार्ग पर चल रहे हैं, वे केवल उसी बात को ही दोहरा रहे हैं जिसका देश की वर्तमान स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है।

चूंकि इस अभिभाषण के द्वारा राष्ट्र का नेतृत्व किया गया है, इस लिये मैं अवश्य ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री इन्द्रजित गुप्त : मैं एक दो बातों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करूंगा।

सर्व प्रथम तो यह बात कि है हम सरकारी क्षेत्र के पक्ष में है; क्यों कि हमारा विश्वास है कि इससे समाजवादी दिशा में विकास की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। परन्तु हमारा यह विश्वास नहीं है कि केवल सरकारी क्षेत्र हो जाने मात्र से ही समाजवाद आ गया है।

श्री भुट्टो ने पाकिस्तान में विदेशी बैंकों सहित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। किन्हें कोई भी इस बात का दावा नहीं करेगा कि पाकिस्तान समाजवादी दिशा में कदम उठा रतु है।

दूसरी बात यह है कि भारतीय साम्यवादी दल कुछ सिद्धांतों का समर्थन अवश्य करता है जिन्हें कांग्रेस दल ने अपने कार्यक्रम के भाग के रूप में घोषित किया हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि हम इस कार्यक्रम का उस सीमा तक ही समर्थन करते हैं, जहां तक वह एकाधिकारियों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों और सट्टेबाजों के विरुद्ध है हम कांग्रेस दल के भूमि सुधार, आत्म-निर्भरता प्राप्त करने, विदेशी साम्राज्यवादियों को हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व करने से रोकने संबंधी मामलों का समर्थन करते हैं। किन्तु यदि आप इन्हें कार्यान्वित नहीं करते तो हम पूरी तरह आपका विरोध करेंगे और आपको इन्हें कार्यान्वित करने के लिये बाध्य कर देंगे।

जहां तक कलकत्ता में पटसन उद्योग में तथा बम्बई में कपड़ा उद्योग में हड़ताल का संबंध है, मैं श्री स्टीफन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार, जो यह दावा करती है कि वह विदेशी मुद्रा को अर्जित करने तथा निर्यात आदि के बारे में चिन्तित है, बम्बई में 41 दिन और कलकत्ता में 33 दिन चुपचाप क्यों बैठी रही और हड़ताल को समाप्त करवाने के बारे में कोई प्रयास करने से इंकार क्यों करती रही।

श्री सी० एम० स्टीफन : जब तक कोई समझौता न हो जाता, तो सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती थी ?

श्री इन्द्रजित गुप्त : इस सिद्धांत का विरोध किया जा रहा था कि सरकार उस मज़दूर संघ के साथ समझौता कर सकती है जिसे मजदूर संघ के रूप में मान्यता नहीं मिली हुई है। हम इस सिद्धांत के लिये 33 दिन तक लड़ते रहे, अन्ततः हमने सरकार को इस बात के लिये बाध्य कर दिया कि वह हमारे साथ बातचीत करे और समझौते में परिवर्तन करे।

[श्रीइन्द्रजीत गुप्त]

राष्ट्रपति के अभिभाषण के विरुद्ध एक शिकायत है, कि सरकार ने तीन रिकार्ड तोड़ने का श्रेय अभिभाषण में क्यों नहीं लिया । पहला एक वर्ष में 26 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि का था। जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक में 30 से 40 अंकों की वृद्धि हुई है । दूसरा रिकार्ड एक वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए की घाटे की अर्थव्यवस्था का है । तीसरा रिकार्ड एक वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का परिचालन करता है । 28 दिसम्बर, 1973 को यह 10,091 करोड़ रुपए का था । इसका अर्थ यह है कि धनराशि का परिचालन एक वर्ष में 19 प्रतिशत बढ़ा है ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने पूरे व्यस्त व्यावसायिक दिनों, अर्थात् अक्टूबर से अप्रैल के लिए ऋण का लक्ष्य 650 करोड़ रुपये निर्धारित किया था, परन्तु 28 दिसम्बर तक यह पहले ही 620 करोड़ रुपए हो चुका है । 1972-73 में जहां सरकार के बैंक ऋण में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहां वाणिज्यिक क्षेत्र में यह एक वर्ष में 28 प्रतिशत बढ़ गया ।

मैं मूल्य वृद्धि आदि के बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । श्री ज्योतिर्मय बसु इस बारे में विस्तृत रूप से बता चुके हैं । आन्दोलनों, हड़तालों, 'बंदों', 'घेराव' आदि की तो एक बाढ़ सी आयी हुई है । लोगों के क्षोभ और कठिनाईयां विस्फोटक रूप से व्यक्त हो रही है । किन्तु इसका मुख्य कारण क्या है ? यह ठिक है कि कई बार इनका उपयोग प्रतिक्रियावादी शक्तियों, विभाजक शक्तियों, पृथकतावादी शक्तियों, साम्प्रदायवादी शक्तियों, साम्राज्यवादी समर्थक शक्तियों द्वारा अपने उदेश्य की प्राप्ति के लिये किया जा सकता है । किन्तु बात तो यह है कि यदि इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों को ऐसे अवसर मिल रहे हैं, तो ऐसा सरकार की पूर्ण असफलता तथा दिवालियेपन के कारण ही हो रहा है । (**व्यवधान**) क्या आप इस प्रकार की स्थिति का गर्व कर सकते हैं जबकि एक ही वर्ष में मूल्य 26 प्रतिशत बढ़ गये हों और एक ही वर्ष में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 43 प्रतिशत बढ़ गयी हो ।

एक ही वर्ष में बड़े 101 उद्योग गृहों की परिसम्पतियां 7.7 प्रतिशत बढ़ गयी है, जहां भ्रष्टाचार आदि का बोल बाला हो गया है क्या इन बातों के होते हुए आप गर्व कर सकते हैं ?

यदि आप इन आन्दोलनों आदि का श्रेय केवल विरोधी दलों को ही देते रहें और पुलिस तथा सेना के माध्यम लोगों का दमन करते रहें, तो आप वास्तव में इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों को बढ़ावा दे रहें हैं जिनसे लड़ा जाना चाहिये ।

यह कहा जा रहा है कि इन आन्दोलनों आदि से लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है । गुजरात से यह सबक लिया जा सकता है कि इस देश में निर्वाचित बहुमत की राजनीतिक संबद्धता टूटती जा रही है । ऐसा पहले आंध्र प्रदेश में भी हो चुका है । उत्तर प्रदेश में यदि सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने और खाद्यान्नों की कमी को दूर करने में असफल रहती है तो वहां बहुमत के राजनीतिक रूप से कोई औचित्य नहीं रहता । यदि आप मूल्य वृद्धि, अभाव आदि की स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो लोगों का क्रोध निर्वाचित सरकारों को हटा सकता है, क्योंकि इन सरकारों ने लोगों का विश्वास खो दिया है ।

सभा को चिंताजनक संकेतों की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिये । जब अहमदाबाद में सेना को तैनात किया गया था, तो लोगों ने उनका स्वागत किया था । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में ऐसा पहली बार हुआ है । क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इससे सशस्त्र सेनाओं के संबंध में कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा ।

'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार फील्ड मार्शल मनिकशाह ने रोटेरी क्लब में एक भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश को तबाह होने से बचाने के लिये एक नये व्यावसायिक क्षमता वाले नेतृत्व की आवश्यकता है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यहीं कुछ निकट

भविष्य में होने जा रहा है। देखना तो यह चाहिये कि स्थिति यह रूप धारण कर रही है। आप को यह नहीं सोचना चाहिये कि लोकतंत्र को केवल कुछ विरोधी दलों से ही खतरा है, जो लोगों के असंतोष का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि कुछ मामलों में यह कारण सही है। किन्तु आपको मूल कारण का पता लगाना चाहिये और इसे दूर करना चाहिये।

बड़ी संख्या में हड़तालें की जा रही हैं। चाहें हम इन्हें पसंद करें अथवा न करें। बम्बई में 2 लाख व्यक्तियों ने हड़ताल कर रखी है। लगभग $2\frac{1}{2}$ लाख पटसन श्रमिक कलकत्ता में भी हड़ताल पर हैं। तमिलनाडु में लगभग 1 लाख श्रमिकों ने हड़ताल कर रखी है। डाक्टरों और इंजीनियरों ने भी हड़ताल कर रखी है। हम सारी बात को कुछ राजनीतिक दलों का षडयंत्र समझकर ही छोड़ नहीं देना चाहिये। आप एक कठोर श्रम नीति को अपना सकते हैं। हम इस समय ऐसा करने की स्थिति में नहीं है।

वर्ष 1972-73 के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किये गये प्रतिवेदन को ही देखिए।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उक्त प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि जब उत्पादन कम हो जाता है, तो तत्काल मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, किन्तु उत्पादन में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को तदनुसार लाभ नहीं पहुंचना है। अधिक धनवान किसान खाद्यान्न, खाद्य तेल और तिलहनों आदि मुख्य वस्तुओं की इसलिये जमाखोरी करने लगे हैं, ताकि वे वायदा व्यापार से अत्यधिक लाभ कमा सकें। इस प्रकार उनको काफी अधिक आय होने लगी है। इसके साथ ही उन्हें उर्वरक, बीज, बिजली, पानी आदि राज्य सहायता प्राप्त दरों पर मिलने लगी हैं। यही शक्तियां उत्पादन और वसूली कार्य में बाधा डालती हैं।

इस समय पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन में जो बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ है उसका कारण बिजली की भारी कमी ही है। बिजली की इतनी अधिक कमी पहले कभी नहीं देखी गयी। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग ने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि हड़तालों से अधिक वहां तालाबन्दी की घटनायें हुई हैं, जो नियोजकों ने जानबूझकर की है। एक बात और भी है कि गत डेढ़ वर्ष के दौरान कांग्रेस दल के विभिन्न भागों द्वारा संघों में आपसी झगड़ा करवाकर अथवा हड़तालें करवाकर 37 करोड़ रुपए की हानि करवायी है। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति के सहयोग तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के बारे में प्रतिवेदन को दबा दिया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 7 में लोगों का अपमान किया गया है। इसमें लोगों के इन आन्दोलनों को जमाखोरी और वायदा व्यापार के समान बताया गया है और कहा गया है कि इन सभी को समाप्त कर दिया जायेगा। क्या इस ढंग से इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये। मुझे अफ़सोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अपने दलगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कांग्रस के कुछ नेता ऐसी राष्ट्रीय विरोधी शक्तियों की सहायता प्राप्त करने के लिये भी तैयार हैं।

ऐसा समाचार मिला है कि चीनी के कारखानों को निर्यात के नाम पर अपना विस्तार करने की अनुमति दी जाने वाली है। यदि आप चीनी उद्योग को मजबूत बनाना चाहते है, तो सरकार को चाहिये कि वह इसे अपने हाथ में ले लें।

भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व की स्थिति अधिक वसूली मूल्यों ऋण पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने और सरकारी वितरण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहा है। यह संघ ये मांगे इस लिये कर रहा है क्योंकि उसे ये मालूम है कि सरकार कमजोर है और कि सरकार समझौता कर लेगी। उनकी यह मांग भी है कि कोयला

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

खानों के राष्ट्रीयकरण को समाप्त कर दिया जाय । इसके अतिरिक्त वह ऊंची वसूली मूल्य ऋण नियंत्रण न लगायें, सार्वजनिक वितरण पद्धति को समाप्त किये जाने के बारे में भी मांग कर रहा है ।

जहां तक काले धन का संबंध है, अब भी समय है कि विमुद्रीकरण करके कार्यवाही की जाये ।

सरकार संगठित श्रमिक वर्ग का सहयोग प्राप्त करना चाहती है । किन्तु लोकतांत्रिक औद्योगिक संबंध नीति निर्धारित नहीं की जा रही है । हमें तुरन्त लोकतांत्रिक औद्योगिक संबंध नीति को निर्धारित कर लेना चाहिये ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा राष्ट्रपति के उच्च नैतिक प्राधिकरण का दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि उनके अभिभाषण में कई ऐसी बातें कही गयी हैं जो उन बातों से मेल नहीं खाती हैं जो राष्ट्रपति ने कई अवसरों पर स्वयं सार्वजनिक रूप से चोर-बाजारी, जमाखोरी, मूल्य और भ्रष्टाचार के बारे में कही हैं । बेहतर यही है कि प्रतिवर्ष दिये जाने वाले इस निरर्थक अभिभाषण को समाप्त कर दिया जायें । हमें सरकार की निर्मूल नीतियों से पैदा हुई गम्भीर स्थिति का सामना करना चाहिये । हमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को इस ओर लगाना चाहिये, ताकि देश आश्वस्त हो जाये कि इन्हें कार्यान्वित किया जायेगा ।

Shri Ramsingh Bhai (Indore) : I support this motion of thanks on the President's Address. The President's Address has drawn our attention to the problems being faced by the country. In the Address reference has been made to the price rise, shortage of consumer commodities and the increasing corruption.

The present difficulties faced by the country are the outcome of certain factors. Our economy had been adversely effected by Indo-Pak war of 1971. Then we had to bear the burden of refugees from Bangla Desh and the serious drought conditions. Also during the last 1½ years there has been spate of strikes which have dislocated our production activity. These agitations are confined to cities only. The rural population is being ignored totally.

[डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुये
DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*]

It is the duty of all the political parties to find a solution to the difficult situation in which today our country is placed. Violent agitations in no way solve the problems. In democracy the right of agitation cannot be challenged. But it should always be kept in mind that these agitations in no way effect the production adversely.

The political parties pay no heed to the problems of Harijans, Adivasis and other poor people and pay all their attention to the people living in urban areas, which enjoyed far more facilities.

We should see that production is not adversely effected and no national property is destroyed by the incidents of loot, arson etc.

The jute workers remained on strike for 33 days. They lost Rs. 400 and gained only Rs. 55 in the form of Bonus. The country suffered a great loss. I should congratulate the workers of Gujarat and Ahmedabad who did not resort the strike during these days of violence and arson in that state. They sought the protection of military officers at the time of going to the mills so that agitators could not harass them.

I want to tell the political parties that there is freedom of resorting to agitations in democracy that it would not be used to cause loss to the national property. Unfortunately the Government has also been protecting to the people who resort to agitations and cause losses to the national property.

The workers are working in the interest of the nation but they are not getting their dues from the Government. The apposition parties should not cause loss to the production and national property.

श्री सैय्यद अहमद आगा (बारामूला) : राष्ट्रपति ने ऐसी समस्याओं का ज़िक्र किया है जिनका हम आज सामना कर रहे हैं । उन्होंने मूल्य वृद्धि तथा अभाव का मुख्य रुप से उल्लेख किया है । उन्होंने उत्पादन की ओर भी ध्यान दिया । अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन की ओर सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये । सभी आवश्यक वस्तुओं को जनसाधारण तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाया जाना चाहिये ।

वसूली कार्य बिचौलियों तथा चक्कीवालों के द्वारा किया जाता है । यह तरीका ठीक नहीं है । हमें सीधे उत्पादक से ही वसूली करनी चाहिये ।

यहां इस बात का ज़िक्र करना भी जरूरी है कि भूमि सुधार तथा भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून लागू किये जाने चाहिये जिससे फालतू भूमि गरीब लोगों दो जाय ताकि व अधिक अन्न पैदा कर सकें । अतः वसूली की प्रणाली पर पुनः विचार किया जाना चाहिये ताकि अन्न सचमुच लोगों तक पहुंच सके ।

मोटा अनाज भी सरकार के नियंत्रण में आना चाहिये । क्या किसानों को यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपना अनाज सरकार के अतिरिक्त और किसी को ना बेचें ।

हड़तालों और तालाबंदी से उत्पादन को बहुत धक्का पहुंचता है । यदि उत्पादन ना हो तो कीमतें कैसे कम होंगी । हड़तालें अब बढ़ रही हैं । डाक्टर भी हड़ताल करने लग गये हैं । इन हड़तालों का अधिक प्रभाव समाज के निम्न वर्ग पर पड़ा है । यदि डाक्टरों की हड़ताल थोड़े दिनों तक रहती तो कोई बात नहीं थी लेकिन डाक्टरों की हड़ताल तो अब बहुत लम्बी हो गयी है जिससे समाज के गरीब वर्ग को हानि उठानी पड़ रही है । उनकी लम्बी हड़ताल का अर्थ न जाने क्या है । मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि व वापिस अपने काम पर आ जायें तथा लोगों की सेवा करें ।

हमारे इर्द गिर्द हिंसा का वातावरण है । देश के अन्दर तथा बाहर के प्रतिक्रियावादी इस देश को कमजोर बनाना चाहते हैं और इसलिये वे इस प्रकार का वातावरण पैदा कर रहे हैं । देश को इन शक्तियों से सचेत रहना चाहिये ।

मुझे विश्वास है कि इंदिरा सरकार इन सब संकटों का सामना करने में सफल रहेगी।

हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि हम आयात किये जाने वाले तेल पर कम से कम निर्भर करे हमें पन बिजली तथा शक्ति के अन्य साधनों को उपयोग में लाना चाहिये ।

बंगलादेश द्वारा इस्लामिक कान्फ्रेंस लाहोर में भाग लेना एक महत्वपूर्ण बात है । इससे बंगलादेश और पाकिस्तान के बिच संबंध सामान्य हो जायेंगे । दूसरी ओर यदि इस सम्मेलन को बुलाने में पाकिस्तान का तात्पर्य अपनी युद्ध मशीनरी के लिये तेल लेना था तो में कहूंगा कि हमें भी इस बारे में सतर्क तथा सावधान रहना चाहिए ।

अमरिका तथा ब्रिटन हिन्द महासागर में अड्डा स्थापित कर रहे हैं । साम्राज्यवादी देश ही इस क्षेत्र में अपने अड्डे कायम करना चाहते हैं । अतः हमें इस ओर कुछ ध्यान देना होगा । केवल विरोधपत्र भेजने से काम नहीं चलेगा । हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये ।

ऐशियाई संबंधी सुरक्षा के विचार पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : देश के लोगों की तरह मैं भी उन समस्याओं तथा चुनौतियों से चिंतित हूं, जिनका सामना आज देश कर रहा है । राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ कर मैं बहुत निराश हुआ हूं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में अन्य किन किन मुख्य बातों का समावेश होना चाहिये था, यह प्रस्तुत किये गये मेरे 46 संशोधनों की सूचनाओं से प्रतीत हो जायेगा ।

आज सारा देश और यहां के निवासी कठिनाइयों तथा आपत्तियों से घिरे हैं लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में इनका संकेत मात्र भी नहीं । अभिभाषण में बुनियादी समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । यह बात आश्चर्यजनक है कि इसमें विदेश नीती पर अधिक चर्चा की गई है, देश के भीतरी हालात पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । अभिभाषण में प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के दौरों तथा वे किस किस से मिले, इसकी अधिक चर्चा की गयी है । सर्वसाधारण यह जानना चाहता है कि उन्होंने समस्याओं का समाधान करने के लिये क्या किया, यह नहीं कि वे किस किस से मिले और कहां कहा गये । इसलिये मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रेरणादायक नहीं है ।

अब मैं अपने राज्य गुजरात तथा अहमदाबाद शहर की वर्तमान स्थिति की चर्चा करता हूं । मुझे यह देखकर बहुत धक्का लगा कि अपने लम्बे अभिभाषण में राष्ट्रपति ने यहां की स्थिति का वर्णन केवल चार पंक्तियों में किया है । गुजरात में हो रही हिंसात्मक घटनायें कोई साधारण घटनायें नहीं है । देश के एक वर्ग विशेष के प्रति इस प्रकार का उपेक्षात्मक रवैया अपनाने का क्या कारण है जबकि वे लोग उन बातों की मांग कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित हैं । यह कहना ठीक नहीं है कि इस आंदोलन के पीछे किसी एक राजनैतिक दल का हाथ है । इस आंदोलन में विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, अध्यापकों, डाक्टरों और यहां तक कि सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं ने भी भाग लिया है । इन परिस्थितियों में यदि कोई राजनैतिक दल किसी प्रकार का राजनैतिक लाभ उठाये, तो कोई आश्चर्य नहीं । परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि ये परिस्थितियां किस प्रकार उत्पन्न हुई । हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात करने के लिये कौन जिम्मेदार हैं ? मैं समझता हूं कि गुजरात और अहमदाबाद की घटनाओं के उल्लेख के बिना यह अभिभाषण अपूर्ण है । हमारा संबंध राष्ट्रपिता महात्मागांधी की जन्मभूमि से, देश के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक निकट का है और इसलिये उनकी अहिंसावादी सिद्धांतों के प्रति हम अपना उत्तरदायित्व भी अधिक समझते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि हम जो भी करें, वह अहिंसात्मक हो और उसे लोकतांत्रिक ढंग से ही किया जाये । आज मैं गुजरात और अहमदाबाद के बारे में इसलिये बोला कि इस सदन को उस राज्य की वास्तविक घटनाओं से अवगत कर सकू क्योंकि समाचारपत्रों और आकाशवाणी के माध्यम से जो समाचार आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, वे वास्तविकता से दूर हैं, वे सरकार ने समाचारों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं ।

गुजरात राज्य कई वर्षों तक भ्रष्टाचार रहित राज्य के रूप में देश के सामने आया । उस राज्य में न तो अधिक भ्रष्टाचार होता था और न ही भाईभतीजा वाद । वर्तमान सरकार के पूर्व की गुजरात सरकार के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार के नहीं अपितु अन्य प्रकार के आरोप थे । परन्तु आज इस वर्तमान सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के आरोप ही देखने को मिलते हैं । गुजरात के लोग इस तथ्य से भलीभांति अवगत हैं कि मूल्य में वृद्धि एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया है । आवश्यक वस्तुओं का अभाव भी राष्ट्रव्यापी है । परन्तु उनके आक्रोश और आंदोलन का सब से प्रमुख कारण राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार का नंगा नाच है । इस लिये राज्य के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने जो कि समाज का बुध्दिजीवी वर्ग है, ने राज्यपाल के निवास तक एक जलूस निकाला । श्री चिमनभाई पटेल के नेतृत्व में जो राज्य सरकार गिरी वह उस राज्य

की सब से भ्रष्ट सरकार थी । जब इस भ्रष्ट सरकार के पापों का भांडा भर गया तो इसका गिरना स्वाभाविक ही था । यह कहना बिलकुल गलत होगा कि यह सरकार हिंसा के कारण गिरी । इस सरकार के गिरने का मूल कारण यही था कि यह कांग्रेसी सरकार गुजरात और अहमदाबाद में लोगों के जीवन के साथ खेलती रही । सबसे अधिक दुखद बात यह है कि सरकार ने राज्य की मशीनरी को राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया । वहां लोगों के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम का निर्दयता से प्रयोग किया गया । जमाखोरों, चोर बाजारियों तथा अन्य असामाजिक तत्वों के स्थान पर अध्यापक और छात्र गिरफ्तार किये गये । पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर निर्दोष लोगों पर जनवरी और फरवरी में ऐसे अत्याचार किये जिनका अन्यत्र उदाहरण नहीं मिलता । इसके बाद सेना आई । अहमदाबाद के लोगों ने सेना का स्वागत किया । उन्होंने सेना से कहा कि हम पुलिस से लड़ रहे थे क्योंकि वह हमें रोटी के बदले गोली दे रही थी और वह हम पर आंसू गस के गोले और डंडे बरसा रही थी, हमारा आप से कोई झगड़ा नहीं है । गुजरात में लोकतांत्रिक मूल्य, सिद्धांत और प्रथाएं नष्ट हो गई हैं । श्री चिमन भाई पटेल का मंत्रिमंडल पाप से पैदा हुआ था और उसने पापियों जैसा ही व्यवहार किया । हमें प्रसन्नता है कि वह समाप्त हो गया है । गुजरात के लोगों को विश्वास पूरी विधान सभा से ही उठ गया है ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल पूरा करें । अब श्री वयालार रवि आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे ।

---

*एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

*ELECTRIFICATION OF ERNAKULAM-TRIVANDRUM RAILWAY LINE

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : सभापति महोदय, मैं एरणाकुलम त्रिवेंद्रम रेलवे-लाइन को मंगलौर तक विद्युतीकरण करने की आवश्यकता की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मंत्री महोदय ने रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार किये गये उत्तर को ही पढ़ दिया है जिसमें कहा गया है कि उक्त रेलवे लाइन पर यातायात कम है और उस पर पूंजी निवेश अधिक करना पड़ेगा और आर्थिक दृष्टि से ऐसा करना उचित नहीं है । यह जानकारी संसद् को गुमराह करने वाली है, और सच नहीं है । मैं माननीय मंत्री की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वहां यातायात कम है । दूसरे केवल यातायात को ही विद्युतीकरण के लिए एकमात्र आधार नहीं ठहराया जा सकता । राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राज्य में उपलब्ध विद्युत जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । राज्य में बिजली पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ती दर पर उपलब्ध है ।

जहां तक जनसंख्या के घनत्व का प्रश्न है, केरल में जनसंख्या का घनत्व 1,000 से 1,200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि आन्ध्र प्रदेश में यह 157, आसाम 150 और बिहार में 324 है । अतः केरल में यातायात का घनत्व सर्वाधिक है । जहां तक दक्षिण रेलवे से आय का सम्बन्ध है, दक्षिण रेलवे की कुल 1,40,000 लाख रुपए की आय में केरल का योगदान 10,000 लाख रुपए है । अतः यह कहना गलत है कि केरल में यातायात कम है और वहां रेलवे को अपेक्षित आय नहीं होती । त्रिवेंद्रम-एर्णाकुलम रेलवे लाइन की लम्बाई केवल

---

*आधे घंटे की चर्चा

*Half-an-Hour Discussion.

[श्री वयालार रवि]

220 किलोमीटर है और उस पर 42 स्टेशन हैं । इस पर गाड़ी के रुकने और चलने से 2 घंटे का समय बर्बाद हो जाता है । यदि इसका विद्युतीकरण कर दिया जाये तो यह समय बच सकता है । रेलवे के विद्युतीकरण से पूरे राज्य की यातायात-व्यवस्था में गति आ जायेगी। दूसरे विद्युतीकरण से यह भी लाभ होगा कि वही कोयला ढोना नहीं पड़ेगा और कोयले के अभाव के कारण गाड़ियां रद्द नहीं करनी पडेगी । क्या आपने यह हिसाब लगाया है कि कोयले की ढुलाई आदि पर कुल कितना खर्च होता है ? डीजल पर कितना खर्च होता है ? दूसरी ओर रेलवे के विद्युतीकरण पर त्रिचुर तक केवल 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे रेलवे यातायात भी अस्त-व्यस्त न होगा और सड़क परिवहन से 10 प्रतिशत यातायात इधर आ जायेगी। विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप रेलवे को कुल मिलाकर 5 करोड़ से 7 करोड़ रुपये तक की बचत होगी। अतः राज्य में रेलवे का विद्युतीकरण उसी राशि से किया जा सकता है जो विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप दो वर्ष में स्वतः ही बच जायेगी।

केरल के साथ कितना भेदभाव किया जाता है, इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में कुल 4673 किलोमीटर नयी रेलवे लाइन बिछाई गई, जिसमें से केरल को केवल 155 किलोमीटर रेलवे लाइन प्राप्त हुई। अब आप ही अंदाजा लगायें कि केरल में रेलवेपर कितनी पूंजी लगाई गई। केरल में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 4 किलोमीटर रेलवे लाइन आती है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 13 किलोमीटर है। रेलवे का कोई भी बड़ी डिपो या स्टोर मेरे राज्य में नहीं है । सलेम से बंगलौर तक मीटर गेज लाइन बेकार है। इस पर केवल एक गाड़ी चलती है। यदि यह बड़ी लाइन होती तो अधिक लाभ होता क्योंकि इससे सभी गाड़ियां त्रिवेन्द्रम से बम्बई तक सीधे पहुंच जाती। सरकार ने केरल में एक वर्कशाप स्थापित करने का वचन दिया था, जो अब पूरा नहीं किया जा रहा है। केरल के प्रति यह उपेक्षा समाप्त की जानी चाहिए। नयी रेलवे लाइन से केरल राज्य की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। केरल से नारियल जटा और टाइलों की ढुलाई की जानी आवश्यक होती है। मंगलौर तक लाइन के विद्युतीकरण से सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। एलप्पी से होकर जाने वाली कायाकुलम-एर्णाकुलम लाइन भी ली जा सकती है। इससे एलप्पी का संबंध एर्णाकुलम से जुड़ जायेगा इसके सर्वेक्षण के लिए श्री हनुमनतैया ने आदेश दिया था। किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। जहां तक धन का संबंध है, पांचवीं योजना में विस्तार-कार्य के लिए 600 करोड़ रुपये उपलब्ध है। इसका उपयोग किया जा सकता है। मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों को स्वीकार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, केरल में जनसंख्या के घनत्व की तुलना में वहां रेलवे लाइन बहुत कम हैं। राज्य में उपलब्ध फालतू विद्युत का उपयोग सस्ती दर पर गैर-प्राथमिकता-प्राप्त प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। जहां तक डीजलीकरण और विद्युतीकरण विकल्पों में से एक को चुनने का संबंध है, तरल इंधन के अभाव को देखते हुए विद्युतीकरण अधिक उपयुक्त है। वायु-दूषण और पूंजी-निवेश की दृष्टि से भी विद्युत-चालित ईंधन वांछनीय है हम श्री वयालार रवि का पूर्ण समर्थन करते है । हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय उनके सुझाव स्वीकार कर लें। आपने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रुपये की लागत से एक एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित किया है किन्तु उससे प्राप्ति नहीं के बराबर है।

अतः मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप सदन में यह बताएं कि रेलवे इन प्रस्तावों को स्वीकार करती है तथा इन्हें शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित कराएगी।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Since independence many new railway lines have been laid but unfortunately instead of being broadgauge they are meter gauge lines. It i gratifying that Mangalore is being directly connected with Kanyakumari. This new railway

line will establish direct link between Bombay and Kerala. I request that this new railway line should be constructed via Ratnagiri and South Canara so that maximum number of villages of Kerala are covered. The density of population in Kerala is highest next only to U.P. and Bihar in the country.

Is it also not a fact that many trains are being cancelled because of shortage of coal. There is acute shortage of steam coal. Price of diesel is also increasing. Is there any alternative besides electricity.

From the economic point of view is it more beneficial to use coal for production of electricity or to use it only as a fuel. Do you propose to use coal for production of electricity.

श्री सी० के० चन्द्रापन (तेल्ली चेरी) : यह सच है कि रेलवे बोर्ड देश के पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने के बारे में सदा आर्थिक व्यवहार्यता की आड़ लेकर विलम्ब करता रहता है। रेलवे बोर्ड की ओर से रेल मंत्री ने कहा है कि अलेप्पी को क्विलोन और एरणाकुलम से जोड़ने वाली लाइन व्यवहार्य नही है। कोट्टायम और मदुरै को जोड़ने वाली लाइन भी व्यवहार्य नहीं है। मेरा रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इस संबंध में नए अध्ययन कराएं और निर्णय करें कि आर्थिक व्यवहार्यता का वास्तविक अर्थ क्या है।

अंग्रेजों के शासन के दौरान सेना के संचलन की महत्ता को ध्यान में रखकर नई रेलवे लाइनें बनाई जाती थीं आज रेलवे बोर्ड में यद्यपि अंग्रेज नही रहे हैं फिर भी उसके सदस्य अंग्रेजों के दिमाग के आधार पर काम कर रहे हैं। वह हर बात को आर्थिक व्यवहार्यता की आड़ में मना कर रहे हैं हमें आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में एक नया दृष्टिकोण बनाना होगा। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास को ध्यान में रखना होगा।

जहां तक केरल में लाइनों के विद्युतीकरण का प्रश्न है हमने हर दलील पेश की है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि केरल में राशन व्यवस्था के उद्देश्य हेतु इसे बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली का दर्जा दिया गया अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि इन लाइनों का विद्युतीकरण कर दिया जाता है तो वे लाइनें आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध होंगी।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह रेलवे बोर्ड द्वारा आर्थिक व्यवहार्यता के नाम पर छोड़ी गई लाइनों की पुन: जाँच करे और केरल में और नई रेलवे लाइने बनाई जाए और वर्तमान लाईनों का विद्युतीकरण किया जाए।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : If there is any Government department which is working without any planning since partition that is the Railways. Planning Commission also agrees to the fact that wherever there is meter gauge line there has not been much of economic development.

The running of trains is so irregular that people are losing faith in them. So far as goods traffic is concerned there is no certainty whether the goods will reach their destination safely. It is on accounts that Railway traffic has lowered down. It is an unweighty argument that there is less traffic in Kerala. Kerala is a densely populated state. If Trivandrum is electrified we will get lot of traffic from Kottayam and Changnaseri.

There is no scarcity of electricity in Kerala. It has hydro electricity and in the near future atomic electricity will also be available as there are huge deposits of uranium in the state. Hence the arguments put forth by the Railway Board are not very convincing.

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : यह कहना 'सही नहीं' है कि रेल सुविधाओं के संबंध में केरल की उपेक्षा की गई है। देश में रेल लाइनों का निर्माण देश की

[श्री महम्मद शफी कुरेशी]

सीमाओं आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। केरल में बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध है। रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए यही एक मात्र साधन नहीं है। सस्ती बिजली के अतिरिक्त कुछ और भी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है जैसे यातायात का घनत्व, ग्रेडियेंट्स तथा अन्य विद्युतीकृत भागों से संबंध और किसी विशेष यातायात के भविष्यत अवसर आदि। जब हम यातायात के घनत्व की बात करते हैं तो हम जनसंख्या को भी ध्यान में रखते हैं। किन्तु कोई नई लाइन बिछाने के लिए उस विशेष क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं यह सब कुछ देखना पड़ता है।

यह सही है कि रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए बड़ी मात्रा में धन निवेश की आवश्यकता होती है। किन्तु रेल पथ के अन्य तरीकों की तुलना में बिजली रेल पथ सबसे सस्ता होगा और हमें ऐसा करना चाहिए और रेलवे की यही नीति रही है।

यातायात घनत्व पर विचार करते हुए प्रायः यह देखा गया है कि प्रतिवर्ष कुल 140 लाख से 150 लाख टन किलोमीटर के विद्युतीकरण की योजना के लिए व्यवस्था हो सकती है। जब हमने एरणाकुलम क्विलोन सैक्शन में यातायात का सर्वेक्षण किया तो प्रति किलोमीटर कुल टन भार लगभग 3.1 है। एरणाकुलम् त्रिवेन्द्रम् सैक्शन में यात्रियों की संख्या की तुलना में बम्बई-दिल्ली, बम्बई-कलकत्ता, बम्बई-मद्रास, मद्रास-कलकत्ता और मद्रास-बम्बई जैसे अन्य मुख्य लाइनों में कुछ क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर कुल टन भार 93.5 लाख और 245.5 लाख के बीच है। अधिक यात्रियों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 5700 किलोमीटर लम्बी मुख्य रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाना है। विद्युतीकरण संबंधी हाल ही के अध्ययन से संकेत मिला है कि 1988-89 तक 10,453 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर यात्रियों की संख्या विद्युतीकरण के योग्य हो जाएगी। इन सैक्शनों में वे मुख्य मार्ग नहीं आते जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है अपितु कुछ अन्य मार्ग भी सम्मिलित है। आरकोणम-कोचीन सेक्शन का इसमें समावेश है। किन्तु एरणाकुलम्-त्रिवेन्द्रम् इसमें सम्मिलित नहीं है।

कुछ महीने पहले मंगलौर-कन्याकुमारी अन्तरीम सैक्शन का विद्युतीकरण करने के संबंध में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 50.7 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से 5.8 प्रतिशत लाभ होगा। जबकि बिजली 4.5 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिले और यह लाभ 6.5 प्रतिशत उस स्थिति में मिलेगा जबकि बिजली मुफ्त मिले। लाभ 10 प्रतिशत से कहीं कम है जो विद्युतीकरण के लिए उचित माना गया है। यह कहा यदि विद्युतीकरण के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा तो हम अधिक सैक्शनों का विद्युतीकरण करने में समर्थ होंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 26 फरवरी, 1974/7 फाल्गुन, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 26, 1974/Phalguna 7, 1895 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 1 —1 लोकसभा /74—10-3-74—490.